चतुर्दश माला, खंड 37, अंक 2

शुक्रवार, 13 फरवरी, 2009
24 माघ, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पन्द्रहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. ....
Dated ....

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 37, पन्द्रहवां सत्र, 2009/1930 (शक)
अंक 2, शुक्रवार, 13 फरवरी, 2009/24 माघ, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-7
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1, 2 और 3	7-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 20	36-180
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 52	181-356
सभा पटल पर रखे गए पत्र	357-360
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	360-361
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक	361
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	361-363
संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय	363
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
19वां प्रतिवेदन	364
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 27वां से 30वां प्रतिदेवन	364-365
(दो) विवरण	365
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 38वां प्रतिदेवन	365
(दो) विवरण	365-366
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
137वां से 139वां प्रतिवेदन	366

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

सभा का कार्य 366-371

अंतरिम बजट (रेल) - 2009-10 371-391

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) - 2008-09 391

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) - 2006-07 391

मंत्री द्वारा वक्तव्य

'मुंबई आतंकी हमले पर अनुवर्ती कार्रवाई' 392-397

श्रीलंका में शांति बहाल करने और तमिलों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में 397-421

सदस्य द्वारा निवेदन

देश में मध्याह्न भोजन कर्मकारों के समक्ष समस्याओं के बारे में 421-429

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुन:स्थापित

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008
(भाग 4क का संशोधन)

श्री मोहन सिंह 429-430

(दो) पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) (संशोधन) विधेयक, 2008
(धारा 2, आदि का संशोधन)

श्री मोहन सिंह 430

(तीन) महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों को मृत्यु शास्ति का उत्सादन विधेयक, 2008

श्री मोहन सिंह 430-431

(चार) सती (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008
(धारा 2, आदि का संशोधन)

श्री एल. राजगोपाल 431

(पांच) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009
(धारा 11, आदि का संशोधन)

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना 431-432

निर्वाचन सुधार आयोग, विधेयक 2006 432

विषय कॉलम

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 433-434

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 434-436

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 437-438

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 437-438

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राघाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 13 फरवरी, 2009/24 माघ, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो पूर्व सहयोगियों, श्री ई. बालानन्दन और श्री भोगेन्द्र झा के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री ई. बालानन्दन सातवीं लोक सभा में 1980 से 1984 तक केरल के मुकुन्दपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे।

इसके पूर्व श्री बालानन्दन 1967 से 1969 तथा 1970 से 1976 तक केरल विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1988 से 2000 तक दो कार्यकाल तक केरल से राज्य सभा के सदस्य रहे।

श्री बालानन्दन एक प्रतिबद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता और एक विख्यात मजदूर संघ नेता थे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया। वह लम्बे समय सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष रहे।

उनकी मृत्यु से देश ने मजदूर वर्ग के एक सच्चे दोस्त और बुलंद हस्ती को खो दिया है जो मेहनतकश जनता के कल्याण के लिए सदैव संघर्षरत रहा।

श्री ई. बालानन्दन का निधन 84 वर्ष की आयु में 19 जनवरी, 2009 को कोच्चि में हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोक सभा, 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा और 1989 से 1996 तक नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उक्त अवधि में उन्होंने चौथी और पांचवीं लोक सभा में बिहार के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और सातवीं, नौवीं तथा दसवीं लोक सभा में मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री झा एक कुशल संसद सदस्य थे। वह चौथी और पांचवीं लोक सभा के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य रहे। नौवीं लोक सभा के दौरान वह विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। दसवीं लोक सभा के दौरान वह वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री झा ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें कई बार कारावास जाना पड़ा।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री झा ने निचले स्तर से अपना राजनैतिक जीवन आरम्भ किया और समाज के वंचित तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु अथक प्रयास किया।

श्री झा एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्हें अनेक सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर हिन्दी, मैथिली और अंग्रेजी में विचारोत्तेजक पुस्तकें लिखने का श्रेय प्राप्त है।

श्री भोगेन्द्र झा का निधन 86 वर्ष की आयु में 20 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने प्रश्नकाल निलंबित करने की सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट के लिए रुकिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मित्रो, अपने वक्तव्यों की प्रतीक्षा कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके पास अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम प्रश्नकाल लेंगे जिसके बाद रेल बजट होगा और तत्पश्चात मैं आप सभी को बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रेल बजट के पश्चात, मैं आप सभी को वक्तव्य देने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको रेल बजट के पश्चात बोलने का अवसर दूंगा। उस समय आप मुद्दे उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रेल बजट के पश्चात मैं आपको मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, रेल बजट के बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा; पोन्नुस्वामी जी रेल बजट के बाद मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चौदहवीं लोकसभा का यह अंतिम सत्र है। यदि आप प्रश्न काल नहीं चलने देंगे, तो मैं यह नहीं समझ सकता कि आप संसद की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप कुछ कहना चाहते हैं और मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आप मुझसे और क्या कराना चाहते हैं? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप प्रश्न काल में बाधा क्यों डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय श्री अविनाश राय खन्ना और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि मैं रेल बजट के पश्चात आज ही आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। मैंने कहा है कि मैं आपको वे मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगा। फिर भी आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि संसद होने का औचित्य क्या है; क्यों चुनाव हो रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन सब बातों का क्या फायदा है। आप संसद में वापिस आने के उत्सुक हैं लेकिन आप संसद की कार्यवाही चलने नहीं देते। मैं सभी दलों के नेताओं से यह अपील करता हूं कि वे यह निर्णय कर लें कि वे सभा की कार्यवाही चलने देना चाहते हैं अथवा नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको आश्वासन दिया है। मैं और क्या कर सकता हूं? क्या आप अपराह्न एक बजे तक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रतीक्षा नहीं कर सकते? कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। रेल बजट समाप्त होते ही मैं आपको एक-एक करके बोलने का अवसर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि आप गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहे हैं। इससे देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था की प्रतिष्ठा कम होती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उम्मीद करता हूं कि लोग आज की कार्यवाही को देख रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सिद्दू जी, क्या वक्तव्य देने के लिए यही सही जगह है? आप अपने स्थान पर वापस जाएं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप यहां आना चाहते हैं? आपके लोग आपको यहां से शोर मचाते हुए देखेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, सत्यम कंप्यूटर्स में 7 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला हुआ है। इस पर चर्चा के लिए मैंने नोटिस दिया है। मेरे नोटिस का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस रिजैक्ट हो गया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरी सूचना अस्वीकृत नहीं हुई है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप एक औपचारिक आदेश चाहते हैं तो मैं आपकी सूचना को भी अस्वीकार करता हूं। प्रश्न-काल के निलंबन की मांग करने वाली सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

मैंने शुरू में ही एक घोषणा की थी कि यदि आप इस विषय के प्रति गंभीर हैं तो आप इसे उचित तरीके से उठा सकते हैं। मैंने यह भी कहा है कि आप अध्यक्ष की ओर से दिए जाने वाले अवसर की प्रतीक्षा करें। लेकिन लगता है कि आप किसी अन्य मुद्दे पर ज्यादा जोर देने के लिए चिंतित हैं। मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं आप सभी से बार-बार अपील कर रहा हूं कि आप प्रश्न-काल चलने दें। पहले ही प्रश्न-काल के 14 मिनट खत्म हो गए हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सिद्दू जी, आप न तो संसद के साथ, न अपने आप से न्याय कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं। प्रश्न-काल के बाद और अंतरिम रेल बजट जो महत्वपूर्ण है, के प्रस्तुत किए जाने के बाद मैं आपको इन मुद्दों को उठाने की अनुमति दूंगा। मुझे देखने दीजिए कि हम इस पर कब चर्चा शुरू कर सकते हैं। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें। आपको अमृतसर से दिल्ली आने में समय लगता है न।

[हिन्दी]

जितना टाइम प्लेन द्वारा अमृतसर से दिल्ली पहुंचने में लगता है, उससे कम समय में हो जाएगा। आपके यहां खड़े होकर चिल्लाने से काम नहीं होगा। आप अपनी सीटों पर जाकर बैठिए और ठीक ढंग से बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मैं सभा को स्थगित नहीं करूंगा। अब हम प्रश्न-काल शुरू करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने बोल दिया कि

[अनुवाद]

प्रश्न-काल के बाद और अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद मैं इसकी अनुमति दूंगा। कृपया व्यवधान मत डालिए। मैं सोचता हूं कि आप साढ़े चार साल से इस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महान संस्था की गरिमा को कम करते रहे हैं। 14वीं लोक सभा के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं।

अब हम प्रश्न-काल शुरू करेंगे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 1 - श्री अधीर चौधरी।

[अनुवाद]

मकानों की कमी

+

***1. श्री अधीर चौधरी:**

श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मकानों की वर्तमान मांग और आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मकानों विशेषरूप से निम्न और मध्यम श्रेणी के मकानों की कमी का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शहरी आवास की कमी का आकलन करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार देश में कुल 24.71 मिलियन मकानों की कमी है। राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार कमी का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुसार "भूमि" तथा "कालोनी बनाना" विषय राज्यों को सौंपे गए हैं इसलिए शहरी क्षेत्रों में आवास की जरूरतों संबंधी समस्या से निपटना मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार ने हाल ही में अनेक पहल प्रयास किए हैं।

समाज के सभी वर्गों को किफायती कीमतों पर भूमि, आश्रय और सेवाओं की एकसमान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्यावास के सुस्थिर विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एन.यू.एच.एच.पी.), 2007 तैयार की गई है।

सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) शुरू किया है ताकि शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बी.एस.यू.पी.) उप मिशन के अंतर्गत 63 चुनिंदा शहरों में और अन्य शहरों तथा नगरों में एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत समग्र स्लम विकास के जरिए शहरी गरीबों के लिए आवास और बुनियादी सेवाओं का प्रावधान किया जा सके।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) और अल्प आय समूहों (एल.आई.जी.) द्वारा लिए गए 1 लाख रुपए तक गृह ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी देने के लिए शहरी गरीबों हेतु आवास के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एच.यू.पी.) नामक नई स्कीम मंजूर की गई है ताकि सामाजिक आवास के लिए संस्थागत वित्त जुटाया जा सके और गृह ऋणों को इन समूहों की भुगतान वापसी क्षमता के दायरे में लाया जा सके।

अनुबंध

2007 की स्थिति अनुसार मकानों की कमी

राज्य/संघ शासित प्रदेश	रिहायशी यूनिट मिलियन में
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1.95
अरुणाचल प्रदेश	0.02
असम	0.31

1	2
बिहार	0.59
छत्तीसगढ़	0.36
गोवा	0.07
गुजरात	1.66
हरियाणा	0.52
हिमाचल प्रदेश	0.06
जम्मू-कश्मीर	0.18
झारखण्ड	0.47
कर्नाटक	1.63
केरल	0.76
मध्य प्रदेश	1.29
महाराष्ट्र	3.72
मणिपुर	0.05
मेघालय	0.04
मिजोरम	0.04
नागालैण्ड	0.03
उड़ीसा	0.50
पंजाब	0.69
राजस्थान	1.00
सिक्किम	0.01
तमिलनाडु	2.82
त्रिपुरा	0.06
उत्तरांचल	0.18
उत्तर प्रदेश	2.38
पश्चिम बंगाल	2.04
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01
चंडीगढ़	0.08
दादरा और नगर हवेली	0.01
दमन और द्वीव	0.01
दिल्ली	1.13
लक्षद्वीप	0.00
पांडिचेरी	0.06
अखिल भारत	24.71

श्री अधीर चौधरी: महोदय, भोजन और कपड़े के बाद मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता आश्रय है। भारत-निर्माण के अनिवार्य घटकों में से एक है ग्रामीण लोगों के लिए मकान उपलब्ध कराना।...*(व्यवधान)* ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विकास के बीच परस्पर संबंध के चलते सरकार शहरी गरीबों को भी कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.15 बजे

(इस समय श्री सुखदेव सिंह ढींडसा, श्री अनंत कुमार, श्री अविनाश राय खन्ना और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय, मैं भी विरोध में बहिर्गमन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सोचा कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं हैं। मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी को समझता हूं।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे बहुत खेद है कि आप बहिर्गमन कर रहे हैं लेकिन कृपया शांति से जाइए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, हम देख रहे है कि शहरीकरण का धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है जिसके परिणाम-

स्वरूप आवासों की आपूर्ति और मांग के बीच भारी अंतर है।...*(व्यवधान)* जो इसमें सम्मिलित नहीं किए जाने वाले शहरों को प्रदर्शित कर रहा है।

महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि देश में कुल 24.71 मिलियन आवासों की कमी है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके ही मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2007-2012 की योजना अवधि के दौरान कुल आवासों की कमी, जिसमें पूर्व सूची भी सम्मिलित है, 26.53 मिलियन होने की संभावना है। स्वाभाविक रूप से 'सबके लिए आवास' अभी भी दूर का सपना है जिसे मंत्री महोदय को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए।

इसलिए, क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि उनके मंत्रालय द्वारा शहरी आवासों की कमी के आकलन के लिए गठित तकनीकी समूह ही 'सबके लिए आवास' नामक कार्यक्रम में अंतर्निहित धन का भी आकलन कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदया का मंत्रालय कहिये मंत्री महोदय का नहीं।

श्री अधीर चौधरी: अंतर्निहित वित्त क्या है?

अध्यक्ष महोदय: श्री चौधरी मैं और समय नहीं दे सकता। यह पूरक प्रश्न नहीं है। यह तो अति है।

श्री अधीर चौधरी: दया 'सबके लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा विकसित कोई संस्थागत तंत्र संबंधी संविधि है?

एक माननीय सदस्य: महोदय, वे पुनः मंत्री महोदय का मंत्रालय कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनके द्वारा मंत्री महोदय के मंत्रालय कहने का बुरा नहीं मानेंगे।

कुमारी सैलजा: महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है।

आवासों की कमी आकलन करने के लिए गठित 'तकनीकी समूह' ने अपने निष्कर्ष तथा अनुमान दे दिए हैं कि 10वीं ाोजना अवधि के प्रारंभ में 24.7 मिलियन आवासों की कमी होगी जबकि 11वीं योजना अवधि के अंत में यह 26 मिलियन होगी।

आवासों की इस कमी को पूरा करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि की आवश्यकता होगी। आवासों की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में जवाहर लाल नेहरू मिशन, आवास नीति के बारे में बताया है, निश्चित रूप से संप्रग सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय वर्ग के लिए ब्याज पर राजसहायता योजना एक नई पहल है।

मैं यहां बताना चाहती हूं कि आवासों की यह कमी अधिकांशतः कम आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी वालों के लिए है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सर्व शिक्षा अभियान और सर्व सस्ता अभियान के तर्ज पर सर्व गृह अभियान की घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय: यह करने के लिए सुझाव है। यह प्रश्न नहीं है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, भूमि की उपलब्धता तथा इस अवधि के लिए विधिक सुरक्षा, इस कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक घटक हैं। हम पहले से ही यह देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में भूमि के उपयोग में बदलाव को लेकर बहुत ही हो-हल्ला और शोर मच रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है जिससे कि भूमि का सुचारू रूप से अधिग्रहण संभव हो सके।

अध्यक्ष महोदय: आवास के लिए।

श्री अधीर चौधरी: जी हां, आवास के लिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

कुमारी सैलजा: महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि भूमि राज्य सरकारों की सम्पत्ति है, न कि भारत सरकार की। लेकिन जो भी हो भारत सरकार कई तरह से आवास निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। निःसंदेह

मैंने जवाहरलाल नेहरू मिशन के बारे में कहा था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की गई है, जिनसे देश में आवासों की संख्या बढ़ाने में मदद मिल रही है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्प आय समूहों द्वारा दिए गए, एक लाख रुपए तक गृह ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने के लिए शहरी गरीबों हेतु आवास के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम नामक नयी स्कीम मंजूर की गयी है। हमारे देश में गरीबी का जो हाल है, उसे सभी लोग जानते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात छोड़ दें, शहरी क्षेत्रों में ही, जैसा बताया गया है, 24.71 मिलियन मकानों की कमी है। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो गरीब लोग हैं, उन्हें सस्ते मकान मिलें, जो उनकी पहुंच के अंदर हों।...*(व्यवधान)* आपने बताया कि शहरी वर्ग के लिए 25 मिलियन मकानों की कमी है। उन्हें एक लाख रुपये तक के ऋण के ब्याज पर 5 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि ब्याज की दर क्या है जिस पर आप 5 प्रतिशत सब्सिडी दे रही हैं?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, यह वह दर होगी जो बैंक देंगे। मिसाल के तौर पर अगर बैंक 8.5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देंगे तो उस पर भारत सरकार 5 प्रतिशत एक्सट्रा देगी, यानी गरीब आदमी को एक लाख रुपये का ऋण 3.5 प्रतिशत की दर से मिलेगा।

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि महाराष्ट्र में 3.72 करोड़ हाउसेज की कमी है। महाराष्ट्र की आबादी लगभग 10 करोड़ है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज अधिक होने के कारण वहां देहात और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। मुम्बई में हमने माननीय शिवसेना प्रमुख, श्री बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी स्कीम लागू की थी, जिसमें स्लम इम्प्रूवमैंट के तहत सवा दो सौ स्कवायर फीट के मकान देने की बात थी। वह सी एंड एस सिस्टम के तहत थी। लेकिन आज केन्द्र सरकार ने जो घोषणा की, उस घोषणा के आधार पर 3.72 करोड़ आवास की शार्टेज की बात कही गई है, उसके लिए आप महाराष्ट्र में कितनी संख्या में हाउसेज निर्माण की व्यवस्था कराने वाले हैं और उनमें से कितने आवास निर्माण का काम चालू हुआ है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, जो हाउसिंग शार्टेज की संख्या थी, वह प्रोजैक्शन के आधार पर बनाई गई है। वैसे माननीय सदस्य का जो दूसरा सवाल है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। मैं महाराष्ट्र के बारे में ऐग्जैक्ट फिगर्स माननीय सदस्य को बाद में भेज दूंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे उनको भेजा था।

कुमारी सैलजा: मैं समझती हूं कि मैं इसे उनको भेज दूंगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अभी तक हमने मिशन सिटीज के लिए 46 प्रोजैक्ट एप्रूव किए हैं, जो बड़े शहर हैं, उनकी टोटल प्रोजैक्ट कॉस्ट 4,655 करोड़ रुपये है। उनके लिए हमने एक लाख 42 हजार मकान मंजूर किए हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन: क्या सरकार शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केरल सरकार द्वारा घोषित ई.एम.एस. हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो संपूर्ण आवास परियोजना और पूरे भारत में अग्रणी योजना है, के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार कर सकती है? मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार वित्तीय सहायता देने पर विचार करेगी।

कुमारी सैलजा: निश्चितरूप से सरकार सभी राज्यों को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है और मैं सांसद सदस्यों से यह अपील करना चाहती हूं कि वे अपने-अपने राज्यों को अधिक से अधिक परियोजनाएं हमें भेजें, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी पैसा बचा पड़ा है और हम इन सभी राज्यों में गरीबों के लिए और अधिक आवास निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: विशेषकर, अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र में।

कुमारी सैलजा: महोदय, निश्चितरूप से, अध्यक्ष महोदय के चुनाव क्षेत्र में।

अध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, यू.पी.ए. सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जिसके अन्तर्गत जहां दस लाख से अधिक आबादी है, वहां के लिए एक विशेष योजना चलाई गई। जहां शहरी गरीब हैं, वहां नेहरू शहरी मिशन योजना के अन्तर्गत मकानों की व्यवस्था करवाई, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने अभी चर्चा की है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि बिहार में जिन दो शहरों का चयन किया गया, पटना और बोधगया, मैं पटना शहर से आता हूं। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि अब तक, चूंकि यह योजना लगभग चार साल पहले लागू की गयी थी, पटना में बिहार सरकार ने कितने गरीबों के मकानों के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव आपके पास भेजा है और कितनी राशि आपने भेजी है ताकि वहां गरीबों के मकान बन सकें। पटना शहर के लिए जो राशि जा रही है, पिछले दिनों यह कहा गया कि जमीन का अभाव है, वहां जमीन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन पैसों का दूसरे शहरों में डायवर्शन किया जा रहा है। क्या ऐसा प्रावधान है कि जिस शहर के लिए आपने पैसे का आवंटन किया है, वह पैसा दूसरे शहर में चला जाये और जिस शहर के गरीबों को उन पैसों की आवश्यकता है, उनको न मिल सके। क्या आप जमीन का अभाव दिखाकर उन पैसों का डायवर्शन दूसरे शहरों में करेंगे? क्या यह उचित होगा?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, यह उचित तो नहीं होगा, लेकिन बिहार में केवल दो शहर हैं। दो शहर मिशन सिटीज के अन्तर्गत आते हैं। अगर उनके पैसे बचेंगे, वे पैसे बचने नहीं चाहिए, हम चाहेंगे कि उनके पैसे वहीं पर खर्च हों और दूसरे शहरों में न जायें, क्योंकि छोटे शहरों के लिए हमारे पास अलग से स्कीम है और उनमें हम अलग से पैसा दे सकते हैं,...*(व्यवधान)* मैं आपको पटना की जानकारी अलग से दे दूंगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनके ऑफिस में जाकर बात कीजिए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, मैं उनको खुद जानकारी भेज दूंगी।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने कितना पैसा भारत सरकार से मांगा है?...*(व्यवधान)*

कुमारी सैलजा: पटना की जानकारी मैं आपको खुद भेज दूंगी, लेकिन अभी तक हमने नौ प्रौजेक्ट केवल बिहार राज्य के दो शहरों - पटना और बोधगया के लिए एप्रूव किये हैं। ऐग्जैक्टली पटना की जानकारी मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन हम चाहेंगे कि वहां से और प्रौजेक्ट आने चाहिए। जमीन के अभाव की बात नहीं है। हाउसिंग मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में भी, हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, बिहार से जो प्रतिनिधि आये थे उनसे हमने कहा था कि वे दूसरे राज्यों से सीख सकते हैं कि जमीन कहां कम है और कहां नहीं है। अगर जमीन की कमी होती है, तो उसके लिए और तरह-तरह के मॉडल्स हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम चाहेंगे कि वे और राज्यों से भी सीखें और हमारे पास भी आयें। जितना हो सकेगा, हम मदद करेंगे। पटना में अभी बहुत कार्य करने का स्कोप है।

श्री कीरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े शहरों के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, उससे हम वाकिफ हैं और उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां 'ए' और 'बी' क्लास के शहर नहीं हैं। वहां छोटे-छोटे शहर हैं, उनकी राजधानी की आबादी भी एक लाख पचास हजार है। मैं मंत्री जी रो जानना चाहता हूं कि उनके लिए सरकार ने व्यापक रूप से अभी तक क्या कार्य किया है? अगर अभी कोई कार्य नहीं किया है, तो क्या आप आगे कुछ कार्य करने जा रहे हैं?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, इसमें एलोकेशन अर्बन पापुलेशन पर बेस्ड था। जहां बहुत बड़े शहर नहीं हैं जैसे नार्थ ईस्ट है, वहां पर कैपिटल्स को लिया गया। उनको हम बी.एस.यू.पी. के अन्तर्गत लेकर प्रौजेक्ट इन्वाइट कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, मैं बताना चाहूंगी कि वहां हमने एक प्रौजेक्ट एप्रूव किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि नार्थ ईस्ट में हम और पैसा लगा सकें। हमारी कोशिश होगी कि हम वहां और ज्यादा पैसा दें।

महानगरों में मलिन बस्तियां

+

***2. श्री रामदास आठवले:**

श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और

कोलकाता में मलिन बस्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उपर्युक्त महानगरों में इन मलिन बस्तियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में वर्ष 2001 में महापंजीयक द्वारा कराई गई स्लम जनगणना से पहली बार चुनिंदा शहरों में स्लम आबादी के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। वर्ष 2001 में ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई तथा कोलकाता की स्लम आबादी इस प्रकार सूचित की गई है:-

शहर	स्लम आबादी (2001)	स्लम आबादी का प्रतिशत
ग्रेटर मुंबई	64,75,440	54.1%
दिल्ली	18,51,231	18.7%
चेन्नई	8,19,873	18.9%
कोलकाता	14,85,309	32.5%

जहां तक पूरे देश का संबंध है, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टी.सी.पी.ओ.) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर देश में स्लम आबादी बढ़ी है जो इस प्रकार है:-

वर्ष	स्लम आबादी: भारत
1981	26 मिलियन
1991	46.2 मिलियन
2001	61.8 मिलियन

(ख) मेट्रो शहरों सहित देश के शहरी क्षेत्रों में स्लमों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के कारणों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(i) नगर योजनाओं में परिकल्पित की तुलना में शहरीकरण में अधिक वृद्धि जिसके कारण निवासियों व प्रवासियों को नियोजित क्षेत्रों के बाहर मकान व कार्यस्थल ढूंढने व बनाने पड़े हैं;

(ii) भूमि मूल्य में निरंतर वृद्धि होने और किफायती मकानों की सप्लाई में कमी के कारण शहरी समाज के वृहत्तर वर्गों, विशेषकर निर्धन लोगों को शहरों व कस्बों में भूमि तथा नियोजित आवास सुलभ नहीं हैं; और

(iii) शहरी स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त निवेश व क्षमता की कमी के कारण अवस्थापना व सेवाओं की कमी विशेषकर अनियोजित व अनधिकृत बस्तियों में, जिनमें निर्धन रहते हैं;

(ग) और (घ) शहरों व कस्बों में स्लम विकास तथा किफायती आवास के मुद्दे के समाधान हेतु सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) शुरू किया है जिसका मुख्य लक्ष्य शहरों व कस्बों में निर्धनों के लिए अवस्थापना तथा बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था करने और सुस्थिर व समग्र शहरी विकास के लिए सुधारों को बढ़ावा देने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता मुहैया कराना है। शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम (बी.एस.यू.पी.) के अंतर्गत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई तथा कोलकाता मेट्रो शहरों सहित 63 मिशन नगरों में स्लमों में रहने वाले निर्धन परिवारों के लिए आवास का विकास तथा मूल नागरिक सेवाओं का प्रावधान किया जाता है। इसी प्रकार गैर-मिशन शहरों की समस्याओं का समाधान एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के माध्यम से किया जाता है।

अब तक (31-1-2009 तक) मुंबई, दिल्ली, चेन्नई तथा कोलकाता में बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्लम विकास/उन्नयन के लिए 116 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:-

(करोड़ रु.)

शहर	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी इकाइयां	प्रदत्त केन्द्रीय अंश
ग्रेटर मुंबई	8	2098.71	878.63	56635	275.04
दिल्ली	15	1814.49	768.73	65504	157.72
चेन्नई	19	1351.03	583.63	36691	148.63
कोलकाता	74	2278.12	1102.11	108030	266.29
योग	116	7542.35	3333.10	266860	847.68

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, देश में झोंपड़-पट्टी, स्लम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें, तो ग्रेटर मुम्बई में स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या 54.1 परसेंट, दिल्ली में 18.7 परसेंट, चेन्नई में 18.9 परसेंट और कोलकाता में 32.5 परसेंट है। इसका मतलब है कि देहातों में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग तेजी से शहरों की तरफ जा रहे हैं। स्लम में रहने वाले लोगों की बहुत बार झोंपड़-पट्टी डिमालिश की जाती है। अमानवीय तरीके से अधिकारी लोग उन पर अत्याचार करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या जो वर्ष 1981 में 26 मिलियन थी, 1991 में 46.2 मिलियन और 2001 में 61.8 मिलियन हो गई।

अध्यक्ष महोदय: यह सब रिप्लाई में दिया हुआ है।

श्री रामदास आठवले: मेरे कहने का मतलब है कि यह संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर सरकार बोल रही है कि हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि झोपड़पट्टी और स्लम में रहने वाले लोगों की झोपड़पट्टी नहीं हटानी चाहिए, इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। वर्ष 2004 में जिन लोगों ने हूटिंग किया है, वे लोग हूटिंग करने के लिए अधिकृत होते हैं और स्लम में रहने वाले लोगों को अनधिकृत माना जाता है। इसलिए मेरी मांग यह है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। वर्ष 2004 में जिन लोगों ने हूटिंग किया है, उन सभी को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार इस तरह का कानून बनाने के लिए तैयार है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है?

कुमारी सैलजा: महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत अहम बात उठाई है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि झोपड़पट्टी में और शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। हमारी सरकार ने, यू.पी.ए. सरकार ने आते ही इसको समझा, इसको माना और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अर्बन रिन्युअल की बात कही गयी। इसमें यह कहा गया कि हमें अर्बन रिन्युअल के साथ-साथ शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी के अन्तर्गत हमारी सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन बनाया गया, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए हम शहरों में लगा रहे हैं। इसमें से करीबन 20,000 करोड़ रुपए हम गरीबों के लिए लगा रहे हैं, उनके आवास के लिए और उन्हें मूलभूत सुविधाएं देने के लिए लगा रहे हैं।

श्री रामदास आठवले: महोदय, मुंबई शहर हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई से हर साल बहुत पैसा यहां आता है। इसलिए मुंबई शहर को सुंदर बनाने के लिए, वहां स्लम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बाहर के लोग वहां आते हैं, वहां मराठी और हिंदी-भाषी लोगों का संघर्ष

चल रहा है। हमारी पार्टी हिन्दी-भाषी लोगों का संरक्षण करने वाली है।...*(व्यवधान)* शिवसेना और ये जो बाकी लोग हैं, हिन्दी-भाषी लोगों की सुरक्षा करने का काम हमारी पार्टी करती है। इसलिए मेरा कहना है कि स्लम में रहने वाला कोई भी आदमी हो, मुंबई शहर के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होना चाहिए। मुंबई से आपको ज्यादा सीटें जीतनी हैं, दोबारा सरकार में आना है, इसलिए मैडम, मेरी मांग है कि मुंबई शहर के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपए स्लम डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यहां किस मैडम का उल्लेख कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मैडम सोनिया जी भी यहां हैं। मैडम, आप उनको आदेश दीजिए। आपको दोबारा सत्ता में आना है और आपको उधर भी आना है।

कुमारी सैलजा: महोदय, यह असलियत है कि मुंबई हमारी गंगा-जमुनी तहजीब को दर्शाता है। वहां पर जो भी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उन सभी के लिए हमें मूलभूत सुविधाएं और आवास उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। मुंबई की ओर हमारा विशेष ध्यान है, वहां से हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं और हम चाहेंगे कि मुंबई में रहने वाला हरेक व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी रहता हो, उसे मूलभूत सुविधाएं और आवास मिलनी चाहिए। इस ओर हमारा प्रयास जारी है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, इस अनुपूरक प्रश्न तथा पिछले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि केन्द्र के पास काफी पैसा है और राज्यों से अनुरोध है कि वे अपनी-अपनी योजनाएं भेजें। लेकिन इस संदर्भ में मेरे मित्र श्री राजेन्द्रन ने एक अद्वितीय योजना की ओर इशारा किया है जो केरल राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। संभवतः, आपको यह मिल गई होगी। यह 5000 करोड़ रुपये की परियोजना है, और यह तीन वर्ष के अंदर राज्य में सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना है अर्थात, जो लोग बेघर हैं उन्हें मकान मिलेगा और जिनके पास जमीन और मकान नहीं हैं उन्हें जमीन और मकान मिलेगा।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। क्या सरकार अक्सर यह कहने के बजाए कि "परियोजना भेजो", इसमें थोड़ी और दिलचस्पी लेगी? क्या मंत्री महोदया जाएंगे और परियोजना का अध्ययन करेंगे या मंत्री महोदया संबंधित मंत्री को बुलाएंगे और राज्यों में आवास मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे तथा कोई ठोस कार्य-योजना बनाएंगे ताकि इस गंभीर समस्या का कोई समाधान निकले।

कुमारी सैलजा: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को आश्वासन देना चाहूंगी कि भारत सरकार का इस कार्यक्रम तथा आवासों की कमी के बारे में उदासीन रवैया नहीं है। वास्तव में भारत सरकार अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से इस समस्या के समाधान के प्रति वचनबद्ध है। हम न केवल केरल द्वारा बल्कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का स्वागत करते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों ने अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। हम इसका स्वागत करते हैं; हम इसे प्रोत्साहन देते हैं। इसके अलावा हम यह कह रहे हैं कि राज्य भारत सरकार से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत आवंटन के अनुसार धन राशि ले सकते हैं। केरल के मंत्री मुझसे मिले थे। वहां किसी भी योजना को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: धन्यवाद अध्यक्ष जी, जैसा मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, मुझे स्मरण भी है और दस्तावेज में बताया गया है कि 3 दिसम्बर, 2005 से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना शहरों के विकास के लिए बनाई गई है। मुझे यह भी स्मरण है कि मैट्रो सिटीज के साथ-साथ जिन शहरों की आबादी दस लाख से ऊपर है, उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। पूरे देश के शहरों के बारे में नहीं, लेकिन गुजरात के छः बड़े शहरों, जिनके बारे में मैंने आपको पत्र भी लिखा है - अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, भावनगर और राजकोट - के बारे में मैं मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि इन शहरों के लिए जो योजना प्रस्ताव राज्य सरकार ने आपको भेजे हैं, उन्हें सम्मति देकर इन शहरों के विकास के लिए जरूरी धनराशि आपने उपलब्ध कराई है, यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्यों नहीं और कब तक उपलब्ध कराएंगे?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इनके राज्य से सम्बन्धित शहरों के बारे में विवरण भेज दूंगी। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 50,000 करोड़ रुपए मुकर्रर किए हैं। गुजरात के बड़े शहरों के लिए इस योजना के तहत हमने 16 प्रोजेक्ट्स के लिए 1436 करोड़ रुपए अभी तक मंजूर किए हैं। जितना हो सकता है हम हर राज्य से बिना किसी भेदभाव के वहां के गरीबों के लिए प्रोजेक्ट्स मंजूर करते हैं।

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष जी, जब मंत्री जी यह कहती हैं कि...

[अनुवाद]

भूमि और कॉलोनी निर्माण राज्य का विषय है, यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

लैंड राज्य सरकार के हाथ में है, तो यह सही नहीं है। बड़े शहरों में अधिकतर जमीन केन्द्र सरकार की एजेंसीज जैसे रेलवेज, डिफेंस, पोर्ट, एल.आई.सी., बैंक्स,

[अनुवाद]

वे सबसे बड़े जमींदार हैं।

[हिन्दी]

अभी जो इकोनॉमी मेल्ट डाउन हो रही है, जो नए इकोनॉमिक आर्डर से कीमतें पुश हो रही थीं लैंड की, उससे गरीबों को फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। आज सरकार क्या मैसिव हाउसिंग में जाना चाहती है, लोन-सब्सिडी नहीं, क्योंकि एक लाख रुपए में आज के समय कोई मकान नहीं मिलता। उससे स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आदि को भी पुश मिलेगा और केन्द्र सरकार की एजेंसीज के हाथ में जो जमीन है, इंक्लूडिंग हैवी इंडस्ट्रीज, उनका भी ए पोर्शन आफ लैंड क्या आप गरीबों हेतु कंस्ट्रक्शन के लिए देने के लिए तैयार होंगे? उसके बाद वे पुश करेंगी अर्बन लोकल बॉडीज राज्य सरकारों को। अगर केन्द्र सरकार यह काम कर सकती है तो बाकी भी करें। इसके अलावा इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की हालत में, सब-प्राइम क्राइसेज में आपका जो तमाम पैसा गया है उन मकानों के लिए, जिनका कोई खरीदार नहीं है, जो इंवैस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं, बल्कि वह पैसा इसमें जाना चाहिए, जिनके लिए जरूरत है।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों में अठानबे प्रतिशत आवासों की कमी है।

[हिन्दी]

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष जी, हमारी स्टेंडिंग कमेटी के माननीय चेयरमैन इस समस्या को अच्छी तरह से समझते हैं और यह सच्चाई भी है कि सेंट्रल एजेंसीज के पास काफी जमीन है। लेकिन ज्यादा जमीन राज्य सरकारों के पास है, इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें किसी तरह से कोशिश करें, चाहे जैसे भी हो, इसमें भारत सरकार जितनी हो सकेगी उनकी मदद करेगी। ज्यादा से ज्यादा लैंड वे अफोर्डेबल हाउसेज के लिए, खासकर गरीब लोगों के लिए लेकर आएं। इसी के लिए हमारी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे जवाहर लाल नेहरू मिशन है या और हैं। कुछ स्टेट्स ने भी खुद एक्सपेरिमेंट किया है, क्रॉस सब्सिडी करके, इंक्रीज्ड, एफ.ए.आर., एफ.एस.आई. देकर। कई तरह के फार्मूले हैं जिनके तहत हम गरीब लोगों को मकान और आवास दे सकते हैं और हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें और ज्यादा इस समस्या को समझें और नये-नये तरीकों से, गरीब लोगों के लिए आवास बनाने की कोशिश करें। हम उसमें मदद करेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि हम मलिन बस्तियों की बात कर रहे हैं लेकिन देहाती मलिन बस्तियों की हालत और भी खराब है, बदतर है। केन्द्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना चलाई है। इसके अंतर्गत यह मानक है कि मलिन बस्तियों का सुधार हो, वहां पर सीवर, नाली, सड़क, बिजली, शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। यह मूल प्रश्न केवल

मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तक सीमित है लेकिन बहुत से ऐसे शहर हैं और मैं खासकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जहां जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों के सुधार की बात कही गयी है। वहां के नगर-निगम के प्रयास के बावजूद, राज्य सरकार का सहयोग न मिल पाने के कारण इन बस्तियों की स्थिति बदतर है। केन्द्र सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के अंतर्गत धन निर्गत नहीं हो पा रहा है, जिससे वहां मलिन बस्तियों का सुधार नहीं हो पा रहा है, उन बस्तियों को चिन्हित करके, क्या आप कोई कार्य-योजना तैयार करेंगे या राज्य सरकार से इस बारे में वार्ता करेंगे।

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगी कि राज्य सरकारों से हमारी लगातार वार्ता चलती है लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से रैस्पोन्स काफी स्लो है और मैं अपील करना चाहूंगी कि आप अपनी राज्य सरकार से बातचीत करें और कोशिश करके वहां से और ज्यादा प्रोजैक्ट्स हमें भिजवाएं ताकि उत्तर प्रदेश में भी हम मलिन बस्तियों की समस्या का कुछ हद तक निराकरण कर सकें और उत्तर प्रदेश भी और राज्यों की तरह आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश से और प्रोजैक्ट्स आने चाहिए। उत्तर प्रदेश इस मामले में, वहां से प्रोजैक्ट्स गरीब लोगों के लिए, शहरों में बसने वाले गरीब लोगों के लिए प्रोजैक्ट्स भेजने में, अभी थोड़ा स्लो है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ये जो सारे प्रोजैक्ट्स हैं, जो भिन्न-भिन्न स्टेट्स से आते हैं, क्या इन प्रोजैक्ट्स के अंदर, जो गरीब लोग अर्बन और रूरल एरियाज में, इन बस्तियों में रहते हैं, उन्हें लोन देने के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन आपने रखा है? जनरली एस.सी.एस.टी. के लिए रिजर्वेशन है हैंडीकैप्ड के लिए है और महिलाओं के लिए भी है। खासतौर से, क्या ऐसी कोई पॉलिसी आपकी है या नहीं?

कुमारी सैलजा: इसमें हमने विशेष रियायत की है। जो जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत मकान बनाएंगे, उसमें सभी लोग हैं, क्योंकि मलिन बस्तियों में सभी गरीब लोग बसते हैं और खास करके हमारी ये जो कैटेगरीज हैं, उसमें इनकी संख्या काफी ज्यादा है। फिर बाकी सबको 12 प्रतिशत रुपया इसमें जमा करवाना होता है लेकिन जो विशेष कैटेगरीज हैं, एस.सी.एस.टीज. हैं और जो हैंडीकेप्ड हैं, उन्हें केवल 10 प्रतिशत पैसे ही जमा करने पड़ते हैं। इस प्रोग्राम की एक खासियत यह भी है कि इसके अंतर्गत जो भी मकान हम बनाते हैं, महिलाओं के नाम पर उनकी ऑनरशिप हम देते हैं और रेअर केसेज में जहां ज्यादा जरूरी हो, वहां पर जाइंट ऑनरशिप हम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के नाम पर ऑनरशिप हम देते हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूं, बल्कि मैं माननीया मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि उन्होंने क्वैश्चन पेपर में 'मलिन बस्तियां' शब्द लिखा है - मैं सिर्फ मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि यह असम्मानित शब्द है, जैसे कोई किसी को कहता है कि आप एकदम मलिन की तरह रह रहे हो। मेरी प्रार्थना है कि मलिन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वे लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, इसलिए बस्ती में रह रहे हैं। मलिन शब्द किसी एक चीज पर फोकस करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि क्या मलिन शब्द को निकाल कर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाएगा?

कुमारी सैलजा: महोदय, मैं इस बात को क्लीयर करना चाहूंगी कि मलिन बस्तियां शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, क्योंकि वहां केवल गरीब लोग नहीं हैं। वहां ज्यादा गरीब लोग नहीं हैं, इसे मुम्बई के लोग भी बता सकते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

[अनुवाद]

ये मलिन बस्तियां हैं क्योंकि इन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं; उनके लिए समुचित आवास नहीं हैं। यही कारण है कि उन्हें मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है।

[हिन्दी]

जो झुग्गी-झोपड़ी कलस्टर हैं, मलिन बस्ती है, हमने उस गंदगी की ओर फोकस करना है कि वे गंदगी में क्यों रहें। वे गरीब लोग हैं, लेकिन वे गंदगी में क्यों रहें? हमें उन्हें एक डीसेंट लाइफ-स्टाइल देना है और उन्हें मिलना भी चाहिए। वे गरीब हैं और ऐसी जगह रह रहे हैं, तो उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखना चाहिए। इस तरफ सभी को ध्यान देना है, इसलिए सरकार ने इस ओर फोकस किया है।

[अनुवाद]

सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज में अनियमितताएं

+

*3. **श्री पी.सी. थामस:**

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड, इसकी सहायक कम्पनियों और कुछ अन्य संबंधित कम्पनियों के खातो में अनियमितताओं का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की छानबीन के लिए कोई जांच बैठाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) कम्पनियों द्वारा की गई ऐसी अनियमितताओं को रोकने तथा कम्पनी के कर्मचारियों और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सरकार सत्यम के तत्कालीन अध्यक्ष श्री बी. रामालिंगा राजू के द्वारा विगत कई वर्षों से सत्यम के वित्तीय विवरणों में गलत तथ्य दिए जाने के बारे में एक बयान दिए जाने और उनके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए जाने पर दिनांक 07-01-2009 को सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के खातों में अनियमितताओं की संभावना की जानकारी हुई। अपने बयान में श्री राजू ने अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की कि कम्पनी के रोकड़ एवं बैंक में बकाया राशियों तथा इसकी प्राप्तियों को गलत दर्शाया गया था, लेखाबहियों में कुछ देयताओं को कम/नहीं दर्शाया गया था, आदि।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 13-01-2009 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) के निरीक्षकों द्वारा मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के कार्यों की जांच के आदेश दे दिए हैं। तत्पश्चात् दिनांक 19-01-2009 को सत्यम की कार्यों की जांच कर रहे निरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम की धारा 240(1क) के अंतर्गत जांच के लिए आवश्यक मैसर्स मेटास प्रोपर्टीज लिमिटेड और मैसर्स मेटास इन्फ्रा लिमिटेड के ऐसे दस्तावेजों/रिकार्डों को प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने दिनांक 06-02-2009 को एस.एफ.आई.ओ. के निरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम की धारा 240(1क) और 240(2)(ख) के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जिसमें उन्हें कम्पनियों और अन्य व्यक्तियों सहित सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के साथ जुड़ी अन्य 356 एनटिटियों से सूचना, बहियों और दस्तावेजों को प्राप्त करने और शपथ देकर उनका परीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा उपबंधित ढांचे के अंतर्गत सभी कम्पनियों को वे सांविधिक प्रकटीकरण देने अपेक्षित होते हैं जिनमें कम्पनी के कार्यों की स्थिति का सत्य और सही आकलन प्रदर्शित होता हो। ऐसे प्रकटीकरणों के कम्पनियों द्वारा देने और पणधारकों एवं नियामक एजेंसियों द्वारा उन्हें देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से चौबीसों घंटे की सुविधा सहित एक इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री स्थापित की है। इस अपेक्षा का अनुपालन न करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में लेखाओं और शेयरधारकों की रिपोर्ट की लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इस तरह लेखापरीक्षित लेखाओं को सामान्यत: देखने के लिए भी इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री पर रखा गया है। रिपोर्ट की जाने वाली अपेक्षाओं को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनियमित करते हुए लेखापरीक्षकों का आचरण चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए इन सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है, जिसे कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। अधिनियम में सरकार को कम्पनियों के निरीक्षण/जांच करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। कम्पनी विधि बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् सरकार कम्पनियों के प्रबंधन में परिवर्तन

करके कम्पनियों में कुप्रबंधन और अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। सरकार ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कम्पनी अधिनियम और अन्य कानूनों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार यथोचित कार्रवाई करती है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरी हिन्दी इतनी अच्छी नहीं है और इसलिए, मैं अपना प्रश्न अंग्रेजी में पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में बहुत देर हो चुकी है; यदि आप वापस आए तो अगली बार प्रयास करना।

श्री पी.सी. थामस: मेरा प्रश्न सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित अनियमितताओं के बारे में था। यह एक ऐसा मामला है जिससे पूरा देश स्तब्ध है। यदि यह कंपनी इस प्रकार गबन कर सकती है, जिसकी सूचना आई है, तो अन्य कोई कंपनी भी ऐसा कर सकती है। इसलिए, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है।

मेरा प्रश्न पाई गई अनियमितताओं के बारे में है। मुझे यह भी ज्ञात है कि इस कंपनी के चेयरमैन सीधे अधिकारियों के पास गए और बताया कि उससे कुछ गलतियां हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी.सी. थामस: जब सरकार को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के खातों में अनियमितताओं की संभावना का पता चला - मुझे खेद है - क्या मिला है और जांच में वस्तुत: क्या सामने आया है। मुझे विश्वास है, कंपनी कार्य मंत्रालय बहुत बड़ा कार्य कर रहा है और कुछ जांचों का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन यहां तो ऐसा मामला है जिसमें चेयरमैन स्वयं जाता है और मामले की सूचना देता है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए; आप केवल अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी.सी. थामस: यह ऐसा मामला है जिसमें काफी लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि उन्हें राज्य सरकार सहित अनेक अधिकारियों से सहायता मिली है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई हैं। जिन नए व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है वे इसी कंपनी के हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न के अंतिम भाग की अनुमति नहीं है।

मंत्री महोदय, आप केवल इस बात का उत्तर दीजिए कि क्या अनियमितताएं पाई गई हैं और आप इस बारे में क्या कर रहे हैं।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: श्री थामस की चिन्ता उचित है - और इससे कोई इंकार नहीं करता। एक निर्धारित प्रक्रिया है; बोर्ड अपनी भूमिका निभाएगा, अधिकारी अपनी भूमिका निभाएंगे; कंपनी अपनी भूमिका निभाएगी।

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का मामला एक अपवाद है। जहां तक हमारे कॉर्पोरेट क्षेत्र की बात है, यह आम बात नहीं है। हमारा कॉर्पोरेट क्षेत्र काफी परिपक्व है; हमारे सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र की विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठा है। यह आम चलन नहीं है। यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिए।

विभिन्न अभिकरण इस मामले की जांच कर रहे हैं। कंपनी रजिस्ट्रार मामले की जांच कर रहे हैं; भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) मामले की जांच कर रहा है। ये सभी जांच अभिकरण राज्य सरकार, राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती, जांच के हित में कुछ भी खुलासा नहीं किया जा सकता है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, केवल सत्यम ही नहीं, बल्कि अन्य कंपनियों के बारे में भी शिकायतें हैं जिनका जिक्र मैंने स्वयं प्रश्न में किया है। एक कंपनी है जिसके बारे में मैंने भी सूचना दी है। केरल में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एक प्रोमोटर ने, जिसका समर्थन बड़े राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, तेरह वर्ष पहले एक कंपनी का गठन किया था। उसने यह कह कर कंपनी का पंजीकरण कराया है कि यह रबर उत्पादक किसानों के लिए है और वह अनेक प्रकार के टायरों का उत्पादन करेगा जिसमें बस, वायुयान आदि के टायर शामिल हैं। तेरह वर्ष से उसने मिटाने वाली एक रबर तक का निर्माण नहीं किया है, टायरों की तो बात ही छोड़िए। उसने सभी सहकारी समितियों जो इस कंपनी को प्रायोजित करती हैं, से सहकारिता आंदोलन के नाम पर धन लिया है। इसका नाम पलाजी टायर कंपनी है। यह केरल के कोट्टायम जिले में है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

श्री पी.सी. थामस: इसकी जांच क्यों नहीं की गई है? ...*(व्यवधान)* राज्य सरकार पहले ही सतर्कता जांच करा चुकी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या यह एक "संबंधित कंपनी" है? यह एक "संबंधित कंपनी" नहीं है। मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे सकता। आपने पहले सूचना नहीं दी है। आपने "अन्य संबंधित कंपनियों" का जिक्र किया है।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा कानून है अथवा क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के हाथ इतने मजबूत हैं कि ऐसे अपराधियों को पकड़ा जा सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खेद है। मैं इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन इस प्रश्न का दायरा बढ़ाने का यह अच्छा तरीका नहीं है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, कंपनी विशेष की बात छोड़िए। ऐसे अपराधी कंपनी का पंजीकरण कराकर लोगों से, किसानों से, अनिवासी भारतीयों से सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर गबन कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, खेद है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या, मैंने जिस कंपनी का जिक्र किया है, उस समेत ऐसी कंपनियों पर कार्यवाही होगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: "संबंधित कंपनियों" का अर्थ सत्यम से संबंधित कंपनियां हैं। आप कहीं की बात को कहीं नहीं जोड़ सकते। यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: खेद है, यदि आप कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, सत्यम को (अंग्रेजी में) उल्टा पढ़ने पर दूसरी कंपनी बनती है "मैतास"। यह सत्यम का उल्टा स्वरूप है। इस गबन में यह कंपनी भी शामिल है। लोगों द्वारा निवेश किए गए धन का निदेशक मंडल की अनुमति के बिना गबन किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने कहा है कि जांच हो रही हैं। मुझे विश्वास कि उचित कदम उठाए जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: क्या हमारे कानून ऐसे गबन में लिप्त लोगों को पकड़ने के लिए पर्याप्त हैं?...*(व्यवधान)* यह कोई अपवाद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया, यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे मंत्री महोदय को संरक्षण देना है।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: यह कोई अपवाद नहीं है। यह एक गहरा घाव है और करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री थामस, आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है।

*(व्यवधान)...**

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, श्री पी.सी. थामस द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कंपनी का मुद्दा इस विषय विशेष से संबंधित नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे पहले ही खारिज कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रेमचंद गुप्ता: वे कभी भी मुझे लिख सकते हैं और सरकार मामले की जांच करना चाहती है। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए। जहां तक "मेतास" का संबंध है, ये दो कंपनियां हैं। एक 'मेतास इंफ्रास्ट्रक्चर' है और दूसरी 'मेतास प्रोपर्टीज' है। आरंभिक जांच से पता चला है कि इनमें कुछ अंतर्संबंध है। इसलिए, 'एस.एफ.आई.ओ.' इन दोनों कंपनियों की भी जांच कर रहा है। जैसे ही हमें

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

'एस.एफ.आई.ओ.' से सूचना प्राप्त होगी, वैसे ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, जैसा सरकार ने अपने उत्तर में दिया है कि उन्हें इस बात की जानकारी दिनांक 07-01-09 को पहली बार हुई, मुझे इस उत्तर को देखते हुए खेद हो रहा है क्योंकि इस प्रकार के घोटाले की सूचना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को पहले से थी। सबसे पहले सत्यम कंपनी का घोटाला तब सामने आया था जब केतन पारिख के शेयर्स का घोटाला सामने आया था। उस समय इसके घोटाला की जानकारी मिली कि कंपनी गड़बड़ कर रही है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि सात तारीख को पहली बार उन्हें इस बारे में संज्ञान हुआ है और वह भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा घोटाला जिस कंपनी द्वारा किया गया था, वह इंडिया वर्ल्ड नामक कंपनी थी, उसकी देनदारी को लेकर था और जब देनदारी का भुगतान नहीं हुआ तब सत्यम कंपनी के घोटाले की बात सामने आयी थी। इन दोनों के होते हुए माननीय मंत्री जी का यह कहना कि उन्हें बाद में जानकारी हुई और अब वे उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कहना सरासर उनके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर करना है। जिस प्रकार की आपने जानकारी दी है, उसे देखते हुए मुझे खेद है कि इसके बारे में राज्य सरकार को जानकारी नहीं थी और...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उसका उल्लेख नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मैं नाम नहीं बता रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नाम नहीं ले रहे हैं,

[अनुवाद]

लेकिन यह पर्याप्त पहचान है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: * जब मेट्रो के बारे में दोबारा चर्चा हुई तब मेट्रो का ठेका तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिलवाया गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए। बहुत समय नहीं बचा है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: इन सब बातों की जानकारी होते हुए भी राज्य सरकार व आपके द्वारा यह कहना कि अब यह मामला हमारी जानकारी में आया है, इसका मुझे खेद है। क्या आप शेयर धारकों को संरक्षण देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनके शेयरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपसे इस बात की जानकारी लेना चाहता हूं। कृपया स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: शेयरधारकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रेमचंद गुप्ता: माननीय सांसद महोदय ने जो इश्यू उठाया है, यह बिल्कुल वाजिब है। जब केतन पारिख का स्कैंडल हुआ था तब सत्यम्स ग्रुप की मूवमेंट के बारे में जिक्र आया था और उस समय यहां एन.डी.ए. सरकार थी। 12-09-2001 को सत्यम के केस में सैक्शन 209 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इंस्पेक्शन की गई और आर.ओ.सी. ने अपनी रिपोर्ट 19-04-2001 को दी थी। रीजनल डायरेक्टर ने इस रिपोर्ट को 30-04-2002 को फारवर्ड किया। उस समय आपकी सरकार थी, जब इसे क्लियर किया गया।*...(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: आपने कहा कि हमें पहली बार 2009 में जानकारी मिली।*...(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता: आप इसे पोलिटिकल कलर देने की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कोशिश कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। सत्यम का इश्यू दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। मैं इस संबंध में आपके साथ सहमत हूं। इसे पोलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए। सत्यम के प्रमोटर्स के साथ कौन बैठे थे,...* के साथ कौन बैठे थे, इसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा और आप भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। उनके जहाज में कौन घूमता था? आप इसके बारे में मुझ से मत पूछिए, यह ठीक नहीं रहेगा।

मान्यवर, शेयर होल्डर्स का प्रोटेक्शन बहुत बड़ा कन्सर्न है, सरकार इसके बारे में इन्फार्म्ड है और अलर्ट है। इस संबंध में हर तरह का एक्शन लिया जा रहा है। इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम एम.सी.ए.-21 इंट्रोड्यूज किया गया है। इस समय देश में 8,90,000 कंपनियां हैं और आर.ओ.सी. के पास चार करोड़ डॉक्यूमेंट हर साल फाइल होते हैं। इन सबको स्टडी करना ह्यूमेनली पॉसिबल नहीं था, इसलिए इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया गया है। इससे आर.ओ.सीज और सरकार की विभिन्न एजेंसियां ऐसे मामलों को जल्दी डिटेक्ट कर सकती हैं, स्टडी कर सकते हैं और उनमें जो वायलेशन है, उसे देख सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे घोटाले पर आप अपना माइंड मेकअप कर लें तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब जो सिस्टम बनाया गया है, इसे फुल प्रूफ बनाया गया है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि सत्यम का केस स्कैंडल केस है, हमारा कॉरपोरेट सैक्टर जिम्मेदार सैक्टर है। इसमें काफी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज इन्वाल्व्ड हैं। अगर हम किसी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो सत्यम में 175 के आसपास मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो यहां से काम करवाती हैं, 4000-5000 कंपनियां हैं जो यहां से काम करवाती हैं, कुछ सरकारें हैं, इंडीपेंडेंट नेशन्स हैं, जिनके एकाउंट्स और पे का सारा हिसाब सत्यम कंपनी रखती है, उन पर असर पड़ेगा। हमें अपने कॉरपोरेट सैक्टर और सरकार को बचाकर रखना है। सबसे बड़ा मुद्दा उनके 53,000 एम्पलाइज का है, इसमें तीन लाख शेयर होल्डर्स हैं। इसके अलावा देश और विदेश के क्लाइंट्स हैं। हमारे देश के कॉरपोरेट सैक्टर और हमारी साख का सवाल था। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा था कि सत्यम के ऑपरेशन जारी रहें और सत्यम की वर्किंग में कोई फर्क नहीं आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे हमने दो हिस्सों में बांटा है - एक सत्यम की वर्किंग है। इसका काम सुचारु रूप से चल रहा है क्योंकि कस्टमर की सैटिसफेकशन हमारी प्रियारिटी है। इसके लिए जो बोर्ड बनाया गया है, उसे देश में और पूरी दुनिया में एप्रिशिएट किया गया है। आपके लीडर्स ने भी इसे एप्रिशिएट किया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

वे सब नामी-गिरामी लोग हैं, देश और दुनिया में जाने-पहचाने लोग हैं।

दूसरा इसमें जो इनवेस्टिगेशन पार्ट है, वह चल रहा है और चलता रहेगा और जो भी गिल्टी इसमें सामने आयेंगे, उनके खिलाफ सरकार कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री रूपचंद पाल को एक संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

श्री रूपचंद पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा इस रहस्योद्घाटन के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को आश्वासन दिया था कि अपराधियों का पता लगाने के लिए सब कुछ किया जाएगा और तीन महीने के अंदर उपयुक्त सजा दी जाएगी जिससे कि राष्ट्र को सही स्थिति का पता चल जाएगा। लेकिन हमने पाया कि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के इशारे पर मामले को दबाने की कार्रवाई हो रही है। यह घोटाला करने वाला संरक्षित अभिरक्षा में है। वह पंचसितारा होटल की विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है। मुझे खेद है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बायोमास को-जनरेशन पावर प्रोजेक्ट्स

***4. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बायोमास ज्वलन और गन्ना खोई आधारित सह-उत्पादक विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय हेतु बायोमास और गन्ने की खोई से ऊर्जा उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान प्रत्येक राज्य में बायोमास ऊर्जा उत्पादन की कितनी परियोजनाएं स्थापित की गई और प्रत्येक परियोजना की राज्यवार ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) देश में अब तक 1695 मेगावाट की संचयी क्षमता संस्थापित की गई है जिसमें 681 मेगावाट बायोमास कम्बस्टन और 1014 मेगावाट की खोई सह-उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बायो विद्युत से क्षमता संयोजन का निर्धारित लक्ष्य 1700 मेगावाट था जिसमें 500 मेगावाट की बायोमास विद्युत परियोजनाएं और 1200 मेगावाट की खोई सह-उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य योजना में बायो विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान, राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे त्वरित मूल्यह्रास, करों और शुल्कों से राहत, आदि शामिल हैं। राज्यों ने बायोमास विद्युत और खोई सह-उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क दर (टैरिफ) की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में संभाव्यता को प्राप्त करने के लिए निवेश को आकर्षित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार द्वारा बायो विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना नहीं की जाती है और इनकी संस्थापना, उपरोक्त प्रोत्साहनों को प्राप्त करके, निजी प्रमोटरों और चीनी मिलों द्वारा की जाती है। ग्यारहवीं योजना अवधि अर्थात् वर्ष 2007-08 और 2008-09 (अप्रैल, 2008-दिसम्बर, 2008) के दौरान, वार्षिक लक्ष्य क्रमशः 250 मेगावाट और 300 मेगावाट की तुलना में उपलब्धि 266 मेगावाट और 290 मेगावाट थी जो कुल 556 मेगावाट है। एक बायोमास विद्युत परियोजना की संस्थापित क्षमता 6 से 10 मेगावाट के बीच होती है जो बायोमास की उपलब्धता पर निर्भर करती है जबकि एक चीनी मिल में एक खोई सह-उत्पादन परियोजना की संस्थापित अतिरेक क्षमता 6 से 25 मेगावाट के बीच होती है जो उनकी गन्ना पेराई क्षमता पर निर्भर करती है। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	संस्थापित बायो विद्युत परियोजनाओं की क्षमता (मेगावाट)			
		परियोजनाओं की सं.	2007-08 (मेगावाट)	परियोजनाओं की सं.	2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर, 2008) (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4	33.00	1	9.00
2.	छत्तीसगढ़	5	33.00	1	9.80
3.	कर्नाटक	1	8.00	1	12.00
4.	महाराष्ट्र	8	38.00	8	61.50
5.	राजस्थान	0	–	1	8.00

1	2	3	4	5	6
6.	तमिलनाडु	6	75.00	3	18.20
7.	उत्तर प्रदेश	4	79.00	10	172.00
	कुल	28	266.00	25	290.50

[हिन्दी]

ताप-विद्युत संयंत्रों की स्थापना

***5. श्री गणेश सिंह:**

श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में संयंत्रवार और राज्यवार उनका वास्तविक विद्युत उत्पादन कितना है;

(ख) उनकी क्षमता का कम उपयोग होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश में कुछ और कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) अप्रैल 2008 से जनवरी 2009 के दौरान देश में क्षमता के साथ-साथ ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा किए गए उत्पादन का राज्यवार और संयंत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) के अर्थ में थर्मल उत्पादन यूनिटों की क्षमता का उपयोग यूनिट के पुराने पन, मजबूरन और नियोजित आउटेज, ईंधन की अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के लिए 78,700 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 50,570 मे.वा. की परियोजनाएं कोयला आधारित हैं, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 22,600 मे.वा., राज्य क्षेत्र में 19,535 मे.वा. और निजी क्षेत्र में 8,435 मे.वा. शामिल हैं।

विवरण

2008-09 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का राज्यवार केन्द्रवार उत्पादन (अप्रैल 08-जनवरी 09)

2008-09 (अप्रैल 08-जनवरी 09)

क्षेत्र/राज्य	प्रकार	ईंधन	केन्द्र का नाम	वर्ग	क्षमता (मे.वा.) 31-01-09 तक	वास्तविक उत्पादन (एम.यू.)	पी.एल.एफ. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
दिल्ली	ताप	कोयला	बदरपुर	केन्द्र	705	4562.22	87.37
			आई.पी. स्टेशन	राज्य	247.5	764.06	42.04
			राजघाट	राज्य	135	734.75	74.11
		गैस	आई.पी.सी.सी.पी.पी.	राज्य	270	1063.79	
			प्रगति सी.सी.पी.पी.	राज्य	330.4	2043.1	
	ताप कुल	**राज्य**			**1687.9**	**9167.92**	
दिल्ली कुल				राज्य	**1687.9**	**9167.92**	
हरियाणा	ताप	कोयला	फरीदाबाद एक्स.	राज्य	180	408.61	30.91
			पानीपत	राज्य	1360	7851.91	78.61
			यमुना नगर टी.पी.	राज्य	600	2704.54	66.12
		गैस	फरीदाबाद सी.सी.पी.पी.	केन्द्र	430	2015.73	
	ताप कुल				**2570**	**12980.79**	
हरियाणा कुल					**2570**	**12980.79**	

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू-कश्मीर	ताप	तरल ईंधन	पंपोर जीटी (तरल)	राज्य	175	0.28	
	ताप कुल			राज्य	**175**	**0.28**	
जम्मू-कश्मीर कुल					**175**	**0.28**	
पंजाब	ताप	कोयला	जी.एच.टी.पी. (लेहरा मो.)	राज्य	420	2944.29	95.45
			जी.एच.टी.पी.-II (लेहरा मो.)	राज्य	500	1414.82	69.66
			जी.एन.डी.टी.पी. (भटिंडा)	राज्य	440	2429.27	75.18
			रोपड़	राज्य	1260	8096.15	87.49
	ताप कुल				**2620**	**14884.53**	
पंजाब कुल					**2620**	**14884.53**	
राजस्थान	ताप	कोयला	कोटा	राज्य	1045	7191.57	93.71
			सूरतगढ़	राज्य	1250	8029.33	87.47
		लिग्नाइट	गिराल टी.पी.पी.	राज्य	125	335.2	36.51
		गैस	अंता सी.सी.पी.पी.	राज्य	413	2005.79	
			धौलपुर सी.सी.पी.पी.	राज्य	330	1940.51	
			रामगढ़ सी.सी.पी.पी.	राज्य	113.8	289.71	
	ताप कुल				**3276.8**	**19792.11**	
राजस्थान कुल					**3276.8**	**19792.11**	
उत्तर प्रदेश	ताप	कोयला	अनपारा	राज्य	1630	9804.01	81.9

			दादरी (एन.सी.टी.पी.पी.)	केन्द्र	840	6934.03	98.62
			हरदुआगंज बी	राज्य	225	635.22	35.62
			ओबरा	राज्य	1362	4360.26	41.41
			पनकी	राज्य	210	1089.4	70.64
			परीक्षा	राज्य	640	2563.74	54.55
			रिहंद एस.टी.पी.एस.	केन्द्र	2000	14102.02	96.01
			सिंगरौली एस.टी.पी.एस.	केन्द्र	2000	13142.86	89.48
			टांडा	केन्द्र	440	2809.55	86.95
			ऊंचाहार	केन्द्र	1050	7087.92	91.92
		गैस	औरेया सी.सी.पी.पी.	केन्द्र	652	3047.22	
			दादरी सी.सी.पी.पी.	केन्द्र	817	4315.8	
	ताप कुल				**11866**	**69042.03**	
उत्तर प्रदेश कुल					**11866**	**69042.03**	
उत्तर क्षेत्र कुल					**22195.7**	**125867.66**	**80.54**
प. क्षेत्र							
छत्तीसगढ़	ताप	कोयला	भिलाई आई.एम.पी.	केन्द्र	0	0	
			कोरबा पूर्व V	राज्य	500	3015.7	87.41
			कोरबा एस.टी.पी.एस.	केन्द्र	2100	14644.63	94.96
			कोरबा-II	राज्य	200	1178.79	80.26
			कोरबा-III	राज्य	240	1381.08	78.36
			कोरबा पश्चिम	राज्य	840	5227.31	84.74

1	2	3	4	5	6	7	8
			ओ.पी. जिंदल	निजी	1000	5034.01	
			सिपत एस.टी.पी.एस.	केन्द्र	1000	3368.77	80.82
	ताप कुल				**5880**	**33850.29**	
छत्तीसगढ़ कुल					**5880**	**33850.29**	
गोवा	ताप	तरल ईंधन	गोवा जीटी (तरल)	निजी	48	260.41	
	ताप कुल				**48**	**260.41**	
गोवा कुल					**48**	**260.41**	
गुजरात	ताप	कोयला	गांधी नगर	राज्य	870	4859.19	76.05
			सिक्का रिपब्लिक	राज्य	240	1158.68	65.74
			टौर पावर ए.ई.सी.	निजी	60	420.32	95.39
			टौर पावर एस.ए.बी.	निजी	330	2403.35	99.17
			उकई	राज्य	850	3956.23	63.38
			वानकबोरी	राज्य	1470	9100.24	84.3
		लिग्नाइट	एक्रीमोटा लिग.	राज्य	250	858.57	46.76
			कच्छ लिग.	राज्य	290	1097.25	69.49
			सूरत लिग.	निजी	250	1400.36	
		बहु ईंधन	धुवरन	राज्य	220	1067.4	66.07
		गैस	बडौदा सी.सी.पी.पी.	निजी	160	924.55	
			धुवरण सी.सी.पी.पी.	राज्य	218.62	1008.76	
			एस्सार सी.सी.पी.पी.	निजी	515	1359.81	

			गंधार सी.सी.पी.पी.	केन्द्र	648	3462.94	
			जी.आई.पी.सी.एस. जीटी आई.एम.पी.	निजी	0	879.73	
			हजीरा सी.सी.पी.पी.	राज्य	156.1	810.29	
			कवास सी.सी.पी.पी.	केन्द्र	644	2774.93	
			पेगुथन सी.सी.पी.पी.	निजी	655	3239.73	
			सुजेन सी.सी.पी.पी.	निजी	0	0	
			उत्तरान सी.सी.पी.पी.	राज्य	144	704.16	
			वतवा सी.सी.पी.पी.	निजी	100	590.52	
	ताप कुल				**8070.72**	**42077.01**	
गुजरात कुल					**8070.72**	**42077.01**	
मध्य प्रदेश	ताप	कोयला	अमरकंटक	राज्य	50	71.97	17.51
			अमरकंटक एक्स.	राज्य	450	826.72	43.09
			संजय गांधी	राज्य	1340	6407.58	65.11
			सतपुरा	राज्य	1142.5	6046.37	72.06
			विंध्याचल एस.टी.पी.एस.	केन्द्र	3260	21947.37	91.67
	ताप कुल				**6242.5**	**35300.01**	
मध्य प्रदेश कुल					**6242.5**	**35300.01**	
महाराष्ट्र	ताप	कोयला	भुसावल	राज्य	475	2514.5	72.08
			चंद्रपुर	राज्य	2340	12364.36	71.95
			दहानु	निजी	500	3681.53	100.26
			खापरखेड़ा II	राज्य	840	5338.06	86.53

1	2	3	4	5	6	7	8
			कोराडी	राज्य	1040	4877.41	63.86
			नासिक	राज्य	880	4539.36	70.24
			नई पारली	राज्य	250	834.42	45.45
			पारस एक्सपैसन	राज्य	250	772.66	42.08
			पारस टी.पी.एस.	राज्य	55	288.79	71.5
			पारली टी.पी.एस.	राज्य	670	3270.85	66.47
		बहु ईंधन	ट्रांबे	निजी	1150	7508.86	88.91
		गैस	रत्नागिरी I	केन्द्र	740	1023.66	
			रत्नागिरी II	केन्द्र	740	1777.06	
			रत्नागिरी III	केन्द्र	740	1821.66	
			ट्रांबे सी.सी.पी.पी.	निजी	180	835.56	
			उरान सी.सी.पी.पी.	राज्य	912	3623.87	
	ताप कुल				**11762**	**55072.61**	
महाराष्ट्र कुल					**11762**	**55072.61**	
प. क्षेत्र कुल					**32003.22**	**166560.33**	**78.44**
द. क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	ताप	कोयला	डॉ. एन. टाटा राओ	राज्य	1260	8558.48	92.49
			कोथागुडम	राज्य	680	3646.89	73.03
			कोथागुडम नई	राज्य	500	2983.44	81.25
			रामागुंडम-बी	राज्य	62.5	378.5	82.46

			रामागुंडम एस.टी.पी.एस.	केन्द्र	2600	17870.31	93.59
			रायलसीमा	राज्य	840	5540.97	90.36
			सिम्हाद्री	केन्द्र	1000	7086.27	96.49
		गैस	गौतमी सी.सी.पी.पी.	निजी	0	0	
			गोदावरी सी.सी.पी.पी.	निजी	208	1154.26	
			जेगुरूपाडु सी.सी.पी.पी.	निजी	455.4	1076.49	
			कोनासीमा सी.सी.पी.पी.	निजी	0	0	
			कोंडापल्ली सी.सी.पी.पी.	निजी	350	1897.01	
			पेड्डापुरम सी.सी.पी.पी.	निजी	220	809.87	
			वेमागिरी सी.सी.पी.पी.	निजी	370	362.11	
			विजेश्वरान सी.सी.पी.पी.	राज्य	272	1263.25	
		डीजी सेट	एल.वी.एस. डीजी	निजी	36.8	0	
	ताप कुल				**8854.7**	**52627.85**	
आन्ध्र प्रदेश कुल					**8854.7**	**52627.85**	
कर्नाटक	ताप	कोयला	बेल्लारी टी.पी.पी.	राज्य	500	721.1	24.51
			रायचुर	राज्य	1470	8574.08	79.42
			तारांगलू	निजी	260	1136.53	
		तरल ईंधन	तनीर बावी सी.सी.पी.पी. (तरल)	निजी	220	511.84	
		डीजी सेट	बेलगांव डीजी	निजी	81.3	348.16	
			बेल्लारी डीजी	निजी	25.2	97.44	

1	2	3	4	5	6	7	8
			येल्हांका (डीजी)	राज्य	127.92	374.59	
	ताप कुल				**2684.42**	**11763.74**	
कर्नाटक कुल					**2684.42**	**11763.74**	
केरल	ताप	तरल ईंधन	कोचीन सी.सी.पी.पी. (तरल)	निजी	174	642.6	
			रा. गांधी सी.सी.पी.पी. (तरल)	केन्द्र	350	1580.09	
		डीजी सेट	ब्रहम्पुरम डीजी	राज्य	106.6	178.03	
			कासरगोड डीजी	निजी	21.84	79.98	
			कोझीकोड डीजी	राज्य	128	351.69	
	ताप कुल			राज्य		**2832.39**	
केरल कुल				राज्य		**2832.39**	
लक्षद्वीप	ताप	डीजी सेट	लक्षद्वीप डीजी	राज्य	9.97	23.5	
	ताप कुल			राज्य	**9.97**	**23.5**	
लक्षद्वीप कुल					**9.97**	**23.5**	
पुडुचेरी	ताप	गैस	करैकाल सी.सी.पी.पी.	राज्य	32.5	213.64	
	ताप कुल				**32.5**	**213.64**	
पुडुचेरी कुल					**32.5**	**213.64**	
तमिलनाडु	ताप	कोयला	इन्नौर	राज्य	450	1667.18	50.45
			मेट्टुर	राज्य	840	5308	86.04

		नार्थ चेन्नई	राज्य	630	3886.85	84.01
		तुतीकोरीन	राज्य	1050	6461.65	83.8
	लिग्नाइट	नेवेली फर्स्ट एक्स.	केन्द्र	420	2525.45	81.88
		नेवेली एस.टी. I	केन्द्र	600	2783.83	63.18
		नेवेली एस.टी. II	केन्द्र	1470	7090.82	65.68
		नेवेली टी.पी.एस. (जेड)	निजी	250	1486.8	
	गैस	करूपुर सी.सी.पी.पी.	निजी	119.8	685.75	
		कोवीकलप्पल सी.सी.पी.पी.	राज्य	107	606.06	
		कुट्टलम सी.सी.पी.पी.	राज्य	100	604.22	
		नरीमन जीटी	राज्य	10	0	
		पी. नल्लुर सी.सी.पी.पी.	निजी	330.5	1718.71	
		वलंथारवी सी.सी.पी.पी.	निजी	52.8	290.23	
		भलुथुर सी.सी.पी.पी.	राज्य	186.2	759.9	
	तरल ईंधन	बेसीन ब्रीज जीटी (तरल)	राज्य	120	128.06	
	डीजी सेट	बेसीन ब्रीज डीजी	निजी	200	1132.81	
		सामलपट्टी डीजी	निजी	105.7	556.38	
		समयानल्लुर डीजी	निजी	106	546.99	
ताप कुल				**7148**	**38239.69**	
तमिलनाडु कुल				**7148**	**38239.69**	
द. क्षेत्र कुल				**19510.03**	**105700.81**	**81.18**

1	2	3	4	5	6	7	8
पू. क्षेत्र							
अंडमान व निकोबार	ताप	डीजी सेट	अंडमान निकोबार डीजी	राज्य	40.05	57.84	
			बैंबुफ्लैट डीजी	निजी	20	107.13	
	ताप कुल				**60.05**	**164.97**	
अंडमान निकोबार कुल					**60.05**	**164.97**	
बिहार	ताप	कोयला	बरौनी	राज्य	320	33.25	1.41
			कहलगांव	केन्द्र	1840	7278.86	64.32
			मुजफ्फरपुर	केन्द्र	220	129.89	8.04
	ताप कुल				**2380**	**7442**	
बिहार कुल					**2380**	**7442**	
झारखंड	ताप	कोयला	बोकारो बी	केन्द्र	630	2845.86	61.51
			चंद्रपुरा	केन्द्र	750	2063.64	37.47
			जोजोबेरा	निजी	360	1768.75	
			पतरातु	राज्य	840	829.56	13.45
			तेनुघाट	राज्य	420	1734.91	56.25
		तरल ईंधन	मैथन जीटी (तरल)	केन्द्र	90	0.12	
	ताप कुल				**3090**	**9242.84**	
झारखंड कुल					**3090**	**9242.84**	
उड़ीसा	ताप	कोयला	आई.बी. वैली	राज्य	420	2625.58	85.12
			आई.सी.सी.एल. आई.एम.पी.	निजी	0	211.91	

			नालको आई.एम.पी.	निजी	0	171.64	
			तलचर	केन्द्र	470	3083.54	89.33
			तलचर एस.टी.पी.एस.	केन्द्र	3000	18200.52	82.61
	ताप कुल				**3890**	**24293.19**	
उड़ीसा कुल					**3890**	**24293.19**	
सिक्किम	ताप	डीजी सेट	गंगटोक डीजी	राज्य	4	0.1	
			रानीपुल डीजी	राज्य	1	0	
	ताप कुल				**5**	**0.1**	
सिक्किम कुल					**5**	**0.1**	
पश्चिम बंगाल	ताप	कोयला	बकरेश्वर	राज्य	840	4427.23	75
			बंडेल	राज्य	450	2064.97	62.48
			बज बज	निजी	500	3672.87	100.02
			चीनकपुरी	निजी	20	88.92	
			डी.पी.एल.	राज्य	695	2514.2	49.2
			दीसेरगढ़	निजी	14.2	28.1	
			दुर्गापुर	केन्द्र	340	1509.05	60.44
			फरक्का एस.टी.पी.एस.	केन्द्र	1600	8776.51	74.69
			कोलाघाट	राज्य	1260	5622.44	60.76
			मेजिआ	केन्द्र	1340	6162.06	62.62
			नईकोसीपुर	निजी	160	365.2	34.08
			सागरदीघी टी.पी.पी.	राज्य	600	1553.01	56.43
			संतालडीह	राज्य	730	1420.33	26.57

1	2	3	4	5	6	7	8
			सदर्न आर.ई.पी.एस.एल.	निजी	135	937.42	94.55
			टीटागढ़	निजी	240	1624.31	92.16
		तरल ईंधन	हल्दीआ जीटी (तरल)	राज्य	40	0	
			कसबा जीटी (तरल)	राज्य	40	0	
			सिलीगुड़ी जीटी (तरल)	राज्य	20	0	
	ताप कुल				9024.2	40766.62	
पश्चिम बंगाल कुल					9024.2	40766.62	
पूर्वी क्षेत्र कुल					18449.25	81909.72	62.97
उ.पू. क्षेत्र							
असम	ताप	बहु ईंधन	चंद्रपुर	राज्य	60	0	
		गैस	डी.एल.एफ. असम जीटी	निजी	24.5	77.54	
			कथलगुड़ी सी.सी.पी.पी.	केन्द्र	291	1511.85	
			लकवा जीटी	राज्य	120	544.36	61.77
			नामरूप जीटी	राज्य	73	301.78	56.29
			नामरूप एसटी	राज्य	24	96.34	54.66
			नामरूप डब्ल्यू.एच.पी.	राज्य	22	69.09	42.76
	ताप कुल				614.5	2600.96	
असम कुल					614.5	2600.96	
मणिपुर	ताप	डीजी सेट	लिमखोंग डीजी	राज्य	36	0	
	ताप कुल				36	0	

मणिपुर कुल					**36**	**0**	
मिजोरम	ताप	डीजी सेट	बैराबी डीजी	राज्य	22.92	1.9	
	ताप कुल				**22.92**	**1.9**	
मिजोरम कुल					**22.92**	**1.9**	
त्रिपुरा	ताप	गैस	अगरतला जीटी	केन्द्र	84	552.26	
			बारामुरा जीटी	राज्य	37.5	141.42	
			रोखिआ जीटी	राज्य	90	370.29	
	ताप कुल				**211.5**	**1063.97**	
त्रिपुरा कुल					**211.5**	**1063.97**	
उ.पू. क्षेत्र कुल					**884.92**	**3666.83**	**46.07**
अखिल भारतीय (कुल)					93043.12	483705.35	75.78

*वास्तविक एवं मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम

[अनुवाद]

महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रस्ताव

***6. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) ने प्रस्ताव किया है कि शैक्षिक संस्थाओं को 'कार्यस्थल' माना जाए और उन्हें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी प्रस्तावित विधेयक के दायरे में लाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2008" के प्रारूप में कार्यस्थल को उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी समिति द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण में अथवा उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त निधियों से पूर्णत: या आंशिक रूप से वित्त-पोषित किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या एकक के रूप में परिभाषित किया गया है। निजी क्षेत्र के किसी संगठन या निजी उद्यम, उपक्रम, संस्था, प्रतिष्ठान, समिति, एकक या उत्पादन, आपूर्ति, बिक्री, वितरण या सेवा सहित वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, औद्योगिक या वित्तीय कार्यकलाप चला रहे सेवा प्रदाता के कार्यालय को भी कार्यस्थल के रूप में परिभाषित किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त विधेयक के प्रारूप पर भारत सरकार विचार कर रही है।

परिवार न्यायालय

***7. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने परिवार न्यायालय कार्य कर रहे हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए हैं;

(ग) उनमें से राज्यवार कितने मामले निपटाए गए और कितने मामले अभी भी लंबित हैं;

(घ) क्या इन न्यायालयों में दर्ज मामलों को निपटाने में राज्यों के समक्ष समस्याएं आ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) क्रियाशील कुटुंब न्यायालयों की संख्या के बारे में केंद्रीय रूप से राज्यवार अद्यतन संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसी जानकारी राज्यों से मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) वर्ष 2005, 2006 और 2007 के लिए कुटुंब न्यायालयों में मामलों के संस्थापन, निपटान तथा उनकी लंबित संख्या को उपदर्शित करने वाली राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित विवरण I, II और III संलग्न है।

(घ) राज्यों से कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2005 के लिए कुटुंब न्यायालयों में मामलों के संस्थापन, निपटान तथा उनकी लंबित संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरंभिक अतिशेष	संस्थापन	निपटान	अंत में लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			

1	2	3	4	5	6
2.	असम	प्राप्त नहीं किया गया			
3.	बिहार	2986	1132	3049	11067
4.	छत्तीसगढ़	प्राप्त नहीं किया गया			
5.	गुजरात	प्राप्त नहीं किया गया			
6.	झारखंड	4296	3164	3201	4297
7.	कर्नाटक	प्राप्त नहीं किया गया			
8.	केरल	प्राप्त नहीं किया गया			
9.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			
10.	महाराष्ट्र	प्राप्त नहीं किया गया			
11.	मणिपुर	910	569	621	858
12.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	5260	2354	2324	5290
14.	पंजाब	प्राप्त नहीं किया गया			
15.	राजस्थान	प्राप्त नहीं किया गया			
16.	सिक्किम	58	118	98	78
17.	तमिलनाडु	9881	11169	9157	11893
18.	त्रिपुरा	367	562	626	303
19.	उत्तर प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			
20.	उत्तराखंड	प्राप्त नहीं किया गया			
21.	पश्चिमी बंगाल	प्राप्त नहीं किया गया			
22.	पुडुचेरी	708	503	695	516
	कुल	24466	19571	19771	34302

विवरण-II

वर्ष 2006 के लिए कुटुंब न्यायालयों में मामलों के संस्थापन, निपटान तथा उनकी लंबित संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरंभिक अतिशेष	संस्थापन	निपटान	अंत में लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			
2.	असम	प्राप्त नहीं किया गया			
3.	बिहार	11067	12275	6701	16630
4.	छत्तीसगढ़	प्राप्त नहीं किया गया			
5.	गुजरात	प्राप्त नहीं किया गया			
6.	झारखंड	4297	3408	2718	4985
7.	कर्नाटक	प्राप्त नहीं किया गया			
8.	केरल	प्राप्त नहीं किया गया			
9.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			
10.	महाराष्ट्र	प्राप्त नहीं किया गया			
11.	मणिपुर	858	594	683	769
12.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	5290	2375	2113	5552
14.	पंजाब	प्राप्त नहीं किया गया			
15.	राजस्थान	प्राप्त नहीं किया गया			
16.	सिक्किम	78	97	108	67
17.	तमिलनाडु	9881	11169	9157	11893
18.	त्रिपुरा	303	887	718	472
19.	उत्तर प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			
20.	उत्तराखण्ड	4063	4023	3771	4315

1	2	3	4	5	6
21.	पश्चिम बंगाल	प्राप्त नहीं किया गया			
22.	पुडुचेरी	516	659	655	520
	कुल	36353	35487	26624	45203

विवरण-III

वर्ष 2007 के लिए कुटुंब न्यायालयों में मामलों के संस्थापन, निपटान तथा उनकी लंबित संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरंभिक अतिशेष	संस्थापन	निपटान	अंत में लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			
2.	असम	प्राप्त नहीं किया गया			
3.	बिहार	16630	9310	8591	17314
4.	छत्तीसगढ़	प्राप्त नहीं किया गया			
5.	गुजरात	प्राप्त नहीं किया गया			
6.	झारखंड	4985	3321	3154	5076
7.	कर्नाटक	प्राप्त नहीं किया गया			
8.	केरल	प्राप्त नहीं किया गया			
9.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			
10.	महाराष्ट्र	17705	15931	14829	18807
11.	मणिपुर	769	547	372	944
12.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	5552	2132	1641	6043
14.	पंजाब	प्राप्त नहीं किया गया			
15.	राजस्थान	प्राप्त नहीं किया गया			

1	2	3	4	5	6
16.	सिक्किम	67	92	97	62
17.	तमिलनाडु	9881	11169	9157	11893
18.	त्रिपुरा	472	1009	763	718
19.	उत्तर प्रदेश	प्राप्त नहीं किया गया			
20.	उत्तराखण्ड	4315	4433	4674	4074
21.	पश्चिम बंगाल	प्राप्त नहीं किया गया			
22.	पुडुचेरी	520	1093	1081	532
	कुल	60896	49037	44359	65463

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन लागत

***8. डा. चिन्ता मोहन:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन लागत तथा उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री की कीमत में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत और उपभोक्ताओं को इसकी बिक्री की कीमत के बीच अंतर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) अलग-अलग उत्पादक केंद्रों की विद्युत उत्पादन लागत में अंतर होता है जो मुख्य रूप से संयंत्र की पूंजीगत लागत, संयंत्र की किस्म (ताप, जल विद्युत आदि), संयंत्र के स्थान, इसकी क्षमता, इसकी आयु, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी एवं ईंधन इत्यादि पर निर्भर करती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अपनी "विद्युत क्षेत्र निष्पादन की मासिक समीक्षा" में किए गए संकलन के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों (केंद्रीय, राज्य एवं निजी) में परिचालित विभिन्न प्रकार के उत्पादन केंद्रों की वर्ष 2006-07 की विद्युत उत्पादन की लागत संलग्न विवरण-I में दी गई है।

वितरक लाइसेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत वितरित की जाती है जो अपनी आवश्यकता का प्रमुख हिस्सा विभिन्न उत्पादक केंद्रों से तथा कुछ सीमा तक व्यापारी लाइसेंसियों जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों (यथा कृषक, घरेलू, औद्योगिक) को वितरक लाइसेंसियों द्वारा की जाने वाली बिक्री के मूल्य का निर्धारण संबद्ध राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) द्वारा विद्युत अनिधिनियम, 2003 के तहत उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

चूंकि उत्पादन केंद्रों में उत्पादित विद्युत को उपभोक्ता के स्थल पर पहुंचाने के लिए पारेषण तथा वितरण नेटवर्क का प्रयोग किया जाना होता है, अत: उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली विद्युत के एस.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य (जो कि वितरण लाइसेंसियों द्वारा लगाया जाने वाला प्रशुल्क है) में विद्युत क्रय लागत, कर्मचारी लागत, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत, ऋण तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज, समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों, मूल्यह्रास, क्रॉस सब्सिडी के स्तर इत्यादि जैसे घटकों पर होने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। तदनुरूपी, विभिन्न राज्यों में उत्पादन की लागत और उपभोक्ता प्रशुल्क में तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के प्रशुल्क में अंतर होता है। विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध उपभोक्ता प्रशुल्क की निदर्शी सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) उत्पादन की लागत और उपभोक्ता प्रशुल्क के

बीच का अंतर मुख्यतः राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.)/विद्युत यूटिलिटियों की उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों तथा क्रॉस सब्सिडियों के स्तर के कारण है। राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत यूटिलिटियां अपने-अपने राज्य की सरकारों तथा विनियामक आयोगों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तथापि, केंद्र सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए हैं:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 में व्यवस्था की गई है कि टैरिफ अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा प्रशुल्क नियंत्रित किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दक्षता सुधार तथा क्रॉस सब्सिडियों की कमी करना शामिल है।

(2) उच्च सकल, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के मुख्य कारणों में से एक कारण चोरी है। विद्युत की चोरी से निपटने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में दिए गए कानूनी प्रावधानों को विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

(3) अधिक हानियों के स्थान को चिन्हित करने के लिए ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा हेतु फीडरों तथा उपभोक्ताओं की आपूर्ति की मीटरिंग पर बल दिया जाता है ताकि उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

(4) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 11वीं योजना के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मुख्य ध्यान सतत हानि में कमी के संदर्भ में वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर दिया जाता है।

विवरण-I

(31-12-08 के अनुसार)

यूटिलिटी/विद्युत संयंत्र का नाम	संयंत्र का प्रकार	राज्य जहां इकाई स्थित है	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	ईकाई/उत्पादन लागत (पैसे/ प्रति कि.वा.)
1	2	3	4	5
केंद्रीय क्षेत्र				
भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड				
भाखड़ा कॉम्प्लेक्स (भाखड़ा संयंत्र + गैंग + कोटला पी घर)	हाइड्रो	पंजाब/हिमाचल प्रदेश	1480.30	13.50
देहर पावर हाऊस	हाइड्रो		990.00	38.37
पांग पावर प्लांट	हाइड्रो		396.00	8.78
दामोदर वैली कारपोरेशन				
बोकारो थर्मल पावर स्टेशन	थर्मल-सी	झारखंड	630.00	194.00
दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन	थर्मल-सी	पश्चिम बंगाल	350.00	210.14
चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन	थर्मल-सी	झारखंड	750.00	174.11

1	2	3	4	5
मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन	थर्मल-सी	पश्चिम बंगाल	840.00	199.45
मैथन हाइडल स्टेशन	हाइड्रो	झारखंड	60.00	81.41
पंचेत हाइडेल स्टेशन	हाइड्रो	झारखंड	80.00	81.92
तीलैया हाइडल पावर स्टेशन	हाइड्रो	झारखंड	4.00	205.75
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रीक पावर कार्पो. लि.				
बैरासिउल	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	180.00	69.71
सलाल I व II	हाइड्रो	जम्मू और कश्मीर	690.00	27.05
तनकपुर	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	94.20	96.77
चमेरा-I	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	540.00	59.06
उरी 1	हाइड्रो	जम्मू और कश्मीर	480.00	62.94
चमेरा-II	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	300.00	148.77
धौलीगंगा	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	280.00	119.07
लोकटक	हाइड्रो	मणिपुर	90.00	104.74
रंजित	हाइड्रो	सिक्किम	60.00	230.02
नेशनल थर्मल कार्पोरेशन लिमिटेड				
सिंगरौली (यू 1-7)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	2000.00	118.00
कोरबा (यू 1-6)	थर्मल-सी	छत्तीसगढ़	2100.00	96.00
रामागुंडम (यू 1-7)	थर्मल-सी	आन्ध्र प्रदेश	2600.00	144.00
फरक्का (यू 1-5)	थर्मल-सी	पश्चिम बंगाल	1600.00	167.00
विंध्याचल (यू 1-9)	थर्मल-सी	मध्य प्रदेश	2760.00	144.00
रिहंद (यू 1-4)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	2000.00	148.00
एफ.जी.यू.टी.पी.एस.-ऊंचाहार (यू 1-5)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	1050.00	184.00
एन.सी.टी.पी.एस.-दादरी कोयला (यू 1-4)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	840.00	225.00
कहलगांव (यू 1-4)	थर्मल-सी	बिहार	840.00	194.00
तलचर (यू 1-6)	थर्मल-सी	उड़ीसा	3000.00	122.00
तलचर टी.पी.एस. (यू 1-6)	थर्मल-सी	उड़ीसा	460.00	181.00

1	2	3	4	5
टांडा (यू 1-4)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	440.00	248.00
सिम्हाद्री (यू 1-2)	थर्मल-सी	आन्ध्र प्रदेश	1000.00	161.00
अंता (यू 1-3) व एस.टी.-1	थर्मल-जी	राजस्थान	419.00	230.00
औरेया (यू 1-4), एस.टी.-1 व एस.टी.-2	थर्मल-जी	उत्तर प्रदेश	663.00	278.00
दादरी (यू 1-4), एस.टी.-1 व एस.टी.-2	थर्मल-जी	उत्तर प्रदेश	830.00	288.00
कवास (यू 1-बी, I-ए, II-बी, II-ए, एस.टी.-1 व एस.टी.-2)	थर्मल-जी	गुजरात	656.00	554.00
गंधार (यू 1-3), एस.टी.	थर्मल-जी	गुजरात	657.00	268.00
राजीव गांधी (कायमकुलम) (यू 1-2), एस.टी.	थर्मल-एन	केरल	360.00	760.00
फरीदाबाद (यू 1-4), एस.टी.	थर्मल-जी	हरियाणा	432.00	225.00
बदरपुर (यू 1-4)	थर्मल-जी	दिल्ली	705.00	265.00
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पो. लि.				
थर्मल स्टेशन I	थर्मल-लिग्नाइट	तमिलनाडु	600.00	153.31
थर्मल स्टेशन I एक्सटेंशन	थर्मल-लिग्नाइट	तमिलनाडु	420.00	139.26
थर्मल स्टेशन II चरण I	थर्मल-लिग्नाइट	तमिलनाडु	630.00	142.77
थर्मल स्टेशन II चरण II	थर्मल-लिग्नाइट	तमिलनाडु	840.00	137.07
नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रीक पावर कॉर्पो. लि.				
कोपीली हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट	हाइड्रो	असम	275.00	65.70
दोयंग हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट (डी.एच.ई.पी.)	हाइड्रो	नागालैण्ड	75.00	260.20
रंगनदी हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट (आर.एच.ई.पी.)	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश	405.00	121.29
असम गैस आधारित विद्युत परियोजना (ए.जी.बी.पी.पी.)	थर्मल-जी	असम	291.00	181.92
अगरतला गैस जेनेरेशन विद्युत परियोजना	थर्मल-जी	त्रिपुरा	84.00	166.95
सतलज जल विद्युत निगम लि.				
नाथ्पा झाकरी विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एच.वाई.-एस.टी.	हिमाचल प्रदेश	1500.00	109.00

1	2	3	4	5
टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन				
टेहरी चरण-I	एच.वाई.-एस.टी.	उत्तराखण्ड	1000.00	350.54
नर्मदा हाइड्राइलेक्ट्रीक डेव. कार्पोरेशन लि.				
इंदिरा सागर परियोजना	एच.वाई.-एस.टी.	मध्य प्रदेश	1000.00	88.44
न्यूक्लियर पावर कॉर्पो. ऑफ इंडिया				
तप्स 1 से 4	न्यूक्लियर	महाराष्ट्र	1400.00	192.00
राजस्थान (यूनिट-2, 3 व 4)	न्यूक्लियर	राजस्थान	640.00	177.00
मद्रास (यूनिट-1 व 2)	न्यूक्लियर	तमिलनाडु	440.00	139.00
नरौरा (यूनिट-1 व 2)	न्यूक्लियर	उत्तर प्रदेश	440.00	178.00
काकरापार (यूनिट-1 व 2)	न्यूक्लियर	गुजरात	440.00	145.00
कैगा (यूनिट-1 व 2)	न्यूक्लियर	कर्नाटक	440.00	208.00
उत्तर क्षेत्र				
हरियाणा पावर जेन. कॉर्पो. लि.				
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (4x110)	थर्मल-सी	हरियाणा	440.00	286.12
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (1x210)	थर्मल-सी	हरियाणा	420.00	257.90
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (2x250)	थर्मल-सी	हरियाणा	500.00	247.30
फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन	थर्मल-सी	हरियाणा	165.00	482.64
पूर्वी यमुना कनाल, एच.ई. हाइडल परियोजना	हाइड्रो	हरियाणा	62.40	99.86
काकरोई हाइडल परियोजना	हाइड्रो-मिक	हरियाणा	0.30	2836.15
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड				
गिरी पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	60.00	47.00
आन्ध्र पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	16.95	75.00
गुम्मा पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	3.00	222.00
भाबा/संजय पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	120.00	13.00
नोगिल पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	2.25	159.00
घानवी पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	22.50	215.00

1	2	3	4	5
बस्सी पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	60.00	26.00
बिनवा पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	6.00	105.00
गज पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	10.50	111.00
बनेर पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	12.00	108.00
चाबा पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	1.38	123.00
रूकती पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	1.50	460.00
रोंगटोंग पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	2.00	563.00
चाबा पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	0.30	298.00
साल-II पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	2.00	203.00
किलर पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	0.30	420.00
होली पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	3.00	136.00
थीरोट पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	4.50	326.00
खौली पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	18.00	1148.00
लारजी पावर हाउस	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	126.00	468.00
इंद्रप्रस्थ पावर जेन. कं. लि.				
राजघाट पावर हाउस	थर्मल-सी	दिल्ली	135.00	308.48
इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन	थर्मल-सी	दिल्ली	247.50	362.48
आई.पी. गैस टरबाईन पावर स्टेशन	थर्मल-जी	दिल्ली	282.00	229.22
प्रगति पावर कॉर्पो. लि.				
प्रगति पावर स्टेशन	थर्मल-एस.टी.	दिल्ली	330.00	105.65
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड				
जी.एन.डी.टी.पी. भटींडा	थर्मल-सी	पंजाब	440.00	252.60
जी.जी.एस.एस.टी.पी. रोपड़	थर्मल-सी	पंजाब	1260.00	202.98
जी.एच.टी.पी. लेहरा मोहब्बत	थर्मल-सी	पंजाब	420.00	228.50
शान हाइड्रो इलेक्ट्रीक परियोजना (यू.एच.एल.)	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	110.00	25.87
यू.बी.डी.सी. पठानकोट	हाइड्रो	पंजाब	91.35	64.18

1	2	3	4	5
आनंदपुर साहिब	हाइड्रो	पंजाब	134.00	46.60
मुकेरिन हाइडेल	हाइड्रो	पंजाब	207.00	43.88
माइक्रो हाइडल (नीदामपुर + दोधार + थुही थुही + रोहती)	हाइड्रो	पंजाब	4.90	234.16
रंजीत सागर डैम (आर.एस.डी.)	हाइड्रो	पंजाब	600.00	311.33
बायां किनारा और दायां किनारा	हाइड्रो	पंजाब	684.00	13.34
ब्यास और विस्तार	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	573.00	45.34
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.				
राणाप्रताप सागर पावर स्टेशन	हाइड्रो	राजस्थान	172.00	102.00
जवाहर सागर पावर स्टेशन	हाइड्रो	राजस्थान	99.00	109.00
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.				
कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन	थर्मल-सी	राजस्थान	1045.00	184.60
सुरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन	थर्मल-सी	राजस्थान	1250.00	235.75
रामगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	थर्मल-जी	राजस्थान	110.50	337.18
माही हाइडल पावर स्टेशन	हाइड्रो	राजस्थान	140.00	48.43
मिनी माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन	हाइड्रो	राजस्थान	23.85	257.27
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि.				
चिल्ला	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	240.00	24.52
रामगंगा	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	198.00	60.39
चिला	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	144.00	19.32
खोड्री	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	120.00	24.54
टिलोथ	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	90.00	26.61
धालीपुर	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	51.00	27.52
खातीमा	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	41.40	28.42
धाकरानी	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	33.75	36.31
कुलहल	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	30.00	26.84

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि.				
पिपरी	हाइड्रो	उत्तर प्रदेश	300.00	27.32
ओबरा	हाइड्रो	उत्तर प्रदेश	99.00	24.69
माताटीला/शीतला	हाइड्रो	उत्तर प्रदेश	30.00	20.43
मुजफ्फर नगर	हाइड्रो	उत्तर प्रदेश	15.50	89.32
खारा/ई/सी	हाइड्रो	उत्तर प्रदेश	78.00	89.74
उत्तर प्रदेश आर.वी.यू.एन. लि.				
अनपारा ए (यूनिट 1-3)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	630.00	133.22
अनपारा बी (यूनिट 1-2)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	1000.00	149.23
ओबरा ए (यूनिट-5) और (यूनिट 6-8)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	550.00	329.67
ओबरा बी (यूनिट 9-13)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	1000.00	191.64
पनकी (यूनिट 3-4)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	220.00	330.64
हरदुआगंज बी और सी (यूनिट 1-4) और (यूनिट 5-7)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	440.00	423.49
परीछा (यूनिट 1-2)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	220.00	318.31
पश्चिमी क्षेत्र				
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड				
कोरबा-पूर्व	थर्मल-सी	छत्तीसगढ़	440.00	94.84
कोरबा-पश्चिम	थर्मल-सी	छत्तीसगढ़	840.00	87.28
एच.ई.पी. मछाडाली बैंगो	हाइड्रो	छत्तीसगढ़	120.00	39.35
एच.ई.पी.-गंगरेल	हाइड्रो	छत्तीसगढ़	10.00	61.81
एच.ई.पी. सिकासार	हाइड्रो	छत्तीसगढ़	70.00	61.05
मिनी हाइडल	हाइड्रो	छत्तीसगढ़	0.85	–
गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि.				
ऊकाई टी.पी.एस. (यूनिट 1-5)	थर्मल-सी	गुजरात	850.00	184.00
गांधीनगर टी.पी.एस. (यूनिट 1-4)	थर्मल-सी	गुजरात	660.00	259.00

1	2	3	4	5
गांधीनगर 5	थर्मल-सी	गुजरात	210.00	200.00
वानकवोरी टी.पी.एस. (यूनिट 1-6)	थर्मल-सी	गुजरात	1260.00	193.00
वानकवोरी 7	थर्मल-सी	गुजरात	210.00	181.00
सिक्का टी.पी.एस. (यूनिट 1-2)	थर्मल-सी	गुजरात	240.00	255.00
कच्छ लिग्नाइट टी.पी.एस. (यूनिट 1-3)	थर्मल-सी	गुजरात	215.00	216.00
धुवरन (यूनिट 1-6)	थर्मल-सी	गुजरात	534.00	390.00
धुवरन	थर्मल-जी	गुजरात	107.00	506.00
उतरन जी.बी.पी.एस. (जी.टी.-1 से 3 और) एस.टी.जी.)	थर्मल-जी	गुजरात	135.00	228.00
ऊकाई हाइड्रो (यूनिट-1-4) और ऊकाई हाइड्रो-एल.बी.सी.	हाइड्रो	गुजरात	305.00	16.00
कदाना (यूनिट 1-4) और पनाम हाइड्रो (यूनिट 1-2)	हाइड्रो	गुजरात	242.00	87.00
एम.पी.पी.जी.सी.एल., जबलपुर				
अमरकंटक टी.पी.एच. (फेस I और II)	थर्मल-सी	मध्य प्रदेश	290.00	159.17
सतपुरा टी.पी.एच. सारनी (फेस I, II और III)	थर्मल-सी	मध्य प्रदेश	1142.50	165.18
संजय गांधी टी.पी.एच. बिरसिंघपुर (फेस I और II)	थर्मल-सी	मध्य प्रदेश	840.00	164.02
रानी आवंती बाई एच.पी.एस. बारगी	हाइड्रो	मध्य प्रदेश	90.00	18.87
पेंच एच.पी.एस.	हाइड्रो	मध्य प्रदेश	160.00	27.05
गांधी सागर	हाइड्रो	मध्य प्रदेश	115.00	25.13
टोंस (टोंस+बानसागर-II+बानसागर-III)	हाइड्रो	मध्य प्रदेश	405.00	68.49
राजघाट	हाइड्रो	मध्य प्रदेश	45.00	106.79
संजय गांधी एच.पी.एस., बिरसिंघपुर	हाइड्रो	मध्य प्रदेश	20.00	98.07
मधुखेड़ा	हाइड्रो	मध्य प्रदेश	40.00	0.00
झिन्ना एच.पी.एस., झिन्ना	हाइड्रो	मध्य प्रदेश	20.00	183.93
महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि.				
चंद्रपुर	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	2340.00	144.00

1	2	3	4	5
कोराडी	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	1100.00	163.00
खापरखेडा	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	840.00	147.00
भुसावल	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	482.50	198.00
नासिक	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	910.00	198.00
पारली	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	690.00	195.00
पारस	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	62.50	210.00
उतरन जी.टी.	थर्मल-जी	महाराष्ट्र	672.00	102.00
कोयना	हाइड्रो	महाराष्ट्र	1960.00	26.00
सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि.				
सरदार सरोवर प्रोजेक्ट	एच.वाई.-एस.टी.	गुजरात	1450.00	163.05
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लि.				
गैस टरबो पावर स्टेशन स्टेज-I	थर्मल-जी	आन्ध्र प्रदेश	100.00	133.00
गैस टरबो पावर स्टेशन स्टेज-II	थर्मल-जी	आन्ध्र प्रदेश	172.00	152.00
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.				
शरावथी (यूनिट 1-10)	हाइड्रो	कर्नाटक	891.00	13.15
लिगानामक्की (यूनिट 1-2)	हाइड्रो	कर्नाटक	55.00	101.19
भद्रा (यूनिट 1-5)	हाइड्रो	कर्नाटक	39.20	101.56
नागझारी (यूनिट 1-6)	हाइड्रो	कर्नाटक	855.00	27.32
सूपा (यूनिट I-2)	हाइड्रो	कर्नाटक	100.00	27.32
घाटप्रभा (यूनिट 1-2)	हाइड्रो	कर्नाटक	32.00	64.73
वराही (यूनिट 1-2)	हाइड्रो	कर्नाटक	230.00	60.12
मनी डैम पावर हाऊस (यूनिट 1-2)	हाइड्रो	कर्नाटक	9.00	60.12
कलमाला	हाइड्रो	कर्नाटक	0.40	221.44
सिरवा	हाइड्रो	कर्नाटक	1.00	221.44
गानेकल	हाइड्रो	कर्नाटक	0.35	221.44

1	2	3	4	5
मालापुर (यूनिट 1-2)	हाइड्रो	कर्नाटक	9.00	221.44
कापडगुडा विंड फार्म	हाइड्रो	कर्नाटक	4.55	215.09
कादरा (यूनिट 1-3)	हाइड्रो	कर्नाटक	150.00	122.08
कोडसाली (यूनिट 1-3)	हाइड्रो	कर्नाटक	120.00	93.08
बी.आर.बी.सी. पावर हाउस (भद्रा में अधिष्ठापित क्षमता सहित)	हाइड्रो	कर्नाटक		93.28
जेरूसोपा पावर हाउस (यूनिट 1-4)	हाइड्रो	कर्नाटक	240.00	113.07
अलमाटी डैम पावर हाउस (यूनिट 1-6)	हाइड्रो	कर्नाटक	290.00	90.42
एम.जी.एच.ई., जोगफाल (यूनिट 1-8)	हाइड्रो	कर्नाटक	120.00	35.33
सिवसमुद्रम (यूनिट 1-10)	हाइड्रो	कर्नाटक	42.00	46.43
मुनीराबाद (यूनिट 1-3)	हाइड्रो	कर्नाटक	17.20	32.01
शीमशापुरा (यूनिट 1-2)	हाइड्रो	कर्नाटक	17.00	46.43
रायचुर टी.पी.एस. स्टेज-I और II (यूनिट 1-7)	थर्मल-सी	कर्नाटक	1470.00	214.33
डी.जी. प्लांट येलहांक (यूनिट 1-6)	थर्मल-डी.जी.	कर्नाटक	127.92	696.43
केरला राज्य विद्युत बोर्ड	टी.एच.+एच.वाई.	केरल	2071.23	336.00
पुडुचेरी पावर कारपोरेशन लि.				
करइकल कंबाइंड साइकल गैस पावर प्लांट	टी.एच.+एस.टी.	पुडुचेरी	32.50	185.09
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड				
एन्नौर	थर्मल-सी	तमिलनाडु	450.00	390.16
मेट्टूर	थर्मल-सी	तमिलनाडु	840.00	186.67
तूतीकोरिन	थर्मल-सी	तमिलनाडु	1050.00	207.90
नार्थ चिन्नाई	थर्मल-सी	तमिलनाडु	630.00	219.81
बेसिन ब्रिज	थर्मल-एन	तमिलनाडु	120.00	2541.08
कोविलकालापल	थर्मल-जी	तमिलनाडु	107.88	162.60
वालूथूर	थर्मल-जी	तमिलनाडु	95.00	194.21
कुटालम	थर्मल-जी	तमिलनाडु	101.00	250.87

1	2	3	4	5
विंड	विंड	तमिलनाडु	19.36	1163.39
पायकारा	हाइड्रो	तमिलनाडु	69.95	46.00
पायकारा माइक्रो	हाइड्रो	तमिलनाडु	2.00	64.27
मोयार	हाइड्रो	तमिलनाडु	36.00	25.61
मारावाकेंडी	हाइड्रो	तमिलनाडु	0.75	166.18
कुंडा-I	हाइड्रो	तमिलनाडु	60.00	19.72
कुंडा-II	हाइड्रो	तमिलनाडु	175.00	17.44
कुंडा-III	हाइड्रो	तमिलनाडु	180.00	28.95
कुंडा-IV	हाइड्रो	तमिलनाडु	100.00	38.89
कुंडा-V	हाइड्रो	तमिलनाडु	40.00	52.40
पारसन वैली	हाइड्रो	तमिलनाडु	30.00	391.25
पेट्टूर डैम	हाइड्रो	तमिलनाडु	40.00	65.94
मेट्टूर टनेल	हाइड्रो	तमिलनाडु	200.00	3.16
बैराज I से IV	हाइड्रो	तमिलनाडु	120.00	73.12
बवानी सागर आर.बी.सी.	हाइड्रो	तमिलनाडु	8.00	149.37
लोअर भावानी सागर	हाइड्रो	तमिलनाडु	8.00	159.63
पुनाछी माइक्रो	हाइड्रो	तमिलनाडु	1.00	503.81
सथानूर	हाइड्रो	तमिलनाडु	7.50	1144.05
मुकूर्थी	हाइड्रो	तमिलनाडु	0.70	90.84
थिरुमुर्थी डैम	हाइड्रो	तमिलनाडु	1.95	844.12
पेरियार	हाइड्रो	तमिलनाडु	140.00	32.14
वैगई	हाइड्रो	तमिलनाडु	6.00	45.49
सुरुलियार	हाइड्रो	तमिलनाडु	35.00	64.59
पापनासम	हाइड्रो	तमिलनाडु	28.00	35.77
सरवेलार	हाइड्रो	तमिलनाडु	20.00	88.53

1	2	3	4	5
सरकारपथी	हाइड्रो	तमिलनाडु	30.00	8.97
अलियार	हाइड्रो	तमिलनाडु	60.00	18.64
कदमपराई	हाइड्रो	तमिलनाडु	400.00	5662.98
शोलेयार-I	हाइड्रो	तमिलनाडु	70.00	6.30
शोलेयार-II	हाइड्रो	तमिलनाडु	25.00	16.59
कोडेयार-I	हाइड्रो	तमिलनाडु	60.00	36.65
कोडेयार-II	हाइड्रो	तमिलनाडु	40.00	52.61
लोअर अलियार	हाइड्रो	तमिलनाडु	2.50	755.02
पायकारा अलटिमेट	हाइड्रो	तमिलनाडु	150.00	215.84
भवानी कटालाई	हाइड्रो	तमिलनाडु	30.00	5.06
पूर्वी क्षेत्र				
अंडमान व निकोबार प्रशासन विद्युत विभाग, पोर्ट ब्लेयर	थर्मल-डीजी	अंडमान व निकोबार	20.00	823.00
बिहार राज्य जल विद्युत निगम				
सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, देहरी ऑन सोन	हाइड्रो	बिहार	6.60	253.00
सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, बरूण (औरंगाबाद)	हाइड्रो	बिहार	3.30	253.00
पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, वाल्मीकिनगर	हाइड्रो	बिहार	15.00	307.00
कोसी हाइडल पावर स्टेशन काकतिया, बीरपुर (सुपौल)	हाइड्रो	बिहार	19.20	52.00
सिक्किम सरकार, ऊर्जा एवं वैद्युत विभाग				
एल.एल.एच.पी. (लोअर लाग्याप)	हाइड्रो	सिक्किम	12.00	111.54
रिम्बी-I	हाइड्रो	सिक्किम	0.60	1063.89
रोगिनीचू-II	हाइड्रो	सिक्किम	2.50	570.98
मेयोंग	हाइड्रो	सिक्किम	4.00	87.73
कलेज	हाइड्रो	सिक्किम	2.00	242.31

1	2	3	4	5
डी.पी.एच. (गंगटोक डी.जी.)	थर्मल-डी.जी.	सिक्किम	4.00	2810.91
उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.				
हीराकुंड पावर सिस्टम	हाइड्रो	उड़ीसा	347.50	75.50
रेंगाली एच.ई. प्रोजेक्ट	हाइड्रो	उड़ीसा	250.00	47.48
अपर इन्द्रावती एच.ई. प्रोजेक्ट	हाइड्रो	उड़ीसा	600.00	36.11
अपर कोलाब एच.ई. प्रोजेक्ट	हाइड्रो	उड़ीसा	320.00	26.86
बालीमेला एच.ई. प्रोजेक्ट	हाइड्रो	उड़ीसा	360.00	21.05
			1877.50	37.20
उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.				
इब थर्मल पावर स्टेशन, बनारपाली	थर्मल-सी	उड़ीसा	420.00	90.02
दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड				
दुर्गापुर प्रोजेक्ट पावर स्टेशन	थर्मल-सी	पश्चिम बंगाल	401.00	195.00
पश्चिम बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.				
कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन (यू. 1-6)	थर्मल-सी	पश्चिम बंगाल	1260.00	168.49
बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन (यू. 1-3)	थर्मल-सी	पश्चिम बंगाल	630.00	172.66
बांडेल थर्मल पावर स्टेशन (यू. 1-5)	थर्मल-सी	पश्चिम बंगाल	450.00	221.92
संथालडीह थर्मल पावर स्टेशन (यू. 1-4)	थर्मल-सी	पश्चिम बंगाल	480.00	208.97
पश्चिम बंगाल राज्य डिस्कॉम लि.				
जलढका एच.ई.पी.	हाइड्रो	पश्चिम बंगाल	35.00	91.53
रामम एच.ई.पी.	हाइड्रो	पश्चिम बंगाल	51.00	87.31
तीस्ता कैनाल प्रपात	हाइड्रो	पश्चिम बंगाल	67.50	1736.78
अन्य हाइड्रो	हाइड्रो	पश्चिम बंगाल	14.20	403.17
रूद्रनगर	थर्मल-डी.जी.		0.50	1235.29
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश**	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश	34.24	118.88

1	2	3	4	5
असम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.				
नामरूप टी.पी.एस.	थर्मल-जी	असम	119.50	109.82
लकवा टी.पी.एस.	थर्मल-जी	असम	120.00	139.23
मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड**				
एम.ई.एस.ई.बी. हाइडल पावर स्टेशन	हाइड्रो	मेघालय	185.20	132.40
नागालैंड विद्युत विभाग				
डी.जी. सेट के.एम.ए. (स्टैंडबाई)	थर्मल+डी.जी.		0.70	592.00
लिकिमरो एच.ई.पी.	हाइड्रो	नागालैण्ड	24.00	212.00
जुजा एम.एच.पी.	हाइड्रो	नागालैण्ड	1.50	198.00
दुईलुमोराई-I	हाइड्रो	नागालैण्ड	0.54	211.00
दुईलीमोराई-II	हाइड्रो	नागालैण्ड	0.20	211.00
तेखांगसो एम.एच.पी.	हाइड्रो	नागालैण्ड	0.60	215.00
त्रिपुरा स्टेट पावर कारपोरेशन लि.				
रोहित गैस थर्मल प्रोजेक्ट	थर्मल-जी	त्रिपुरा	74.00	178.89
बारामूरा गैस थर्मल प्रोजेक्ट	थर्मल-जी	त्रिपुरा	21.00	135.87
गमुटी हाइडल प्रोजेक्ट	हाइड्रो	त्रिपुरा	15.00	30.22
निजी				
डी.एल.एफ. पावर लिमिटेड				
आदमटीला	थर्मल-जी	असम	9.00	288.09
बनासकंडी	थर्मल-जी	असम	15.50	207.20
राजरप्पा	थर्मल-सी	झारखण्ड	11.00	391.32
गिडी	थर्मल-सी	झारखण्ड	17.00	413.75
मधुबंद	थर्मल-सी	झारखण्ड	11.00	779.79
एस्सार पावर लिमिटेड हजीरा				
एस्सार पावर लिमिटेड, हजीरा	थर्मल-जी	गुजरात	515.00	217.00

1	2	3	4	5
जी.एम.आर. एनर्जी लिमिटेड				
जी.एम.आर. एनर्जी लि.	थर्मल-एन	कर्नाटक	220.00	819.00
जी.एम.आर. पावर कारपोरेशन प्रा. लि.				
जी.एम.आर. पावर कारपोरेशन लि.	थर्मल-डी.जी.	तमिलनाडु	200.00	626.00
गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि.				
145 मेगावाट पावर प्लांट (स्टेशन-1)	थर्मल-जी	गुजरात	145.00	136.00
160 मेगावाट पावर प्लांट (स्टेशन-2)	थर्मल-जी	गुजरात	160.00	222.00
सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट (एस.एल.पी.पी.)	थर्मल-एल.आई.जी.	गुजरात	250.00	187.00
गुजरात पगुथन एनर्जी कारपोरेशन प्रा.लि.				
पगुथन सी.सी.पी.पी.	थर्मल-जी	गुजरात	654.73	218.69
जी.वी.के. इंडस्ट्रीज लि.				
जेगरूपाडु कंबाईंड साइकिल पावर प्लांट	थर्मल-जी	आन्ध्र प्रदेश	216.82	201.00
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.				
हीराकुद पावर	थर्मल-सी	उड़ीसा	267.50	89.50
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.				
रेनुसागर पावर स्टेशन (कैप्टिव पावर प्लांट)	थर्मल-सी	उत्तर प्रदेश	741.70	138.08
जयप्रकाश हाइड्रो पावर लिमिटेड				
विष्णुप्रयाग एच.ई.पी.	हाइड्रो	उत्तराखण्ड	400.00	143.00
जयप्रकाश पावर वेंचर लि. (जिंदल थर्मल पावर कंपनी लि.)				
बास्पा II एच.ई.पी.	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	300.00	161.00
जे.एस.डब्ल्यू. एनर्जी लि. (जिंदल थर्मल पावर कंपनी लि.)				
जे.एस.डब्ल्यू. ई.एल. (कोयला एवं फर्नेस गैस)	थर्मल-सी	कर्नाटक	260.00	232.00
मदुरई पावर कारपोरेशन प्रा. लि. (बालाजी)				
मदुरई पावर कारपोरेशन प्रा. लि.	थर्मल-डी.जी.	तमिलनाडु	105.00	632.00

1	2	3	4	5
मलाना पावर कंपनी लि.				
मलाना जल विद्युत परियोजना	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	86.00	141.54
रिलायंस एनर्जी लि.				
दहाणु थर्मल पावर स्टेशन (डी.टी.पी.एस.)	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	500.00	196.00
आर.ई.एल.-गोवा	थर्मल-एन	गोवा	48.00	736.00
रिलायंस एनर्जी लि.				
समलकोट पावर स्टेशन	थर्मल-जी	आन्ध्र प्रदेश	220.00	195.54
समलपट्टी पावर कंपनी प्रा. लि.				
समलपट्टी पावर कंपनी प्रा. लि.	थर्मल-डी.जी.	तमिलनाडु	105.65	725.44
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड				
थर्मल पावर स्टेशन ट्रांबे उत्पादन केंद्र चेंबूर	थर्मल-सी	महाराष्ट्र	1330.00	273.00
जोजोबेरा पावर प्लांट, जमशेदपुर	थर्मल-सी	झारखण्ड	427.50	80.00
डी.जी. आधारित विद्युत संयंत्र, बेलगांव	थर्मल-डी.जी.	कर्नाटक	81.30	505.00
टोरेंट पावर लि.				
साबरमती पावर हाऊस	थर्मल-सी	गुजरात	400.00	
सी.सी.पी.पी. वटवा	थर्मल-जी	गुजरात	100.00	
कुल (टोरेंट पावर लि.)			500.00	237.00

टिप्पणी- 1. सी-कोयला, सी.ए.-कैप्टिव, डी.जी.-डीजल जनरेटर, जी-गैस, एल.-एल.एस.एच.एस., लिग्नाइट, एम.आई.सी.-माइक्रो, एन-नाप्था, एनजी-नैचुरल गैस।

2. *एन.टी.पी.सी. ने उत्पादन की लागत नहीं भरी है। तथापि, एन.टी.पी.सी. स्टेशनों से विद्युत की बिक्री दी गई है।

3. **संबंधित प्राधिकरणों द्वारा परियोजनावार अलग से ब्यौरा नहीं दिया गया है।

विवरण-II

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

वित्तीय अध्ययन एवं सहायता प्रभाग

विद्युत की औसत अनुमानित दरें दर्शाने वाला विवरण (1-6-2008 तक अद्यतन)

(दरें पैसे/कि.वा.घं.)

क्र. सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	घरेलू 1 कि.वा. (100 कि.वा.घं./ माह)	घरेलू 4 कि.वा. (400 कि.वा.घं./ माह)	घरेलू 10 कि.वा. (1000 कि.वा.घं./ माह)	वाणिज्यिक 2 कि.वी. (300 कि.वा.घं./ माह)	वाणिज्यिक 10 कि.वा. (1500 कि.वा.घं./ माह)	वाणिज्यिक 30 कि.वा. (4500 कि.वा.घं./ माह)	वाणिज्यिक 50 कि.वा. (7500 कि.वा.घं./ माह)	कृषि 2 एच.पी. (400 कि.वा.घं./ माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	01-04-2007	238.50	396.63	492.25	599.33	624.67	628.89	629.73	29.38
2.	असम	04-08-2006	310.00	411.50	445.00	528.33	528.33	536.31	536.31	240.00
3.	बिहार	01-11-2006	233.20 यू	294.05	362.52	515.87 यू	503.85	500.09	499.33	51.50 आरएस
			76.32 आर			51.94 आर				61.50 यूएस
4.	छत्तीसगढ़	01-10-2006	189.10	238.50	334.58	436.41	519.17	519.37	519.41	32.50
5.	गुजरात	01-04-2007	348.00 यू	462.00 यू	526.80 यू	564.58	595.42	590.14	589.08	55.00
			264.00 आर	368.50 आर	427.90 आर					
6.	हरियाणा	01-11-2006	356.20	410.05	450.82	468.00	468.00	468.00	468.00	17.50
7.	हिमाचल प्रदेश	01-04-2007	216.00	263.50	283.00	450.67	437.33	448.44	447.56	208.00
8.	जम्मू-कश्मीर	01-04-2007	129.50	188.88	214.75	222.00	262.00	268.67	270.00	49.50
9.	झारखण्ड	01-01-2004	163.00 यू	183.00	182.00	438.67	438.67	438.67	438.67	28.75
			74.00 आर							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	01-11-2006	292.43 डी	418.30 डी	482.32 डी	637.88 डी	651.18 डी	653.39 डी	653.84 जी	45.00 जी
			292.43 ई	413.05 ई	473.92 ई	618.63 ई	630.53 ई	632.51 ई	632.91 ई	110.00 एच
			260.93 एफ	381.55 एफ	442.42 एफ	609.87 एफ	623.18 एफ	625.39 एफ	625.83 एफ	
11.	केरल	01-04-2006	187.00	398.89	517.61	727.84	889.90	962.74	969.98	74.80
12.	मध्य प्रदेश	16-04-2007	347.44 यू	442.25 यू	463.18 यू	615.86	617.31	617.55	617.60	188.75
			341.74 आर	430.38 आर	451.05 आर					
13.	महाराष्ट्र	01-05-2007	270.36	422.57	560.09	533.98	599.14	646.83	650.81	90.00 आई
										75.00 जे
14.	मेघालय	01-10-2004	180.00	246.25	275.50	409.33	446.67	452.89	454.13	116.00
15.	उड़ीसा	01-04-2007	135.20	247.00	286.00	384.80	443.04	452.75	454.69	102.00
16.	पंजाब	01-04-2006	247.10	374.15	408.80	469.30	469.30	469.30	469.30	0.00
17.	राजस्थान	01-01-2005	417.50 यू	396.88 यू	392.75 यू	556.67	554.00	555.78	556.13	78.75
			390.25 आर	363.81 आर	358.53 आर					
18.	तमिलनाडु	01-04-2007	120.00	216.25	269.50	602.00	607.60	608.53	608.72	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	10-05-2007	249.00 यू	359.00 यू	359.00 यू	452.33 यू	452.33 यू	452.33 यू	452.33 यू	224.00 यू
			59.00 आर	209.00 आर	239.00 आर	209.00 आर	269.00 आर	279.00 आर	281.00 आर	45.00 आर
20.	उत्तराखण्ड	01-04-2006	215.00	215.00	215.00	315.00 डब्ल्यू	315.00 डब्ल्यू	315.00 डब्ल्यू	315.00 डब्ल्यू	81.60 यू
						365.00 एम	365.00 एम	365.00 एम	365.00 एम	69.00 आर
21.	पश्चिम बंगाल	01-04-2007	248.33 यू	406.43 यू	529.24 यू	443.27 यू	583.96 यू	604.05 यू	608.07 यू	147.00
			237.11 आर	391.49 आर	523.26 आर	441.48 आर	583.59 आर	603.93 आर	608.00 आर	–

22. अरुणाचल प्रदेश	01-02-2000	162.50	211.88	231.75	370.00	390.00	393.33	394.00	–
23. गोवा	01-04-2002	122.00	170.75	216.50	327.00	357.00	373.67	377.00	102.00
24. मणिपुर	03-09-2002	262.20	299.70	302.20	302.20	302.20	381.80	381.80	272.20
25. मिजोरम (जिला मुख्यालय एवं उप)	25-07-2005	170.00	247.50	249.00	266.67	266.67	266.67	266.67	69.94
अन्य क्षेत्र		180.00	195.00	198.00					
26. नागालैण्ड	01-04-2006	272.00	310.25	337.70	398.00	431.60	437.20	438.32	150.00
27. सिक्किम	01-04-2006	105.75	266.06	322.43	335.25	396.45	408.15	410.49	180.00
28. त्रिपुरा	01-07-2006	215.00	365.00	365.00	353.33	456.67	456.67	456.67	87.46
29. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	01-07-2003	130.00	275.00	326.00	406.67	465.33	475.11	477.07	90.00
30. चण्डीगढ़	01-08-2005	179.00	304.00	304.00	347.00	347.00	347.00	347.00	165.00
31. दादरा व नगर हवेली	01-10-2006	130.00	172.50	204.00	248.33	265.67	268.56	269.13	55.00
32. दमन व दीव	01-10-2006	130.00	172.50	204.00	248.33	265.67	268.56	269.13	55.00
33. दिल्ली बी.वाई. पी.एल./बी.आर.पी. एल./एन.डी.	01-10-2006	277.20	346.50	434.70	596.75	596.75	622.76	622.76	162.20
34. दिल्ली एन.डी. एम.सी.	01-04-2006	158.00	252.25	327.70	462.00	525.00	525.00	525.00	–
35. लक्षद्वीप	01-09-2004	100.00	300.00	300.00	480.00	480.00	480.00	480.00	–
36. पांडिचेरी	16-04-2002	55.00	113.75	150.50	274.74	325.34	333.78	335.47	0.00
37. टोरेंट पावर लि. (अहमदाबाद)	01-04-2007	345.15	399.26	427.64	527.88	586.51	592.79	594.54	311.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	कोलकाता (सी.ई.एस.सी.)	01-04-2007	279.84	462.48	533.62	450.53	579.26	597.30	600.91	–
39.	डी.वी.सी. (ए) बिहार क्षेत्र	01-09-2000	–	–	–	–	–	–	–	–
	(बी) पश्चिम बंगाल क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	01-04-2007	189.00	254.93	264.33	272.43	293.40	294.83	295.12	479.39*
41.	मुंबई (बेस्ट)	01-04-2007	123.77	317.59	597.01	503.62	947.60	1079.63	1106.03	–
	मुंबई (रिलायंस एनर्जी)	24-04-2007	235.99	449.24	613.86	658.16	841.40	828.34	828.34	115.41
	मुंबई (टाटा)	01-05-2007	240.12	444.52	648.92	736.65	691.45	964.82	964.82	–

(दरें पैसे/कि.वा.घं.)

क्र. सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	कृषि 5 एच.पी. (1000 कि.वा.घं./ माह)	कृषि 10 एच.पी. (2000 कि.वा.घं./ माह)	लघु उद्योग 10 कि.वा.	मझौले उद्योग 50 कि.वा.	बृहद उद्योग 1000 कि.वा.	भारी उद्योग 10000 कि.वा.	भारी उद्योग (33 के.वी.)	रेलवे कर्षण 12500 कि.वा. (25000000 कि.वा.घं./ माह)
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आन्ध्र प्रदेश	01-04-2007	23.75	21.88	415.40	414.33	380.30	418.60	407.68	410.03
2.	असम	04-08-2006	240.00	240.00	285.67 यू 254.00 आर	450.33	370.20	369.07	358.05	
3.	बिहार	01-11-2006	51.50 आरएस 61.50 यूएस	51.50 आरएस 61.50 यूएस	490.38	525.72	497.84		484.56	531.89 से 25 कि.वा. में 525.89 से 132 कि.वा. में
4.	छत्तीसगढ़	01-10-2006	32.50	42.50	304.52	413.35	423.47	423.47	452.40	477.22 से 132 कि.वा. में
5.	गुजरात	01-04-2007	55.00	55.00	438.62	468.36	495.00	534.70	534.50	549.12 से 132 कि.वा. में
6.	हरियाणा	01-11-2006	17.50	17.50	478.00	499.90	457.00	457.00	445.00	481.29 से 11 कि.वा. में

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
7.	हिमाचल प्रदेश	01-04-2007	205.00	204.00	386.33	406.56	340.12	325.99	323.60	
8.	जम्मू-कश्मीर	01-04-2007	40.33	27.50	222.00	222.00	256.09	256.09	250.20	
9.	झारखण्ड	01-01-2004	28.75	28.75	405.62	405.62	412.95	412.95	392.95	516.50 से 25 कि.वा. में
										477.69 से 132 कि.वा. में
10.	कर्नाटक	01-11-2006	45.00 जी	55.00 जी	418.40 डी	521.47 डी	490.28 डी	501.07 डी	499.57 डी	485.88
			110.00 एच	115.00 एच	397.96 ओ	477.57 ओ	471.71 ओ	482.50 ओ	480.98 ओ	
11.	केरल	01-04-2006	74.80	74.80	390.50	390.50	385.02	385.02		360.29 से 110 कि.वा. में
12.	मध्य प्रदेश	16-04-2007	213.50	221.75	385.62 यू	540.40 यू	480.83	480.83	468.01	460.00 से 132/220 कि.वा. में
					348.80 आर	478.00 आर				
13.	महाराष्ट्र	01-05-2007	90.00 आई	90.00 आई	344.42	517.28	424.98 बी	424.98 बी	–	410.85
			75.00 जे	75.00 जे			456.47 ओ	456.47 ओ		
14.	मेघालय	01-10-2004	116.00	116.00	383.33	408.67	253.92	253.53	–	–
15.	उड़ीसा	01-04-2007	102.00	102.00	322.40	335.81	361.51	361.46	361.46	413.48 से 25/33 कि.वा. में

16. पंजाब	01-04-2006	0.00	0.00	374.70	413.20	413.20	413.20	400.92	447.00 से 132 कि.वा. में
17. राजस्थान	01-01-2005	75.60	74.55	421.28	459.68	463.83	463.83	460.65	451.00
18. तमिलनाडु	01-04-2007	0.00	0.00	458.85	486.57	452.11	462.61	452.11	526.47
19. उत्तर प्रदेश	10-05-2007	224.00 यू	224.00 यू	452.33 यू	452.33 यू	404.18 यू	404.18 यू	418.29 यू	461.11 132 कि.वा. से कम
		45.00 आर	45.00 आर	385.83 आर	385.83 आर	344.91 आर	344.91 आर	356.90 आर	444.44 132 कि.वा. और अधिक
20. उत्तराखंड	01-04-2006	78.00 यू	76.80 यू	305.09	305.09	282.10	282.10	275.68	
		65.40 आर	64.20 आर						
21. पश्चिम बंगाल	01-04-2007	147.00	147.00	379.78 यू	470.78 यू	470.81	470.81	447.14	453.79 से 25 कि.वा. में
				364.71 आर	450.20 आर				424.39 से 132 कि.वा. में
22. अरुणाचल प्रदेश	01-02-2000	–	–	345.00	353.33	393.86	394.89	–	–
23. गोवा	01-04-2002	102.00	102.00	257.00	297.00	342.29	342.29	342.29	–
24. मणिपुर	03-09-2002	272.20	272.20	287.20	381.80	336.09	336.09	336.09	–
25. मिजोरम (जिला मुख्यालय एवं उप)	25-07-2005	69.94	69.94	208.33	208.33	71.35	71.35	71.35	–

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	अन्य क्षेत्र									
26.	नागालैण्ड	01-04-2006	150.00	150.00	280.00	296.33	314.68	314.97	–	–
27.	सिक्किम	01-04-2006	247.50	326.25	414.00 यू 300.00 आर	288.18	312.30	312.30	–	–
28.	त्रिपुरा	01-07-2006	87.46	134.92	300.00	336.67	–	–	–	–
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	01-07-2003	90.00	90.00	316.67	327.33	–	–	–	–
30.	चण्डीगढ़	01-08-2005	165.00	165.00	350.33	387.00	360.70	360.70	350.21	–
31.	दादरा व नगर हवेली	01-10-2006	55.00	55.00	230.00	253.40	299.97	301.00	–	–
32.	दमन व दीव	01-10-2006	55.00	55.00	250.00	282.34	279.97	281.00	–	–
33.	दिल्ली वी.वाई.पी.एल./ वी.आर.पी.एल./एन.डी.	01-10-2006	162.20	162.20	560.00	560.00	560.30	560.30	547.32	517.26 से 11 कि.वा. में
34.	दिल्ली एन.डी.एम.सी.	01-04-2006	–	–	431.00	431.00	–	–	–	576.00
35.	लक्षद्वीप	01-09-2004	–	–	330.00	330.00	–	–	–	–
36.	पांडिचेरी	16-04-2002	20.67	19.83	247.52	257.50	320.15	332.72	–	–
37.	टोरेंट पावर लि. (अहमदाबाद)	01-04-2007	311.64	311.64	396.73	446.40	411.62	411.62	–	–
38.	कोलकाता (सी.ई.एस.सी.)	01-04-2007	–	–	393.17	485.04	442.18	442.18	411.55	373.38

39. डी.वी.सी. (ए) बिहार क्षेत्र	01-09-2000	–	–	–	–	373.79	373.79	359.95	460.96 से 33 कि.वा. में
(बी) पश्चिम बंगाल क्षेत्र		–	–	–	–	398.45	398.45	383.45	442.07 से 132 कि.वा. में
40. दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	01-04-2007	479.39 ^	479.39 ^	267.71	297.12	308.31	308.31	306.01	379.41 से 25 कि.वा. में
							-		374.41 से 132 कि.वा. में
41. मुंबई (वेस्ट)	01-04-2007	–	–	749.18	871.52	631.72	631.72	–	–
मुंबई (रिलायंस एनर्जी)	24-04-2007	115.41	115.41	614.50	778.21	675.79	675.79	–	–
मुंबई (टाटा)	01-05-2007	–	–	581.58	785.55	625.42	625.42	–	470.57 33/ 22/11/6.6 कि.वा. में

बी: बी.एम.आर./पी.एम.आर. क्षेत्र, सी: निरंतर आपूर्ति क्षेत्र, डी: बंगलौर मैट्रो क्षेत्र, ई: अन्य स्थानीय निकायों के अंतर्गत क्षेत्र, एफ: ग्राम पंचायतों के अंतर्गत क्षेत्र, जी: सामान्य एच: शहरी फीडर, आई: श्रेणी-1 जोन क्षेत्र, जे: जोन क्षेत्र

^ टी.ओ.डी. टैरिफ दुर्गापुर परियोजना लि. के लिए 17 घंटे से 23 घंटे तक के लिए।

*केरल में केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वर्तमान टैरिफ (1-10-2002 से प्रभावी) को जारी रखने का अनुमोदन दिया है तथा अन्य प्रभारों को केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अधिसूचित टैरिफ के पैरामीटरों में उपभोक्ताओं की श्रेणी के संदर्भ में अंतर रहता है। उपरोक्त तुलना एक माह में माने गए निश्चित कोड और विद्युत खपत के स्तर के लिए है। यह विवरण एफ.एस. एंड ए. डिविजन, सी.ई.ए. को 1-6-2008 तक दी गई रिपोर्ट के विद्युत टैरिफ के आधार पर तैयार की गई है।

डी.डी.ए. आवास योजना, 2008

*9. **श्री मोहन सिंह:***

श्री नवीन जिन्दल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) आवास योजना, 2008 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया था और हाल ही में आयोजित ड्रा के अनुसार उनमें से कितने व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या डी.डी.ए. द्वारा फार्मों की जांच और आवंटन प्रक्रिया के समय अपनाई गई कार्य पद्धति में कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) डी.डी.ए. द्वारा ड्रॉ में शामिल करने के लिए प्राप्त और पात्र पाये गये आवेदनों की कुल संख्या क्रमशः 5,68,719 और 5,66,906 थी, जिसका श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

श्रेणी	ड्रा के लिए शामिल आवेदनों की संख्या	सफल आवेदकों की संख्या
1	2	3
सामान्य	5,09,337	3,761
अनुसूचित जाति	37,741	918
अनुसूचित जनजाति	9,147	393
युद्ध विधवा	165	50
शारीरिक रूप से विकलांग	5,163	57
भूतपूर्व सैनिक	5,353	59
कुल	5,66,906	5,328

(ख) और (ग) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि दिनांक 2-12-08 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें डी.डी.ए. आवास स्कीम 2008 के तहत आबंटन के लिए कथित रूप से मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विभिन्न व्यक्तियों की ओर से एक गैंग द्वारा आवेदन पत्र भरे गए। इसके अतिरिक्त, उक्त गैंग कथित रूप से उपर्युक्त व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड जारी करवाने और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से ऋण राशि स्वीकृत कराने में सफल हुआ। प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में इस प्रकार की रिपोर्ट आई जिसमें कथित रूप से विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में फ्लैटों के आबंटन में विसंगतियां और अनियमितताएं थीं। इस संबंध में लगाए गए कुछ आरोपों में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के ऐसे आवेदकों को आबंटन करना जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं किया। बिना किसी मान्य पते के आवेदनों को शामिल करना, एक ही व्यक्ति को तीन फ्लैट आबंटित करना आदि शामिल है। विवरणिका/आवेदन फार्म में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि फार्म की स्वीकृति के समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। इसलिए जो पात्र नहीं है वे अपने जोखिम पर अपना नाम पंजीकृत कराएंगे और यदि बाद में किसी स्तर पर यह पता चलता है कि वे स्कीम के तहत पात्र नहीं हैं तो वे फ्लैट आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे। विवरणिका में यह भी उल्लेख है कि मिथ्या कथन अथवा तथ्यों को छुपाने के कारण आवेदन अस्वीकार/आबंटन निरस्त, पंजीकरण/धरोहर राशि जब्त कर दी जाएगी। पात्रता की शर्तों में आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवेदक का स्थायी लेखा संख्या (पेन) होना तथा बैंक में खाता होना भी शामिल था। समाचारपत्रों और डी.डी.ए. की वेबसाइट में प्रकाशित ड्रा के परिणामों में यह भी दिखाया गया है कि पात्रता मानदंडों के अनुसार समुचित जांच किए जाने के बाद ही मांग-सह-आबंटन पत्र जारी किए जाएंगे। चार स्वतंत्र जजों, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से एक प्रोफेसर तथा एक जर्नलिस्ट शामिल था, की मौजूदगी में दिनांक 16-12-2008 को ड्रा हुआ था।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबंटन की समग्र प्रक्रिया तथा कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय आंतरिक समिति गठित की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आरोपों की जांच पड़ताल कर रही है। जांच के भाग के रूप में, आर्थिक अपराध शाखा ने संदेहास्पद कागजातों के सरकारी जांचकर्ता (जी.ई.क्यू.डी.), हैदराबाद को ड्रा में शामिल हार्डवेयर साफ्टवेयर भेजा है।

(ङ) मांग-सह-आबंटन पत्र नहीं भेजे गए हैं। डी.डी.ए. द्वारा गठित उच्च स्तरीय आंतरिक समिति तथा आर्थिक अपराध शाखा से संदेहास्पद कागजातों के सरकारी जांचकर्ता (जी.ई.क्यू.डी.) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मांग-सह-आबंटन पत्र जारी करने पर समुचित निर्णय केवल रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लिया जाएगा।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा उत्पादन

***10. डा. के. धनराजू:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इस संबंध में कितनी उपलब्धि रही;

(ख) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में पवन ऊर्जा के दोहन हेतु स्थानों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए पवन विद्युत क्षमता संयोजन के संबंध में लक्ष्य और समग्र उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

योजना	लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
10वीं योजना	1500	5456
11वीं योजना	10500	2560 (वर्ष 2007-08 के दौरान और 2008-2009 दिसम्बर, 2008 तक)

पवन ऊर्जा प्रौद्योगिक केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा राष्ट्रीय पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु अस्सी के दशक के मध्य से विभिन्न राज्यों में पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। 50 मीटर की ऊंचाई पर 200 वाट/वर्गमीटर या उससे अधिक वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व वाले 216 संभावित स्थलों की 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहचान की गई है जिन्हें पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त समझा जाता है। 11वीं योजना के दौरान 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 58 स्थलों पर पवन संसाधन मूल्यांकन का कार्य जारी रखा गया है। 11वीं योजना अवधि के दौरान पांच अन्य स्थलों, नामत: महाराष्ट्र में वास्पेट, मुड (सांगली), रोहिना (लातूर), कर्नाटक में नारगुंड (गडग) और केरल में पुष्पागिरी (इडुकी) की पहचान की गई है जो पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त हैं।

विद्युत पारेषण में समस्याएं

***11. श्री सनत कुमार मंडल: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई सरकारी एजेंसी विद्युत पारेषण और उससे संबंधित समस्याओं पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उपलब्ध ट्रांसफार्मर परीक्षण सुविधा अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी

हां, विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों तथा राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है। इन केंद्रों को ग्रिड में विद्युत पारेषण को मानीटर करने तथा सुरक्षित और मितव्ययी प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह प्रचालन सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ग्रिड मानकों तथा उपयुक्त आयोग द्वारा बनाए जाने वाले ग्रिड कोड के अनुसार किया जाना है।

देश में पावर ग्रिड के प्रचालन में जो मुख्य समस्याएं सामने आ रही हैं, वे हैं - मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर, कम आवृत्ति के प्रचालन में कई संस्थाओं द्वारा अधिक निकासी उत्पादकों और लोड के अनुपयुक्त प्रबंधन के कारण एक्टिव तथा रिएक्टिव मांग में आवृत्ति और वोल्टेज में भारी उतार-चढ़ाव, राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों में अपर्याप्त प्रशिक्षित श्रम शक्ति का होना, पारेषण संस्थाओं द्वारा राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों (एस.एल.डी.सी.एस.) के प्रचालन की रिंग फेंसिंग न किया जाना तथा एस.एल.डी.सी.एस. द्वारा सीधी पहुंच सुविधा में पारदर्शिता की कमी आदि हैं।

(ग) से (ङ) शार्ट सर्किट परीक्षण को छोड़कर 400 के.वी. वर्ग के ट्रांसफार्मरों के परीक्षण की सभी सुविधाएं देश में उपलब्ध हैं। ट्रांसफार्मरों के शार्ट सर्किट परीक्षण की सुविधा केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी.पी.आर.आई.) में उपलब्ध है लेकिन यह सुविधा 90 एम.वी.ए. तथा 245 के.वी. वोल्टेज वर्ग के ट्रांसफार्मरों तक के लिए सीमित है। विद्युत अनुसंधान तथा विकास एसोसिएशन (ई.आर.डी.ए.) जो कि रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड यूटीलिटीज का एक स्वायत्तशासी निकाय है, इस संस्थान में भी 4 एम.बी.ए. और 33 के.वी. वोल्टेज वर्ग के ट्रांसफार्मरों के शार्ट सर्किट परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा चार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (पी.ए.यू.), नामतः नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) तथा दामोदर वैली कारपोरेश्न (डी.वी.सी.) का स्पेशल परपज वेहकिल (एस.पी.वी.) बनाने की पहल की गई है। इसके द्वारा पी.जी.सी.आई.एल. के 400 के.वी. सब स्टेशनों में से किसी एक पर आनलाइन शार्ट सर्किट परीक्षण की सुविधा को स्थापित किया जाएगा। इस आशय के लिए समझौता ज्ञापन पर 1-12-2008 को हस्ताक्षर किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा इस परियोजना के लागत की इक्विटी के लिए योगदान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत गांवों को शामिल करना

*12. **श्री महावीर भगोरा:**

श्री विजय कृष्ण:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार 250 या उससे अधिक की आबादी वाले कितने गांवों को अब तक सड़क मार्ग से जोड़ा गया है और कितने गांव अभी सड़क मार्ग से जोड़े जाने शेष हैं;

(ख) क्या शेष गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु कोई समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग में लाई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) में 2001 की जनगणना के अनुसार पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड), मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में किए गए निर्धारण के अनुसार) तथा जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों में 250 अथवा इससे अधिक आबादी वाली तथा देश के अन्य भागों में 500 अथवा इससे अधिक आबादी वाली सभी बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। भारत निर्माण पहल के हिस्से के रूप में पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड), मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में किए गए निर्धारण के अनुसार) तथा जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों में 500 अथवा इससे अधिक आबादी वाली तथा देश के अन्य भागों में 1000 अथवा इससे अधिक आबादी वाली सभी

बसावटों को योजना के तहत अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 3,48,494.10 कि.मी. ग्रामीण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए 88,625.02 करोड़ रु. मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिससे सड़कों से न जुड़ी पात्र 1.67 लाख बसावटों में से 89,901 बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़क संपर्क मिलेगा। इनमें से 53,555 बसावटों को पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत पहले ही सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा 36,346 बसावटों को सड़क से जोड़ने का कार्य कार्यान्वयन की अलग-अलग अवस्थाओं में है। अन्य योजनाओं के तहत 19,618 बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पात्र 250 अथवा इससे अधिक आबादी वाली बसावटों को सड़क से जोड़ने से संबंधित स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

ऐसी प्रत्याशा है कि भारत निर्माण के लक्ष्यों को वित्त वर्ष 2009-10 के अंत तक हासिल कर लिया जाएगा तथा पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पात्र शेष बसावटों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यों को 8,729.19 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं तथा उन्होंने दिसम्बर, 2008 तक 9,006.98 करोड़ रु. खर्च किए हैं। कुछ राज्यों ने वर्ष में रिलीज की गई धनराशि से अधिक व्यय किया है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि उनके पास पिछले वर्ष का अथशेष उपलब्ध था। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। योजना के अंतर्गत राज्यों ने 1,89,500.84 कि.मी. सड़क बनाने के लिए 40,652.21 करोड़ रु. खर्च किए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

क्र.सं.	राज्य	बसावटों की संपर्कता की स्थिति				
		पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़क संपर्क प्रदान की गई बसावटें	अन्य योजनाओं के तहत सड़क संपर्क प्रदान की गई बसावटें	कार्य चल रहा है (पी.एम.जी. एस.वाई.)	सड़क संपर्क प्रदान किए जाने के लिए शेष बसावटें	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	861	–	52	67	980
2.	अरुणाचल प्रदेश	185	–	123	158	466
3.	असम	3,003	1,308	5,677	2,197	12,185
4.	बिहार	1,690	–	5,262	3,082	10,034
5.	छत्तीसगढ़	4,166	–	2,562	3,127	9,855
6.	गोवा	2	–	18	–	20
7.	गुजरात	1,660	371	357	1,273	3,661

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	–	–	–	2	2
9.	हिमाचल प्रदेश	1,539	106	689	1,527	3,861
10.	जम्मू-कश्मीर	166	68	1,124	1,434	2,792
11.	झारखण्ड	1,171	2,236	2,776	3,823	10,006
12.	कर्नाटक	315	370	7	–	692
13.	केरल	292	–	162	–	454
14.	मध्य प्रदेश	6,945	–	3,847	8,823	19,615
15.	महाराष्ट्र	1,008	364	69	484	1,925
16.	मणिपुर	79	–	202	373	654
17.	मेघालय	152	–	3	607	756
18.	मिजोरम	74	–	43	134	251
19.	नागालैण्ड	40	–	51	25	116
20.	उड़ीसा	3,625	97	3,411	11,206	18,339
21.	पंजाब	406	–	12	118	536
22.	राजस्थान	9,878	385	972	–	11,235
23.	सिक्किम	93	–	203	22	318
24.	तमिलनाडु	1,923	186	1	292	2,402
25.	त्रिपुरा	385	–	1,205	362	1,952
26.	उत्तर प्रदेश	8,981	14,050	2,902	2,909	28,842
27.	उत्तराखण्ड	248	77	454	1,752	2,531
28.	पश्चिम बंगाल	4,668	–	4,168	14,096	22,932
	कुल	53,555	19,618	36,346	57,893	167,412

विवरण-II

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष 2008-09 (दिसम्बर, 08 तक) के दौरान रिलीज की गई तथा उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2008-09 के दौरान रिलीज की गई निधियां*	वर्ष 2008-09 के दौरान उपयोग की गई निधियां (दिसम्बर, 08 तक)**
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	350.60	270.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.49	81.85
3.	असम	692.45	472.76
4.	बिहार	653.96	555.17
5.	छत्तीसगढ़	337.12	604.56
6.	गोवा	0.00	0.00
7.	गुजरात	170.81	154.79
8.	हरियाणा	182.02	211.18
9.	हिमाचल प्रदेश	123.58	153.29
10.	जम्मू-कश्मीर	91.74	93.27
11.	झारखण्ड	79.4	130.57
12.	कर्नाटक	272.46	285.75
13.	केरल	34.02	41.16
14.	मध्य प्रदेश	1,187.58	1,356.16
15.	महाराष्ट्र	500	519.29
16.	मणिपुर	0.00	13.28
17.	मेघालय	15.9	10.75
18.	मिजोरम	40	38.74
19.	नागालैण्ड	85.71	75.04

1	2	3	4
20.	उड़ीसा	731.63	713.78
21.	पंजाब	143.42	147.86
22.	राजस्थान	1204.54	1,173.86
23.	सिक्किम	0.00	76.09
24.	तमिलनाडु	48.68	69.38
25.	त्रिपुरा	303.98	175.20
26.	उत्तर प्रदेश	920.16	1,141.59
27.	उत्तराखण्ड	86.66	82.69
28.	पश्चिम बंगाल	396.33	358.21
	कुल	**8,724.24**	**9,006.98**
29.	दादरा और नगर हवेली	4.95	असूचित
	कुल योग	8,729.19	9,006.98

* रिलीज की गई राशि में उपकर, एशियाई विकास बैंक/विश्व बैंक से सहायता तथा नाबार्ड से लिया गया ऋण शामिल है।

** पिछले वर्ष से अग्रेनित अथशेष के कारण कुछ राज्यों के मामले में व्यय रिलीज से अधिक है।

विवरण-III

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु., लंबाई कि.मी.)

#	राज्य	पारित किए गए प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि (27-01-2009 तक)	सड़क कार्यों की सं.	सड़क कार्यों की लम्बाई	पूरे किए गए सड़क कार्यों की सं. (दिस. 08 तक)	पूरी की गई सड़कों की लम्बाई (दिस. 08 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों का प्रतिशत (दिस. 08 तक)	पूरी की गई सड़कों की लम्बाई का प्रतिशत (दिस. 08 तक)	व्यय (दिसंबर, 08 तक)	रिलीज की गई राशि का प्रतिशत व्यय (दिस. 08 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,336.19	1,833.72	5,765	18,778.91	4,629	13,443.09	80.29	71.59	1,780.17	97.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,211.71	440.20	623	3,147.86	399	1,745.63	64.04	55.45	404.95	91.99
3.	असम	6,176.51	2,385.00	3,198	12,245.79	1,158	5,201.86	36.21	42.48	2,125.80	89.13
4.	बिहार (आर.डब्ल्यू.डी.)	4,050.15	685.63	2,964	10,218.60	764	1,755.17	25.78	17.18	383.45	55.93
5.	बिहार (एन.ई.ए.)	6,775.25	1,916.30	2,806	16,014.89	399	3,338.98	14.22	20.85	1,672.65	87.29
6.	छत्तीसगढ़	6,465.18	3,368.79	5,320	25,508.58	2,544	12,173.13	47.82	47.72	3,219.21	95.56
7.	गोवा	9.72	10.00	90	178.16	72	158.70	80.00	89.08	5.32	53.20
8.	गुजरात	1,292.42	717.44	2,849	7,469.71	1,962	4,535.38	68.87	60.72	691.69	96.41
9.	हरियाणा	1,248.66	804.73	351	3,978.01	218	2,901.53	62.11	72.94	727.20	90.37
10.	हिमाचल प्रदेश	2,127.27	1,064.80	1,887	11,381.15	1,022	6,619.22	54.16	58.16	1,075.68	101.02
11.	जम्मू-कश्मीर	2,215.77	408.21	885	4,772.13	154	417.63	17.40	8.75	293.31	71.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	झारखण्ड	2,105.64	742.85	1,651	8,164.46	562	2,927.51	34.04	35.86	656.45	88.37
13.	कर्नाटक	2,362.42	1,290.09	2,775	13,350.49	2,016	7,699.24	72.65	57.67	1,167.22	90.48
14.	केरल	488.27	193.95	753	1,555.49	305	551.19	40.50	35.43	203.00	104.67
15.	मध्य प्रदेश	12,402.31	5,781.80	11,629	52,370.10	4,825	22,410.83	41.49	42.79	5,634.73	97.46
16.	महाराष्ट्र	3,514.19	1,913.59	4,198	16,581.61	3,125	9,259.66	74.44	55.84	1,861.31	97.27
17.	मणिपुर	636.70	200.50	980	2,424.21	563	1,164.33	57.45	48.03	185.19	92.36
18.	मेघालय	185.34	158.87	373	917.02	322	778.53	86.33	84.90	136.49	85.91
19.	मिजोरम	526.90	336.89	152	2,051.72	92	1,465.81	60.53	71.44	297.74	88.38
20.	नागालैण्ड	374.73	259.78	248	2,668.87	191	2,056.79	77.02	77.07	229.46	88.33
21.	उड़ीसा	6,614.43	3,388.81	5,722	20,655.23	2,832	9,830.70	49.49	47.59	3,027.50	89.34
22.	पंजाब	1,131.37	860.57	690	3,571.84	580	2,794.02	84.06	78.22	749.96	87.15
23.	राजस्थान	7,447.40	5.971.45	11,148	44,648.81	9,965	37,260.97	89.39	83.45	5,652.24	94.65
24.	सिक्किम	645.89	343.56	326	2,618.44	111	2,067.39	34.05	78.96	291.04	84.71
25.	तमिलनाडु	1,176.71	631.58	3,378	7.022.90	2,515	4,785.72	74.45	68.14	609.69	96.53
26.	त्रिपुरा	1,344.51	590.87	881	2,710.67	315	763.16	35.75	28.15	437.23	74.00
27.	उत्तर प्रदेश	8,422.74	5,048.91	15,894	39,144.61	11,784	22,852.39	74.14	58.38	4,595.29	91.02
28.	उत्तराखण्ड	798.46	421.75	4881	3,503.78	228	1,818.80	46.72	51.91	395.35	93.74
29.	पश्चिम बंगाल	3,456.60	2,495.28	1,718	10,685.94	1,161	6,654.95	67.58	62.28	2,128.39	85.30
	कुल (राज्य)	**88,543.43**	**44,265.89**	**89,742**	**3,48,339.97**	**54,813**	**1,89,432.31**	**61.08**	**54.38**	**40,637.71**	**91.80**

संघ राज्य क्षेत्र

30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	32.39	10.59	18	–	–	–	–	–	0.26	2.46
31.	दादरा और नगर हवेली	17.73	13.84	75	66.21	–				–	–
32.	दमन व दीव	10.00	10.00	–	–	–				4.94	49.40
33.	दिल्ली	5.00	5.00	1	–	–				–	–
34.	लक्षद्वीप	4.89	4.89	–	–	–				–	–
35.	पांडिचेरी	11.58	10.00	78	87.92	77	68.53	98.72	77.95	9.30	93.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**81.59**	**54.32**	**172**	**154.13**	**77**	**68.53**	**44.77**	**44.46**	**14.50**	**26.69**
	कुल योग	88,625.02	44,320.21	89,914	3,48,494.10	54,890	1,89,500.84	61.05	54.38	40,652.21	91.72

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

*13. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू लघु जल विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित वर्तमान नीति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्यवार कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं पूरी की गईं; और

(ङ) इस नीति के प्रभाव के बारे में सरकार का अब तक का आकलन क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) दिनांक 31-10-2009 की स्थिति के अनुसार देश में 2344 मेगावाट की समग्र क्षमता की 651 लघु जल विद्युत (एस.एच.पी.) परियोजनाएं (25 मेगावाट संयंत्र क्षमता तक की) स्थापित की जा चुकी हैं और समग्र रूप से 573 मेगावाट की 210 एस.एच.पी. परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) लघु जल विद्युत और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की नीति बिजली अधिनियम 2003, राष्ट्रीय बिजली नीति 2005 और शुल्कदर नीति 2006 द्वारा शासित होती हैं। इसके अतिरिक्त, एस.एच.पी. परियोजनाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु 23 राज्य सरकारों ने नीति घोषित कर दी है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) द्वारा संबंधित राज्यों में शुल्क दर पर निर्णय लिए जा रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों (2005-06, 2006-07 और 2007-08) के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी सहित लघु जल विद्युत के विकास के लिए 149.42 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) निजी क्षेत्र द्वारा संस्थापित 842.98 मेगावाट की 167 एस.एच.पी. परियोजनाओं में से समग्रत: 607.63 मेगावाट की 97 परियोजनाएं, 10वीं और 11वीं योजना अवधि (31-01-2009 तक) के दौरान संस्थापित की गई हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा घोषित नीतियां लघु जल विद्युत विकास के लिए कुल मिलाकर अनुकूल हैं और निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है। तथापि, स्थलों के आवंटन की प्रक्रियाओं और पर्यावरण सहित अन्य वैधानिक अनापत्तियों में राज्य सरकारों में कुछ समय लगता है। मंत्रालय द्वारा स्थलों के आवंटन की प्रक्रिया को तेज करने और वैधानिक अनापत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाया जाता रहा है।

विवरण-I

संस्थापित और कार्यान्वयनाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) की राज्यवार संख्या और समग्र क्षमता

क्र. सं.	राज्य	संस्थापित परियोजनाएं		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	
		सं.	क्षमता (मेगावाट)	सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	59	180.83	12	21.50

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	76	52.420	48	34.64
3.	असम	4	27.110	4	15.00
4.	बिहार	7	50.400	9	7.60
5.	छत्तीसगढ़	5	18.050	1	1.00
6.	गोवा	1	0.050	–	–
7.	गुजरात	2	7.000	2	5.60
8.	हरियाणा	5	62.700	1	6.00
9.	हिमाचल प्रदेश	76	217.915	9	26.75
10.	जम्मू-कश्मीर	32	111.830	5	5.91
11.	झारखण्ड	6	4.050	8	34.85
12.	कर्नाटक	81	558.20	17	103.00
13.	केरल	17	123.12	4	14.55
14.	मध्य प्रदेश	10	71.160	4	19.90
15.	महाराष्ट्र	29	211.325	5	31.30
16.	मणिपुर	8	5.450	3	2.75
17.	मेघालय	4	31.030	3	1.70
18.	मिजोरम	16	17.470	3	15.50
19.	नागालैण्ड	10	28.670	4	4.20
20.	उड़ीसा	7	32.300	7	35.93
21.	पंजाब	29	123.900	2	18.75
22.	राजस्थान	10	23.850	–	–
23.	सिक्किम	15	41.110	3	11.20
24.	तमिलनाडु	15	90.05	4	13.00
25.	त्रिपुरा	3	16.010	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	9	25.100	–	–
27.	उत्तराखंड	91	109.92	36	63.15

1	2	3	4	5	6
28.	पश्चिम बंगाल	23	98.400	16	79.25
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	5.250	–	–
	कुल	651	2344.67	210	573.03

विवरण-II

लघु जल विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान जारी की गई राज्यवार निधियां

क्र. सं.	राज्य	व्यय (लाख रु.)			
		2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	351.42	5.10	62.00	418.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	359.60	855.05	845.54	2060.19
3.	असम	0.00	2.64		2.64
4.	बिहार	40.63	653.20	399.99	1093.82
5.	छत्तीसगढ़	60.00	–	90.00	150
6.	गोवा	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	88.85	664.33	437.37	1190.55
10.	जम्मू-कश्मीर	1007.54	0.00	3.00	1010.54
11.	झारखण्ड	5.20	0.00	–	5.2
12.	कर्नाटक	2.00	1020.09	447.50	1469.59
13.	केरल	42.50	69.45	–	111.95
14.	मध्य प्रदेश	33.69	0.00	–	33.69
15.	महाराष्ट्र	104.75	160.50	63.50	328.75

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	0.00	2.00	0.75	2.75
17.	मेघालय	108.21	0.00	48.00	156.21
18.	मिजोरम	1254.14	868.66	627.75	2750.55
19.	नागालैण्ड	85.43	19.60	170.00	275.03
20.	उड़ीसा	–	–	–	–
21.	पंजाब	147.62	218.99	333.80	700.41
22.	राजस्थान	–	–	–	–
23.	सिक्किम	270.00	524.00	1388.40	2182.4
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	4.80		4.8
27.	उत्तरांचल	654.97	118.75	72.62	846.34
28.	पश्चिम बंगाल	91.82	52.04	4.83	148.69
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
30.	अन्य	–	–	–	–
	कुल	4708.37	5239.20	4995.05	14942.62

विवरण-III

निजी क्षेत्र द्वारा संस्थापित लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) की राज्यवार संख्या और समग्र क्षमता

क्र. सं.	राज्य	कुल संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)	10वीं और 11वीं योजना के दौरान संस्थापित परियोजनाएं (31-01-2009 तक)	
				संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	41	96.93	6	22.38

1	2	3	4	5	6
2.	असम	1	0.10	–	–
3.	हिमाचल प्रदेश	31	125.45	28	122.85
4.	कर्नाटक	64	515.55	38	393.80
5.	केरल	2	33.00	1	12.00
6.	मध्य प्रदेश	1	2.20	1	2.20
7.	महाराष्ट्र	4	21.00	2	6.00
8.	पंजाब	10	16.65	10	16.65
9.	तमिलनाडु	1	0.35	1	0.35
10.	उत्तराखंड	7	25.30	7	25.30
11.	पश्चिम बंगाल	5	6.45	3	6.10
	कुल	167	842.98	97	607.63

इंदिरा आवास योजना

*14. **श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2008-09 के दौरान, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत निधियों का आवंटन दो चरणों में किया गया था। वर्ष के प्रारंभ में प्रथम चरण में 5645.77 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे। जनवरी, 2009 माह में दूसरे चरण में आई.ए.वाई. के लिए 3050 करोड़ रु. मुहैया कराए गए थे जिनमें से अब तक राज्यों को 2862.15 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। 8507.92 करोड़ रु. की कुल निधियों के राज्यवार आवंटन और वर्ष 2008-09 के दौरान उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष के प्रारंभ में प्रथम चरण में किए गए 5645.77 करोड़ रु. के आवंटन से 21.27 लाख मकानों के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य सरकारों से जनवरी, 2009 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस लक्ष्य में से 11.03 लाख मकानों का निर्माण हो चुका है तथा 16.47 लाख मकान निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अलावा, हाल ही में दूसरे चरण में आवंटित की गई 2862.15 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि 21.3 लाख मकानों का निर्माण कार्य शुरू करने की दृष्टि से पहली किस्त के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए पर्याप्त है। इन मकानों के लिए दूसरी किस्त अगले वर्ष के आवंटन से रिलीज की जाएगी।

(ग) सरकार समय पर निधियों को रिलीज करके तथा

मासिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों और क्षेत्र दौरों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करते हुए योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का भरसक प्रयास कर रही है।

विवरण

2008-09 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन और उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आवंटन	निधियों का उपयोग*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	78836.71	46530.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	2814.02	1197.80
3.	असम	61843.55	28333.38
4.	बिहार	226891.19	160373.99
5.	छत्तीसगढ़	15687.13	6079.59
6.	गोवा	444.56	245.69
7.	गुजरात	35398.42	19614.33
8.	हरियाणा	4969.56	2359.33
9.	हिमाचल प्रदेश	1783.79	1135.13
10.	जम्मू-कश्मीर	6985.32	1751.02
11.	झारखण्ड	28495.83	11791.24
12.	कर्नाटक	27807.81	13201.15
13.	केरल	15463.92	7053.44
14.	मध्य प्रदेश	22926.50	11765.32
15.	महाराष्ट्र	45178.03	24861.96
16.	मणिपुर	2879.35	111.24
17.	मेघालय	4226.04	538.60
18.	मिजोरम	900.61	435.30

1	2	3	4
19.	नागालैण्ड	2796.52	2892.87
20.	उड़ीसा	45562.92	7954.91
21.	पंजाब	6145.95	2499.96
22.	राजस्थान	17787.41	9258.16
23.	सिक्किम	534.84	459.17
24.	तमिलनाडु	28897.78	23069.42
25.	त्रिपुरा	5445.08	3892.60
26.	उत्तर प्रदेश	96381.42	61160.04
27.	उत्तराखण्ड	4797.21	2580.72
28.	पश्चिम बंगाल	57738.89	28035.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	639.67	26.37
30.	दादरा और नगर हवेली	106.58	16.65
31.	दमन व दीव	47.68	0.00
32.	लक्षद्वीप	59.15	0.00
33.	पांडिचेरी	318.60	12.10
	कुल	850792.04	479237.15

*राज्यों द्वारा जनवरी, 2009 तक दी गई जानकारी के अनुसार।

देश में विदेशी विधि फर्मों का प्रवेश

*15. **श्री मधु गौड यास्खी:**

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के कानूनी पेशे में विदेशी फर्मों के प्रवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) विदेशी विधि पर विधिक सलाह और सहायता देने के लिए विदेशी विधि फर्मों को उनके कार्यालय स्थापित करने के मुद्दे को भारतीय विधिक परिषद सहित सभी पणधारियों के साथ चर्चा की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) विदेशी विधि फर्मों के प्रवेश के बारे में

रिट याचिका संख्या 1526/1995 में सामुहिक अधिवक्ता बनाम बार काउंसिल आफ इंडिया और अन्य का माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा भी लंबित है। मामला सुनवाई किए जाने के अधीन है। सरकार सभी पणधारकों के दृष्टिकोण और विधिक वृति के सर्वोत्तम हित में मुकदमों के निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करेगी।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

*16. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित की जाने वाली प्रत्येक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजनाओं में अब तक कोई प्रगति न होने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें पूरा करने के लिए कोई नई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विद्युत मंत्रालय प्रत्येक 4000 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) का विकास करने हेतु कदम उठाए गए हैं। ये परियोजनाएं स्वयं बनाओ, अपनाओं और चलाओं के आधार पर विकसित की जा रही हैं तथा परियोजना विकासकर्त्ताओं का चयन परियोजना विनिर्दिष्ट शैल कंपनियों, जोकि इस कार्य हेतु चिन्हित नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) की पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में बनाई गई है, के द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इन परियोजनाओं से पूर्ण लाभ 12वीं योजना में आने की परिकल्पना है।

राज्यों के साथ परामर्श से स्थलों को अंतिम रूप देने के पश्चात, मूल रूप से परिकल्पित 9 यू.एम.पी.पी., में 4 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यू.एम.पी.पी.) के बारे में बोली प्रक्रिया शुरू की गई थी और तीन परियोजनाओं में इसे पूरा कर लिया गया है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थल	राज्य	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	सीधी जिले में सासन गांव के निकट	मध्य प्रदेश	बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) को चिन्हित परियोजना विकासकर्त्ता, जो कि रिलायंस पावर लि. है, को 7-8-2007 को अंतरित किया गया। वास्तविक विद्युत क्रय करार (पी.पी.ए.) के अनुसार, प्रत्येक 660 मेगावाट के समी छः यूनिट 12वीं योजना में शुरू किए जाने थे। किन्तु अब निरंतर निगरानी एवं गतिशीलता के साथ उपरोक्त छः यूनिटों के 2 यूनिट संशोधित पी.पी.ए. के अनुसार 11वीं योजना में शुरू किए जाने की संभावना है। अतः इस परियोजना का लाभ 11वीं योजना में ही प्राप्त होना शुरू होगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, मुख्य संयंत्र उपकरण के लिए आदेश परियोजना विकासकर्त्ता द्वारा दिया गया है।
2.	मुंद्रा अल्ट्रा	कच्छ जिले	गुजरात	बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्पेशल पर्पज व्हीकल

1	2	3	4	5
	मेगा पावर प्रोजेक्ट	में तुंडावांडा गांव के निकट		(एस.पी.वी.) को चिन्हित परियोजना विकासकर्त्ता, जो कि रिलायंस पावर लि. है, को 23-04-2007 को अंतरित किया गया। वास्तविक विद्युत क्रय करार (पी.पी.ए.) के अनुसार, प्रत्येक 800 मेगावाट के सभी छः यूनिट 12वीं योजना में शुरू किए जाने थे। किन्तु अब निरंतर निगरानी एवं गतिशीलता के साथ उपरोक्त छः यूनिटों के 2 यूनिट संशोधित पी.पी.ए. के अनुसार 11वीं योजना में शुरू किए जाने की संभावना है। अतः इस परियोजना का लाभ 11वीं योजना में ही प्राप्त होना शुरू होगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, मुख्य संयंत्र उपकरण के लिए आदेश परियोजना विकासकर्त्ता द्वारा दिया गया है।
3.	कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	नैल्लोर जिले में कृष्णापटनम गांव	आंध्र प्रदेश	बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) को चिन्हित परियोजना विकासकर्त्ता, जो कि रिलायंस पावर लि. है, को 29-01-2008 को अंतरित किया गया। आगे का कार्य विकासकर्त्ता द्वारा किया जा रहा है।
4.	तिल्लैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	हजारीबाग जिले में तिलैया बांध के पूर्वोत्तर में बारही के निकट स्थान	झारखंड	इस समय बोली प्रक्रिया प्रगति पर है। आप एफ.पी. बोलियों को दिनांक 29-12-2008 को खोला गया और वित्तीय बोलियों को 28-01-2009 को खोला गया।

इसके अलावा तमिलनाडु यू.एम.पी.पी. के लिए, चैय्यूर में एक स्थल, जो परामनकैनी गांव के निकट कैप्टिव पोर्ट के विकास के स्थल के साथ है, को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप तथा अनुमोदन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में यू.एम.पी.पी. के लिए सरगुजा जिले में उदयपुर के निकट सल्का तथा खमरियां गांवों में एक स्थल चिन्हित किया गया है। और इस संबंध में राज्य सरकार से जल आबंटन के बारे में पत्र प्राप्त हो गया है/उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के संबंध में बोली प्रक्रिया का आरंभ संबंधित राज्य सरकारों से भूमि और जल उपलब्धता के संबंध में अपेक्षित स्वीकृतियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ऋण

*17. **श्री एम. अप्पादुरई:**

श्री ई. दयाकर राव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों ने अपने विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन हेतु विश्व बैंक से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितना ऋण स्वीकृत किया गया है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा इस ऋण का कितना उपयोग किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य ने अपने विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए विश्व बैंक से कोई ऋण नहीं मांगा है। तथापि, विश्व बैंक ने पूर्व में पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित राज्यों को ऋण उपलब्ध कराया था-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण समझौते की तारीख	ऋण राशि (मिलियन यू.एस. डॉलर)	ऋण समाप्ति की तारीख	ऋण का उपयोग (मिलियन अमरीकी डॉलर)
1	2	3	4	5	6
1.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	10-07-1996	350.00	31-12-2004	225.41
2.	हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	16-01-1998	60.00	31-12-2000	52.35
3.	आन्ध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	05-03-1999	210.00	31-08-2003	169.84
4.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	19-05-2000	150.00	31-12-2004	140.30
5.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	27-02-2001	180.00	30-06-2005	166.19

पुनर्गठन ऋणों के अतिरिक्त, विश्व बैंक ने बांडेल थर्मल पावर स्टेशन (यूनिट-5), पश्चिम बंगाल, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन (यूनिट-6), महाराष्ट्र और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (यूनिट-1 और 2), हरियाणा को नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों हेतु 225.4 मिलियन अमरीकी डॉलर की सकल सहायता, उपलब्ध कराने की सहमति दी है।

फास्ट ट्रैक न्यायालय खोलना

*18. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फास्ट ट्रेक न्यायालय (एफ.टी.सी.) स्थापित करने हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने फास्ट ट्रैक न्यायालय खोले गए हैं;

(ग) इन न्यायालयों में प्रदान की जा रही विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फास्ट ट्रैक न्यायालयों को प्रदान की जा रही धनराशि इन न्यायालयों द्वारा किए जा रहे आवर्ती और अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग ने लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए 1734 नए अतिरिक्त न्यायालय सृजित करने हेतु राज्यों को समर्थ बनाने के लिए अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है और 2000-2005 की अवधि के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों के रूप में ज्ञात इन अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में 502.90 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की है। राज्य सरकारों ने इन त्वरित निपटान न्यायालयों को स्थापित किया है और 31-03-2005 तक 1562 त्वरित निपटान न्यायालय (एफ.टी.सी.) राज्यों में कार्यरत रिपोर्ट किए गए थे। सरकार ने इन 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों की बाबत 31-03-2005 से आगे अर्थात् 31-03-2010 तक, 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करते रहने का विनिश्चय किया है, जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं और ऐसी सहायता के लिए 509 करोड़ रुपए का उपबंध किया है। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे किसी न्यायालय को, जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय भी है, उस उच्च न्यायालय के परामर्श से खोलें, जिसकी अधिकारिता के अधीन वह राज्य आता है। केंद्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोई नया त्वरित

निपटान न्यायालय स्थापित करने के लिए सहायता मंजूर नहीं की है।

(ग) से (ङ) ग्यारहवें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की गई स्कीम के अनुसार दी जाने वाली केंद्रीय सहायता न्यायालय कक्ष के संनिर्माण के लिए और कंप्यूटरों तथा पुस्तकालय के लिए और वेतन, लेखन सामग्री, यानों के अनुरक्षण आदि पर आवर्ती खर्च की पूर्ति के लिए भी दी जा रही है। 31-03-2005 से आगे त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्यकरण की विस्तारित अवधि के लिए सरकार ने उससे आगे अधिक अनावर्ती व्यय के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने का विनिश्चय किया है जो पहले ही ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को प्रदान की जा चुकी थी, जिससे राज्य त्वरित निपटान न्यायालयों में अभिलेख कक्षों, लोक अभियोजकों के लिए कक्ष के संनिमार्ग के लिए एफ.टी.सी. में महिलाओं और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सुविधा के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की स्कीम के अंतर्गत आने वाले 808 वर्ग फीट के मुकाबले में उच्चतर यूनिट लागत पर कुल 1600 वर्ग फीट क्षेत्र पर अनुज्ञात संनिर्माण के लिए उपबंध कर सकें। यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे त्वरित निपटान न्यायालयों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करें। संनिर्माण की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए अनावर्ती व्यय के लिए राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की दर 8.60 लाखरु. प्रति न्यायालय है। प्रति न्यायालय 4.80 लाख रु. की रकम प्रति वर्ष आवर्ती व्यय के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। कुछ राज्य सरकारों ने उनको दी गई केंद्रीय सहायता से अधिक व्यय उपगत करने के बारे में रिपोर्ट की है।

विवरण

31-3-2005 को निश्चित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	31-03-2005 को त्वरित निपटान न्यायालयों की निश्चित संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	20
4.	बिहार	150
5.	छत्तीसगढ़	31
6.	गोवा	15
7.	गुजरात	166
8.	हरियाणा	16
9.	हिमाचल प्रदेश	09
10.	झारखण्ड	89
11.	कर्नाटक	93
12.	केरल	31
13.	मध्य प्रदेश	66
14.	महाराष्ट्र	187
15.	मणिपुर	2
16.	मेघालय	3
17.	मिजोरम	3
18.	नागालैण्ड	2
19.	उड़ीसा	41
20.	पंजाब	18
21.	राजस्थान	83
22.	तमिलनाडु	49
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	242
25.	उत्तराखंड	45
26.	पश्चिमी बंगाल	119
	कुल	1562

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत कार्य दिवस

***19. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान राज्यवार कितने परिवारों ने रोजगार की मांग की और कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या रोजगार मांगने वाले परिवारों को 100 दिन का गारंटीशुदा कार्य उपलब्ध कराया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार प्रत्येक परिवार को औसतन कितने कार्य दिवस का रोजगार प्रदान किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2007-08 के दौरान एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या और जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनकी संख्या क्रमश: 34287442 एवं 33889122 थी। इसी प्रकार, वर्ष 2008-09 के दौरान (जनवरी, 2009 तक) रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या तथा जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनकी संख्या क्रमश: 38077719 एवं 36968502 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) एन.आर.ई.जी.ए. मांग आधारित कार्यक्रम है। इस अधिनियम के अंतर्गत, रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में प्रत्येक परिवार के लिए 100 दिन के रोजगार की अधिकतम सीमा के तहत वांछित दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान, 3601926 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया तथा वर्ष 2008-09 के दौरान अब तक 2713053 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 (जनवरी, 2009 तक) के दौरान उपलब्ध कराए गए रोजगार के औसत श्रमदिवसों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण के क्रमश: कॉलम-4 तथा कॉलम-7 में दिया गया है।

अधिकतम ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत उनके अधिकारों के बारे में ग्रामीण परिवारों को विभिन्न गहन आई.ई.सी. कार्यकलापों जिनमें ब्रोचर, पीपल्स प्राइमर, हैंड बुक्स, टी.वी. स्पॉट, रेडियो जिंगल्स, विज्ञापन, फिल्में आदि जैसे प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हैं, के द्वारा जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की गई हैं। जिला स्तरीय दलों और जागरूकता अभियान से जुड़े स्व-सहायता समूहों द्वारा ग्राम शिविर आयोजित किए गए हैं। भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में एन.आर.ई.जी.ए. के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सोसायटी संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार जागरूकता पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी शुरू किए हैं। दिनांक 2-2-2009 को आयोजित एन.आर.ई.जी.ए. सम्मेलन में पांच ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं को उनके जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	2007-08			2008-09 (जनवरी, 09 तक)		
		परिवारों की सं. जिन्होंने रोजगार की मांग की (सं.)	परिवारों की सं. जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया (सं.)	प्रति परिवार औसत श्रम दिवस (दिनों में)	परिवारों की सं. जिन्होंने रोजगार की मांग की (सं.)	परिवारों की सं. जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया (सं.)	प्रति परिवार औसत श्रम दिवस (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4803892	4803892	-42	5440602	5440602	35
2.	अरुणाचल प्रदेश	36437	4490	62	12761	12761	31
3.	असम	1448243	1402888	35	1716764	1501099	34
4.	बिहार	3956055	3859630	22	2696713	2696713	27
5.	छत्तीसगढ़	2297042	2284963	58	1765895	1747133	54
6.	गुजरात	290691	290691	31	563897	563674	22
7.	हरियाणा	70869	70869	50	95153	92982	37
8.	हिमाचल प्रदेश	275463	271099	36	439512	380349	35
9.	जम्मू-कश्मीर	116914	116800	32	72753	68083	33
10.	झारखण्ड	1679978	1679868	44	1298543	1296353	44
11.	कर्नाटक	554002	549994	36	605305	599096	28
12.	केरल	259275	185392	33	446127	438323	18

13.	मध्य प्रदेश	4347079	4346916	63	4466741	4443482	47
14.	महाराष्ट्र	474695	474695	39	723589	544981	52
15.	मणिपुर	112549	112549	43	342409	338811	42
16.	मेघालय	106989	106042	39	185936	162146	33
17.	मिजोरम	88943	88940	35	170616	170616	50
18.	नागालैण्ड	115331	115331	21	288243	288243	27
19.	उड़ीसा	1134751	1096711	37	963377	815588	33
20.	पंजाब	49690	49690	39	103244	70489	41
21.	राजस्थान	2173122	2170460	77	5987524	5867116	63
22.	सिक्किम	21773	19664	44	30094	25886	39
23.	तमिलनाडु	1234818	1234818	52	2826217	2815395	33
24.	त्रिपुरा	425299	423724	43	533484	532716	42
25.	उत्तर प्रदेश	4104283	4096408	33	3775182	3547180	45
26.	उत्तरांचल	189263	189263	42	159570	156862	35
27.	पश्चिम बंगाल	3919996	3843335	25	2352282	2337109	20
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				1755	1283	4
29.	दादरा और नगर हवेली				1167	1167	11
30.	दमन व दीव				एन.आर.	एन.आर.	

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	लक्षद्वीप				एन.आर.	एन.आर.	
33.	पांडिचेरी				12264	12264	13
34.	चंडीगढ़				एन.आर.	एन.आर.	
	कुल	34287442	33889122	42	38077719	36968502	41

* एन.आर. - प्राप्त नहीं।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि

***20. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें अतिरिक्त निधियों की मांग की गई है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों के लिए प्राप्त राज्य-वार प्रस्ताव और अतिरिक्त निधियों के लिए उनकी पात्रता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) विशिष्ट जिलों के लिए राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियों पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विचार किया जाता है।

(i) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित राज्य को केन्द्रीय आबंटन में बचत,

(ii) संबंधित जिलों ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) के पास उपलब्ध निधियों में से 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का उपयोग कर लिया हो, और

(iii) संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी किस्त प्राप्त कर ली हो।

सरकार ने इस समय अतिरिक्त निधियों के लिए इन प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि बचत की स्थिति की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अतिरिक्त राशि के लिए प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य	डी.आर.डी.ए. का नाम	कुल उपलब्ध निधि (दूसरी किस्त सहित)	व्यय	व्यय का %	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	नागालैंड	पारेन	42.28	38.30	90.59	अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र
2.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	472.25	189.24	40.07	अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र नहीं
		दक्षिणी त्रिपुरा	781.56	309.04	39.54	अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र नहीं
		पश्चिमी त्रिपुरा	1086.81	428.86	39.46	अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र नहीं
3.	केरल	इदुक्की	99.14	79.07	79.76	अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र
		मालापुरम	556.14	418.93	75.33	अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र
4.	मध्य प्रदेश	इंदौर	131.41	116.09	88.34	अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र
		उमरिया	167.71	135.06	80.53	अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र

[हिन्दी]

गुजरात को वित्तीय सहायता

1. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**

श्री वी.के. दुम्मर:

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अपनी नगरपालिकाओं को और सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता तथा बाह्य सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) घटक के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार से दिसंबर 2005 से (जे.एन.एन.यू.आर.एम. की शुरुआत से) अभी तक विभिन्न अनुमत्य घटकों के तहत वित्तपोषण के लिए 109 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्राप्त हुई थी। इसमें से 63 परियोजनाएं केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति द्वारा 4747.00 करोड़ रु. की स्वीकृत परियोजना लागत और 2026.11 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की वचनबद्धता के साथ मंजूर की गई है। अब तक विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 690.46 करोड़ रु. जारी किए गए हैं तथा ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

छोटे और मझोले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत 48 नगरों के लिए 48 परियोजनाएं 396.95 करोड़ रुपए की लागत पर मंजूर की गई और राज्य को अब तक 176.12 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई है तथा ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विश्व बैंक की सहायता से गुजरात शहरी विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए गुजरात सरकार चार पैकेजों के तहत 10 नगरों अर्थात् भावनगर और सुरेन्द्रनगर, जामनगर और गांधीनगर, जूनागढ़ और वीरावल-पाटन, पाटन आनन्द, बराउच और वेदनगर में पानी, सीवरेज, सफाई तथा स्लम उन्नयन मुहैया करायेगी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार से, 903.10 करोड़ रु. अनुमानित लागत पर गुजरात परियोजना की 52 नगरपालिकाओं के लिए सीवरेज परियोजना हेतु जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) से ऋण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, इस प्रस्ताव को वित्त वर्ष 2009-12 ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस (ओ.डी.ए.) ऋण पैकेज हेतु जे.आई.सी.ए. से ऋण हेतु रॉलिंग प्लान में शामिल कर लिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र	परियोजना का नाम	सी.एस.एम.सी. द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रु.)	प्रतिबद्ध ए.सी.ए. (लाख रु.)	जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	जल आपूर्ति	नर्मदा मेन नहर से कोटापुर डब्ल्यू.टी.पी. तक पाइप लाइन, कोटरपुर के पास साबरमती नदी में 330 एम.एल.डी. इनेटक वैल, रसाका में जल शोधन संयंत्र	21-मार्च-06	5383.25	1884.14	1413.03
2.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	कुलूपुर स्टेशन और नरोदा के बीच अहमदाबाद हिम्मतनगर एम.जी. रेलवे लाइन पर ओंकार क्रासिंग के पास एल.सी. सं. 5क के बदले में 4 लेन के आर.ओ.बी. का निर्माण	22-जनवरी-07	1851.00	647.85	161.96
3.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	मनीनगर और वत्वा रेलवे स्टेशन के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के ऊपर दक्षिणी सोसायटी के नजदीक 132 फीट रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	22-जनवरी-07	2144.00	750.40	749.20
4.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	122 फीटर रिंग रोड पर श्रेयास क्रॉसिंग पर अहमदाबाद बटाउ एम.जी. रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	26-मई-06	1212.00	424.21	424.00
5.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	बसना और पिराना 122 रोड को जोड़ने के लिए साबरमती नदी के ऊपर चार लेन वाले पुल का निर्माण	26-मई-06	2955.00	1034.25	1034.00

6.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	वत्वा और मनीनगर स्टेशन के बीच अंबिका ट्यूब क्रासिंग पर अहमदाबाद-मुंबई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर सं. 306 के स्थान पर 4 लेन के आरओबी का निर्माण	22-जनवरी-07	1500.00	525.00	393.00
7.	गुजरात	सीवरेज	पिराना में मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	28-जून-06	6922.00	2422.70	1817.04
8.	गुजरात	सीवरेज	बसना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	28-जून-06	1135.00	397.25	198.62
9.	गुजरात	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-12 कि.मी. लम्बे (प्रथम फेज का स्ट्रेच-I) बी.आर.टी. रोडवे का निर्माण तथा विस्तृत अध्ययन एवं इंजीनियरिंग	11-अगस्त-06	8760.00	3066.00	766.50
10.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	अहमदाबाद में सोला (ए.ई.सी.) जंक्शन पर 6 लेन के फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण	22-जनवरी-07	1857.00	649.95	486.49
11.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	साबरमती-विरामगम ब्रॉड गेज रेलवे लाइन अहमदाबाद पर 4 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	22-जनवरी-07	2011.00	703.85	701.92
12.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	शिवरंजनी जंक्शन अहमदाबाद में 4 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	22-जनवरी-07	1670.00	584.50	584.26
13.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	नेमनगर जंक्शन अहमदाबाद में 6 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	22-जनवरी-07	1513.00	529.55	397.17
14.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	ए.यू.डी.ए. क्षेत्र में बड़ी और छोटी रेडियल सड़कों का निर्माण	22-जनवरी-07	5013.00	1754.55	1314.34

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	गुजरात	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	ए.एम.सी. क्षेत्र के पश्चिमी जोन के लिए बरसाती जल निकास प्रणाली	19-सितम्बर-06	5914.00	2069.90	517.47
16.	गुजरात	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	ए.एम.सी. क्षेत्र, अहमदाबाद साउथ और सेंट्रल जोन के लिए बरसाती जल निकास प्रणाली	25-अक्तूबर-06	12088.00	4230.80	1057.70
17.	गुजरात	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	ए.एम.सी. क्षेत्र, अहमदाबाद के नार्थ और ईस्ट जोन के लिए बरसाती जल निकास प्रणाली	25-अक्तूबर-06	12283.00	4299.05	2149.52
18.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ रोड ओवर ब्रिज	कुलूपुर स्टेशन और नरोदा के बीच अहमदाबाद हिम्मतनगर एम.जी. रेलवे लाइन पर ओंकार क्रासिंग के पास एल.सी. सं. 5क के बदले में 4 लेन के आर.ओ.बी. का निर्माण	6-अक्तूबर-06	40572.00	14200.20	3550.05
19.	गुजरात	सीवरेज	ईस्ट ए.यू.डी.ए. क्षेत्र के लिए बिन्जौल के समीप टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान	2-फरवरी-07	3681.26	1288.44	322.11
20.	गुजरात	सीवरेज	बसाना के समीप वेस्ट यू.डी.ए. क्षेत्र टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	2-फरवरी-07	10692.01	3742.20	935.55
21.	गुजरात	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	जल निकाय विकास और बाढ़ राहत परियोजना के लिए जल ग्रहण क्षेत्र विकास और जल विकास	18-जनवरी-08	10475.43	3666.40	916.60
22.	गुजरात	द्रुत जल परिवहन प्रणाली	बी.आर.टी.एस. फेज-II	19-अगस्त-08	48813.00	17085.00	4271.00

23.	गुजरात	सीवरेज	अहमदाबाद यू.ए.के. वेस्ट ए.यू.डी.ए. का सीवरेज नेटवर्क	21-नवम्बर-08	23541.00	8239.00	823.00
24.	गुजरात	सीवरेज	अहमदाबाद यू.ए.के. ईस्ट ए.यू.डी.ए. का सीवरेज नेटवर्क	21-नवम्बर-08	7765.00	2718.00	271.00
25.	गुजरात	जलापूर्ति	राजकोट के लिए जलापूर्ति परियोजना	27-मार्च-06	8562.00	4281.00	3210.00
26.	गुजरात	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	भूमिगत जल निकास फेज-II एवं फेज-III (भाग-I) (सीवेज निपटान नेटवर्क एवं एस.टी.पी.)	31-जुलाई-06	7542.00	3771.00	2828.10
27.	गुजरात	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण (फेस-I)	14-जुलाई-06	867.00	433.50	325.14
28.	गुजरात	एम.आर.टी.एस.	बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम फेज-I (ब्लू कॉरीडोर पार्ट-I का विकास)	20-जुलाई-07	11000.00	5500.00	1375.00
29.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ आर.ओ.बी.	गोनाडल रोड और मावडी रोड के साथ-साथ बीजी रेलवे लाइन पर लेवल क्रासिंग के बदले आर.ओ.बी. का निर्माण	16-मई-08	2480.74	1240.37	310.09
30.	गुजरात	सीवरेज	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	27-मई-06	1098.00	549.00	549.00
31.	गुजरात	सीवरेज	अदाजान सीवरेज की क्षमता बढ़ाना	27-मार्च-06	1193.00	596.50	596.50
32.	गुजरात	सीवरेज	भेसान सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाना	27-मार्च-06	1509.00	754.50	754.50
33.	गुजरात	सीवरेज	बामरोली में सीकेंडरी सीवेज शोधन संयंत्र	26-मई-06	1322.47	661.24	661.23
34.	गुजरात	जल आपूर्ति	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वेसू शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना	10-मई-06	1919.00	959.50	959.50
35.	गुजरात	जल आपूर्ति	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	10-मई-06	995.00	497.50	497.50

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ आर.ओ.बी.	डबोली को जहांगीरपुरा से जोड़ने के लिए तापी नदी के ऊपर पुल	10-मई-06	6500.00	3250.00	1625.00
37.	गुजरात	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	बरसाती पानी का निकास, वेसू क्षेत्र	28-जून-06	4995.00	2497.50	624.38
38.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ आर.ओ.बी.	कपोधरा फायर स्टेशन पर फ्लाई ओवर ब्रिज	22-जनवरी-07	932.00	466.00	116.50
39.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ आर.ओ.बी.	नानावराचा के नजदीक फ्लाई ओवर ब्रिज	22-जनवरी-07	758.00	379.00	379.00
40.	गुजरात	सीवरेज	वेसू क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एस.टी.पी.	28-जून-06	3437.00	1718.50	429.63
41.	गुजरात	सीवरेज	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एस.टी.पी.	28-जून-06	2128.00	1064.00	532.00
42.	गुजरात	कचरा प्रबंधन	सूरत में कचरा प्रबंधन में सुधार	26-मार्च-07	5249.72	2624.86	656.22
43.	गुजरात	जलापूर्ति	एस.एम.सी. के सरखाना, कट्टरगम तथा रंडेर जल संबंधी कार्यों का संवर्द्धन	26-मार्च-07	14068.65	7034.33	5275.74
44.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ आर.ओ.बी.	उढाना मगडाला रोड और बामडोली के बीच कनकरा खाडी के पार पुल	20-जुलाई-07	841.39	420.70	210.34
45.	गुजरात	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	एस.एम.सी. क्षेत्र के लिए सूरत शहर की बरसाती पानी की निकासी प्रणाली	20-अप्रैल-07	13382.54	6691.27	1672.81

46.	गुजरात	सीरवेज	न्यू ईस्ट जोन क्षेत्रों के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली	28-जनवरी-08	11065.73	5532.86	1383.21
47.	गुजरात	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	न्यू जोन के लिए बरसाती पानी के निपटान की प्रणाली	28-जनवरी-08	3426.82	1713.41	428.35
48.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ आर.ओ.बी.	गोठान में सूरत शहर के प्रस्तावित आउटर रिंग रोड पर आर.ओ.बी. का निर्माण	8-फरवरी-08	1427.12	713.56	178.39
49.	गुजरात	सड़क/ फ्लाई ओवर/ आर.ओ.बी.	साचिन में सूरत शहर के प्रस्तावित आउटर रिंग रोड पर आर.ओ.बी. का निर्माण	8-फरवरी-08	2077.12	1038.56	259.64
50.	गुजरात	जलापूर्ति	सूरत नगर निगम के न्यू ईस्ट जोन क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति प्रणाली	29-फरवरी-08	16743.43	8371.71	2092.94
51.	गुजरात	सीवरेज	सूरत नगर निगम के एस.टी.पी. और मौजूदा पंपिंग स्टेशन का आटोमेशन/ एस.सी.डी.ए.	29-फरवरी-08	3063.43	1537.71	382.93
52.	गुजरात	एम.आर.टी.एस.	सूरत के लिए बी.आर.टी.एस. का विकास	7-मार्च-08	46902.00	23451.00	5862.75
53.	गुजरात	सीवरेज	एस.एम.सी. के न्यू नार्दन जल निकासी जोन के लिए सीवरेज प्रणाली	14-मार्च-08	18404.35	9202.18	2300.52
54.	गुजरात	जलापूर्ति	जल आपूर्ति स्रोत संवर्द्धन	28-जून-06	4105.00	2052.50	2052.52
55.	गुजरात	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	वडोदरा शहर में बरसाती पानी की निकासी	22-फरवरी-07	14594.56	7297.28	1824.32
56.	गुजरात	सीवरेज	वडोदरा सिटी के लिए सीवरेज प्रणाली	22-जनवरी-07	10514.93	5257.47	2628.74
57.	गुजरात	कचरा प्रबंधन	वदोदरा के लिए कचरा प्रबंधन	20-जुलाई-07	3098.54	1549.27	387.32

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	गुजरात	सड़क/ फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	वरोदरा शहर में 24.0 मी. सड़क पर डी-केबिन नवायार्ड के समीप स्टेशन विश्वमित्री तथा मकारपुरा के बीच रेलवे कि.मी. 399/41 पर अहमदाबाद-मुंबई बीजी लाइन पर 4 लेन के आर.ओ.बी. का निर्माण	8-फरवरी-08	1396.00	698.00	174.50
59.	गुजरात	सड़क/ फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	वदोदरा में दिनेश मिल के समीप स्टेशन वदोदरा तथा मकरपुरा के बीच रेलवे कि.मी. 395/10 पर अहमदाबाद-मुंबई बीजी लाइन पर 2 लेन के आर.ओ.बी. का निर्माण	8-फरवरी-08	1968.00	984.00	246.00
60.	गुजरात	जलाशयों का संरक्षण	वरोदरा में सायाजी सरोवर परतापुरा प्रणाली की बहाली और सुदृढ़ीकरण	14-जनवरी-09	2869.72	1434.86	0.00
61.	गुजरात	सड़क/ फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	वरोदरा में लालबाग के समीप रेलवे कि.मी. 1/15 से 2/1 पर स्टेशन परताप-नगर जम्बूशर (एन.जी.) खण्ड के बीच मौजूदा लेवल क्रासिंग के स्थान पर आर.ओ.बी. का निर्माण	14-जनवरी-09	4570.00	2285.00	0.00
62.	गुजरात	कचरा प्रबंधन	अहमदाबाद में कचरा प्रबंधन	22-जनवरी-09	11885.84	4160.04	0.00
63.	गुजरात	सीवरेज	वरोदरा शहर के लिए सीवरेज प्रणाली फेज-II	30-01-09	6055.74	3027.87	0.00

विवरण-II

क्र. सं.	कस्बे/शहर का नाम	घटक का नाम/स्कीम	एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%)	पात्र केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त (50%)	डी.पी.आर. तैयार करने के लिए 1.5% की दर से प्रोत्साहन	केन्द्रीय अंश की दूसरी किश्त	2005-06 के दौरान जारी ए.सी.ए. की प्रथम किस्त	2006-07 के दौरान जारी ए.सी.ए. की प्रथम किस्त	2007-08 के दौरान जारी ए.सी.ए. की शेष/ प्रथम किस्त	2008-09 के दौरान जारी ए.सी.ए.	जारी कुल राशि	वित्त मंत्रालय के पास लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गुजरात									एसी				
1.	अमरेली	जलापूर्ति	1082.95	866.36	433.18	0.00		0.00	433.18	0.00	0.00	433.18	
2.	भरुच	जलापूर्ति	1371.98	1097.58	548.79	0.00	548.79	0.00	548.79	0.00	548.79	1097.58	
3.	भावनगर	जलापूर्ति	2096.07	1676.85	838.43	0.00		0.00	838.43	0.00	0.00	838.43	
4.	बिलीमोरा	जलापूर्ति	806.25	645	322.5	12.09		0.00	307.94	26.65	0.00	334.59	
5.	बोरियाबी	जलापूर्ति	434.35	347.48	173.74	6.52		0.00	165.90	14.36	0.00	180.26	
6.	घलाला	जलापूर्ति	503.64	402.91	201.46	7.55		0.00	192.36	16.65	0.00	209.01	
7.	दकौर	जलापूर्ति	451.98	361.58	180.79	6.78	180.79	0.00	172.63	14.94	180.79	368.36	
8.	धनेरा	जलापूर्ति	416.35	333.08	166.54	6.25	166.54	0.00	159.03	13.76	166.54	339.33	
9.	धोराजी	जलापूर्ति	841.61	673.29	336.65	0.00		0.00	336.65	0.00	0.00	336.65	
10.	गोंडल	जलापूर्ति	1434.04	1147.23	573.62	0.00		0.00	573.61	0.00	0.00	573.61	
11.	जामनगर	जलापूर्ति	2015.31	1612.25	806.13	0.00		0.00	806.12	0.00	0.00	806.12	
12.	जूनागढ़	जलापूर्ति	1598.64	1278.91	639.46	0.00		0.00	639.46	0.00	0.00	639.46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	कपाडवंज	जलापूर्ति	823.58	658.86	329.43	0.00		0.00	329.43	0.00	0.00	329.43	
14.	लूनावाड़ा	जलापूर्ति	477.04	381.63	190.82	7.16		0.00	182.21	15.77	0.00	197.98	
15.	पालीताना	जलापूर्ति	473.69	378.95	189.48	0.00	189.47	0.00	189.48	0.00	189.47	378.95	
16.	सोनगध	जलापूर्ति	334.3	267.44	133.72	5.01		0.00	127.68	11.05	0.00	138.73	
17.	खेड़ा	जलापूर्ति	496.59	397.27	198.64	0.00	198.63	198.64	0.00	0.00	198.63	397.27	
18.	मेहसाना	जलापूर्ति	940.74	752.59	376.30	0.00		376.30	0.00	0.00	0.00	376.30	
19.	कादी	जलापूर्ति	523.51	418.81	209.40	0.00		209.40	0.00	0.00	0.00	209.40	
20.	गोधरा	जलापूर्ति	1446.52	1157.22	578.61	0.00		578.61	0.00	0.00	0.00	578.61	
21.	राधनपुर	जलापूर्ति	224.52	179.62	89.81	0.00		89.81	0.00	0.00	0.00	89.81	
22.	हिम्मतनगर	जलापूर्ति	814.94	651.95	325.98	0.00		325.97	0.00	0.00	0.00	325.97	
23.	प्रातिज	जलापूर्ति	279.92	223.94	111.97	0.00		111.97	0.00	0.00	0.00	111.97	
24.	सुरेन्द्रनगर	जलापूर्ति	765.12	612.10	306.05	0.00	306.05	306.05	0.00	0.00	306.05	612.10	
25.	वालसाद	जलापूर्ति	618.59	494.87	247.44	0.00		247.43	0.00	0.00	0.00	247.43	
26.	जेटपुर	जलापूर्ति	2384.09	1907.27	953.64	35.76		0.00	0.00	989.40	0.00	989.40	
27.	घकलासी	जलापूर्ति	713.20	570.56	285.28	10.70		0.00	0.00	295.98	0.00	295.98	
28.	पेठापुर	जलापूर्ति	428.20	342.56	171.28	6.42		0.00	0.00	177.70	0.00	177.70	
29.	वीजापुर	जलापूर्ति	273.04	218.43	109.22	4.10		0.00	0.00	113.31	0.00	113.31	
30.	राजूला	जलापूर्ति	366.89	293.51	146.76	5.50		0.00	0.00	152.26	0.00	152.26	
31.	सावरकुंडला	जलापूर्ति	555.45	444.36	222.18	8.33		0.00	0.00	230.51	0.00	230.51	

32.	धारागधरा	जलापूर्ति	1461.04	1168.83	584.42	21.92		0.00	0.00	606.33	0.00	606.33	
33.	छोटा उदयपुर	जलापूर्ति	371.67	297.34	148.67	0.00		0.00	0.00	0.00	148.67	148.67	
34.	बालासिनोर	जलापूर्ति	521.60	417.28	208.64	0.00		0.00	0.00	0.00	208.64	208.64	
35.	वाघवान	जलापूर्ति	1539.28	1231.42	615.71	0.00		0.00	0.00	0.00	615.71	615.71	
36.	सुतारपाड़ा	जलापूर्ति	657.74	526.19	263.10	0.00		0.00	0.00	0.00	263.10	263.10	
37.	खंभात	जलापूर्ति	881.93	705.54	352.77	0.00		0.00	0.00	0.00	352.77	352.77	
38.	जसदान	जलापूर्ति	337.90	270.32	135.16	0.00		0.00	0.00	0.00	135.16	135.16	
39.	महुथा	जलापूर्ति	528.52	422.82	211.41	0.00		0.00	0.00	0.00	211.41	211.41	
40.	उमरेठ	जलापूर्ति	762.96	610.37	305.18	0.00		0.00	0.00	0.00	305.18	305.18	
41.	कथलाल	जलापूर्ति	392.44	313.95	156.98	0.00		0.00	0.00	0.00	156.98	156.98	
42.	अपलेटा	जलापूर्ति	1450.48	1160.38	580.19	0.00		0.00	0.00	0.00	580.19	580.19	
43.	केशोद	जलापूर्ति	1080.96	864.77	432.38	0.00		0.00	0.00	0.00	432.38	432.38	
44.	गंडेवी	जलापूर्ति	362.94	290.35	145.18	0.00		0.00	0.00	0.00	145.18	145.18	
45.	भरदोली	जलापूर्ति	512.64	410.11	205.06	0.00		0.00	0.00	0.00	205.06	205.06	
46.	विरामगम	जलापूर्ति	770.22	616.18	308.09	0.00		0.00	0.00	0.00	308.09	308.09	
47.	ऊंझा	जलापूर्ति	1699.78	1359.82	679.91	0.00		0.00	0.00	0.00	679.91	679.91	
48.	शेहेरा	जलापूर्ति	369.72	295.78	147.89	0.00		0.00	0.00	0.00	147.89	147.89	
कुल	48	48	39694.92	31755.91	15877.97	144.09	1590.27	2444.18	6002.90	2678.67	6486.58	17612.33	0.00

बी.पी.एल. सूची

2. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.पी.एल. जनगणना 2002 के आधार पर देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों का पता लगाने के लिए उपर्युक्त सूची का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) बी.पी.एल. जनगणना, 2002 के आधार पर निर्धारित बी.पी.एल. परिवारों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कराई गई बी.पी.एल. जनगणना के आधार पर बनाई गई बी.पी.एल. परिवारों की सूची स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) इत्यादि जैसे प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों का चयन करने के लिए उपयोग की जाती है।

विवरण

बी.पी.एल. जनगणना, 2002 के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित ग्रामीण बी.पी.एल. परिवार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्धारित बी.पी.एल. परिवारों की सं. (लाख में)
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.107
2.	आंध्र प्रदेश	29.893
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.830
4.	असम	18.728
5.	बिहार	113.410
6.	छत्तीसगढ़	17.892
7.	दादरा और नगर हवेली	0.160
8.	दमन व दीव	0.005
9.	गोवा	0.071
10.	गुजरात	14.512
11.	हरियाणा	8.583
12.	हिमाचल प्रदेश	2.823
13.	झारखण्ड	24.810
14.	कर्नाटक	19.190
15.	मध्य प्रदेश	40.842
16.	महाराष्ट्र	45.025
17.	मेघालय	2.052
18.	मिजोरम	0.374
19.	नागालैण्ड	1.558
20.	पंजाब	3.445
21.	राजस्थान	17.362
22.	तमिलनाडु	34.848
23.	उत्तर प्रदेश	100.271
24.	उत्तराखंड	6.238
25.	पश्चिम बंगाल	39.250

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेना

3. श्री नवीन जिन्दल: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग भारतीयों तथा विदेशियों द्वारा कितने बच्चे गोद लिए गए;

(ख) क्या देश में बच्चे गोद लेने की संख्या में कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को बच्चे गोद लेने के लिए जटिल औपचारिकताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) मान्यता-प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों तथा शिशुगृहों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2005 से 2008 तक की अवधि के दौरान भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों, भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा विदेशियों द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों की संख्या संलग्न, विवरण में दी गई है। तथापि, राज्यों में अन्य लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों से दत्तक ग्रहण के आंकड़े इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। देश के भीतर दत्तक ग्रहण के दिशानिर्देश, 2004 तथा भारत से दत्तक ग्रहण के दिशानिर्देश, 2006 के अनुसार, दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों का विनियमन किया जाता है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

वर्ष 2005 से 2008 तक की अवधि के दौरान भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों, भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा विदेशियों द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों की संख्या

वर्ष	देश के भीतर दत्तक ग्रहण	देश के बाहर दत्तक ग्रहण (अनापत्ति प्रमाण पत्र केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा जारी)	(क) और (ख) का कुल जोड़
2005	2284	867	3151
2006	2409	853	3262
2007	2494	770	3264
2008	2100*	823	2923*

*आंकड़ों में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि कारा से संबद्ध कुछ एजेंसियों के संबंध में सूचना प्राप्त होनी है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासी समुदाय

4. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में समुदाय-वार कितने आदिवासी हैं;

(ख) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कतिपय आदिम जनजातियों की संख्या में कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूप में अभिज्ञात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समुदाय और उनकी जनसंख्या का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	अनुसूचित जनजातियों का नाम	जनगणना के अनुसार जनसंख्या		
		1981	1991	2001
1.	अंडमानी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो. येरे, कोडे, बीय, बालावा, बोजीगियाब, जवाई, कोल	42	32	43
2.	ओंगे	97	101	96
3.	जरावा	31	89	240
4.	सेंटीनेली	–	24	39
5.	शोम पेन	223	131	398
6.	निकोबारी	21956	25939	28653

(ख) से (घ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत पारेषण लाइन

5. श्री एल. राजगोपाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का विचार देश में विद्युत पारेषण लाइनों को मजबूत बनाने के लिए 8,400 करोड़ रुपए निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ निधियां जुटाने का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन परियोजनाओं से संबद्ध विभिन्न पारेषण प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में 7,624 करोड़ (लगभग) का निवेश कर रही है इनमें एन.टी.पी.सी. लिमिटेड की बाढ़ एस.टी.पी.पी. एवं कोल्डैम एच.ई.पी., नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.) की पार्वती एच.ई.पी.-II एवं III, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की मैथन राइट बैंक, न्यूक्लीयर पावर कॉर्पोरेशन (एन.पी.सी.) की कुदनकुलम ए.पी.पी. तथा कैगा 3 एवं 4, सासन एवं मंद्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं तथा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में ग्रिड सुदृढ़ करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) 7,624 करोड़ रु. के निवेश के लिए संसाधन जुटाने का ब्यौरा निम्नवत हैं-

(करोड़ रुपये)

आंतरिक स्रोत	घरेलू ऋण/ बॉन्ड	वाणिज्यिक ऋण/ आपूर्तिकर्ता ऋण	कुल संशो. आ. 2008-09
12,276	3,606	1,742	7,624

रियायती दर पर भू-आबंटन

6. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कई सोसाइटियां रियायती दर पर आबंटित भूमि पर विद्यालय भवनों का निर्माण करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युलय भवनों के निर्माण हेतु उन्हें कोई समय-सीमा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने चूककर्ता सोसाइटियों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह बताया है कि 18 सोसायटियों ने आबंटित भूमि पर स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण नहीं किया है। जोन-वार संख्या इस प्रकार है:-

नार्थ जोन	–	4
द्वारका	–	9
ईस्ट जोन	–	1
वेस्ट जोन	–	3
रोहिणी	–	1

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नवीनतम नीति के अनुसार भवनों के निर्माण की अवधि दिनांक 31-12-2009 तक बढ़ा दी गई है। भूमि और विकास कार्यालय (एल. एंड डी.ओ.) ने सूचित किया कि जय हिन्द सोसायटी को भवन का निर्माण करने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा दी गई थी जो दिनांक 3-12-1967 को समाप्त हो गयी। दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी को भी दिनांक 19-6-2002 को लोधी रोड, नई दिल्ली में भूमि आबंटित की गई थी। इस सोसायटी को भवन निर्माण की समय सीमा बढ़ाकर दिनांक 31-12-2008 की गई।

(ङ) और (च) डी.डी.ए. ने यह सूचना दी है कि दोषी सोसायटियों द्वारा शास्ति के रूप में संघटन शुल्क अदा करना अपेक्षित है। भूमि और विकास कार्यालय ने एक मामले में संपत्ति की पुन: प्रविष्टि की है और दूसरे मामले में विलंब प्रभार की वसूली की है।

पारेषण टावरों की मरम्मत

7. **श्री अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत से विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए हाल ही में कोसी बाढ़ के दौरान उखड़े पारेषण टावरों की शीघ्र मरम्मत करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। नेपाल सरकार ने फरवरी, 2009 के मध्य तक बिहार में फारबिसगंज-कटिया अनुभाग की ट्रांसमिशन लाईन के पुनर्स्थापन करने का अनुरोध किया है। ये दो ट्रांसमिशन लाईनें हैं:-

(i) 132 के.वी. कटिया-फारबिसगंज सर्किट-I तथा

(ii) बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बी.एस.ई.बी.) की 132 के.वी. कटिया-फारबिसगंज सर्किट-II जिनसे नेपाल को विद्युत पूर्ति होती हैं।

ये लाईनें कोसी नदी की विध्वंशकारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

(ग) भारत सरकार ने इन ट्रांसमिशन लाईनों के शीघ्र पुनर्स्थापन के लिए यह मामला बिहार सरकार के समक्ष उठाया है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि सर्किट-II लाईन पर कार्य शुरू हो गया है और फरवरी, 2009 के अंत तक नेपाल को इस लाईन से विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। तत्पश्चात् बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सर्किट-I का पुनर्स्थापन कार्य किया जायेगा।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा उत्पादन

8. श्री राम सिंह कस्वां: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार पवन ऊर्जा उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन चीन, अमरीका और स्पेन की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान पवन विद्युत परियोजनाओं से कुल 26.95 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। पिछले तीन वर्षों के राज्यवार विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2008 के अंत में यू.एस.ए., जर्मनी, स्पेन और चीन, जिनकी संस्थापित क्षमता क्रमशः 25170 मेगावाट, 23900 मेगावाट, 16754 मेगावाट और 12210 मेगावाट है, के बाद 9645 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ भारत का विश्व में पांचवां स्थान है। पवन विद्युत में क्षमता संयोजन, विभिन्न कारकों जैसे पवन संभाव्यता की गुणवत्ता, प्रोत्साहन तंत्र, फीड-इन-टैरिफ, पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशतता में प्रतिबद्धताएं, निर्माण लागत, आदि पर निर्भर करता है।

(घ) निजी क्षेत्र निवेशों के माध्यम से वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे पवन इलैक्ट्रिक जनरेटर के कुछ संगठकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से सृजित आय पर दस वर्ष का करावकाश, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से ऋण शामिल हैं। आगे और संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, संभाव्यता वाले राज्यों द्वारा पवन विद्युत हेतु अधिमान्य शुल्क दर (टैरिफ) उपलब्ध कराई जा रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पवन उत्पादन डाटा (बीयू)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.079	0.111	0.101
2.	गुजरात	0.286	0.455	0.851
3.	कर्नाटक	0.935	1.397	1.840
4.	केरल	0.000	0.000	0.000
5.	मध्य प्रदेश	0.030	0.070	0.069
6.	महाराष्ट्र	0.790	1.714	1.804
7.	राजस्थान	0.427	0.532	0.682
8.	तमिलनाडु	3.444	5.268	6.066
	कुल	5.991	9.547	11.413

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों हेतु मानदण्ड

9. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान करने से संबंधित मानदण्डों की समीक्षा करने हेतु गठित विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/ उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एकीकृत आवासन और मलिनबस्ती विकास कार्यक्रम

10. श्री अबु अयीश मंडल: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए एकीकृत आवासन और मलिनबस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देश में कुछ विशेष शहरों के लिए निधियों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिनांक 31-12-2008 तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09 के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत आवास एवं संबंधित अवस्थापना सुविधाओं को शामिल करते हुए परियोजनाएं शुरू करने हेतु राज्यों को वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का नगर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि आवास परियोजनाओं में समय लगता है, इसलिए वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत अधिकांश परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट आनी शेष है।

विवरण

कस्बा-वार ब्यौरा

वर्ष 2008-2009 के दौरान आई.एच.एस.डी.पी. के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का सार

(करोड़ रु.)

राज्य का नाम	कस्बे का नाम एवं परियोजनाओं की कुल सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	जारी कुल ए.सी.ए.
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	बोधन, निजामाबाद	6.25	5.00	2.50
	रेपाले, गुंटूर	6.25	5.00	2.50
	येलान्डू खम्मम	2.86	2.29	1.14
	गुंटूर	5.36	4.29	2.15

1	2	3	4	5
	कडप्पा	2.61	1.86	0.93
	धोरे कुरनूल	2.24	1.79	0.90
	कडप्पा	6.25	5.00	2.50
	पलवांचा खम्मम	6.25	5.00	2.50
	गुंटूर सिटी	33.56	16.24	0.00
	काकीनाड़ा	54.50	23.73	0.00
	समालकोट सिटी	36.61	18.60	0.00
	पेड्डपपुरुम	34.50	15.98	0.00
	कुरनूल	19.76	15.81	0.00
	राजमुदरी	55.69	24.88	0.00
	14	**272.70**	**145.47**	**15.11**
अरुणाचल प्रदेश	दिबांग वैली	9.95	8.66	0.00
परियोजना की सं.	**1**	**9.95**	**8.66**	**0.00**
जम्मू-कश्मीर	सोपोरटाऊन	5.58	3.62	0.00
	मत्तन	0.55	0.36	0.00
	बांदी पोरा	5.16	3.35	0.00
	बारामूला	8.40	5.45	0.00
	मगम	1.75	1.14	0.00
	गंडेबाल	1.38	0.89	0.00
	हाजिन टाऊन	0.89	0.58	0.00
	हंडवारा	2.45	1.59	0.00
	कुलगाम	3.20	2.08	0.00
	सोफियान	1.65	1.07	0.00
	संबल टाऊन	2.59	1.68	0.00
	बुडगाम	1.07	0.68	0.00
	रेयसी	2.79	1.80	0.00

1	2	3	4	5
	कुपवाड़ा	2.83	1.83	0.00
	रामनगर	2.34	1.52	0.00
परियोजनाओं की सं.	**15**	**42.63**	**27.64**	**0.00**
झारखंड	चाईबासा	12.99	6.33	0.00
	लहरदगा	35.05	16.94	0.00
	हजारीबाग	19.83	9.41	0.00
परियोजना की सं.	**3**	**67.87**	**32.68**	**0.00**
केरल	नेयार्टिकारा	7.97	5.95	2.97
	नेडमंगाड	5.4	4.32	2.16
	मुवत्थपुझा	5.98	4.75	0.00
	तिरुर	3.73	2.44	0.00
परियोजना की सं.	**4**	**23.08**	**17.46**	**5.13**
महाराष्ट्र	मोहापा	6.52	4.11	2.05
	रामटेक	5.11	3.46	1.73
	वर्धा	12.50	8.61	4.31
	गंगापुर	4.60	3.23	1.62
	गेवराई	2.17	1.54	0.77
	अंबाड	5.50	3.79	1.89
	शिरपुर बारवाडे, जिला धुले	11.20	5.90	2.95
	तिरोरा सिटी (फेज-II) जिला गोंदिया	10.72	7.24	3.62
	अमरावती (फेज-I)	23.84	15.13	7.56
	करांजा, जिला-वशिम	20.43	11.85	5.92
	पौनी (फेज-I), जिला भंडारा	1.54	1.05	0.52
	लोनार टाऊन	17.84	10.46	0.00
	जिला बुलधाना	12.09	6.91	3.46

1	2	3	4	5
	भिवंडी	21.52	14.58	7.29
	रिसोई	23.00	15.18	7.59
	भंडारा सिटी	33.39	22.54	11.27
	हिंगोली	8.12	4.82	0.00
	पुलगांव	6.34	3.77	0.00
	तुमसार	17.24	9.59	0.00
	चंदूर अमरावंती	6.83	3.95	0.00
	अचलपुर	24.34	14.20	0.00
	अंजनगांव	21.91	12.97	0.00
	डोंडैचा वरवाड़े	23.97	13.62	0.00
	मर्तिजापुर	24.56	14.22	0.00
	उमरेड	7.24	4.52	0.00
	मल्कापुर	5.10	3.14	0.00
	सेंहरगना घाट	11.05	6.38	0.00
	हिंगोली	25.59	14.78	0.00
	सिंघखेदराजा	11.73	6.93	0.00
	दरवहा	10.15	6.02	0.00
	देवलगांव	19.86	11.69	0.00
	यवतमल	29.12	16.62	0.00
	पंढ़रकावा	14.58	8.36	0.00
	अर्वी	8.78	5.20	0.00
	पटूर सिटी	20.14	11.50	0.00
	वजीरपुर सिटी	29.41	17.02	0.00
	कन्नड सिटी	4.15	2.41	0.00
	पौनी (पी-II), जिला भंडारा	25.98	15.14	0.00

1	2	3	4	5
	मालेगांव (पी-I)	28.92	17.50	0.00
	मालेगांव (पी-II)	28.69	17.31	0.00
	मालेगांव (पी-III)	28.24	16.96	0.00
	मालेगांव (पी-IV)	28.44	17.12	0.00
	मालेगांव (पी-V)	29.31	17.81	0.00
	मालेगांव (पी-VI)	28.76	17.37	0.00
	मालेगांव (पी-VII)	28.92	17.50	0.00
	मालेगांव (पी-VIII)	28.51	17.17	0.00
	परभनी	56.44	31.02	0.00
	बोखरघाम	13.38	8.25	0.00
	कलमेश्वर	4.75	2.54	0.00
	पथरीर	17.42	10.53	0.00
	अमरावती (फेज-II)	44.80	25.60	0.00
	अमरावती (फेज-III)	26.80	15.39	0.00
	लातूर	57.26	43.62	0.00
परियोजनाओं की सं.	**53**	**1018.79**	**618.10**	**62.56**
मिजोरम	चम्फई	0.00	0.00	0.00
	कोलसिब	0.00	0.00	0.00
परियोजनाओं की सं.	**2**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
पंजाब	राजपुरा	21.01	7.07	3.54
परियोजनाओं की सं.	**1**	**21.01**	**7.07**	**3.54**
राजस्थान	जयतारन	4.84	2.9630	1.48
	बीकानेर (फेज-II)	35.57	20.23	10.11
	जालोर	7.90	4.5	2.25
	सूरतगढ़	35.05	20.66	10.33
परियोजनाओं की सं.	**4**	**83.36**	**48.3530**	**24.18**

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	डिण्डीगुल	9.72	6.50	0.00
	शिवगंगा	2.90	1.97	0.00
	तिरुवनामलाई	8.76	5.86	0.00
	तूतीकोरिन	8.02	5.16	0.00
	सालेम	15.58	9.26	0.00
	कांचीपुरम	4.57	2.94	0.00
	तिरुनेलवेली	20.00	14.38	0.00
	अलमपलायम	2.25	1.33	0.00
	मोहनपुर	2.80	1.73	0.00
	सिरापल्ली	2.16	1.34	0.00
	गंगावेल्ली	2.66	1.68	0.00
	आर पुदुपट्टी नामकल्ल	2.14	1.22	0.00
	वीरागनूर टाउन, सालेम	3.75	2.26	0.00
	थेड़ावुर सालेम	2.30	1.47	0.00
	कोड्डमुडी	1.40	0.88	0.00
	उथुकुली	1.12	0.70	0.00
	पल्लापलायम	2.35	1.50	0.00
	अवलपुंदरै	1.67	1.05	0.00
	करुर	3.29	2.23	0.00
	मैतूर	2.42	1.69	0.00
	कम्बम	5.19	3.34	0.00
	कृष्णागरी	4.96	3.40	0.00
	कुगालूर	1.29	0.82	0.00
	इनाम कुरुर	5.00	3.48	0.00
	करुपपुर	1.57	0.99	0.00

1	2	3	4	5
	पी. मेट्टापलायम	1.27	0.77	0.00
	नगरकोइल	3.47	2.32	0.00
	तिरुचेंगोड़ी	8.87	6.18	0.00
	गोबीचित्तीपलायम	2.56	1.67	0.00
	लक्कमपट्टी	1.44	0.89	0.00
	सत्यमंगलम	3.76	2.49	0.00
	थूरय्यैयुर	8.61	5.57	0.00
	धरमपुरम	3.60	2.47	0.00
	कोडइकनाल	18.89	11.01	0.00
	पी.एन. पट्टी	1.61	1.01	0.00
	वेलू टाउन	1.37	0.82	0.00
	अरियालूर	7.89	5.43	0.00
	थनथोनी	4.10	2.85	0.00
	विरुधनगर	11.37	7.01	0.00
	थेनी	3.85	2.64	0.00
परियोजनाओं की सं.	40	200.54	130.31	0.00
उत्तर प्रदेश	बनात	10.36	5.74	2.87
	बड़ौत	4.41	2.67	1.34
	बुगरासी	3.65	2.34	1.17
	छतरी	2.69	1.77	0.89
	छाता	1.55	0.88	0.44
	गोकुल	2.83	1.62	0.81
	हरिहरपुर	1.97	1.23	0.61
	खानपुर	2.21	1.45	0.73
	नंदगांव	6.93	3.91	1.96

1	2	3	4	5
	पचपेड़वा	1.02	0.69	0.35
	रायबरेली (फेस-II)	20.85	14.30	7.15
	राया	1.53	0.87	0.43
	सहारनपुर	3.90	2.21	1.10
	हरिहरपुर (जवाहर नगर)	2.00	1.30	0.65
	हरिहरपुर (पटेल नगर)	1.84	1.19	0.60
	अतरौला	1.74	1.12	0.56
	सहजहनवा	1.94	1.06	0.53
	साऔना	4.17	2.33	1.17
	नवाबगंज	1.38	0.79	0.40
	अर्थला	5.62	3.43	1.71
	फरीदनगर	7.54	4.56	2.28
	खरखौदा	2.66	1.65	0.83
	भीकमपुर	1.18	0.73	0.36
	बिघुना	14.73	9.02	4.51
	झालू (फेस-I)	1.50	0.93	0.46
	सलारगंज	7.93	4.86	2.43
	बीकापुर, जिला-फैजाबाद	2.22	1.37	0.69
	बिसवान, जिला-सीतापुर	6.44	3.99	2.00
	बिठूर, जिला-कानपुर	2.86	1.77	0.89
	गोला टाउन, जिला-लखीमपुर	3.12	1.94	0.97
	कुंडा टाउन, जिला प्रतापगढ़	6.43	352	1.76
	चंदोली, जिला चंदोली	6.88	4.08	2.04
	अदल सराय, कल्पी टाउन, जिला-जलौन	3.29	1.91	0.95

1	2	3	4	5
	कदोरा टाउन, जिला-जलौन	4.25	2.46	1.23
	कुरारा, जिला हमीरपुर	3.58	2.07	1.04
	मणिकपुरा, जिला-चित्रकूट	3.86	2.22	1.11
	पाली, जिला-ललितपुर	3.92	2.27	1.13
	महोबा टाउन, जिला-महोबा	2.61	1.56	0.78
	विसंदा, जिला-बांद्रा	2.77	1.63	0.81
	पिछोर बजरंग कालोनी के पास, जिला-झांसी	4.01	2.34	1.17
	ओरई टाउन, (लहरियापुरा), जिला-जलौन	7.16	4.03	2.02
	चकिया	1.18	0.69	0.35
	मुगलसराय	4.22	2.48	1.24
	चंदोली, (फेस-II)	3.95	2.28	1.14
	सादत	0.93	0.55	0.27
	अलीगढ़	4.40	2.66	1.33
	एटा	2.58	1.57	0.78
	नारायणी	2.10	1.24	0.62
	झिंझक	10.71	6.37	3.18
	रसूलाबाद	5.24	3.24	1.62
	ठाकुरद्वारा	5.57	3.36	1.68
	जसवंतनगर	6.02	3.73	1.86
	मुरादाबाद	1.31	0.79	0.40
	शिवराजपुर	3.34	2.05	1.02
	गोसाईगंज	1.92	1.19	0.59
	उन्नाव	2.51	1.57	0.78
	जालू, फेस-II	5.78	3.35	1.67

1	2	3	4	5
	गोपामाव, जिला-हरदोई	3.80	2.30	1.15
	सराय मीर, जिला-आजमगढ़	3.85	2.33	1.16
	घोड़ावाल, जिला-सोनभद्र	15.42	8.35	4.18
	तिरवा, जिला-कन्नौज	7.37	4.48	2.24
	चिबरामाव, कन्नौज	5.89	3.62	1.81
	सौरिख, कन्नौज	3.47	2.12	1.06
	डेरापुर, कानपुर देहात	1.85	1.11	0.56
	अमरोधा, कानपुर	1.79	1.06	0.53
	निघौली, एटा	1.62	0.98	0.49
	अवागढ़, एटा	2.59	1.57	0.79
	फर्रुखाबाद, टीए	1.89	1.17	0.58
	मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	3.19	1.93	0.97
परियोजनाओं की सं.	69	296.02	177.96	88.97
पश्चिम बंगाल	आरामबाग	10.00	7.17	3.58
	कोंतई फेस-I	12.35	8.48	4.24
	कलीमपोंग	11.99	8.57	4.28
	कालियागंज	7.95	5.72	2.86
	कांडी	8.98	6.29	3.15
	कुरसोंग	11.99	8.57	4.29
	मिरीक	7.96	5.60	2.80
	मुर्शिदाबाद	8.74	5.94	2.97
	पुराना मालदा	10.78	7.75	3.87
	तारकेश्वर	9.89	6.98	3.49
	बोंगगांव	14.64	10.48	0.00
	जरगराम (II)	4.00	2.87	0.00

1	2	3	4	5
	तामलूक	8.94	6.42	0.00
	(इंगलिश बाजार) मालदा	16.74	12.03	0.00
	बालूर घाट (दक्षिण दिनईपुर)	15.77	11.35	0.00
	(बेलडंगा) मुर्शिदाबाद	6.17	4.36	0.00
	झालदा	7.98	5.73	0.00
	कटवा	10.90	7.68	0.00
	रामपुरहाट	10.89	7.74	0.00
	सूरी	14.47	10.41	0.00
	दार्जिलिंग	20.66	13.57	0.00
परियोजनाओं की सं.	**21**	**231.78**	**163.73**	**35.54**
कुल योग	227	2267.73	1377.43	235.02

सौर अभियान की स्थापना

11. **श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री नन्द कुमार साय:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सौर अभियान की स्थापना के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री की परिषद ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सोलर मिशन की स्थापना करने की पहचान की है जो आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इस मिशन की स्थापना करने के लिए परिषद द्वारा तौर-तरीकों की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

12. **श्री बसुदेव आचार्य:**

श्री सुरेश अंगड़ि:

श्री हंसराज गं. अहीर:

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री सुभाष महरिया:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में चालू नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक स्रोत से कितनी मात्रा में ऊर्जा सृजन हुआ है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सरकार ने अक्षय विद्युत क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए बिजली अधिनियम 2003, राष्ट्रीय बिजली नीति 2005 और शुल्क दर नीति 2006 के अंतर्गत एक अनुकूल नीति और विनियामक फ्रेमवर्क की व्यवस्था की है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन सम्मिलित रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा-शुल्क शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क दर दी जा रही है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों को शामिल करते हुए एक समेकित ऊर्जा नीति रिपोर्ट (आई.ई.पी.आर.) तैयार की है जिस पर सरकार ने विचार किया है और इसे स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट में घरेलू आपूर्ति विकल्पों का अधिकतम विकास करने और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031-32 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में अक्षय स्रोतों का हिस्सा 5 से 6% हो सकता है और यह देखा गया कि अक्षय स्रोतों की वितरित प्रकृति के कारण देश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इनसे अनेक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

(घ) दिनांक 31-12-2008 की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित 13,741 मेवा. की समग्र क्षमता वाली ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं। पिछले तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) और वर्तमान वर्ष के दौरान 31-12-2008 तक संस्थापित क्षमताओं के राज्यवार और संसाधन-वार विवरण संलग्न हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) और दिनांक 31-12-2008 तक वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यवार और संसाधनवार विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लघु पनबिजली मेगावाट				पवन विद्युत मेगावाट			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश		0.04	1.98		0.50	0.80		
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.60	0.94		0.10				
3.	असम			25.00					
4.	बिहार	4.50							
5.	छत्तीसगढ़		7.05						
6.	गोवा								
7.	गुजरात					84.60	284.00	616.40	194.8
8.	हरियाणा								
9.	हिमाचल प्रदेश	24.00	9.54	21.00	42.30				
10.	जम्मू-कश्मीर		2.09						
11.	झारखण्ड								
12.	कर्नाटक	54.75	86.87	47.50	62.50	173.80	266.00	190.30	182.1
13.	केरल		13.50	25.00				8.50	22.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश		10.00	20.00		11.40	16.40	130.40	
15.	महाराष्ट्र		2.25	1.50		533.50	485.30	268.20	97
16.	मणिपुर								
17.	मेघालय			0.32					
18.	मिजोरम		2.71						
19.	नागालैण्ड	0.20		8.00					
20.	उड़ीसा			25.00					
21.	पंजाब	11.15	1.35						
22.	राजस्थान					54.80	111.80	69.00	139.7
23.	सिक्किम	3.00	0.51		2.00				
24.	तमिलनाडु		12.00		0.35	857.60	577.90	380.70	261.5
25.	त्रिपुरा								
26.	उत्तर प्रदेश	3.60							
27.	उत्तरांचल	3.00	0.22	29.45	4.80				
28.	पश्चिम बंगाल	6.00	0.10						

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बायोमास विद्युत मेगावाट				अपशिष्ट से ऊर्जा मेगावाट			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.00	22.00	33.00	9.00		6.00	3.50	3.66
2.	अरुणाचल प्रदेश								
3.	असम								
4.	बिहार								
5.	छत्तीसगढ़	16.50	85.80	33.00	9.80				
6.	गोवा								
7.	गुजरात								
8.	हरियाणा								
9.	हिमाचल प्रदेश								
10.	जम्मू-कश्मीर								
11.	झारखंड								
12.	कर्नाटक	72.50	29.80	8.00	12.00				
13.	केरल								
14.	मध्य प्रदेश								
15.	महाराष्ट्र		40.00	38.00	61.50				
16.	मणिपुर								

17.	मेघालय						
18.	मिजोरम						
19.	नागालैण्ड						
20.	उड़ीसा						
21.	पंजाब	6.00					8.25
22.	राजस्थान	7.50	8.00		8.00		
23.	सिक्किम						
24.	तमिलनाडु		42.50	75.00	18.20	1.50	2.50
25.	त्रिपुरा						
26.	उत्तर प्रदेश	48.50		79.00	172.00		
27.	उत्तरांचल						
28.	पश्चिम बंगाल						

मुम्बई मेट्रो रेल परियोजना

13. श्री प्रतीक पी. पाटिल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वारसोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरीडोर के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग ने परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर यह परियोजना सौंपी जा चुकी है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए अब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

एन.आर.ई.जी.एस. में अनियमितताएं

14. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत निर्धारित नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008-09 के दौरान, ऐसी कुल 328 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	असम	7
3.	बिहार	28
4.	छत्तीसगढ़	11
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	11
7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	झारखण्ड	46
9.	कर्नाटक	1
10.	केरल	1
11.	मध्य प्रदेश	44
12.	महाराष्ट्र	4
13.	मणिपुर	4
14.	नागालैण्ड	1
15.	उड़ीसा	9
16.	पंजाब	1
17.	राजस्थान	27
18.	तमिलनाडु	2
19.	त्रिपुरा	2
20.	उत्तर प्रदेश	100
21.	उत्तराखण्ड	3
22.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	328

(ग) राज्य सरकारों द्वारा एन.आर.ई.जी.ए. का कार्यान्वयन,

प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार की गई रोजगार गारंटी योजनाओं के अनुसार किया जाता है। जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर प्रमुख आयोजना एवं कार्यान्वयन एजेंसियां पंचायतें हैं। इसलिए मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

मतदाता सूचियों में विदेशियों के नाम

15. श्री उदय सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों में काफी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मतदाता सूचियों से उनके नाम हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसके पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि बड़ी संख्या में बंग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिकों ने देश के किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में स्वयं को मतदाताओं के रूप में अभ्यावेशित करने की व्यवस्था की है। कोई भी विदेशी नागरिक भारत में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का पात्र नहीं है। प्रादेशिक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन, भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन तैयार की जाती हैं। इन उपबंधों के अनुसार भारतीय नागरिक ही निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। तथापि, कभी-कभी गहन पुनरीक्षण, संक्षिप्त पुनरीक्षण या सतत् पुनरीक्षण के दौरान कुछ ऐसे अपात्र व्यक्तियों के नाम, जो भारतीय नागरिकता की अर्हता पूरी नहीं करते हैं, व्यक्तियों द्वारा दी गई मिथ्या जानकारी के कारण निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं। जब कभी गलत तरीके से अंतर्वेशन के ऐसे मामले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो निर्वाचक नामावलियों से ऐसे नामों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

असम राज्य में, ऐसे निर्वाचक जिनकी नागरिकता या तो संदेहपूर्ण है या विवादग्रस्त है, उनके मामले समुचित प्राधिकारियों को उनकी नागरिकता की प्रास्थिति अवधारित करने के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं। तथापि, उनके नाम निर्वाचक नामावलियों से नहीं हटाए जाते हैं परंतु उन्हें अपना मत डालने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाता है जब तक उनके मामलों का समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुकूल रूप से निपटान न कर दिया गया हो। इन निर्वाचकों को 'डी' मतदाता कहा जाता है और उनकी पहचान करने के लिए अक्षर 'डी' निर्वाचक नामावलियों में उनकी प्रविष्टियों के सामने चिन्हित कर दिया जाता है।

आंगनवाड़ी कामगारों और सहायकों को वेतन

16. श्री मधुसूदन मिस्त्री:

श्री सुनील खां:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में आंगनवाड़ी कामगारों और सहायकों के मानदेय में अभी तक वृद्धि नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने सहित सभी नीतिगत निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं, न कि किसी राज्य सरकार द्वारा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय को दिनांक 24 अक्तूबर, 2008 तथा 16 दिसम्बर, 2008 के आदेश सं. 1-5/2008-बा.वि.-I के अनुसार, भारत सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, इस उद्देश्य हेतु दिसम्बर, 2008 में निधि निर्मुक्त की जा चुकी है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता

17. **श्री हितेन बर्मन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 63 मिशन नगरों में अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (2005-12) के अंतर्गत कुल घटक-वार 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि का सांकेतिक आबंटन किया है। मिशन शहरों के लिए शहरी अवस्थापना और शासन घटक के लिए 25,500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया था जिसका कार्य शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के साधनों के बारे में सुझाव देना था। इस दल ने यह अनुशंसा की है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिशन अवधि (2005-12) के लिए 50,000 करोड़ रुपए के आबंटन के अलावा जे.एन.एन.यू.आर.एम. शहरों में शहरी अवस्थापना संबंधी परियोजना शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराई जाये।

बोडो-कछारी समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करना

18. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम के कारबी एंगलांग और नार्थ कछार हिल्स स्वायत्तशासी जिलों में रहने वाली बोडो-कछारी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित की जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने/हटाने तथा अन्य संशोधनों हेतु दावों के निर्धारण हेतु सरकार ने 15-06-1999 को प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार केवल उन्हीं प्रस्तावों, जिसे संबंधित राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने उचित ठहराया है तथा अपनी संस्तुति दी है, पर विचार किया जाता है तथा विधान संशोधित किया जाता है।

असम के कारबी एंगलांग तथा एन.सी. पहाड़ी जिलों के "बोडो कछारी" समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा केन्द्र सरकार, असम सरकार एवं बोडो लिबरेशन टाइगर (बी.एल.टी.) द्वारा 10-02-2003 को हस्ताक्षरित सेट्लमेंट ज्ञापन (एम.ओ.एस.) में मद सं. 8 पर है। गृह मंत्रालय ने भी इस सेटलमेंट ज्ञापन के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु 05-09-2003 को बैठक की है।

तदोपरांत, असम के कारबी एंगलांग एवं उत्तर कछार पहाड़ी स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "बोडो/बोडो कछारी" को शामिल करने हेतु इस मंत्रालय में कोई औपचारिक प्रस्ताव/संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

निधियों का अन्यत्र उपयोग

19. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु किन राज्यों को गत वर्ष और चालू वर्ष में अब तक अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उक्त अवधि के दौरान गरीबी उन्मूलन हेतु नियत निधियों के अन्यत्र उपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नामक प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है।

पिछले वर्ष अर्थात 2007-08 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सामान्य आबंटन के अलावा राज्य-वार अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत किसी भी राज्य को अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय को मणिपुर एवं उत्तर प्रदेश राज्यों से एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत निधियों के वितरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2007-08 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत रिलीज की गई अतिरिक्त राशि	वर्ष 2008-09 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत रिलीज की गई अतिरिक्त राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	26.41	अब तक किसी भी राज्य को अतिरिक्त राशि रिलीज नहीं की गई है।
2.	असम	1450.37	
3.	मणिपुर	8.06	
4.	मेघालय	7.91	
5.	मिजोरम	25.44	
6.	नागालैण्ड	31.59	
7.	सिक्किम	27.91	
8.	त्रिपुरा	175.55	

विवरण-II

क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम	लगाए गए आरोप	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
मणिपुर			
1.	श्री नगुरसंगलूर, सदस्य, मणिपुर विधान सभा	यह आरोप लगाया गया था कि मणिपुर सरकार बांस में फूल लगने एवं चूहों के उत्पात की वजह से आए अकाल को ध्यान में रखते हुए एन.आर.ई.जी.एस. निधियों का उपयोग एफ.सी.एस. चावल खरीदने के लिए कर रही है।	यह शिकायत राज्य सरकार को अप्रैल, 2008 में भेजी गई थी उसके बाद 5-5-2008 को अनुस्मारक भेजा गया। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत किसी भी धनराशि का उपयोग एफ.सी.एस. चावल खरीदने के लिए नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने

1	2	3	4
			राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत मजदूरी के हिस्से के रूप में खाद्यान्न के वितरण के संबंध 16-2-2008 और 13-3-2008 को आदेश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश			
1.	"द हिन्दू" दिनांक 10-09-2008 और "द इंडियन एक्सप्रेस" दिनांक 20-9-2008 में प्रकाशित दो लेख	उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के सात जिलों में पौधरोपण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 409 करोड़ रु. की राशि में से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत आबंटित निधियों में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 219 करोड़ रु. का विपथन किया गया।	(i) शिकायत दिनांक 10-9-2008 को राज्य सरकार को भेजी गई थी। राज्य सरकार ने बताया है कि वनरोपण एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत एक अनुमोदित कार्य है और इसे बुन्देलखंड क्षेत्र में काफी समय बाद हुई अच्छी बारिश का सदुपयोग करने के लिए इसे कार्यान्वित किया गया था। सरकार ने इस क्षेत्र में पौधारोपण का एक व्यापक अभियान चलाया है। बुन्देलखंड के सात जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा पौधारोपण हेतु वन विभाग को एन.आर.ई.जी.एस. में से 56.01 करोड़ रु. की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जिनमें से 30-9-2008 तक 43.27 करोड़ रु. उपयोग किए गए। राज्य सरकार ने पौधों की लागत राज्य स्रोतों से वहन करने का निर्णय लिया है। एन.आर.ई.जी.एस. के तहत अनुमोदित श्रेणी के किसानों की जमीन पर फलों के पौधे लगाने के लिए उद्यान विभाग को 4.25 करोड़ रु. की निधियां प्रदान की गई थीं जिनमें से अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि कार्यस्थल पर सत्यापन संबंधी प्रक्रिया चल रही है। अतः एन.आर.ई.जी.ए. से 219 करोड़ रु. के अंतरण और उसके दुरुपयोग का आरोप सही नहीं है। राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत जांच का आदेश दिया था। राज्य मुख्यालय से भेजे गए अधिकारियों के जांच दल के निष्कर्षों से यह प्रतीत होता है कि एक राजनीतिक दल द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं है। (ii) इस मामले की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के दो दलों द्वारा जांच की गई थी। उक्त राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार कथित आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्ताव

20. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को गुजरात सहित राज्य सरकारों से क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का परियोजना-वार/राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) से (ग) हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए प्रतिवर्ष ब्लॉकों/जिलों की प्राथमिकता सूचियां राज्यों से आमंत्रित की जाती हैं। एक परियोजना स्वीकृति समिति, जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल होता है, द्वारा इन प्राथमिकता सूचियों में से नई आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। ये परियोजनाएं चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात् बंजरभूमि के विस्तार, कार्यान्वयन में राज्यों के निष्पादन और निधियों की उपलब्धता के आधार पर अनुमोदित की जाती हैं। भूमि संसाधन विभाग के स्तर पर आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत कोई परियोजना प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विभाग द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाओं को हनुमंत राव समिति (1994) द्वारा राज्य में डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. कवरेज के आधार पर पहचान किए गए ब्लॉकों में चल रही परियोजनाओं के निष्पादन और प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात् उपलब्ध बजट के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए निधियां 15%, 30%, 30%, 15% और 10% की पांच किस्तों में जारी की जाती हैं। पहली किस्त को परियोजना की स्वीकृति के समय स्वत: जारी कर दिया जाता है और बाद की किस्त पिछली किस्त के लिए जारी की गई निधियों के 50% भाग से अधिक का उपयोग कर लिए जाने के उपरांत जारी की जाती है। वित्त वर्ष के अंत में निधियां व्यपगत नहीं होती हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कार्यक्रम-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार अनुमोदित की गई परियोजनाओं और जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से VI में दिया गया है।

विवरण-I

डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (11-2-2009)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	342	360	कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है	कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है
बिहार	90	90		
छत्तीसगढ़	135	140		
गुजरात	290	295		
हिमाचल प्रदेश	47	47		

1	2	3	4	5
जम्मू-कश्मीर	77	77		
झारखण्ड	234	142		
कर्नाटक	265	265		
मध्य प्रदेश	310	333		
महाराष्ट्र	360	436		
उड़ीसा	170	173		
राजस्थान	115	120		
तमिलनाडु	190	208		
उत्तर प्रदेश	190	201		
उत्तरांचल	105	109		
पश्चिम बंगाल	80	80		
योग	3000	3076		

टिप्पणी: प्रत्येक माइक्रो वाटरशेड परियोजना में लगभग 500 है. क्षेत्र शामिल होता है।

विवरण-II

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (11-02-08)	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	53.82	41.31	56.24	53.08	204.45
2.	बिहार	3.79	3.03	0.20	0.00	7.02
3.	छत्तीसगढ़	16.75	8.26	13.92	21.74	60.67
4.	गुजरात	29.11	35.97	16.34	34.02	115.44
5.	हिमाचल प्रदेश	6.60	3.69	8.35	7.76	26.40

1	2	3	4	5	6	7
6.	जम्मू-कश्मीर	2.60	2.60	0.00	6.40	11.60
7.	झारखण्ड	15.56	4.79	0.00	2.90	23.25
8.	कर्नाटक	27.36	31.76	44.46	39.25	142.83
9.	मध्य प्रदेश	53.28	53.74	53.16	54.99	215.17
10.	महाराष्ट्र	44.49	57.53	54.21	58.59	214.82
11.	उड़ीसा	20.91	14.81	23.93	23.51	83.16
12.	राजस्थान	17.12	25.82	13.96	17.91	74.81
13.	तमिलनाडु	16.60	30.63	32.01	31.90	111.14
14.	उत्तर प्रदेश	26.44	34.67	49.40	35.43	145.94
15.	उत्तराखण्ड	14.67	7.69	14.62	5.86	42.84
16.	पश्चिम बंगाल	3.88	2.70	2.68	3.63	12.89
	योग	352.98	359.00	383.48	396.97	1492.43

विवरण-III

मरूभूमि विकास कार्यक्रम
स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं. (बैच-वार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (15-12-2008)
1.	आन्ध्र प्रदेश	134	148	कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है	कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है
2.	गुजरात	370	420		
3.	हरियाणा	140	159		
4.	हिमाचल प्रदेश	46	48		
5.	जम्मू-कश्मीर	50	62		
6.	कर्नाटक	198	220		
7.	राजस्थान	1062	1213		
	योग	2000	2270		

प्रत्येक परियोजना में 500 है. क्षेत्र शामिल है।

विवरण-IV

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (11-2-2009)	योग
आन्ध्र प्रदेश	27.61	18.00	28.30	35.02	108.93
गुजरात	54.46	35.04	65.59	73.01	228.1
हरियाणा	17.56	12.34	28.74	9.58	68.22
हिमाचल प्रदेश	3.86	9.25	2.17	6.44	21.72
जम्मू-कश्मीर	12.95	4.49	7.39	2.75	27.58
कर्नाटक	19.56	29.63	35.07	42.49	126.75
राजस्थान	131.98	160.25	98.18	176.72	567.13
योग	267.98	269.0	265.44	346.01	1148.43

विवरण-V

आई.डब्ल्यू.डी.पी. - गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं एवं क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य	2005-06		2006-07	
		परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	24	139500	20	121000
2.	बिहार	22	110000	23	112000
3.	छत्तीसगढ़	21	99575	21	102076
4.	गोवा	2	2920		

1	2	3	4	5	6
5.	गुजरात	21	105000	16	80000
6.	हरियाणा	7	26000	4	16500
7.	हिमाचल प्रदेश	21	93592	8	39083
8.	जम्मू-कश्मीर	16	91711	9	45000
9.	झारखण्ड	6	30000	5	28234
10.	कर्नाटक	22	113780	22	116714
11.	केरल	18	75346	5	29091
12.	महाराष्ट्र	14	70000	31	154864
13.	मध्य प्रदेश	29	145060	26	151283
14.	उड़ीसा	22	112639	21	108200
15.	पंजाब	8	31482	1	4245
16.	राजस्थान	21	106986	22	109252
17.	तमिलनाडु	27	134234	10	50730
18.	उत्तर प्रदेश	25	125000	38	193277
19.	उत्तरांचल	17	89211	10	51569
20.	पश्चिम बंगाल	11	30053	11	58712
	योग	**354**	**1732089**	**303**	**1571830**
			पूर्वोत्तर राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	35	70000	79	191000
2.	असम	23	138000	37	221920
3.	मणिपुर	8	49000	9	58000
4.	मेघालय	45	56500	46	88000
5.	मिजोरम	17	136000	8	64000
6.	नागालैण्ड	5	40500	3	24000
7.	सिक्किम	5	14342	4	21700

1	2	3	4	5	6
8.	त्रिपुरा	5	25400	6	27971
	योग	**143**	**529742**	**192**	**696591**
	कुल योग	497	2261831	495	2268421

वर्ष 2007-08 और 2008-09 (11-02-2009 की स्थिति के अनुसार) के दौरान कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई हैं।

विवरण-VI

आई.डब्ल्यू.डी.पी. - गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (11-2-09)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4046.95	3563.06	3713.46	4070.78
2.	बिहार	990.00	951.41	199.57	732.1
3.	छत्तीसगढ़	2026.44	2295.67	2574.75	2856.54
4.	गोवा	24.10	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	2418.52	2713.08	2356.55	2470.96
6.	हरियाणा	594.32	547.99	445.31	363.96
7.	हिमाचल प्रदेश	2662.51	1754.56	2785.57	2171.51
8.	जम्मू-कश्मीर	1120.45	661.74	596.52	455.02
9.	झारखण्ड	303.25	232.93	290.31	679.43
10.	कर्नाटक	2495.94	3206.49	2292.29	4131.6
11.	केरल	778.17	260.05	201.36	921.45
12.	महाराष्ट्र	2051.93	1967.91	1647.23	2135.41
13.	मध्य प्रदेश	4857.38	3111.57	5697.46	5694.97
14.	उड़ीसा	2307.44	2062.00	1793.91	2607.01
15.	पंजाब	302.87	350.80	250.17	360.13

1	2	3	4	5	6
16.	राजस्थान	2401.67	4276.32	4845.23	4151.31
17.	तमिलनाडु	2600.44	2692.45	2707.01	3216.55
18.	उत्तर प्रदेश	3222.78	4736.16	5582.07	6505.55
19.	उत्तरांचल	1688.02	1123.27	1667.40	2072.64
20.	पश्चिम बंगाल	464.57	627.18	262.27	512.94
	योग	**37357.74**	**37134.66**	**39908.45**	**46109.86**
			पूर्वोत्तर राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	1061.37	2583.77	1563.57	2066.17
2.	असम	3373.90	3102.23	2705.23	3115.27
3.	मणिपुर	553.52	1634.93	449.58	803.48
4.	मेघालय	804.01	1202.51	547.37	430.86
5.	मिजोरम	1122.00	857.86	3128.82	1862.56
6.	नागालैण्ड	3886.19	1098.17	2964.28	2306.05
7.	सिक्किम	165.55	274.95	386.14	260.08
8.	त्रिपुरा	308.48	538.08	0.00	158.38
	पूर्वोत्तर राज्य का योग	**11275.01**	**11292.50**	**11745.00**	**11002.85**
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का योग	48632.75	48427.16	51653.45	57112.71

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

21. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री महावीर भगोरा:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेजी से बढ़ती हुई विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) अपर्याप्त क्षमता अभिवृद्धि, कोयले, गैस तथा

नाभिकीय ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता, ठेकेदारों द्वारा शेष संयंत्र कार्यों को पूरा करने में विलंब के कारण उत्पादन इकाइयों का वाणिज्यिक प्रचालन हो पाने में विलंब तथा राज्य यूटिलिटियों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उनके द्वारा पर्याप्त उत्पादन, पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सृजन करने में अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में कठिनाई होने जैसे मुख्य कारणों से, विद्युत की मांग में हुई वृद्धि के मुकाबले में विद्युत उत्पादन की वृद्धि की वर्तमान दर कम रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विद्युत नीति में "2012 तक सभी के लिए विद्युत" तथा विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 2011-12 तक लगभग 1000 यूनिटों से अधिक बढ़ाए जाने की परिकल्पना की गई है। योजना आयोग ने 11वीं योजना के दौरान 78,700 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें 11,937 मेगावाट तक की कुल क्षमता 31-1-2009 तक पहले ही चालू की जा चुकी है और शेष क्षमता निर्माणाधीन है। निकट भविष्य में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में तरल ईंधन पर गैस आधारित विद्युत स्टेशन की अनपेक्षित क्षमता के उपयोग, चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की गहन निगरानी, कोयले की घरेलू उपलब्धता और उसकी मांग के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए इसका आयात, ग्रिड में अधिशेष कैप्टिव विद्युत को डालना, पुरानी और अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण, जीवन विस्तार तथा उन्नयन से उपलब्ध स्रोतों से उत्पादन में सुधार करने आदि जैसे कार्य शामिल हैं।

दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार

22. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर वर्ष 2010 तक दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा दिल्ली में अपने नेटवर्क का कितने किलोमीटर तक विस्तार करने की योजना है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन मार्गों की पहचान की गई है;

(ग) उक्त प्रत्येक मार्ग का कार्य किस तारीख तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) लिमिटेड ने वर्ष 2010 तक सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 121.765 कि.मी. मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़ाने की योजना बनाई है। इसमें से, 20.16 कि.मी. अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय-बदरपुर कॉरीडोर वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से सीधा जुड़ा हुआ है। इससे खेलों के मुख्य स्थल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तुगलकाबाद डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज के साथ संपर्क स्थापित होगा।

(ख) और (ग) अनुमोदित कॉरीडोरों के मार्ग और प्रत्येक मार्ग के निर्माण के पूरा होने की संभावित तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) डी.एम.आर.सी. ने बताया है कि कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	परियोजना	लंबाई (कि.मी. में)	पूरा करने की संभावित तारीख
1	2	3	4
1.	**दिल्ली एम.आर.टी.एस. चरण-II**		
	शाहदरा-दिलशाद गार्डन	3.09	दिनांक 30-06-2008 को आरंभ

1	2	3	4
	विश्वविद्यालय-जहांगीरपुरी	6.36	दिनांक 03-02-2009 को आरंभ
	इन्द्रप्रस्थ-न्यू अशोक नगर	8.07	30-06-2009
	यमुना बैंक-आनंद विहार, आई.एस.बी.टी.	6.16	31-12-2010
	इन्द्रलोक-मुंडका	18.47	31-03-2010
	केन्द्रीय सचिवालय-कुतुबमीनार	12.525	30-06-2010
2.	कुतुबमीनार से सुशांत लोक (गुड़गांव) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	14.47	31-07-2010
3.	दिल्ली में न्यू अशोक नगर से नौएडा सेक्टर-32 (उत्तर प्रदेश) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	7.0	30-06-2009
4.	केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर	20.16	30-09-2010
5.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई.जी.आई. एयरपोर्ट तक हाई स्पीड एक्सप्रैस लिंक	19.2	31-08-2010
6.	आई.जी.आई. एयरपोर्ट से द्वारका सैक्टर-21 तक एक्सप्रैस लिंक	3.50	30-09-2010
7.	द्वारका सैक्टर-9 से सैक्टर-21 तक मेट्रो लिंक	2.76	30-09-2010
	कुल	121.765	

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाएं

23. श्री पी.सी. थामस:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी केरल सहित देश के जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें, जलापूर्ति, आवास इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुविधाओं के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे राज्यवार कितनी जनजातियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (ङ) जी, हां। देश में जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर नहीं हैं। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अथवा इसके क्षेत्र से संबंधित विभाग नोडल मंत्रालय है; इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना के उन्नयन और सृजन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ताकि सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, कृषि, खेल-संवर्धन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतराल को कम किया जा

सके। विकास योजनाओं के लिए प्राथमिकता का निर्धारण और निष्पादन स्थानीय क्षेत्र और वहां के लोगों की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 11वीं योजना के दौरान राज्य सरकार की नीति जनजातीय परिवारों की मूल आवश्यकताओं जैसे बेघरों को घर, सभी भूमिहीन परिवारों को भूमि और जनजातियों को पेयजल, बिजली और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आबंटन 2121.00 करोड़ रुपए है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाएं/कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और निधियां उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचता है। लाभार्थियों की संख्या से संबंधित आंकड़े मंत्रालय द्वारा विशिष्ट रूप से नहीं रखे जाते।

परिवहन कोष की स्थापना

24. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री सूरज सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए पेट्रोल पर अतिरिक्त बिक्री कर लगाकर, चार पहियों वाले वाहनों पर पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करके और कंजेशन कर तथा ग्रीन टैक्स लगाकर निर्धारित परिवहन कोष की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी.) 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का परामर्श दिया गया है। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट रूप से राज्य स्तर और केन्द्र स्तर पर एक निर्धारित परिवहन कोष की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है जिससे कि पेट्रोल और डीजल करों के पूरक के रूप में नगरों/राज्यों के अन्दर शहरी परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, भू-स्वामियों पर बेहतर कर और कर्मचारियों आदि पर नियोजन कर की भी पूर्ति की जा सके।

(ग) और (घ) गुजरात में सूरत शहर में और महाराष्ट्र में पिम्पी चिंचवाड़ शहर में निर्धारित शहरी परिवहन कोष की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश

25. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत उत्पादक कंपनियों को अपने पूंजी निवेश पर 15.5 प्रतिशत लाभ अर्जित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। समुचित विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, टैरिफ के निर्धारण हेतु शर्तों एवं निबंधनों को विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसा करने में, उसे राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति सहित अधिनियम की धारा 61 के उपबंधों द्वारा दिशा-निर्देशित किया जाएगा। टैरिफ नीति में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) पर इक्विटी पर रिटर्न की दर को अधिसूचित करने के दायित्व का वर्णन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति के पैरा 5.3 (क) में व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक

आयोग समग्र जोखिम के मूल्यांकन तथा पूंजी की प्रचलित लागत को ध्यान में रखते हुए उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के लिए इक्विटी पर रिटर्न की दर को समय-समय पर अधिसूचित करेगा।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2009-14 के लिए टैरिफ की शर्तों एवं निबंधनों पर विनियम जारी किए हैं जो कि 1-4-2009 से प्रभावी होंगे। विनियम 15 (संगत भाग की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है) में व्यवस्था की गई है कि इक्विटी पर रिटर्न की गणना 15.5% की आधार दर पर कर के पूर्व आधार पर की जाएगी। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि 1 अप्रैल, 2009 को अथवा उसके पश्चात् शुरू की गई परियोजनाओं के मामले में 0.5% की अतिरिक्त रिटर्न की अनुमति प्रदान की जाएगी, यदि ये परियोजनाएं समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाती हैं और यदि किन्हीं कारणों से विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो पाती है तो यह स्वीकार्य नहीं होगा।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 जनवरी 2009

*15. **इक्विटी पर रिटर्न** (1) इक्विटी पर रिटर्न की गणना विनियम 12 के अनुसार निर्धारित इक्विटी आधार पर रुपये के संबंध में की जाएगी।

(2) इक्विटी पर रिटर्न की गणना इस विनियम के खंड (3) के अनुसार एकत्रीकरण किए जाने वाले 15.5% की आधार दर पर कर पूर्व के आधार पर की जाएगी।

परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2009 को अथवा उसके पश्चात् शुरू की गई परियोजनाओं के मामले में 0.5% की अतिरिक्त रिटर्न की अनुमति प्रदान की जाएगी यदि ये परियोजनाएं विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाती है।

परंतु यह और कि 0.5% की अतिरिक्त रिटर्न स्वीकार नहीं होगी यदि किन्हीं कारणों से उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर यह परियोजना पूरी नहीं हो जाती है।

(3) इक्विटी पर रिटर्न की दर की गणना संबंधित उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण लाइसेंसी, जैसी भी स्थिति हो, को लागू वर्ष 2008-09 के लिए सामान्य कर दर के साथ आधार दर के एकत्रीकरण द्वारा की जाएगी।

परंतु यह कि टैरिफ अवधि के दौरान संबंधित वर्ष के संबंधित वित्तीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप यथास्थिति, उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण आइसेंसी को लागू वास्तविक कर दर से संबंधित इक्वीटी पर रिटर्न की गणना आगामी टैरिफ अवधि के लिए दायर की गई टैरिफ याचिका के साथ टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक रूप से की जाएगी।

(4) इक्विटी पर रिटर्न की दर को तीन दशमलव बिन्दुओं की दर तक लाया जाएगा और इसकी गणना नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार की जाएगी।

इक्विटी पर कर पूर्व रिटर्न की दर = आधार दर/(1-टी)

जहां यह इस विनियम के खंड (3) के अनुसार लागू कर दर है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

26. श्री मोहन सिंह:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री टेकलाल महतो:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री के.एस. राव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त कई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अब भी सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अपने प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):

(क) से (ङ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.), जो आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए नोडल एजेंसी है, में 619 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 11वीं योजना अवधि के दौरान आर.जी.जी.वी.वाई. के चरण-I के कार्यान्वयन के लिए 28,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी के अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए आर.जी.जी.वी.वाई. पर मॉनीटरिंग समिति ने मंजूरियों के लिए 619 प्रस्तावों में से 558 प्रस्तावों की पहचान की गई है। 1 फरवरी, 2009 तक प्राप्त, स्वीकृत और अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ राज्यों ने लंबित प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया है। इन लंबित प्रस्तावों की मंजूरी निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विवरण

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति

(01-02-2009 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	10वीं योजना के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव	11वीं योजना के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव	अब तक स्वीकृत कुल प्रस्ताव	आर.ई.सी. के साथ लंबित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	17	9	26	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	2	14	16	0
3.	असम	23	3	20	23	0
4.	बिहार	44*	26	17	43	0
5.	छत्तीसगढ़	16	3	10	13	3
6.	गुजरात	25	3	22	25	0
7.	हरियाणा	20	4	14	18	2
8.	हिमाचल प्रदेश	12	1	11	12	0
9.	जम्मू-कश्मीर	14	3	11	14	0
10.	झारखण्ड	22	13	9	22	0
11.	कर्नाटक	27	17	7	24	3
12.	केरल	14	1	0	1	13
13.	मध्य प्रदेश	48	8	21	29	19
14.	महाराष्ट्र	34	4	30	34	0

1	2	3	4	5	6	7
15.	मणिपुर	9	2	2	4	5
16.	मेघालय	7	2	5	7	0
17.	मिजोरम	8	2	6	8	0
18.	नागालैण्ड	11	2	9	11	0
19.	उड़ीसा	31	4	27	31	0
20.	पंजाब	17	0	17	17	0
21.	राजस्थान	41	25	16	41	0
22.	सिक्किम	4	2	2	4	0
23.	तमिलनाडु	29	0	26	26	3
24.	त्रिपुरा	4	1	3	4	0
25.	उत्तर प्रदेश	71	64	0	64	7
26.	उत्तराखंड	13	13	0	13	0
27.	पश्चिम बंगाल	33	13	15	28	5
	कुल	619	235	323	558	60

एन.बी.-1 *एन.एच.पी.सी./बी.एस.ई.बी. द्वारा पश्चिमी चंपारण का एक डी.पी.आर. वापस लिया गया क्योंकि 392 अविद्युतीकृत गांवों, 524 गांवों का निर्विद्युतीकरण गांवों का पुन:विद्युतीकरण के क्रियान्वयन की मंजूरी 11वीं योजना अवधि में दी गई है। इस पर कार्य हो रहा है।

[अनुवाद]

यातायात समस्याओं के समाधान हेतु कार्ययोजना

27. **डा. के. धनराजू:**

श्री रनेन बर्मन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर देश के बड़े शहरों में यातायात की चिंताजनक समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर की कोई कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) शहरी परिवहन पर बढ़ते दबाव की तेजी से बढ़ती हुई समस्या को दूर करने की गंभीरता को महसूस करते हुए, केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी.) बनाई। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत भू-उपयोग एवं परिवहन आयोजना, सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग, मोटर रहित परिवहन के साधनों तथा सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली प्रोत्साहित की गयी है। इसमें सार्वजनिक परिवहन, मोटर रहित परिवहन एवं सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली इत्यादि में निवेश को विधिवत प्राथमिकता देते हुए शहरी परिवहन में निवेशों हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं।

कुपोषण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड

28. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने कुपोषण संबंधी नए मानदंडों की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है; और

(ग) ये मानदंड वर्तमान मानदंडों की तुलना में कितने भिन्न तथा लाभकारी हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि समेकित बाल विकास सेवा स्कीम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से बच्चों के विकास का मानीटरन करने के लिए 15-8-2008 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए बाल विकास मानकों का पालन किया जाए।

(ग) (i) विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए विकास मानकों का पालन करने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित से संबंधित आकलनों में परिवर्तन हुआ:

(क) सामान्य वजन वाले बच्चों की कुल संख्या में वृद्धि हुई;

(ख) अत्यधिक कम वजनी बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई;

(ग) 6 मास तक की आयु के कम वजनी बच्चों (आंशिक/मध्यम/अत्यधिक) की संख्या में वृद्धि हुई।

(ii) कम वजनी बच्चों का सही प्रकार से निर्धारण समय रहते उन्हें आवश्यक पोषण प्रदान करने हेतु लाभदायक होगा, जिससे पोषाहारीय स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

(iii) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के कुपोषित एवं गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 42.5 और 15.8 है।

(iv) नए और पुराने मानकों के बीच विद्यमान अंतर इस प्रकार हैं:

(क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में अब तक प्रयुक्त किए जा रहे हारवर्ड मानकों की तुलना में नए मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वर्गीकरण मानक विचलन पर आधारित हैं।

(ख) नए मानक बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग हैं, जबकि पुराने मानक बालकों एवं बालिकाओं दोनों के लिए एक समान हैं।

(ग) नए मानक निर्देशात्मक हैं, जबकि पुराने मानक विवरणात्मक हैं।

मॉडल रियल इस्टेट रेग्यूलेशन बिल

29. श्री अबू अयीश मंडल:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संपत्ति क्षेत्र में बेइमान तत्वों पर नियंत्रण तथा संपत्ति के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए मॉडल रियल इस्टेट रेग्यूलेशन बिल तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में निजी आवास निर्माण कंपनियों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण तथा विनियमन हेतु कोई अन्य तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न वर्गों से ऐसी निजी निर्माण कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 20-1-2009 को आयोजित आवास, शहरी विकास और म्युनिसिपल प्रशासन से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मंत्रालय

द्वारा माडल स्थावर संपदा विनियमन विधेयक तैयार किए जाने की सिफारिश की है। संविधान के अंतर्गत "भूमि" और "उपनिवेश" राज्य विषय होने के कारण, ऐसे विधेयक का ढांचा तैयार करने और सर्व सम्मति के लिए राज्य सरकारों, प्रख्यात विशेषज्ञों और अन्य स्टाक होल्डरों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ग) और (घ) निजी विकासकों और निर्माताओं का विनियमन राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो राज्य नगर और ग्राम नियोजन/शहर विकास प्राधिकरण अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

(ङ) और (च) मकान खरीदने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने संबंधी मुद्दों को विभिन्न मंचों पर उठाया गया है तथा इन मुद्दों के समाधान के लिए माडल स्थावर संपदा विनियमन विधेयक तैयार करने तथा सर्वसम्मति बनाने के लिए परामर्शी प्रक्रिया शुरू की गई है।

सिर पर मैला ढोने वाले

30. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने देश में एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने हेतु व्यापक योजनाएं बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों से मैनुअल स्केवेंजर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स (प्रोहीबिशन) एक्ट, 1993 को लागू करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। एन.एच.आर.सी. के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्युत्तर से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों का नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अपनाए जाने की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	स्थिति
1.	आन्ध्र प्रदेश	अपनाया गया
2.	अरुणाचल प्रदेश	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
3.	असम	अपनाया गया
4.	बिहार	अपनाया गया
5.	छत्तीसगढ़	अपनाया गया
6.	दिल्ली	अपनाया गया
7.	गोवा	अपनाया गया
8.	गुजरात	अपनाया गया
9.	हरियाणा	अपनाया गया
10.	हिमाचल प्रदेश	नगर पालिका का अपना अधिनियम
11.	जम्मू-कश्मीर	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
12.	झारखण्ड	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
13.	कर्नाटक	अपनाया गया
14.	केरल	अपनाया गया
15.	मध्य प्रदेश	अपनाया गया
16.	महाराष्ट्र	अपनाया गया
17.	मणिपुर	अपनाया गया
18.	मेघालय	अपनाया गया
19.	मिजोरम	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	स्थिति
20.	नागालैंड	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित। उत्तर दिया कि मैला ढोने वाला कोई नहीं है।
21.	उड़ीसा	अपनाया गया
22.	पंजाब	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
23.	राजस्थान	उनका अपना अलग अधिनियम है
24.	सिक्किम	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
25.	तमिलनाडु	अपनाया गया
26.	त्रिपुरा	अपनाया गया
27.	उत्तर प्रदेश	अपनाया गया
28.	उत्तराखंड	अपनाया गया
29.	पश्चिम बंगाल	अपनाया गया
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अपनाया गया
31.	चंडीगढ़	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
32.	दादरा एण्ड नगर हवेली	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
33.	दमन व द्वीव	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
34.	लक्षद्वीप	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित
35.	पांडिचेरी	प्रत्युत्तर प्रतीक्षित

सोलर शहर

31. श्री एल. राजगोपाल: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में किसी शहर को सोलर शहर घोषित करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) उन शहरों का ब्यौरा क्या है, जिनकी सरकार द्वारा देश में सोलर शहरों के रूप में विकसित करने के लिए पहचान की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) एक अभिचिन्हित शहर को सौर शहर के रूप में विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड यह है कि ऊर्जा दक्षता उपायों और अक्षय ऊर्जा संस्थापनाओं के माध्यम से उसके मास्टर प्लान में पांच वर्षों के अंत में पारंपरिक ऊर्जा की उसकी अनुमानित मांग में न्यूनतम 10% की कमी करना है। इन शहरों की जनसंख्या 0.5 से 5 मिलियन के बीच होगी जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए छूट होगी।

(ख) योजना के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकारों द्वारा अभिचिन्हित शहरों के आधार पर अब तक 15 शहरों नामत: आगरा, मुरादाबाद, राजकोट, गांधीनगर, नागपुर, कल्याण-डोम्बीवली, इंदौर, इम्फाल, कोहिमा, देहरादून, चंडीगढ़, गुड़गांव, कोयम्बतूर, विशाखापटनम और ठाणे को उनके मास्टर प्लान तैयार करने के लिए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन दे दिए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति की दरों में वृद्धि

32. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों ने डी.डी.ए. द्वारा उन्हें की जा रही जल आपूर्ति की दरों में वृद्धि के खिलाफ आपत्ति उठाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि डी.डी.ए. द्वारा जलापूर्ति की दर में वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए कोआपरेटिव सोसाइटियों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन

33. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित विद्युत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न कर पाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किये गये हैं संपूर्ण पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं। 2008-09 के दौरान उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य 774.3 बिलियन यूनिट (बी.यू.) है और जनवरी, 2009 के अंत तक वास्तविक उत्पादन 601.117 बी.यू. था, जो अवधि के दौरान आनुपातिक लक्ष्य (646.442 बी.यू.) का लगभग 93 प्रतिशत है। उत्पादन में कम उपलब्धि के मुख्य कारण कुछ नई ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त करने में देरी, गैस कोयला एवं न्यूक्लीयर ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता, कुछ विद्यमान ताप यूनिटों की जबरन बंदी की लम्बी अवधि तथा जलाशय एवं जल विद्युत स्टेशनों के आवाह क्षेत्रों में देरी से वर्षा एवं अपर्याप्त वर्षा है।

(ग) विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नलिखित हैं-

(i) लिक्विड ईंधन पर गैस आधारित विद्युत स्टेशनों की अनपेक्षित क्षमता का उपयोग सहित उपलब्ध संसाधनों से उत्पादन बढ़ाना।

(ii) 11वीं योजना में प्रस्तावित चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि की गहन निगरानी करना।

(iii) कोयले की घरेलू उपलब्धता एवं आवश्यकता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए कोयला आयात करना।

(iv) योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के दौरान 78,700 मे.वा. का क्षमता वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 31 जनवरी, 2009 तक समग्र 11,937 मे.वा. की परियोजनाएं चालू की गई हैं और शेष क्षमता निर्माणाधीन है।

(v) प्रत्येक 4000 मे.वा. की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास से बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

(vi) अधिशेष कैप्टिव विद्युत का ग्रिड में उपयोग करना।

(vii) भारत में विद्युत का आयात के लिए भूटान में नई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करना।

ताप विद्युत उत्पादन

34. श्री बसुदेव आचार्य: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी ताप विद्युत उत्पादन क्षमता और बढ़ाई गई है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने के लिए निर्धारित अनेक ताप विद्युत परियोजनाएं समय पर नहीं कार्यान्वित की जा सकीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल करने हेतु इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) 10वीं योजना के दौरान 12114.24 मेगावाट की थर्मल क्षमता जोड़ी गई थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान थर्मल क्षेत्र हेतु 59693.4 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) 14553.6 मेगावाट तक की थर्मल परियोजनाएं, जिन्हें 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया जाना निर्धारित था, विभिन्न कारणों के कारण समय पर कार्यान्वित नहीं की जा सकी थी जैसा कि संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

विवरण-I

क्षेत्र/राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	पिछड़ने के कारण
1	2	3	4	5	6
11वीं योजना से पिछड़ी परियोजनाएं					
केंद्रीय क्षेत्र					
बिहार	बाढ़ एस.टी.पी.पी.	एन.टी.पी.सी.	यू-1	660	आदेश देने में विलंब। मुख्य संयंत्र आदेश 14-3-2005 को दिया था।
	नॉर्थ करनपुरा टी.पी.पी.	एन.टी.पी.सी.	यू-1	660	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति में विलंब के कारण निवेश निर्णय में विलंब।
छत्तीसगढ़	सीपत एस.टी.पी. एस-I	एन.टी.पी.सी.	यू-1 व 2	1320	आदेश देने में विलंब/मुख्य संयंत्र आदेश 4/2004 में दिया गया था।
	सीपत एस.टी.पी. एस-II	एन.टी.पी.सी.	यू-4	660	भेल द्वारा उच्च प्रेशर भागों तथा डर्क्टिग सामग्री की समय से आपूर्ति न होना।
झारखंड	चन्द्रपुरा टी.पी.एस. विस्तार	डी.वी.सी.	यू-7 व 8	500	-डी.वी.सी. द्वारा भेल को स्थल सौंपने में विलंब। -कानून एवं व्यवस्था की समस्या।
	मैथन आर.बी.सी. टी.पी.पी.	डी.वी.सी.	यू-1 से 4	1000	परियोजना को टाटा विद्युत के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। -मुख्य संयंत्र आदेश देने में विलंब।
राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाइट टी.पी.पी.	एन.एल.सी.	यू-1 व 2	250	आदेश देने में विलंब। मुख्य संयंत्र आदेश 21-12-2005 को दिया गया था।
तमिलनाडु	नैवेली टी.पी.एस.-II विस्तार	एन.एल.सी.	यू-1 व 2	500	आदेश देने में विलंब। मुख्य संयंत्र आदेश 19-5-2005 को दिया गया था।

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	दादरी टी.पी.एस.-II	एन.टी.पी.सी.	यू-1	490	परियोजना एन.टी.पी.सी. द्वारा नहीं शुरू की गई थी।
		उप जोड़:		**6040**	
राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टी.पी.एस.-II	ए.पी.जेनको	यू-4	210	-भेल द्वारा आपूर्तियों में विलंब। -भेल द्वारा अपर्याप्त जन शक्ति।
असम	डब्ल्यू.एच.	ए.पी.जी.सी.एल.	एस.टी.	38	-मुख्य संयंत्र आदेश देने में विलंब। आदेश 4/2006 में दिया गया था।
छत्तीसगढ़	कोरबा पूर्व टी.पी.पी. चरण-V	सी.एस.ई.बी.	यू-2	210	बी.ओ.पी. के लिए आदेश देने में विलंब। भेल द्वारा आपूर्तियों में विलंब।
गुजरात	कच्छ लिग्नाइट	जी.एस.ई.सी.एल.	यू-4	75	-सामग्री नियंत्रण के लिए आदेश देने में विलंब। -भेल द्वारा अपर्याप्त जन शक्ति।
कर्नाटक	बेल्लारी टी.पी.पी.	के.पी.सी.एल.	यू-1	500	-भेल द्वारा आपूर्तियों में विलंब बी.ओ.पी. तैयारी न होना। -बी.ओ.पी. को आदेश देने में विलंब।
मध्य प्रदेश	बीरसिंगपुर टी.पी.एस. विस्तार चरण-III	एम.पी.पी.जी.सी.एल.	यू-5	500	भेल द्वारा आपूर्तियों में विलंब और बी.ओ.पी. की तैयारी न होना।
पंजाब	गुरू हरगोविंद टी.पी.एस.-II	पी.एस.ई.बी.	यू-3 व 4	500	बी.ओ.पी. के लिए आदेश देने में विलंब -भेल द्वारा आपूर्तियों में विलंब।
उत्तर प्रदेश	अनपरा-सी टी.पी.एस.	यू.पी.आर.वी.यू. एन.एल.	यू-1	500	-निधियों की कमी
पश्चिम बंगाल	बक्रेश्वर टी.पी.एस.-II	डब्ल्यू.बी.पी.डी. सी.एल.	यू-4 यू-5	210 210	-मुख्य संयंत्र आदेश विलंब से देने के साथ-साथ भेल द्वारा आपूर्तियों में विलंब के कारण 10वीं योजना से पिछड़ गई।

	सागरडिघी टी.पी.पी.	डब्ल्यू.बी.पी.डी. सी.एल.	यू-1	250	-सामग्री की आपूर्ति में विलंब। -सिविल कार्यों के आरंभ में विलंब।
		उप जोड़		3203	
निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	कोनासीमा सी.सी.पी.पी.	कोनासीमा ई.पी.एस.	जी.टी+एस.टी.	445	-गैस की अनुपलब्धता
	गौतमी सी.सी.पी.पी.	गौतमी पावर लि.	जी.टी+एस.टी.	464	-गैस की अनुपलब्धता।
महाराष्ट्र	रत्नागिरि सी.सी.पी.पी.-II	आर.जी.पी.पी.एल.	ब्लॉक-III	704	-निधियों की कमी।
पंजाब	गोइंदवाल टी.पी.पी.	जी.वी.के. पावर लि.	यू-1 व 2	500	-एस्क्रो कवर तथा कोयला मूल्य निर्धारण का मुद्दा निपटाया जाना है।
		उप जोड़		2113	
		कुल (पिछड़ी)	11356		
10वीं योजना लक्ष्य से हटाई गई परियोजनाएं					
केन्द्रीय क्षेत्र					
बिहार	कहलगांव एस.टी.पी.एस. (फेज-1)	एन.टी.पी.सी.	यू-5	160	-यूनिट के आकार में 660 मेगावाट से 500 मेगावाट तक संशोधन किया गया है।
त्रिपुरा	मोनार्चक सी.सी.पी.पी.	नीपको	जी.टी.+एस.टी.	500	-परियोजना को अब इसी स्थल पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा लिया गया है।
		कुल जोड़		660	
राज्य क्षेत्र					
झारखंड	तेनुघाट टी.पी.पी.-II	टी.वी.एन.एल.	यू-3	210	निधियों के लिए बातचीत पी.एफ.सी./वित्तीय संस्थानों से की जानी है। -ऋण के पुनः भुगतान के लिए राज्य की गारंटी की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
मेघालय	बाइरनहाटा डी.जी.पी.पी.	मेघालय सरकार	डी.जी.	24	-परियोजना प्राधिकारियों ने 10वीं योजना से परियोजना को छोड़ दिया है।
मेघालय	मेंडीपठार डी.जी.पी.पी.	मेघालय सरकार	डी.जी.	24	-परियोजना प्राधिकारियों ने 10वींयोजना में परियोजना को छोड़ दिया है।
पुदुचेरी	कराईकल सी.सी.पी.पी.	पी.पी.सी.एल.	जी.टी.+एस.टी.	100	-गैस लिंकेज की पुष्टि/नहीं हुई है।
राजस्थान	मैथानिया आई.एस.सी.सी.	आर.आर.ई.सी.एल.	जी.टी.+एस.टी.	140	-गेल के साथ जी.एम.ए. अभी हस्ताक्षरित किया जाना है। -मुख्य संयंत्र के लिए आदेश अभी दिया जाना है।
		कुल जोड़		498	
निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	जेगरूपाडु सी.सी.पी.पी. विस्तार	जी.वी.के. इंडस्ट्रीज	जी.टी.	10	-गैस टरबाईन क्षमता में 150 मेगावाट से 140 मेगावाट तक संशोधन किया गया।
	रामागुंडम टी.पी.पी.	बी.पी.एल.पावर परियोजना	यू-1 व 2	520	-एपीट्रांस्को द्वारा जारी समाप्ति नोटिस के परिणामस्वरूप, जो.ओ.ए.पी. ने इस परियोजना को ए.पी.जेनको द्वारा कार्यान्वित करवाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, जी.ओ.एम.पी. ने बी.पी.एल. से ए.पी.जेनको .को कोयला लिंकेज के स्थानांतरण हेतु कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया था।
बिहार	भीता टी.पी.पी.	–	यू-1	135	-निष्पादन एजेंसी का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।
गुजरात	जामनगर टी.पी.पी.	रिलायंस पावर लि.	यू-1 व 2	500	ई.पी.सी. ठेकेदार के परिवर्तन का मुद्दा विकासकर्त्ता द्वारा निपटाया नहीं गया है। -वित्तीय समापन प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्नाटक	कनीर्मिके सी.सी.पी.पी.	पीन्या पावर	जी.टी.+एस.टी.	107.6	-कोई एस्क्रो कवर नहीं है।
	हासन सी.सी.पी.पी.	हासन पावर कंपनी	जी.टी.+एस.टी.	189	-परियोजना के.ई.आर.सी. द्वारा स्वीकृत की जानी है। एल.एन.जी. को अब नेफ्था के स्थान पर ईंधन के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। एल.एन.जी. आपूर्ति के लिए बातचीत की जानी है।
मध्य प्रदेश	बीना टी.पी.पी.	बीना पावर सप्लाई कंपनी लि.	यू-1 व 2	578.0	-कोई एस्क्रो कवर नहीं है।
		उप जोड़		**2039.6**	
		कुल (हटा दी गई)		**3197.6**	
		कुल (पिछड़ी+हटा दी गई)		14553.6	

विवरण-II

11वीं योजना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कदम

1. संयंत्र उपकरण् और अन्य सामग्री की आपूर्ति की निगरानी, नियमित समीक्षा और अतिरिक्त जल पहल 11वीं योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम हैं। संयंत्र उपकरण और अन्य सामग्री की आपूर्ति में अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

- परियोजना स्थल, उत्पादन यूनिट, निगमित उत्पादन मुख्यालय तथा राष्ट्रीय परियोजना निगरानी बोर्ड के बीच बैन सम्बद्धता सहित उपकरणों की क्रमबद्ध आपूर्ति के साथ कार्यान्वयन हेतु पी.ई.आर.टी. चार्टों की तैयारी।

- देश में उपकरण उत्पादन आधार की वृद्धि एवं विविधिकरण।

- कोयला नियंत्रण संयंत्र, गाद नियंत्रण संयंत्र, डी.एस. संयंत्र, जल उपचार संयंत्र आदि जैसे शेष संयंत्र उपकरणों हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं का विकास।

- ट्रांसफार्मरों, स्विचगीयर, केबलों, कंडक्टरों, नियंत्रण पैनलों, पाइपिंग आदि जैसे उपकरणों के लिए उत्पादन क्षमता का विकास।

- चिमनी और कूलिंग टावर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों सहित सिविल ठेका एजेंसियों का विकास।

- बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए निर्माण एवं उत्थान उपकरण की उपलब्धता।

- सीमेंट, स्टील तथा अन्य जैसी निर्माण सामग्री की उपलब्धता।

2. सरकार ने समयबद्ध पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की निगरानी को सुदृढ़ बनाया है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं-

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने नियमित दौरों तथा निरंतर बातचीत के माध्यम से स्थल पर प्रगति की निरंतर और समीपता से निगरानी के लिए प्रत्येक चालू परियोजना से संबंध किए जाने वाले पदनामित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

- प्रत्येक चालू परियोजना से संबंद्ध क्रिटिकल माइलस्टोनों की समीक्षा हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) और अन्य पणधारियों के साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा शीघ्र समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

- क्रिटिकल परियोजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन एवं निगरानी के लिए विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पी.पी.एम.पी.) की स्थापना की गई है।

3. पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को गतिशील बनाया है कि अच्छी परियोजनाओं के निष्पादन में निधियों की कमी के कारण कोई रूकावट न आए।

[हिन्दी]

विधि आयोग की सिफारिशें

35. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री पंकज चौधरी:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने विधि आयोगों का गठन किया गया है और उनके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन आयोगों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इन विधि आयोगों द्वारा की गई ज्यादातर सिफारिशें सरकार के पास विचार और कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति):

(क) अंतिम दस वर्ष के दौरान तीन विधि आयोग अर्थात् 16वें (2000-03), 17वें (2003-2006) और 18वें (2007-2009) गठित किए गए हैं। उपाबद्ध सूची के अनुसार विभिन्न विषयों पर इन विधि आयोगों ने अभी तक 42 रिपोर्टें अर्थात् 175वीं रिपोर्ट से 216वीं रिपोर्ट तक प्रस्तुत की हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अभी तक प्रस्तुत की गई रिपोर्टें www.lawmin.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अंतिम दस वर्ष के दौरान 1-4-1999 से 11-2-2009 तक खर्च की गई रकम 17.96 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) 16वें, 17वें और 18वें विधि आयोग ने अभी तक 42 रिपोर्टें अर्थात् 175वीं से 216वीं तक प्रस्तुत की हैं। 209वीं तक की रिपोर्टों को पहले ही संसद् के समक्ष रख दिया गया है। 210वीं से 216वीं तक की रिपोर्टों को रखा जाना है। 18वें विधि आयोग ने 202वीं रिपोर्ट आगे प्रस्तुत की है। वर्तमान प्रास्थिति और विधि आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सरकार, विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 2005 से लंबित विधि आयोग की रिपोर्ट पर वार्षिक रूप से विवरण रखती आ रही है। इस संबंध में 4वां वार्षिक विवरण लोक सभा में 12-12-2008 को और राज्य सभा में 15-12-2008 को रखा गया था। अनुदानों की मांग (2008-2009) पर 26वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/संप्रेक्षणों पर की गई कार्रवाई के उत्तर पर इसकी 32वीं रिपोर्ट के पैरा 9.3 में संसदीय स्थायी समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह संप्रेक्षित किया है कि समिति यह वांछा करती है कि मंत्रालय को संबद्ध मंत्रालयों/विभागों का अनुसरण करते रहना चाहिए और यह आशा की जाती है कि यह विधि आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लंबित रहने को निश्चय ही कम करेगा।

विवरण-I

सोलहवां विधि आयोग

(न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवन रेड्डी, अध्यक्ष 2000-2001)

(न्यायमूर्ति श्री एम. जगन्नाथ राव, अध्यक्ष 2002-2003)

रिपोर्ट सं.	विषय	वर्ष
175	विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000	2000
176	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2002	2001
177	गिरफ्तारी से संबंधित विधि	2001
178	सिविल और आपराधिक, दोनों प्रकार की विभिन्न अधिनियमितियों में संशोधन की सिफारिशें	2001
179	सूचना देने वाले का जनहित प्रकटीकरण और संरक्षण	2001
180	भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) और मौन का अधिकार	2002
181	संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 का संशोधन	2002
182	भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 का संशोधन	2002
183	विधि की व्याख्या के लिए बाहरी सहायता की ग्राह्यता तथा संहिताकरण और भारत के विधि आयोग की 60वीं रिपोर्ट के कार्यान्वयन की संगतता/वांछनीयता के विशेष संदर्भ सहित साधारण खंड अधिनियम, 1897 का सांतत्यक	2002

रिपोर्ट सं.	विषय	वर्ष
184	विधि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के संशोधन का प्रस्ताव	2002
185	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का पुनर्विलोकन	2003

सत्रहवां विधि आयोग

(न्यायमूर्ति श्री एम. जगन्नाथ राव, अध्यक्ष 2003-2006)

रिपोर्ट सं.	विषय	वर्ष
186	पर्यावरण न्यायालय गठित करने का प्रस्ताव	2003
187	मृत्यु दंड देने का तरीका एवं आनुषंगिक मामले	2003
188	उच्च न्यायालयों में उच्च तकनीक त्वरित वाणिज्यिक प्रभाग (हाई-टेक फास्ट ट्रेक कॉमर्शियल डिविजन) गठित करने का प्रस्ताव	2003
189	न्यायालय फीस ढांचे का पुनरीक्षण	2004
190	बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 का पुनरीक्षण	2004
191	आपदा राहत के लिए एकत्रित धन का विनियमन करने के संबंध में	2004
192	क्लेशकर वादों की रोकथाम	2005
193	अन्य राष्ट्रों से संबंधित मुकदमे - विधियों में परस्पर विरोध - परिसीमन विधि	2005
194	स्टाम्प शुल्कों का सत्यापन तथा माध्यस्थम पंचाटों का रजिस्ट्रीकरण	2005
195	न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2005	2006
196	टर्मिनल III रोगियों का चिकित्सा उपचार (रोगियों और चिकित्सा व्यवसायियों का संरक्षण)	2006
197	लोक अभियोजकों की नियुक्ति	2006
198	गवाह की पहचान की सुरक्षा और गवाह की सुरक्षा कार्यक्रम	2006
199	संविदा के अऋजु (प्रक्रिया संबंधी और सारभूत) निबंधन	2006
200	मीडिया द्वारा विचारण: दंड प्रक्रिया के अधीन स्वतंत्र भाषण बनाम निष्पक्ष विचारण (न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में संशोधन)	2006
201	दुर्घटना के पश्चात् और प्रसूति महिला की आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था के दौरान चिकित्सीय उपचार	2006

अठारहवां विधि आयोग

(न्यायमूर्ति डा. ए.आर. लक्षमणन अध्यक्ष 2007-2009)

रिपोर्ट सं.	विषय	वर्ष
202	भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख में संशोधन का प्रस्ताव	2007
203	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (अग्रिम जमानत) द्वारा यथासंशोधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438	2008
204	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अधिनियम संख्यांक 2005 का 39 द्वारा यथासंशोधित करने का प्रस्ताव	2008
205	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य सहबद्ध विधियों में संशोधन करने का प्रस्ताव	2008
206	संपूर्ण भारत में लागू नया कोरोनर अधिनियम अधिनियमित करने के लिए प्रस्ताव	2008
207	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 में संशोधन, उस मामले में जहां वारिस रहित किसी महिला की वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई हो।	2008
208	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण में संशोधन का प्रस्ताव, ताकि 'विभाजन' की परिभाषा में मौखिक विभाजन और कौटुंबिक समझौते को शामिल किया जा सके।	2008
209	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से धारा 213 का लोप करने का प्रस्ताव	2008
210	आत्महत्या के प्रयास का मानवीकरण और निरअपराधीकरण	अक्तूबर, 2008
211	विवाह और तलाक के रजिस्ट्रीकरण संबंधी विधियां - समेकन और सुधार के लिए प्रस्ताव	अक्तूबर, 2008
212	भारत में सिविल विवाह की विधियां कतिपय विवादों का समाधान करने का एक प्रस्ताव	अक्तूबर, 2008
213	अनादृत चेक संबंधी मामलों के लिए त्वरित मजिस्ट्रेट न्यायालय	दिसम्बर, 2008
214	न्यायाधीश मामले I, II, III के पुर्नविचार के लिए प्रस्ताव - एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ जो ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 149 में रिपोर्ट किया गया, उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिक्ता बनाम भारत संघ 199 (4) एस.सी. सी. 441 और 1998 का विशेष निर्देश जो 1998 (7) एस.सी. सी. 739 में रिपोर्ट किया गया।	दिसम्बर, 2008
215	एल. चन्द्र कुमार द्वारा उच्चतम न्यायालय की बृहत्तर पीठ का पुनः निरीक्षण	दिसम्बर, 2008
216	भारत के उच्चतम न्यायालय में हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में आरंभ करने की असाध्यता	दिसम्बर, 2008

विवरण-II

रिपोर्ट सं.	विषय	संबद्ध मंत्रालय/ विभाग	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
175.	विदेशी विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000	गृह मंत्रलाय	कार्यान्वित की गई
176.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2002	विधायी विभाग	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2003 दिनांक 12 मई, 2006 को राज्य सभा से वापस ले लिया गया है। एक नया और विस्तृत विधेयक सदन में रखा जाएगा।
177.	गिरफ्तारी से संबंधित विधि	गृह मंत्रालय	राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए इस रिपोर्ट की जांच की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 नामक एक विधेयक दिनांक 23 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था विधेयक के अधिकतर उपबंध विधि आयोग की 177वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर हैं। इन सिफारिशों को पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2006 में शामिल किया जा चुका है। यह विधेयक गृह कार्यों की स्थायी संसदीय समिति के पास जांच करके रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया था। समिति ने दिनांक 16-8-2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए तथा और अधिक विचार के बाद, गृह मंत्रालय ने कुछ प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया था जिन पर सरकार ने विचार किया है। लिए गए निर्णयों के आधार पर संसद के आगामी सत्र के दौरान आधिकारिक संशोधन का प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस राज्य सभा सचिवालय को भेजा गया है।
178.	सिविल और आपराधिक, दोनों प्रकार की विभिन्न अधिनियमितियों में संशोधन की सिफारिशें	विधायी विभाग गृह मंत्रालय	इस रिपोर्ट में सिविल और आपराधिक कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। जहां तक इस मंत्रालय का प्रश्न है, इसका संबंध केवल दंड प्रक्रिया संहिता/भारतीय दंड संहिता में संशोधन संबंधी सिफारिशों से है। इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना है ताकि गवाह को पक्षद्रोही

1	2	3	4

होने से रोकने संबंधी प्रावधान किया जा सके। इन सिफारिशों को दिनांक 22 अगस्त, 2003 को राज्य सभा में पुनःस्थापित दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 में शामिल किया गया था। यह विधेयक गृह कार्यों की स्थायी संसदीय समिति को भेजा गया था। तथापि वह समिति इन सिफारिशों से सहमत नहीं हुई। तदनुसार, आधिकारिक संशोधनों के माध्यम से इन्हें विधेयक में से हटा दिया गया। (इस विधेयक में आधिकारिक संशोधन करने के पश्चात् इसे संसद के शीतकालीन सत्र 2005 में पारित कर दिया गया)। गवाह को पक्षद्रोही होने से रोकने के लिए, 178वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को पुनः प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, इन प्रस्तावों को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2006, में शामिल किया गया है जिसे संसद में पुरः स्थापित किया गया है। विधेयक को गृह कार्यों की स्थायी संसदीय समिति के पास जांच करके रिपोर्ट देने हेतु भेजा गया था। समिति ने दिनांक 16-8-2007 को अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने प्रस्तावों का विरोध किया है। सरकार ने मामले पर विचार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि उन प्रस्तावों, जिनमें गवाह (गवाहों) के बयान रिकार्ड करना अपेक्षित है, उन्हें छोड़ दिया जाए। कुछ प्रस्तावों, जिनके गृह मंत्रालय ने मसौदे तैयार किए थे, पर सरकार ने विचार किया है। लिए गए निर्णयों के आधार पर, संसद के आगामी सत्र के दौरान आधिकारिक संशोधनों का प्रस्ताव लाने का विचार है।

विधायी विभाग - रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है।

निम्नलिखित 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं:-

अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल।

1	2	3	4
179.	सूचना देने वाले का जनहित प्रकटीकरण और संरक्षण	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	मंत्रियों के दल ने दिनांक 15-3-2007 को हुई अपनी बैठक में लोक हित प्रकटन (सूचक का संरक्षण) विधेयक के मसौदे की जांच की। मंत्रियों के दल ने यह निदेश दिया कि पहले सचिवों की एक समिति इस विधेयक की जांच करे। तद्नुसार इस मामले को सचिवों की समिति को भेजा गया था। दिनांक 27-12-2007 को हुई अपनी बैठक में सचिवों की समिति ने प्रस्तावित विधान पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और यह सिफारिश की कि यह विधेयक अपने वर्तमान रूप में व्यवहार्य नहीं है और इसके स्थान पर एक नया विधेयक तैयार किया। सचिवों की समिति ने कुछ सुझाव भी दिए। दिनांक 24-3-2008 को सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीन एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गई जिसमें संयुक्त सचिव (सतर्कता) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी शामिल हैं, और विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के एक प्रतिनिधि भी शामिल हैं ताकि वह समिति सचिवों समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार "लोक हित प्रकटन" (सूचक का संरक्षण) पर एक विधेयक का प्रारंभिक मसौदा बना सके। समिति ने इस बारे में कुछ बैठकें भी आयोजित की हैं।
180.	भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) और मौन का अधिकार	गृह मंत्रालय	कार्यान्वित की गई
181.	संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 का संशोधन	विधायी विभाग	कार्यान्वित की गई
182.	भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 का संशोधन	भूमि संसाधन विभाग	मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 संसद के शीतकालीन सत्र, 2007 के दौरान लोक सभा में पेश किया गया है। वर्तमान में इस विधेयक पर ग्रामीण विकास की स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।
183.	विधि की व्यवस्था के लिए बाहरी सहायता की ग्राह्यता तथा संहिताकरण और भारत के विधि आयोग की 60वीं	विधायी विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है।

1	2	3	4
	रिपोर्ट के कार्यान्वयन की संगतता/वांछनीयता के विशेष संदर्भ सहित साधारण खंड अधिनियम, 1897 का सांतत्यक		निम्नलिखित सात राज्यों की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है:- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, नागालैंड और सिक्किम।
184.	विधि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव	विधि कार्य विभाग उच्चतर शिक्षा विभाग	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जाता रहा है। इस समय सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। इस विभाग ने बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्चतम शिक्षा विभाग से टिप्पणियां मांगी हैं। बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की टिप्पणियों की जांच की जा रही है।
185.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का पुनर्विलोकन	विधायी विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है। निम्नलिखित 11 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं:- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी।
186.	पर्यावरण न्यायालय गठित करने का प्रस्ताव	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	विधेयक का मसौदा तथा इस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया मंत्रिमंडलीय नोट यू.ओ. नोट सं. । (18)/2003 पी.एल. के तहत 4 जून, 2007 को विधि और न्याय मंत्रालय को जांच के लिए भेजा गया था। विधि और न्याय मंत्रालय से जांच के बाद यह विधेयक 11-6-2008 को का.ज्ञा.सं. एफ 1(133)05-एल.ई.जी. । के तहत लगभग एक वर्ष बाद प्राप्त हुआ है जिसके कारण इसके कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। आगामी कार्रवाई के लिए विधि मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
187.	मृत्यु दंड देने का तरीका एवं आनुषंगिक मामले	गृह मंत्रालय न्याय विभाग	रिपोर्ट दिनांक 19-10-2004 को राज्य सरकारों की राय/टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु भेजी गई है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और लक्षद्वीप ने विधि आयोग की सिफारिशों पर अपनी राय/टिप्पणियां दे दी हैं। कुछ राज्य सरकारें इन सिफारिशों से सहमत हैं परन्तु कुछ ने बदलावों के सुझाव भी दिए हैं। बाकी राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी राय नहीं भेजी है। उन्हें नियमित रूप से इस बारे में स्मरण कराया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सूचना दी है कि यह मामला नियम संशोधन समिति के विचाराधीन है।
188.	उच्च न्यायालयों में उच्च तकनीक त्वरित वाणिज्यिक प्रभाग (हाई-टेक फास्ट ट्रेक कॉमर्शियल डिविजन) गठित करने का प्रस्ताव	न्याय विभाग	विचाराधीन
189.	न्यायालय फीस ढांचे का पुनरीक्षण।	न्याय विभाग	एक बार मुख्य राज्यों नामशः मध्य प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि द्वारा अधिनियमित उनके न्यायालय फीस अधिनियम प्राप्त हो जाएं, तब पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए, केन्द्रीय न्यायालय फीस अधिनियम के प्रारूप के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
190.	बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में पुनरीक्षण	वित्तीय सेवा विभाग	विधि आयोग (190वीं रिपोर्ट), के.पी. नरसिम्हन समिति तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की सिफारिशों पर बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2006 से संबंधित मंत्रिमंडलीय नोट पर दिनांक 21-12-2006 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया गया। यह विधेयक मंत्रियों के समूह को विचारार्थ भेजा गया।

1	2	3	4
			मंत्रियों के समूह की सिफारिशें हाल ही में प्राप्त हुई हैं और तदनुसार मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए विधेयक में संशोधन किए जा रहे हैं।
191.	आपदा राहत के लिए एकत्रित धन का विनियमन करने के संबंध में	गृह मंत्रालय	योजना आयोग ने अपने हाल ही के पत्र में सूचना दी है कि 17 जुलाई, 2007 को स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति-2007 अधिसूचित की गई है। इसके अधीन सदस्य (वी.ए.सी.), योजना आयोग की अध्यक्षता में 27-3-2008 को एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है जो स्वैच्छिक संगठनों को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए अखिल भारतीय कानून के विकल्प के रूप में कार्य करने के लिए एक सरल और उदार केंद्रीय कानून बनाने की संभावना पर विचार करेगा। ऐसा कानून मौजूदा केंद्रीय और राज्यीय कानूनों के साथ-साथ बना रहेगा जिससे कि स्वैच्छिक संगठन अपने कार्यों की प्रकृति और क्षेत्र के अनुसार एक या अधिक कानूनों के अधीन पंजीकरण कराने का विकल्प पा सकेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय के विदेश प्रभाग की एफ.सी.आर.ए. शाखा ने सूचना दी है कि 18 दिसम्बर, 2006 को राज्य सभा में एक नया विदेशी अंशदान (विनियमन) विधेयक 2006 पुरःस्थापित किया गया था जिसके अधीन न केवल आपदा राहत बल्कि अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्राप्त विदेशी अंशदान/अभिदान/आतिथ्य का विनियमन काफी हद तक किया जा सकेगा। यह विधेयक अब गृह कार्यों की विभाग संबंधी स्थायी संसदीय समिति को विचार और सिफारिशों के लिए भेजा गया है। इस समिति ने क्रमशः 12 और 20 जून, 2007 को गृह मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ दो बैठकें कीं और दिनांक 16-7-2007, 17-7-2007, 3-10-2007 और 6-11-2007 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संस्थानों का मौखिक साक्ष्य भी दर्ज किया। विधेयक पर खंडवार चर्चा करने के लिए स्थायी समिति ने गृह मंत्रालय के साथ 30 और 31 जनवरी, 2008 को एक दो दिवसीय बैठक रखी। 30-01-2008 को स्थायी समिति की बैठक

1	2	3	4
			हुई तथापि 31-1-2008 को होने वाली बैठक किसी बाद की तारीख के लिए पुनःनिर्धारित की गई। खंडवार चर्चा के लिए पुनःनिर्धारित बैठक 15 और 16 मई, 2008 को हुई। स्थायी समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त स्थिति में, गृह मंत्रालय का यह मत है कि एक नये विधान को अधिनियमित करने से पूर्व अथवा राज्यों को इस विषय में दिशानिर्देश जारी करने से पूर्व हमें योजना आयोग और गृह मंत्रालय के विदेश प्रभाग की एफ.सी.आर.ए. शाखा की राय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद इस मामले पर एक अंतर-मंत्रालयीय बैठक में चर्चा की जाएगी। अतः आपदा राहत हेतु एकत्रित धन के नियमितीकरण पर दिशानिर्देश तैयार करने के बारे में अंतिम फैसला आने में अभी कुछ और समय लगेगा।
192.	क्लेशकर वादों की रोकथाम	गृह मंत्रालय विधायी विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है। निम्नलिखित 15 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है:- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव।
193.	संक्रमणकालीन मुकदमे - विधियों में परस्पर विरोध परिसीमा विधि	विधायी विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है। निम्नलिखित 16 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है:- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर,

1	2	3	4
			पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा पांडिचेरी।
194.	स्टाम्प शुल्कों का सत्यापन तथा माध्यस्थम प्रघाटों का रजिस्ट्रीकरण	वित्तीय विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है। 12 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई है:-
195.	न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2005	न्याय विभाग	विचाराधीन है
196.	टर्मिनल III रोगियों का चिकित्सा उपचार (रोगियों और चिकित्सा व्यवसायियों का संरक्षण)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अस्वीकृत
197.	लोक अभियोजकों की नियुक्ति	गृह मंत्रालय	यह रिपोर्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 को राज्य सरकारों की टिप्पणियां/राय प्राप्त करने हेतु भेजी गई है क्योंकि आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल हैं। केरल, मेघालय, नागालैंड और पंजाब ने विधि आयोग की सिफारिशों पर अपनी राय/टिप्पणियां दे दी हैं। कुछ राज्य इससे सहमत हो गए हैं किंतु कुछ राज्यों ने कुछ बदलावों का सुझाव भी दिया है। बाकी राज्य सरकारों ने अभी अपनी राय नहीं भेजी है।
198.	गवाह की पहचान की सुरक्षा और गवाह की सुरक्षा कार्यक्रम	गृह मंत्रालय	चूंकि दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं इसलिए रिपोर्ट दिनांक 18 फरवरी, 2008 को राज्य सरकारों के पास उनकी टिप्पणियों/राय प्राप्त करने के लिए भेजी गई है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम व सिक्किम की राज्य सरकारों तथा दादर व नगर हवेली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने विधि आयोग की सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां/राय दी है। कुछ इससे सहमत हैं परन्तु कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र

1	2	3	4
			प्रशासनों ने इसमें परिवर्तन भी करने का सुझाव दिया है। शेष राज्य सरकारों ने अपनी राय नहीं भेजी है।
199.	संविदा के अऋजु (प्रक्रिया संबंधी और सारभूत) निबंधन	विधायी विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है। 14 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।
200.	मीडिया द्वारा विचारण: दंड प्रक्रिया के अधीन स्वतंत्र भाषण बनाम निष्पक्ष विचारण (न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में संशोधन)	न्याय विभाग	विचाराधीन
201.	दुर्घटना के पश्चात् और प्रसूति महिला की आपात-कालीन चिकित्सीय अवस्था के दौरान चिकित्सीय उपचार	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	विचाराधीन
202.	भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख में संशोधन का प्रस्ताव	गृह मंत्रालय	चूंकि दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं इसलिए रिपोर्ट दिनांक 27 मार्च, 2008 को राज्य सरकारों के पास उनकी टिप्पणियां/राय प्राप्त करने के लिए भेजी गई है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान और सिक्किम राज्य सरकारों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने विधि आयोग की सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां/राय दी हैं। कुछ इससे सहमत हैं परन्तु कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इसमें परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। शेष राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी राय नहीं भेजी है।
203.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (अग्रिम जमानत) द्वारा यथासंशोधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 429	गृह मंत्रालय	चूंकि दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं इसलिए रिपोर्ट दिनांक 22 मार्च, 2008 को राज्य सरकारों के पास उनकी टिप्पणियां/राय के लिए भेजी गई है। छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मेघालय और

1	2	3	4
			नागालैंड राज्य सरकारों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन व दीव, लक्षद्वीप तथा पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने विधि आयोग की सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां/राय दी है। कुछ इससे सहमत हैं और कुछ ने इसमें परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। शेष राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी राय नहीं भेजी है।
204.	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव 2005 का 39 अधिनियम द्वारा संशोधित	विधायी विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है। 13 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।
205.	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 15 और अन्य सहबद्ध विधियों में संशोधन का प्रस्ताव	विधायी विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत के विधि आयोग की सिफारिशों से सहमत नहीं है। जहां तक विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रश्न है, राज्यों सरकार के परामर्श से मामला विभाग के विचाराधीन है।
206.	संपूर्ण भारत में लागू नया कोरोनर अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए प्रस्ताव	गृह मंत्रालय	विचाराधीन
207.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15, उस मामले में जहां वारिस रहित किसी महिला की वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई हो, में संशोधन का प्रस्ताव।	विधायी विभाग	रिपोर्ट की विषयवस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-III - समवर्ती सूची से संबंधित है और इसलिए रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राय ली जानी है। अब तक 8 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।
208.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टी-करण में संशोधन का प्रस्ताव,	विधायी विभाग	यह रिपोर्ट राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को हाल ही में परिचालित की गई है।

1	2	3	4
	ताकि 'विभाजन' की परिभाषा में मौखिक विभाजन और कौटुंबिक समझौते को शामिल किया जा सके।		
209.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से धारा 213 का लोप करने का प्रस्ताव।	विधायी विभाग	यह रिपोर्ट राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को हाल ही में परिचालित की गई है।
210.	आत्महत्या के प्रयास का मानवीकरण और निरअपराधीकरण	गृह मंत्रालय	रिपोर्ट संसद में रखी जानी है।
211.	विवाह और तलाक के रजिस्ट्रीकरण पर विधियां - समेकन और सुधार के लिए प्रस्ताव	अक्तूबर, 2008	रिपोर्ट संसद में रखी जानी है।
212.	भारत में सिविल विवाह विधियां - कतिपय विवादों के समाधान का प्रस्ताव	अक्तूबर, 2008	रिपोर्ट संसद में रखी जानी है।
213.	अनादृत चेक संबंधी मामलों के लिए त्वरित मजिस्ट्रेट न्यायालय	आर्थिक कार्य विभाग, न्याय विभाग	रिपोर्ट संसद में रखी जानी है।
214.	न्यायाधीश मामले I, II, III के पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव - एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ जो ए.आइ.आर. 1982 एस.सी. 149 में रिपोर्ट किया गया उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता बनाम भारत संघ 199 (43) एस.सी. सी. 144 और 1998 का विशेष निर्देश जो 1998 (7) एस.सी. I सी. 749 में रिपोर्ट किया गया।	गृह मंत्रालय	रिपोर्ट संसद में रखी जानी है।
215.	उच्चतम न्यायालय की वृहत्तर पीठ द्वारा पुनर्रिक्षित एल. चन्द्र कुमार	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	रिपोर्ट संसद में रखी जानी है।
216.	भारत के उच्चतम न्यायालय में हिन्दी को अनिवार्य भाषा के रूप में आरंभ करने की असाध्यता	न्याय विभाग	रिपोर्ट संसद में रखी जानी है।

[अनुवाद]

जनजातीय लड़कियों के लिए नए शैक्षणिक कॉम्पलेक्स

38. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के विकास हेतु कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक कॉम्पलेक्सों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार के और अधिक कॉम्पलेक्स स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) वर्ष 2008-09 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की लड़कियों के "शिक्षा के सशक्तिकरण" की संशोधित योजना (अभी तक जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक कॉम्पलेक्स के तहत जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अब तक 107 शैक्षणिक कॉम्पलेक्स का समर्थन किया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त 107 शैक्षणिक कॉम्पलेक्स में से 51 नए हैं, जिनकी स्थापना वर्तमान वित्तीय वर्ष की ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में 06-02-2009 तक की गई है। इन 51 नए शैक्षणिक कॉम्पलेक्स में से 50 संबंधित राज्य सरकारों की स्वायत्त सोसायटियों द्वारा चलाए जाते हैं। राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया। जब कभी उपरोक्त संशोधित योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों/ सरकार द्वारा संचालित सोसायटियों की ओर से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं नए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जो निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होते हैं।

विवरण

'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के शिक्षा के सशक्तिकरण' की योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समर्थित शैक्षणिक कॉम्पलेक्सों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा समर्थित किए जाने वाले पहले चल रहे शैक्षिक परिसरों की संख्या	चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा समर्थित नए शैक्षिक परिसरों की संख्या	6-2-2009 के अनुसार मंत्रालय द्वारा समर्थित शैक्षिक परिसरों की कुल संख्या (कॉलम III + IV)
I	II	III	IV	V
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	0	43
2.	छत्तीसगढ़	1	0	1
3.	गुजरात	2	24	26
4.	मध्य प्रदेश	5	7	12
5.	उड़ीसा	4	20	24
6.	राजस्थान	1	0	1
	कुल	56	51	107

नोटरी पब्लिक

37. **श्री एम. अप्पादुरई:**

श्री राम सिंह कस्वां:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** 7 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न सं. 1333 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वांछित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित करने में अभी कुछ और समय लगेगा।

(ग) और (घ) चूंकि आवेदन अधिक संख्या में लंबित हैं, उनके लिए जो कारण हैं उनके सहित, राज्यवार जानकारी एकत्रित करने में कम से कम तीन या चार मास और लगेंगे।

गैर-सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन

38. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिला और बच्चों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं में लगे गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका और कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करवाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उसके क्या निष्कर्ष निकले?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों में ही मूल्यांकन व मॉनीटरन प्रणाली समाविष्ट है। तथापि, देश में महिलाओं व बच्चों के कल्याणार्थ विभिन्न स्कीमों को संचालित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका एवं कार्य की समीक्षा आवधिक रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों तथा सम्बद्ध क्षेत्राधिकारियों के क्षेत्र-दौरों के माध्यम से की जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में फ्लाई ओवरों का निर्माण

39. **श्री रामदास आठवले:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के मद्देनजर दिल्ली में निर्माण के लिए प्रस्तावित फ्लाई ओवरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्माण कार्य के समय से पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए निर्माण किये जाने वाले फ्लाई ओवरों के ब्यौरे की सूची विवरण के रूप में संलग्न है:-

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) द्वारा निर्माण किए जाने वाले फ्लाई ओवर

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूरा करने की तारीख
1.	मंगोलपुरी	जुलाई, 2009
2.	गीता कालोनी ब्रिज	सितम्बर, 2008
3.	सड़क सं. 63 पर रोड ओवर ब्रिज	सितम्बर, 2008

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूरा करने की तारीख
4.	मुकरबा चौक	फरवरी, 2009
5.	बेहरा एनक्लेव	मई, 2009
6.	आर.आर. कोहली मार्ग	जुलाई, 2009
7.	शास्त्री नगर पुस्ता	जुलाई, 2009
8.	नांगलोई एन.एच.-10	जून, 2009
9.	आजादपुर	अगस्त, 2009
10.	बी.जे. मार्ग/आर.टी.आर. मार्ग	जून, 2009
11.	नेल्सन मन्डेला/विवेकानन्द मार्ग	जून, 2009
12.	अरुणा आसिफ अली/अफ्रीका एवेन्यु	जून, 2009
13.	आई.टी.ओ. चुंगी अंडर पास	जून, 2009
14.	नरैना टी पाइन्ट	दिसम्बर, 2009
15.	श्याम लाल कालेज, जी.टी. रोड	सितम्बर, 2009
16.	गाजीपुर के समीप एन.एच.-24 बाईपास पर फ्लाई ओवर	जून, 2009
17.	नीला होज पर ब्रिज	अक्तूबर, 2009
18.	बारा पुल्लहा नल्लहा पर एलाइन्मेन्ट	जून, 2010
19.	अप्सरा बार्डर	जून, 2010
20.	सड़क सं. 56 पर कोरीडोर सुधार	मई, 2010
21.	यू.पी. लिंक रोड	जून, 2009
22.	शालीमार बाग से येलोट्रम रोड तक रिंग रोड बाईपास	मार्च, 2010
23.	सड़क सं. 68 पर रोड ओवर ब्रिज	जुलाई, 2010

क्रम सं. 2 और 3 पर परियोजना पूरी हो गई है तथा चालू हो गई है।

(ख) दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) द्वारा निर्माण किए जाने वाले रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज/ग्रेड सेपरेटर

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूरा करने की तारीख
1.	विवेक विहार रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर जीटी रोड से आई.टी.आई. विवेक विहार जोड़ने वाला रेल अंडर ब्रिज	दिसम्बर, 2009

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूरा करने की तारीख
2.	सराय काले खां पर रोड अंडर ब्रिज	मई, 2010
3.	त्यागराज स्टेडियम के क्षेत्र में नगर-प्रेम नगर	मई, 2010
4.	बिजवासन के समीप नजफगढ़-विजवासन सड़क	मई, 2010
5.	नरेला-लामपुर रोड पर नेहरा रोड क्रॉसिंग	मई, 2010
6.	रिंग रोड से रेलवे साइड (शकूर बस्ती) को जाने वाले इन्टर सेक्शन तक एप्रोच	मई, 2010
7.	कीर्ति नगर-प्रेम नगर	मई, 2010
8.	जीटी रोड से बादली औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली औचंदी सड़क पर समयपुर बादली पर रोड अंडर ब्रिज	सितम्बर, 2010
9.	सुल्तानपुरी में रोड ओवर ब्रिज	सितम्बर, 2010
10.	अशोक विहार अर्थात् 800 मीटर दूर (लगभग) में ओवर ब्रिज के समीप स्वान पार्क की ओर जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र	सितम्बर, 2010
11.	रोहतक रोड (रामपुरा)	सितम्बर, 2010
12.	रोहतक रोड और जखीरा (दयाबस्ती) के समीप	सितम्बर, 2010
13.	मुंडका रेलवे क्रॉसिंग	सितम्बर, 2010
14.	अंडर ब्रिज शक्ति नगर (600 मी. दूर) के समीप रोशनआरा गार्डन के निकट	सितम्बर, 2010
15.	बादली गांव की ओर संजय गांधी ट्रांस्पोर्ट नगर के पीछे	सितम्बर, 2010
16.	मंगोलपुरी से रोहतक रोड को जोड़ना	मार्च, 2010
17.	रानी झांसी रोड पर ग्रेड सेपरेटर	जून, 2010
18.	पंखा रोड के डाबरी इन्टर सेक्शन पर ग्रेड सेपरेटर	सितम्बर, 2010

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रमंडल खेल गांव के समीप अक्षरधाम बंध रोड के इन्टरसेक्शन पर एन.एच.-24 पर फ्लाई ओवर का इसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया कि यह कार्य समय पर पूरा हो जायेगा।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण

40. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को अगले ही वर्ष से प्रति वर्ष 40,000 आवास का निर्माण करने के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) इस उद्देश्य से किए गए अथवा प्रस्तावित बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार, वर्ष 2021 तक 230 लाख की अनुमानित आबादी के लिए विभिन्न श्रेणियों में करीब 24 लाख रिहायशी मकानों के अतिरिक्त आवासीय स्टाक की आवश्यकता होगी। यह प्रति वर्ष 75,000 रिहायशी मकानों की जरूरत दर्शाता है। आबादी के समाज आर्थिक संघटन को देखते हुए यह अनुमान है कि करीब 50-55% आवासीय आवश्यकता शहरी गरीबों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए होगी। इसी प्रकार, मास्टर प्लान में वर्ष 2011, 2011-16 तथा 2016-2021 तक की अवधि के लिए क्रमश: 7 लाख, 9 लाख और 8 लाख रिहायशी मकानों के निर्माण का उल्लेख है। इस पृष्ठभूमि के साथ, हाल ही में, सरकार ने डी.डी.ए. को यह सूचित किया है कि डी.डी.ए. द्वारा निश्चय ही शहर में हर वर्ष कम से कम 40,000 आवासीय मकानों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) डी.डी.ए. ने यह सूचित किया है कि पर्याप्त आवासीय स्टॉक के प्रावधान तथा विकसित भूमि प्रदान करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में प्रायवेट सेक्टर, सार्वजनिक एजेंसियों तथा सहकारी सोसायटियों की भागीदारी के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति शामिल की है। इसकी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए डी.डी.ए. ने विभिन्न टाइप के रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए योजना तैयार की है। डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि विभिन्न श्रेणियों के 15,660 रिहायशी मकान निर्माणाधीन है। इसके अलावा, विभिन्न श्रेणियों में 52,000 रिहायशी मकान तथा झुग्गी झोपड़ी समूहों के स्व-स्थाने पुनर्वास के अंतर्गत 37,000 रिहायशी मकानों का निर्माण अगले 6 माह के भीतर आरंभ करने की भी योजना है।

(घ) डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2009-2010 के लिए बजट में आवासीय स्कीमों के लिए 1094.00 करोड़ रु. की धनराशि मुहैया कराई गई है।

आई.सी.डी.एस. योजना की समीक्षा

41. डा. के. धनराजू:

श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) हेतु कार्यान्वयन ढांचे की समीक्षा का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सौर ऊर्जा उत्पादन

42. श्री सनत कुमार मंडल:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की काफी क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन का दोहन करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) उपरोक्त योजना के दौरान किस सीमा तक इस लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) भारत को प्रतिवर्ष 5,000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा से अधिक के बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है।

दैनिक औसत सौर ऊर्जा आपतन, प्राप्त करने वाले क्षेत्र के प्रति वर्गमीटर 4-7 किलोवाट घंटा के बीच है जो स्थान विशेष पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर विद्युत उत्पादन के लिए 50 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है जिसे प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

विद्युत क्षेत्र में भारत कजाकिस्तान सहयोग

43. श्री सुग्रीव सिंह:
किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कजाकिस्तान स्थित मौजूदा विद्युत संयंत्रों के पुनरूद्धार के साथ-साथ नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु भारत और कजाकिस्तान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते की निबंधन व शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए पृथक् न्यायालय

44. श्री एल. राजगोपाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा तहकीकात किए गए भ्रष्टाचार के मामलों पर विचार के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने की भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जो एक प्रशासनिक विभाग है, ने सूचित किया है कि विषय को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मुद्दे की जांच करने के लिए और उनके पास विद्यमान विशेष न्यायालय को तथा लंबित मामलों के ब्यौरों सहित क्रियात्मक औचित्य पर आधारित समेकित प्रस्ताव भेजने के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है ताकि इस विषय पर उस विभाग द्वारा संबद्ध राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जा सके।

एन.बी.सी.सी. द्वारा आवास परियोजना

45. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री नरहरि महतो:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एन.बी.सी.सी.) का आगामी वर्षों में देश के विभिन्न भागों में आवास योजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थानों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं को दिल्ली सहित आम जनता के लिए कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) एन.बी.सी.सी. द्वारा देश के विभिन्न भागों में से समय-समय पर अपने निरंतर व्यवसाय के रूप में आवासीय परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

वर्तमान में एन.बी.सी.सी. ने और राजारहट, कोलकाता में 826 आवासों के निर्माण की एक आवासीय परियोजना की औपचारिक घोषणा की है और वह उसका निष्पादन कर रहा है।

प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार

48. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का आकलन करने और उन प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिन्हें व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के पूर्ण होने के बाद रोजगार प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त सर्वेक्षण कब तक कराए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (घ) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है अथवा प्रस्तावित है। यह मंत्रालय प्रतिवर्ष प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान स्वीकृत करता है। इस योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थान के सामीप्य रोजगार संभाव्यता के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ट्रेड का चयन करने की परिकल्पना है। उन प्रशिक्षणार्थियों जिनके लिए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को 2007-08 में अनुदान निर्मुक्त किया गया था, की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 2007-08 के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा कवर किए गए लाभार्थियों की सं.	एन.जी.ओ. द्वारा कवर किए गए लाभार्थियों की सं.	वर्ष 2007-08 के दौरान कवर किए गए कुल लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5
1.	असम	0	300	300
2.	छत्तीसगढ़	1100	51	1151
3.	गुजरात	1300	69	1369
4.	जम्मू-कश्मीर	100	0	100
5.	कर्नाटक	0	200	200
6.	मध्य प्रदेश	1000	200	1200
7.	महाराष्ट्र	0	100	100
8.	मेघालय	0	100	100
9.	मिजोरम	500	0	500
10.	नागालैंड	0	200	200
11.	सिक्किम	240	0	240

1	2	3	4	5
12.	तमिलनाडु	0	100	100
	कुल	4240	1320	5560

इरेडा

47. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) को वर्षवार कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ख) इरेडा द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया और प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल ही में इरेडा के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को 114.65 करोड़ रु. का इक्विटी अंशदान उपलब्ध कराया है। वर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2005-06	24.65
2006-07	40.00
2007-08	50.00

(ख) इरेडा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 543.94 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली 77 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया है। इन परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। इरेडा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) के बीच समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया के माध्यम से इरेडा के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्षेत्र	परियोजना की संख्या	क्षमता (मेगावाट)
पवन ऊर्जा	60	329.73
लघु पन बिजली	8	64.55
बायोमास विद्युत	4	40.00
सह-उत्पादन	4	106.00
अपशिष्ट से ऊर्जा	1	3.66
कुल	77	543.94

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास के लंबित प्रस्ताव

48. श्री रामदास आठवले:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्र सरकार को सौंपे गए ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से राज्यवार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) उनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) नामक प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत मंत्रालय केंद्रीय निधियों की रिलीज के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करता है। इन प्रस्तावों की संबंधित परियोजना अनुमोदन/मंजूरी समितियों द्वारा कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है। एन.आर.ई.जी.ए. मांग आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के पश्चात् निधियों की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा निधियां रिलीज की जाती हैं। अपूर्ण प्रस्ताव अपेक्षित जानकारी तथा स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए वापस भेज दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गईं, स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या तथा उनके लंबित होने के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कुछ कमियों अथवा अपूर्ण जानकारी इत्यादि के कारण प्रस्ताव लंबित रहते हैं। संबंधित प्राधिकरण से अपेक्षित शर्त/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव नेमी आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा तथा संख्या

(10-02-09 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	कुल प्राप्त	अनुमोदित	लंबित	लौटाए गए
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	2	0	1	1
अरुणाचल प्रदेश	7	0	7	0
असम	4	0	2	2
बिहार	7	0	4	3
छत्तीसगढ़	2	0	1	1
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	3	0	3	0
हरियाणा	6	1	3	2
हिमाचल प्रदेश	9	0	7	2
जम्मू-कश्मीर	1	0	0	1
झारखण्ड	3	0	0	3
कर्नाटक	2	1	1	0
केरल	2	0	1	1

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	9	0	7	2
मणिपुर	12	0	11	1
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	3	0	2	1
नागालैण्ड	7	0	7	0
उड़ीसा	13	0	9	4
पंजाब	2	0	1	1
राजस्थान	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	2	0	0	2
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2	0	2	0
उत्तरांचल	1	0	0	1
पश्चिम बंगाल	6	0	3	3
विविध राज्य	10	4	3	3
कुल	115	6	75	34

* इनमें वे सभी परियोजना प्रस्ताव शामिल हैं जो कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा जो प्रस्ताव लौटा दिए गए हैं। विशेष परियोजना से संबंधित अनेक प्रस्ताव इसलिए लंबित हैं क्योंकि इस समय सिर्फ नियोजन से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाओं पर कार्रवाई की जा रही है/अनुमोदित की जा रही है तथा सामान्य क्रिया-कलाप से संबंधित परियोजनाएं अभी लंबित रखी गई हैं।

[अनुवाद]

इंटेलिजेन्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम

49. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में "इंटेलिजेन्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम" (आई.टी.एस.) लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी विकास मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों को आई.टी.एस. से संबंधित अवसंरचना प्रारुप परिचालित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आई.टी.एस. के कार्यान्वयन के संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) और (ख) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति-2006 में विभिन्न शहरों में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली (आई.टी.एस.) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत पुणे, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा तथा जयपुर शहरों के लिए मंजूर द्रुतगामी बस परिवहन प्रणाली (बी.आर.टी.एस.) आई.टी.एस. की दृष्टि से सक्षम होगी।

(ग) और (घ) जी, हां। आई.टी.एस. फ्रेमवर्क पर प्रारुप दस्तावेज तैयार किया गया है और इस मामले पर अगली कार्रवाई के लिए दिनांक 22-10-2008 को आयोजित बैठक के लिए एजेंडा मद के रूप में कोर ग्रुप के सदस्य मंत्रालयों को इसका परिचालन किया गया था।

(ङ) आई.टी.एस. का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून

50. श्री सनत कुमार मंडल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून का अधिनियमन करने और बलात्कार पीड़ितों का पुनर्वास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) गृह मंत्रालय, जो प्रशासनिक मंत्रालय है, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकारों तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से भारतीय दंड संहिता के बलात्संग से संबंधित उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, महिला और बाल विकास मंत्रालय में बलात्संग पीड़ितों को सहायता प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए एक स्कीम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही हैं।

एन.जी.ओ. की निगरानी

51. श्री रायापति सांबासिवा राव:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपाटी) से सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीम प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) के पास स्वयं द्वारा स्वपोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति और निष्पादन की निगरानी एवं मूल्यांकन करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में स्थित सरकारी संस्थानों, अनुसंधान निकायों, विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों में से चुने गए 265 संस्थागत निगरानीकर्ताओं की अखिल भारतीय नामावली है। कपार्ट द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव तीन मूल्यांकनों यथा; पूर्व वित्तपोषण, मध्यावधि और परियोजना पूरी होने पर पश्च मूल्यांकन के अध्ययधीन है। रिपोर्ट की गुणवत्ता और मानदंडों के अनुपालन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए मूल्यांकन के परिणाम इस प्रकार हैं:-

(i) वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन के रूप में 433 गैर-सरकारी संगठनों की 444 परियोजनाएं मंजूर की गई।

(ii) मूल्यांकन के पश्चात 212 परियोजनाएं बंद/समाप्त की गई। कोई परियोजना तब समाप्त की जाती है जब बदली हुई परिस्थितियों के कारण यह व्यवहार्य नहीं है अथवा परियोजनाधारक की ओर से जानबूझ कर की गई चूक का पता चलता है।

(iii) वित्तीय दुर्विनियोजन में सम्मिलित रहने के कारण कुल 10 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाला गया।

(iv) स्वैच्छिक संगठनों की कुल 46 परियोजनाओं को "आगे की सहायता पर रोक" की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुदान का समुचित उपयोग नहीं किया गया अथवा प्रस्ताव में किए गए वायदों को परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान पूरा नहीं किया

गया है, के आधार पर अस्थायी वित्तपोषण प्रतिबंध है।

एल.एन.जी. और सी.एन.जी. आधारित विद्युत परियोजना

52. **श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री नन्द कुमार साय:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) आधारित कितनी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान **इनसे उत्पादित** विद्युत की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उक्त विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.)/प्राकृतिक गैस आधारित बयालीस विद्युत परियोजनाएं हैं, दिनांक 31-01-09 को, देश की कुल क्षमता 13,185 मेगावाट है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2005-06, 2006-07 व 2007-08 में एल.एन.जी./प्राकृतिक गैस आधारित परियोजनाओं से उत्पादित मात्रा क्रमश: 57,089. 61837 व 65954 मिलियन यूनिट रही है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने 78,700 मेगावाट का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 6843 मेगावाट की क्षमता प्राकृतिक गैस/तरल प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से आनी है, भी शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू होने वाली संभावित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	एजेंसी	क्षेत्र	श्रेणी	अल्टीमेट क्षमता (मेगावाट)	प्रकार	11वीं योजना में लाभ (2007-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कोनासीमा	आंध्र प्रदेश	ओकवेल	पी	यू.सी.	445	गैस/एल.एन.जी.	445
2.	गौतमी	आंध्र प्रदेश	गौतमी पावर	पी	यू.सी.	464	गैस/एल.एन.जी.	464
3.	कोंडापल्ली सी.सी.पी.पी. फेज-II	आंध्र प्रदेश	लेनको	पी	यू.सी.	366	गैस/एल.एन.जी.	366
4.	लकवा डब्ल्यू.एच.	असम	ए.एस.जेनको	एस	यू.सी.	37.2	गैस/एल.एन.जी.	37.2
5.	प्रगति-III (बवाना)	दिल्ली	पी.पी.सी.एल.	एस	यू.सी.	1500	गैस/एल.एन.जी.	1500
6.	रिठाला सी.सी.पी.पी.	दिल्ली	एन.डी.पी.एल.	पी	यू.सी.	108	गैस/एल.एन.जी.	108
7.	धुव्रण एस.टी.	गुजरात	जी.एस.ई.सी.एल.	एस	चालू	219	गैस/एल.एन.जी.	40
8.	उतरान सी.सी.पी.पी.	गुजरात	जी.एस.ई.सी.एल.	एस	यू.सी.	374	गैस/एल.एन.जी.	374
9.	जी.एस.ई.जी. हजीरा विस्तार	गुजरात	जी.एस.ई.सी.एल.	एस	यू.सी.	351	गैस/एल.एन.जी.	351
10.	पिपावाव जे.वी. सी.सी.जी.टी.	गुजरात	जी.एस.ई.सी.एल.	एस	यू.सी.	702	गैस/एल.एन.जी.	702
11.	सुगेन टोरेंट	गुजरात	टोरेंट	पी	यू.सी.	1147.5	गैस/एल.एन.जी.	1147.5
12.	रत्नागिरि (डाभोल) जे.वी.	महाराष्ट्र	एन.टी.पी.सी.	सी	चालू	740	गैस/एल.एन.जी.	740
13.	डाभोल जीटी-2+एस.टी.	राजस्थान	आर.आर.वी.यू. एन.एल.	एस	चालू	330	गैस/एल.एन.जी.	220
14.	बलुथूर विस्तार (जी.टी.)	तमिलनाडु	टी.एन.ई.बी.	एस	चालू	92	गैस/एल.एन.जी.	59.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	बलुथूर विस्तार (एस.टी.)	तमिलनाडु	टी.एन.ई.बी.	एस	यू.सी.	92	गैस/एल.एन.जी.	32.4
16.	त्रिपुरागैस आई.एल.एफ.एस. जे.वी.	त्रिपुरा	ओ.एन.जी.सी.	सी	यू.सी.	726	गैस/एल.एन.जी.	726
	कुल गैस आधारित परियोजनाएं							7313

सी - केंद्रीय क्षेत्र

एस - राज्य क्षेत्र

पी - निजी क्षेत्र

यू.सी. - निर्माणाधीन, चालू

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 71(2) के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 10451/09]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 71(2) के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 10452/09]

अध्यक्ष महोदय: जो भी कारण बताया गया है मैं उसे देखना चाहूंगा वेतन बढ़ाने के लिए अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाने का क्या कारण है जबकि भूतलक्षी प्रभाव का प्रावधान था?

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, इसका स्पष्टीकरण मैं सभा को दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: हां, इससे मुझे परेशानी हो रही है।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मुझसे कहा कि मेरे न्यायाधीशों को पुराने वेतनमान के अनुसार वेतन मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: उनको बीच में मत लाइए। मैं उन पर यहां सवाल नहीं कर सकता।

श्री हंस राज भारद्वाज: उन्होंने कहा कि सिविल सेवा में सभी को संशोधित वेतन मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसके लिए अगले एक पक्ष तक प्रतीक्षा की जा सकती थी। आसमान नहीं टूट पड़ता। ठीक है। ठीक है, इस संबंध में मैंने अपनी असहमति जता दी है।

श्री हंस राज भारद्वाज: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि इस विषय पर मैंने सभा की ओर से और उनकी ओर से जो मुझसे सहमत थे अपनी बात रखी थी।

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4(अ), जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा गुणवत्ता पुनरीक्षण बोर्ड का गठन करने वाले 28 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448(अ), में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 10453/09]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 22 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 868(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 23 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 872(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (सातवां संशोधन) नियम, 2008 जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 876(अ), में प्रकाशित हुए थे।

[श्री प्रेमचंद गुप्ता]

(चार) कंपनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) संशोधन नियम, 2009 जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 11(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (भारतीय निक्षेपक प्राप्तियां जारी करना) (संशोधन) नियम, 2009 जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 10454/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं डा. शकील अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 जनवरी, 2009 को जारी उद्घोषणा, जो झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 33(अ), में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 10445/09]

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति का 19 जनवरी, 2009 के आदेश, जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 34(अ), में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 10446/09]

(3) राष्ट्रपति को झारखण्ड के राज्यपाल की दिनांक 16 जनवरी, 2009 की रिपोर्ट, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 10447/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 2009 को प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 10448/09]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 2009 को प्रख्यापित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 10449/09]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 15 जनवरी, 2009 को प्रख्यापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 10450/09]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2008 जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 02-11(3)/05-बी.ई.ई. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 10455/09]

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को यह सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

(एक) श्रीमती किरण माहेश्वरी, राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 के पत्र द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 22 दिसम्बर, 2008 से स्वीकार कर लिया है।

(दो) श्री हरिभाऊ राठौड, महाराष्ट्र के यवतमाल

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, ने अपने दिनांक 03 जनवरी, 2009 के पत्र द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 05 जनवरी, 2009 से स्वीकार कर लिया है।

(तीन) श्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, ने अपने दिनांक 06 जनवरी, 2009 के पत्र द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 06 जनवरी, 2009 से स्वीकार कर लिया है।

(चार) सुश्री महबूबा मुफ्ती, जम्मू-कश्मीर के अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, ने अपने दिनांक 12 जनवरी, 2009 के पत्र द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 13 जनवरी, 2009 से स्वीकार कर लिया है।

(पांच) श्री एस. बंगरप्पा, कर्नाटक के शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, ने अपने दिनांक 12 जनवरी, 2009 के पत्र द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 12 फरवरी, 2009 से स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.02½ बजे

राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक *

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं चौदहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान 12 दिसम्बर, 2008 को सभा में अंतिम बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय से सदन की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 14 विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं:-

1. राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008;
2. उप-राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008;
3. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2008;
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008;
5. विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2008;
6. असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008;
7. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008;
8. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008;
9. ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008;
10. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008;
11. सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008;
12. सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008;
13. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2008; और
14. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) (संशोधन) विधेयक, 2008।

महोदय, मैं संसद की दोनों, सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 9 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं:-

1. भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2008;
2. राष्ट्रीय जलमार्ग (नदियों का तलचर-धामा खंड, पूर्वी तट नहर का गोखली-चरबतिया खंड, माताई

*सभा पटल पर रखा गया।

[महासचिव]

नदी और महानदी डेल्टा नदियों का चारबतिया-घामरा खंड) विधेयक, 2008;

3. राष्ट्रीय जलमार्ग (नहरों तथा कालूवेली जलाशय का काकीनाडा-पांडिचेरी खंड, गोदावरी नदी का भद्राचलम-राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी का वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड) विधेयक 2008;

4. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2008;

5. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008;

6. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008;

7. राज्यपाल (उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2008;

8. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008; और

9. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2008।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 10456/09]

अपराह्न 12.04 बजे

संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं संविधान की दसवीं अनुसूची तथा लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा डा. पी.पी. कोया के विरुद्ध दी गई याचिका पर अध्यक्ष, लोक सभा के 19 जनवरी, 2009 के विनिश्चय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 10457/09]

अपराह्न 12.05 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में 'महिलाओं की कामकाजी स्थिति' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) (चौदहवीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.05¼ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(एक) 27वां से 30वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरूदास कामत (मुंबई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स" के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2008-09 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(3) वर्ष 2008-09 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(4) "उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) और राज्य विद्युत

विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) की भूमिका* के बारे में 30वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(दो) विवरण

श्री गुरूदास कामत: महोदय, मैं वर्ष 2007-08 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 23वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

(एक) 38वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं 'बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2008' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) विवरण

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में 28वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-09) (चौदहवीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में 29वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-09) (चौहदवीं लोक सभा) के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

---

*38वां प्रतिवेदन अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 22-1-2009 को जब सभा सत्र में नहीं था, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियमों 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.07 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

137वां से 139वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बिरेन सिंह इंग्ती (स्वशासी जिला-असम): महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जम्मू कश्मीर के प्रवासियों के पुनर्वास के बारे में 137वां प्रतिवेदन;

(2) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2008, के बारे में 138वां प्रतिवेदन; और

(3) प्राइवेट गुप्तचर अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2007 के बारे में 139वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 16 फरवरी, 2009 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी:-

(1) आज की कार्यसूची से लिए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

[श्री वायालार रवि]

(3) झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 19 जनवरी, 2009 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

(4) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार तथा पारित करना।

(5) वर्ष 2009-10 के अंतरिम रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

(6) चर्चा और मतदानः-

(क) वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)।

(ख) वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)।

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)।

(7) विभिन्न अनुदानों की मांगों (रेल) से संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार तथा पारित करना।

(8) निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा तथा इन अध्यादेशों के स्थान पर आने वाले विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करनाः-

(क) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2008; और

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008।

(9) राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड) विधेयक, 2007 पर विचार तथा इसे पारित करना।

(10) वर्ष 2009-10 के अंतरिम सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

(11) चर्चा और मतदानः-

(क) वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य); और

(ख) वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 10458/09]

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल): अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए:-

महानन्दा एक्सप्रेस 4083, 4084 (मुरी एक्सप्रेस 8101 व 8102) (इलाहाबाद मथुरा एक्सप्रेस) व (प्रयागराज एक्सप्रेस 2417, 2418) का स्टापेज एन.सी.आर. के अंतर्गत आने वाले स्टेशन भरवारी व सिराथू होना चाहिये।

इलाहाबाद से मुम्बई वाया कानपुर होते हुये जिसका स्टापेज (ठहराव) भखारी, सिराथू फतेहपुर के लिये एक विशेष नई ट्रेन की आवश्यकता है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्न विषयों को शामिल करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश में पूर्व सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर स्वीकार किये जाने के कार्य।

उत्तर प्रदेश की तुरैहा जाति की उपजाति तुरैया एवं तुराहा अनुसूचित जाति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने का कार्य।

उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की दूसरी किस्त नहीं जारी किये जाने से ग्रामीण विद्युतीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव का कार्य।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए-

(1) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को गत तीन महीनों से अधिक समय से वेतन नहीं मिल रहा है। भारत सरकार को उक्त कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिए संबद्ध विभाग को आवश्यक निर्देश देने चाहिए।

(2) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उपलब्ध कराए जाने वाले पॉम आयल पर राज सहायता प्रदान कर रही है। केरल राज्य के नारियल उत्पादकों को बचाने के लिए नारियल पर ऐसी ही राजसहायता प्रदान की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एस. गढ़वी - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

उत्तर पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत अजमेर मण्डल के अजमेर शहर में हजारों रेल कर्मियों की सहज एवं सुलभ चिकित्सा हेतु लम्बे समय से स्थापित एवं इलाज के लिए प्रसिद्ध रेलवे चिकित्सालय के अन्यत्र शिफ्ट नहीं करने तथा अजमेर में ही पूर्ववत् बनाये रखने एवं वहीं पर इसका स्तरोन्नयन कर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एवं योग्य चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

शिक्षा की दृष्टि से सारे देश में विख्यात, राजस्थान के बीचोंबीच स्थित अजमेर में सभी आवश्यक मापदण्डों की पात्रता होने के कारण यहीं पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

(1) प्राकृतिक रबर के मूल्य में तेज गिरावट और देश के छोटे तथा मझोले किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों और प्राकृतिक रबर के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने की आवश्यकता।

(2) विश्व में आर्थिक संकट और उसके कारण अपना रोजगार छीनने के कारण खाड़ी और पश्चिमी देशों से संभवत: वापस लौटने वाले अनिवासी भारतीय की पुनर्वास परियोजना स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता।

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

(1) समाचार पत्रों में प्रकाशित स्विस बैंकिंग एसोसिएशन रिपोर्ट, 2006 के अनुसार 1456 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर रकम जिसे भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में गुप्त बैंक खातों में जमा करा गया है, को कैसे प्राप्त किया जाए और उसका राष्ट्रीय विकास के लिए कैसे उपयोग किया जाए।

(2) विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों के लिए शिक्षा सहित विभिन्न मानदंड तथा विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित और मान्यता प्राप्त पाठ्यचर्या और न्यूनतम अर्हताएं लागू करने के लिए मानदंडों संबंधी चर्चा ताकि व्यक्ति स्पष्ट समझबूझ और दृष्टिकोण के साथ राजनीति में प्रवेश कर सके।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

(1) भारत सरकार फुट्टंड वेटलैंड सिस्टम्स के किसानों के पारिस्थितिकी संरक्षण और सतत आजीविका हेतु डा. एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा संस्तुत राहत पैकेज के लिए सिद्धांतत: सहमत हो गई है। मौजूदा केंद्रीय योजनाओं के दिशा-निर्देश कुट्टंड वैटलैंड सिस्टम्स के अदितीय प्रकार के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अत: पैकेज के कार्यान्वयन हेतु अनुरोध है कि केंद्रीय योजनाओं के मौजूदा मानदंडों में छूट दी जाए।

(2) केरल में विद्युत की कमी के मद्देनजर सेंट्रल पूल को एन.टी.पी.सी. कायमकुलम द्वारा उत्पादित विद्युत वितरित करने का निर्णय वापस लेना और एन.टी.पी.सी. कायमकुलम का केरल के समर्पित केंद्र का दर्जा बनाए रखना।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए-

(1) सरकार को सभा में संसद और राज्य विधान सभा में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण वाला विधेयक पुर:स्थापित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। इसे यहां लाया जाना चाहिए था।

श्रीमती अर्चना नायक: (2) केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा की हरिदासपुर-पारादीप रेलवे लाइन के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

अपराह्न 12.15 बजे

अंतरिम बजट (रेल) - 2009-10*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 19 - अंतरिम बजट (रेल) को लेंगे।

अब, माननीय रेल मंत्री।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, आज मैं भारतीय रेल के वर्ष 2008-09 के लिए संशोधित अनुमान और 2009-10 के लिए अनुमानित आय और खर्च का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2009-10 के अनुमान पूरे वर्ष के लिए हैं लेकिन फिलहाल, मैं सम्मानित सदन से मात्र पहले चार महीनों के अनुमानित खर्च के लिए जरूरी लेखानुदान की मांग स्वीकृत करने का अनुरोध कर रहा हूं। वर्ष के शेष भाग के लिए मांग को बाद में अलग से स्वीकृत कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय,

शुक्रिया से मैं शुरू करता हूं अपनी बात आज,
साथ लेकर मैं चला हूं देश, दुनिया और समाज,
मैं चुकाता ही रहूंगा देश की मिट्टी का कर्ज,
राष्ट्र सेवा रीत मेरी और यही मेरा रिवाज।

मुझे इस बात का फख्र है कि राष्ट्र सेवा के सफर में रेलवे ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है। पिछले पांच वर्षों से इस यात्रा का अभिन्न अंग होने के नाते मैं गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि आम आदमी पर किसी प्रकार का बोझ डाले बिना रेलवे ने हर वर्ष नई बुलंदियों को छुआ है और आज उसने सफलता के उस उच्चतम शिखर को छू लिया है जहां वह मात्र पांच वर्षों में 90 हजार करोड़ रुपये का लाभांश पूर्व कैश सरप्लस अर्जित करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। वर्ष 2001 में जिस रेलवे के पास अपनी जर्जर हो चुकी परिसंपत्तियों को बदलने तक के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे और जो भारत सरकार को 2 हजार 800 करोड़ रुपये का डिविडेंड का भुगतान करने से चूक गई थी, आज उसी रेलवे ने अपने ऐतिहासिक वित्तीय कायाकल्प से पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। महोदय, वर्ष 2008 में विश्वव्यापी मंदी और वित्तीय सूनामी के कारण फार्च्यून 500 कंपनियों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ऋण लेने में कठिनाई हो रही थी। सम्मानित सदन को यह जानकर खुशी होगी कि ऐसे प्रतिकूल समय में भी नवंबर 2008 में भारतीय रेल वित्त निगम ने मात्र चार प्रतिशत की ब्याज दर पर 500 करोड़ रुपये के बराबर 10 करोड़ डॉलर का ऋण लेने में सफलता पाई है।

महोदय, रेलवे का कायाकल्प निजी क्षेत्र की कंपनियों में होने वाले वित्तीय कायाकल्प से बुनियादी तौर पर अलग है। जहां निजी कंपनियों द्वारा कीमतों में वृद्धि, कर्मचारियों की छंटनी तथा तालाबंदी जैसे जन विरोधी कदम उठाए जाते हैं, वहीं रेलवे ने मानवीय पक्ष को केंद्र में रखकर आम आदमी और रेलकर्मियों की परेशानी बढ़ाये बिना यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नब्बे के दशक में औसतन तीन प्रतिशत की सालाना दर से प्रगति करने वाली रेलवे पिछले पांच वर्षों से औसतन आठ प्रतिशत की वार्षिक दर से अपनी फ्रेट लोडिंग बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, सीमेंट एवं स्टील के परिवहन में कई वर्षों से लगातार घट रही हिस्सेदारी के क्रम को रोककर रेलवे ने पिछले पांच वर्षों में इन वस्तुओं के परिवहन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यह सारा बदलाव रेल कर्मियों की कार्यकुशलता और संपत्तियों की उत्पादकता में हुए तेजी से सुधार की बदौलत संभव हुआ है। महोदय,

कारीगरी का ऐसा तरीका बता दिया,
घाटे का जो भी दौर था बीता बना दिया,
भारत की रेल विश्व में इस तरह की बुलंद,
हाथी को चुस्त कर दिया, चीता बना दिया।

वित्तीय कायाकल्प के सपने को साकार करने के लिए पूरे रेल परिवार ने एक टीम के रूप में काम किया, लीक से हटकर सोचा, अपने आप को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार ढाला एवं नित नई चुनौतियों का बहादुरी से सामना किया। इसी कारण आज जनता, भारतीय रेल और रेलकर्मियों

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-10459/09।

को आदर की दृष्टि से देखती है और रेलकर्मियों का जोश और जज्बा उफान पर है। इस कायाकल्प का फायदा सिर्फ रेलवे और रेलकर्मियों को ही नहीं, बल्कि देश की जनता को भी मिला है। हर श्रेणी के यात्री किराए में की गई कमी का सीधा फायदा हर वर्ग के यात्री को मिला है। आधुनिक तकनीक को अपनाकर तथा मजबूत गठबंधन बनाकर रेलवे अपने ग्राहकों को पहले से बेहतर सुविधायें उपलब्ध करा रही है। पिछले पांच वर्षों में रेल संरक्षा में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है एवं रेल दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। जहां वर्ष 2003-04 में 325 परिणामी रेल दुर्घटनायें हुई थीं वहीं वर्ष 2007-08 में इनकी संख्या घटकर 194 रह गई है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि गिरावट का यह क्रम इस वर्ष भी जारी है। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच इन दुर्घटनाओं की संख्या गत वर्ष की आलोच्य अवधि की तुलना में 138 से घटकर 117 रह गई है।

रेलवे ने अब यह बात पूरी तरह से आत्मसात् कर ली है कि सिर्फ यात्री किरायों में कमी करके एवं मालभाड़ा घटाकर प्रतियोगी बाजार में सफल नहीं हुआ जा सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक नुस्खा है - ग्राहकों की जरूरतों पर खरा उतरिए और उनका दिल जीतिए, वह भी अपने प्रतिस्पर्धी से कहीं बेहतर। एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन और साल-दर-साल। संगठन अब भी वही है लेकिन उसकी सोच में भारी बदलाव आया है। पहले की अपेक्षा अब रेलवे बहिर्मुखी एवं ग्राहकों पर केंद्रित हो गई है। अब यात्री घर बैठे इंटरनेट से रेल टिकट आरक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा ए.टी.एम., पेट्रोल पंप एवं डाकघरों में भी रेल टिकट आरक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध है। पहले यात्रियों को ट्रेन संबंधी पूछताछ में काफी दिक्कतें पेश आती थीं। परन्तु अब देश के किसी भी कोने से सूचना हासिल की जा सकती है। यह संभव हुआ है '139 ट्रेन इन्क्वायरी सेवा' लागू होने से, जो 11 भाषाओं में चौबीसों घंटे उपलब्ध है। देश के चार कोनों में चार कॉल सेंटर स्थापित किये गए हैं। इनके जरिए गाड़ियों के आगमन-प्रस्थान, आरक्षण स्थिति आदि की जानकारी पलक झपकते ही प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल देश भर में पांच लाख से अधिक यात्री रोजाना इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

पूर्णतः वातानुकूलित गरीब रथ और वातानुकूलित श्रेणियों में सीट खाली रहने पर निम्न श्रेणी के यात्रियों को निःशुल्क अपग्रेड करने की सुविधा से लाखों लोगों ने जिन्दगी में पहली बार वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने का लुत्फ उठाया है। गाड़ियों एवं स्टेशनों की साफ-सफाई, सामान्य श्रेणी के डिब्बों में लकड़ी की सीटों की जगह गद्देदार कुशन वाली सीट की व्यवस्था और छोटे स्टेशनों के प्लेटफार्म को ऊंचा करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सर्दी, गर्मी एवं बारिश से बचने के लिए छोटे स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के यात्री एवं माल व्यवसाय के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोलिंग स्टॉक की क्षमता, तकनीकी उन्नयन तथा उन्नत प्रौद्योगिकी पर भारी निवेश करना होगा। इसलिए रेलवे ने 2004-05 से 2008-09 के बीच कमाये गए निवेश योग्य 70 हजार करोड़ रुपये के सरप्लस का इस्तेमाल अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे 2 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित राशि की करीब तीन गुनी है। इसका उद्देश्य रेलवे की परिवहन क्षमता को बढ़ाना और संचालन की प्रति इकाई लागत में कमी लाना है। जहां वर्ष 2003-04 में महज 13 हजार 394 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था वहीं 2008-09 में यह बढ़कर 36 हजार 773 करोड़ रुपये हो गया है। रेलवे द्वारा पांच वर्षों में 4 हजार 900 किलोमीटर का आमान परिवर्तन, 1 हजार 800 किलोमीटर दोहरीकरण और 1 हजार 100 किलोमीटर नई लाइन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को रेल लाइन से जोड़ दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम वहां नहीं गये थे।

श्री लालू प्रसाद: नहीं गये, हमने तो भेजा था, लेकिन आपने साथ ही छोड़ दिया। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब किसी पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी को रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कश्मीर घाटी को रेल सेवा से जोड़ने के सपने को साकार करने के क्रम में अनंतनाग से राजवंशेर के बीच रेल सेवा आरंभ कर दी गई है। अगले कुछ ही दिनों में इस सेवा का विस्तार बारामुला तक और अगले चार महीनों में काजीगुंड तक कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, रेवाड़ी-रिंगस-फुलेरा तथा दरभंगा-सीतामढ़ी के आमान परिवर्तन कार्य पूरे किये गये हैं। सकरी से बिरौल, मोरनहाट-डिब्रूगढ़, हथुआ-बथुआ बाजार तथा पुंतम्बा-

[श्री लालू प्रसाद]

शिरडी नई लाइन परियोजनायें भी पूरी की गई हैं। विद्युतीकरण की गति में भी प्रभावशाली वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 के 504 रूट किलोमीटर की जगह 2008-09 में एक हजार रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। महोदय, विद्युत मार्गों पर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए लगभग साढ़े सात मीटर ऊंची ओ.एच.ई. पर विद्युत रेल इंजन चलाने का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इससे विद्युतीकृत पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाई जा सकेगी।

इसी प्रकार इसी अवधि में वैगन उत्पादन प्रति वर्ष 6 हजार 600 से बढ़ाकर लगभग 15 हजार (व्हीकल युनिट) और डीजल एवं बिजली इंजन का उत्पादन 202 से बढ़ाकर लगभग 480 करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नेटवर्क के आधुनिकीकरण और रोलिंग स्टॉक के तकनीकी उन्नयन के कारण नई पटरियों और रोलिंग स्टॉक की क्षमता पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। नए डिजाइन के बंद एवं खुले वैगनों का उत्पादन शुरू हो गया है। इससे बंद वैगनों वाली मालगाड़ी की क्षमता पुरानी मालगाड़ियों की अपेक्षा 78 प्रतिशत अधिक होगी। अब इनमें 2 हजार 300 टन की बजाय 4 हजार 100 टन माल की ढुलाई की जा सकती है। नए डिजाइन के खुले वैगनों वाली मालगाड़ियों की क्षमता भी पहले की अपेक्षा 22 प्रतिशत ज्यादा होगी। इसी प्रकार, सवारी गाड़ियों की क्षमता भी बढ़ाई गई है।

हर शिखर को पार करते नित नई मंजिल की ओर,
प्रगति का काफला बढ़ने लगा है चारो ओर,
राह के हर शख्स को लेकर चले हैं साथ हम,
एक नए अंदाज से फिर एक नई मंजिल की ओर।

वर्ष 2007-08 में कार्यनिष्पादन की समीक्षा

महोदय, अब मैं पिछले वित्त वर्ष, 2007-08 के परिचालनिक परिणामों का संक्षेप में विवरण देना चाहूंगा। रेलवे ने 9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 794 मिलियन टन का माल लदान किया जो वर्ष 2006-07 में हुए लदान से 66 मिलियन टन अधिक है। माल एवं यात्री आय में क्रमशः 14 एवं 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कुल ट्रैफिक आमदनी भी 15 प्रतिशत की दर से बढ़कर 71 हजार 645 करोड़ रुपये हो गई। लाभांश पूर्व कैश सरप्लस वर्ष 2006-07 के 20 हजार 338 करोड़ रुपये से बढ़कर 25 हजार 6 करोड़ रुपये हो गया है। योजनागत व्यय वर्ष 2006-07 के 25 हजार 2 करोड़ रुपये की तुलना में 28 हजार 980 करोड़ रुपये हो गया है।

संशोधित अनुमान 2008-09

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008-09 में सितंबर माह तक रेलवे ने माल लदान एवं आमदनी में शानदार उपलब्धि दर्ज की है। इस अवधि में माल लदान में 9 प्रतिशत और आमदनी में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार यात्री आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई मंदी के फलस्वरूप अक्तूबर एवं नवंबर माह में माल लदान की प्रगति में कमी दर्ज की गई है। निर्यात किये जाने वाले कच्चे लोहे एवं कंटेनर ट्रैफिक में तेजी से गिरावट आई। स्टील ट्रैफिक की प्रगति दर में भी कमी हुई। यही कारण है कि अक्तूबर एवं नवंबर माह में माल लदान और इससे होने वाली आमदनी की प्रगति दर में कमी हुई है, नहीं तो एक लाख करोड़ रुपये हो जाता। महोदय, दिसंबर एवं जनवरी माह में स्थिति में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम इस वर्ष के लिए निर्धारित यात्री एवं माल आय के बजटीय लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दिसंबर, 2008 के अंत तक माल आमदनी में 14 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई है और माल आय बढ़कर 38 हजार 93 करोड़ रुपये हो गई है। मौजूदा स्थिति के आधार पर, हमने वर्ष 2008-09 के लिए माल आमदनी का लक्ष्य 1 हजार 593 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है। इसी प्रकार, दिसंबर के अंत तक यात्री यातायात से आमदनी में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग 3 प्रतिशत अधिक है। तदनुसार, माल यातायात से आमदनी के संशोधित अनुमान 54 हजार 293 करोड़ रुपये, यात्री यातायात से आमदनी 22 हजार 330 करोड़ रुपये, अन्य फुटकर आय 3 हजार 250 करोड़ रुपये, अन्य कोचिंग आय 2 हजार 420 करोड़ रुपये और सकल यातायात प्राप्तियां 82 हजार 393 करोड़ रुपये निर्धारित की गई हैं।

महोदय, सम्मानित सदस्यों को स्मरण होगा कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के कारण रेलवे की वित्तीय स्थिति तेजी से खराब हो गई थी और वह वर्ष 2001 और 2002 में भारत सरकार को 2 हजार 800 करोड़ रुपये के डिविडेंड का भुगतान करने से चूक गई थी। मुझे फख्र है कि इस बार रेलवे ने अपनी मजबूत

वित्तीय स्थिति की बदौलत आसानी से लाभांश के भुगतान में किसी प्रकार की चूक किये बिना छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर 14 लाख रेलकर्मियों एवं 11 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने की प्रत्याशा में वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में इन सिफारिशों को लागू करने के लिए वेतन मद में चार हजार करोड़ रुपये और पेंशन निधि में एक हजार करोड़ रुपये की तदर्थ व्यवस्था की गई थी। लेकिन, अभी तक प्राप्त संशोधित अनुमानों के अनुसार इन मदों में चालू वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान पर 9 हजार करोड़ रुपये तथा पेंशन भुगतान पर 4 हजार 500 करोड़ रुपये का भारी खर्च होने की संभावना है। बढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सामान्य संचालन व्यय के संशोधित अनुमान 55 हजार करोड़ रुपये और पेंशन निधि में विनियोजन 10 हजार 500 करोड़ रुपये रखा गया है। डी.आर.एफ. के लिए विनियोजन 7 हजार करोड़ रुपये है। इस प्रकार, कुल संचालन व्यय 72 हजार 500 करोड़ रुपये होने की संभावना है। लाभांश पूर्व कैश सरप्लस 19 हजार 320 करोड़ रुपये होने की संभावना है। रेलवे का आपरेटिंग रेशियो 88 प्रतिशत होने की संभावना है। 2008-09 की वार्षिक योजना के लिए संशोधित अनुमान 36 हजार 773 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

2009-10 हेतु बजट अनुमान

महोदय, अब मैं 2009-10 हेतु बजट अनुमानों पर आता हूं।

वर्ष 2009-10 के लिए माल आय, यात्री आय, अन्य फुटकर आय और अन्य कोचिंग आय का बजट अनुमान क्रमशः 59 हजार 59 करोड़ रुपये, 25 हजार करोड़ रुपये, 6 हजार करोड़ रुपये और 3 हजार करोड़ रुपये रखा गया है। सकल यातायात से प्राप्तियों को 93 हजार 159 करोड़ रुपये रखा गया है जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10 हजार 766 करोड़ रुपये अधिक है।

महोदय, वर्ष 2009-10 हेतु सामान्य संचालन व्यय 62 हजार 900 करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया है जो कि वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों से 7 हजार 900 करोड़ रुपये अधिक है। ऐसा मुख्यतः छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की बकाया राशि के भुगतान के लिए किया गया है। कुल संचालन व्यय 83 हजार 600 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। लाभांश पूर्व कैश सरप्लस 18 हजार 847 करोड़ रुपये एवं आपरेटिंग रेशियो 89.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्तमान दरों पर प्रभारित पूंजी पर वर्ष 2009-10 में सामान्य राजस्व को देय लाभांश 5 हजार 304 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

वार्षिक योजना 2009-10

महोदय, वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक योजना में 37 हजार 905 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। सामान्य राजस्व से प्राप्त होने वाली कुल बजटीय सहायता 9 हजार 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें केन्द्रीय सड़क निधि से दी जाने वाली 1 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। इस प्रकार आंतरिक और बाहरी बजटीय संसाधन वार्षिक योजना का 72 प्रतिशत होंगे।

मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर दोहरी लाइन निर्माण का कार्य डेहरी-आन-सोन के निकट 10 फरवरी 2009 से प्रारंभ कर दिया गया है। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी इसी माह शुरू कर दिया जाएगा। यू.पी.ए. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में यह काम शुरू हो गया है। यह कलकत्ता तक जाएगा। इसके बारे में प्रोटेस्ट लैटर लिखा है कि इसमें कोई दम नहीं है। यह लुधियाना से कलकत्ता...*(व्यवधान)* वह आगे आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। इस पर चर्चा के समय आप अपनी बात कह सकते हैं। मंत्री जी, आप बोलते रहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। माननीय रेल मंत्री के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: इस पर एक पूर्ण वाद-विवाद होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

नहीं किया जाएगा। माननीय रेल मंत्री के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस पर वाद-विवाद होने तक इंतजार कर सकते हैं? इस पर शीघ्र वाद-विवाद आरंभ होगा। यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: यह लुधियाना से कोलकाता तक जानी है। इसका वर्क आर्डर मुगलसराय से सोन तक फर्स्ट फेज का आर्डर होने और डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर का दिल्ली से मुम्बई का कार्य शुरू हो चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य: कोलकाता से कब शुरू होगा?

श्री लालू प्रसाद: शुरू हो गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इस टोका-टाकी का उत्तर मत दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। किसी भी चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेरी कन्स्टीट्यून्सी में कुछ नहीं दिया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैंने जापान, जर्मनी एवं फ्रांस में तीन सौ से साढ़े तीन सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यात्री गाड़ियों को देखा है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं देखा हमने देखा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, दूसरी ओर ध्यान न दें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में मैंने देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यकतानुसार बुलेट ट्रेन चलाने के लिए प्री-फिजिबिलिटी स्टडी कराने की घोषणा की थी। दिल्ली-अमृतसर, अहमदाबाद-मुंबई-पुणे, हैदराबाद-विजयवाड़ा-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलोर-एर्णाकुलम और हावड़ा-हल्दिया के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए प्री-फिजिबिलिटी स्टडी कराने की कार्रवाई चल रही है। वह भी लिखा है। वह अलग से लिखा है। वह कैसे छूट सकता है। महोदय, सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दिल्ली-पटना के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भी प्री-फिजिबिलिटी स्टडी कराने की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। यह काम भी हो रहा है। अभी इतना ही है, यदि इसमें सफलता मिलती है तो आगे देखा जायेगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत अनुचित है। आप इस प्रकार बातचीत नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, उनको उत्तर मत दीजिए। अब मैं किसी उत्तर की अनुमति नहीं दूंगा।

अब व्यवधान उत्पन्न न करें, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: छपरा में रेल पहिया कारखाने का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी माह मढ़ौरा में डीजल और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने का कार्य प्रारंभ करने की भी हर संभव कोशिश की जा रही है।

महोदय, भारत वैगन लिमिटेड की मोकामा एवं मुजफ्फरपुर में स्थित वैगन फैक्ट्रियों को रेल मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विशेष अनुरोध पर मोकामा एवं मुजफ्फरपुर इकाइयों की तर्ज पर बासुदेव जी के कहने पर, हम इसमें लटपट बात नहीं करते हैं,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप लोग लटपट बात करते हैं। आप लोगों के कहने पर बर्न स्टैंडर्ड की बर्नपुर एवं हावड़ा में स्थित वैगन इकाइयों को रेल मंत्रालय को ट्रांसफर करने के विषय पर संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसको हम टेक ओवर करेंगे, रेलवे इसे लेगा।

झारग्राम से पुरुलिया के बीच नई लाइन तथा कोलकाता मेट्रो के दमदम से दक्षिणेश्वर तक विस्तार के लिए नई लाइन निर्माण का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। कोलकाता मेट्रो के विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने लागत के पचास प्रतिशत के बराबर राशि उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दे दी है। इन योजनाओं की स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

रेल यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से गुजरात के भरूच और सूरत जिले में पलेज, पानौली, कोसांबा और किम, दिल्ली क्षेत्र में रोशनआरा गार्डन एवं सुल्तानपुरी, पंजाब के लुधियाना में शास्त्रीनगर तथा मॉडल टाउन और तमिलनाडु में वासरपाड़ी में आर.ओ.बी. अथवा आर.यू.बी. का कुल लागत में पचास-पचास प्रतिशत की भागीदारी के आधार पर निर्माण कराने पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

रेलगाड़ियों का सुगम संचालन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से हमने भागलपुर एवं थावे में दो नये रेल डिवीजन बनाने का निर्णय लिया है।...*(व्यवधान)* नहीं कटेगा, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनको उत्तर मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आपसे बात हो गई थी, आपके क्लीयरेंस के बाद ही हमने किया...*(व्यवधान)* उसको नहीं काटेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप लेफ्ट साइड में भी देखिए।

श्री लालू प्रसाद: काटना हमारा काम नहीं है। काटने वाला हंसुआ और हथौड़ा आपके पास है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप केवल स्थायी समिति के सभापति का ध्यान रख रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: भाषण में कुछ छूट गया होगा तो आप हमें दे दीजिएगा, हम उसे देख लेंगे। आडवाणी जी के गांधी धाम का होगा। हमने पब्लिक मीटिंग में भी कहा है। विचारधारा में जहां लड़ना होगा, वहां हम लड़ते हैं। लेकिन हम इनका आदर करते हैं। हमने जो कहा है, वह होगा। आप इंतजार कीजिए। हम बैकफुट पर जाने वाले आदमी नहीं हैं। आप लोग उलट-पलट करते रहते हैं।

सर्वेक्षण

मांगों के आधार पर निम्नलिखित सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है:-

नई लाइन

1. रिंगस-डीडवाना वाया खाटू श्यामजी
2. इस्लामपुर-मानपुर वाया खिजसराय/सरबहदा
3. बाकुला-बेलथरा रोड
4. बिहारीगंज-फोर्बिसगंज वाया मुरलीगंज, कुमारखंड, छातापुर
5. पिडुगुराला-नरसारावपेट
6. मधेपुरा-वीरपुर वाया सिंहेश्वर, पिपरा, त्रिवेणीगंज
7. बोटाड-जसडन वाया गोंडल
8. बिहारीगंज-नौगछिया वाया उदाकिशुनगंज, पुरेनी, चौसा...*(व्यवधान)* आप लोग आगे सुनिये। बिहार ही से ही काम शुरू होता है।
9. समदड़ी-फलोदी
10. बुढ़वल-बहराइच
11. अरेराज-नरकटियागंज वाया लौरिया
12. लालगंज-फैजाबाद वाया अकबरगंज, महाराजगंज, रायबरेली
13. पारसनाथ-मधुबन
14. ढेंग-सोनबरसा वाया मेजरगंज, कन्हौली

[श्री लालू प्रसाद]

आमान परिवर्तन

1. खिजड़िया-अमरेली-जूनागढ़
2. चांपानेर-पानी माइन्स
3. राजपीपला तक विस्तार सहित चुचापुरा-तनखाला

दोहरीकरण

1. हासपेट-स्वामीहल्ली
2. तोरणगल्लू-रंजीतपुरा
3. बांदीकुई-अलवर
4. अजमेर-पालनपुर
5. तिनपहाड़-भागलपुर
6. आनंद विहार-तिलक ब्रिज तीसरी व चौथी लाइन
7. डंगुआपोसी-पेन्द्रासली तीसरी लाइन
8. कटवा-फरक्का

यात्री सेवाएं

महोदय, यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मैं निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं:-

नई ट्रेन

I.	बिलासपुर-तिरुनेलवेलि एक्सप्रेस वाया तिरुवनन्तपुरम	साप्ताहिक
2.	रांची-जयनगर एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
3.	सिकंदराबाद-मानूगुरू सुपरफास्ट	प्रतिदिन
4.	मुंबई-कारवार सुपरफास्ट	सप्ताह में तीन दिन
5.	भोपाल-लखनऊ जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस	साप्ताहिक
6.	दुर्ग-जयपुर एक्सप्रेस	साप्ताहिक
7.	छत्रपति साहू टर्मिनल (कोल्हापुर)-धनबाद लिंक सर्विस वाया पारसनाथ	साप्ताहिक
8.	सेनगोटाई-ईरोड पैसेंजर	प्रतिदिन
9.	डिब्रूगढ़ टाऊन-चंडीगढ़ एक्सप्रेस	साप्ताहिक
10.	अजमेर-भागलपुर वाया दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस	सप्ताह में दो दिन
11.	निजामुद्दीन-बंगलोर वाया कछेगुड़ा राजधानी एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
12.	बरौनी-दिल्ली जनसाधारण सुपरफास्ट	सप्ताह में दो दिन
13.	मुंबई-वाराणसी सुपरफास्ट	प्रतिदिन
14.	मैसूर-यशवंतपुर एक्सप्रेस	प्रतिदिन
15.	जमालपुर-गया पैसेंजर	प्रतिदिन
16.	कोरापुट-राउरकेला एक्सप्रेस वाया रायगढ़ा	प्रतिदिन
17.	आगरा-अजमेर सुपरफास्ट	प्रतिदिन

18.	सीतामढ़ी-पटना लिंक सर्विस	प्रतिदिन
19.	त्रिचुरापल्ली-मदुरै एक्सप्रेस	प्रतिदिन
20.	मुंबई-बीकानेर सुपरफास्ट	सप्ताह में दो दिन
21.	जयनगर-अजमेर लिंक सर्विस	सप्ताह में दो दिन
22.	आगरा-लखनऊ जंक्शन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन
23.	गांधीधाम-कोलकाता सुपरफास्ट	साप्ताहिक
24.	नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस वाया भागलपुर	साप्ताहिक
25.	मुंबई-तिरुनेलवेलि सुपरफास्ट वाया तिरुवनन्तपुरम	सप्ताह में दो दिन
26.	जम्मूतवी-दरभंगा गरीब रथ एक्सप्रेस	साप्ताहिक
27.	सहरसा-दिल्ली एक्सप्रेस वाया पटना	साप्ताहिक
28.	ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया गुना	सप्ताह में पांच दिन
29.	कोयम्बटूर-तूतीकोरिन लिंक सर्विस	प्रतिदिन
30.	हावड़ा-हरिद्वार सुपरफास्ट	सप्ताह में पांच दिन
31.	मछलीपट्टनम-मुंबई सुपरफास्ट	सप्ताह में दो दिन
32.	वाराणसी-जम्मूतवी सुपरफास्ट	प्रतिदिन
33.	गोरखपुर-मुंबई सुपरफास्ट	प्रतिदिन
34.	झाझा-पटना मेमू	
35.	नई दिल्ली-पलवल मेमू	
36.	नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस वाया मुजफ्फरपुर	साप्ताहिक
37.	वेरावल-मुंबई लिंक सर्विस	प्रतिदिन
38.	रांची-पटना जनशताब्दी	प्रतिदिन
39.	झांसी-छिंदवाड़ा सुपरफास्ट	सप्ताह में दो दिन
40.	मुंबई-जोधपुर एक्सप्रेस	सप्ताहिक
41.	हाजीपुर-बगहा लिंक सर्विस	
42.	हावड़ा-दिल्ली लिंक सर्विस वाया अजीमगंज-भागलपुर	साप्ताहिक
43.	सीतामढ़ी-दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस वाया पटना	साप्ताहिक

गाड़ियों का विस्तार

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: गांधीधाम वाला गरीब रथ जो छूट गया है, उसे मैं चालू करवाऊंगा।...*(व्यवधान)* उसकी पहले से घोषणा है, वह इसमें नहीं आता।...*(व्यवधान)* आजमगढ़-मुंबई वाला रूट पहले से घोषित है, वह इसमें नहीं आता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): हमारे यहां कुछ नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत गलत बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह निश्चित ही गलत बात है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: उसे हम कर देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी कैसे बताएंगे, आप अभी मंत्री जी को स्पीच खत्म करने दीजिए।

श्री लालू प्रसाद: मुझे निम्नलिखित सेवाओं के मार्ग विस्तार की घोषणा करने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है:-

1. 5761/5762 रांची-अलीपुरद्वार एक्सप्रेस गुवाहाटी तक
2. 9269/9270 पोरबंदर-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर तक
3. 1471/1472 जबलपुर-भोपाल एक्सप्रेस लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर तक
4. 6865/6866 एर्णाकुलम-त्रिचुरापल्ली एक्सप्रेस नागौर तक
5. 3155/3156 कोलकाता-दरभंगा मिथिलांचल एक्सप्रेस सीतामढ़ी तक
6. 2175/2176 हावड़ा-ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस मथुरा तक
7. 2177/2178 हावड़ा-आगरा कैंट चंबल एक्सप्रेस मथुरा तक
8. 6507/6508 जोधपुर-बंगलोर एक्सप्रेस कोयंबटूर तक
9. 2187/2188 जबलपुर-मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस इलाहाबाद तक
10. 2927/2928 मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस छोटाउदयपुर तक
11. 541/542 पटना-दरभंगा कमला गंगा फास्ट पैसेंजर बिरौल तक
12. 3113/3114 कोलकाता-मुर्शिदाबाद हजार दुआरी एक्सप्रेस लालगोला तक
13. 2909/2910 मुंबई-जयपुर गरीब रथ दिल्ली तक
14. 2143/2144 नागपुर-गया दीक्षाभूमि पारसनाथ एक्सप्रेस का धनबाद तक वाया पारसनाथ

फेरों में वृद्धि

माननीय संसद सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि निम्नलिखित गाड़ियों का फेरा बढ़ाया गया है:-

1. 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी/डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर 6 दिन) कर दिया गया है।
2. 2443/2444 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन) कर दिया गया है।
3. 2395/2396 अजमेर-राजेन्द्रनगर जियारत एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन)
4. 2211/2212 निजामुद्दीन-बापूधाम मोतिहारी गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन)
5. 2183/2184 भोपाल-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)

6. 7091/7092 सिकंदराबाद-पटना एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

7. 2739/2740 सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

8. 2111/2112 अमरावती-मुंबई अमरावती एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

9. 2149/2150 पुणे-पटना एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

10. 2957/2958 अहमदाबाद-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

11. 2947/2948 अहमदाबाद-पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)

12. 2887/2888 पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन)

13. 2487/2488 जोगबनी-दिल्ली सीमांचल एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर 6 दिन)

14. 2823/2824 निजामुद्दीन-दुर्ग छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)

गया-पटना, झाझा-पटना, बक्सर-पटना, मुगलसराय-पटना, आरा-पटना एवं मोकामा-दानापुर रेलमार्गों पर चलने वाली लोकल मेमू गाड़ियों में भारी भीड़ रहती है। वर्तमान में ऐसी अधिकांश गाड़ियां 12 डिब्बों वाली होती हैं। 18 में से मात्र 6 सेवायें ही 16 डिब्बों वाली हैं। अतः निर्णय लिया गया है कि मार्च-अप्रैल 2009 के अंत तक इन मार्गों की सभी 18 सेवाओं के लिए 16 डिब्बों वाली मेमू गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लोकल गाड़ियों में चलने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

महोदय, पहले देश की जनता रेल बजट के समय यात्री किरायों में होने वाली संभावित वृद्धि को लेकर चिंतित एवं परेशान नजर आती थी, जबकि मेरे हर रेल बजट के समय जनता यात्री किरायों में होने वाली संभावित कमी को लेकर आशान्वित ही नहीं बल्कि आश्वस्त नजर आती है। करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने लगातार चौथी बार गैर-उपनगरीय मेल एवं एक्सप्रेस तथा साधारण पैसेंजर गाड़ियों के पचास रुपये तक के किराये में प्रति यात्री एक रुपये की और कमी करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार गैर उपनगरीय सेवाओं के द्वितीय श्रेणी के यात्री किरायों में लगातार चार वर्षों में चार रुपये प्रति यात्री की ऐतिहासिक कमी हो गई है।

इस तरह सेवा का ये फर्ज निभाया हमने,
देश मजबूत किया और मुनाफा भी कमाया हमने,
आम जनता की सुविधा का रखा पूरा ख्याल,
हर एक बजट में यात्री किराया घटाया हमने।

महोदय, चूंकि 10 किलोमीटर अथवा उससे कम दूरी वाली रेल यात्रा का किराया पहले ही चार रुपये से घटकर मात्र एक रुपये रह गया है, इसलिए यह कटौती 10 किलोमीटर तक की रेल यात्रा की द्वितीय श्रेणी के किराये पर लागू नहीं होगी, चूंकि नहीं तो वह जीरो हो जायेगा।

महोदय, मैंने पहले गत वर्ष सभी मेल, एक्सप्रेस एवं साधारण पैसेंजर गाड़ियों के पचास रुपये से अधिक के द्वितीय श्रेणी के किराये में पांच प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया था। लंबी दूरी के यात्रियों की अपेक्षाओं को सिर-माथे पर रखते हुए मैंने इस वर्ष भी सभी मेल एक्सप्रेस एवं साधारण पैसेंजर गाड़ियों के पचास रुपये से अधिक के द्वितीय श्रेणी एवं स्लीपर श्रेणी के किराये में दो प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है। कहीं 20 रुपये, 22 रुपये, 30 रुपये हो जायेगा। प्रतिशत में कमी की है और हमने सब का ख्याल रखा है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, भारतीय रेल सबकी है।

महोदय, मैंने पिछले चार वर्षों में एसी फर्स्ट क्लास के किराये में 28 प्रतिशत एवं एसी टू टियर के किराये में 20 प्रतिशत की कमी की है। इन श्रेणियों के यात्री किरायों में की गई भारी कमी का रेलवे को भरपूर फायदा हुआ है। आर्थिक मंदी के कारण जहां हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी होने के समाचार आ रहे हैं वहीं रेलवे की इन श्रेणी के यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। अतः मैंने एसी फर्स्ट क्लास, एसी टू, एसी थ्री टियर एवं एसी चेयर कार के किराये में दो प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है।

उपसंहार

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के गतिशील नेतृत्व, माननीया सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में कार्य करना मेरे लिए सम्मान की बात है और रेल परिवार का मुखिया होने के नाते मैं गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि आज रेलवे एक ऐसी ऐतिहासिक ऊंचाई पर खड़ी है जिसका

[श्री लालू प्रसाद]

आधार चट्टान की तरह मजबूत है और वह नित नए शिखर छूने के लिए कृतसंकल्प है। अतः मैं रेलवे का लगातार उत्साह बढ़ाने के लिए एवं अपना समर्थन देने के लिए सम्मानित सदन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पक्का विश्वास है कि सदैव की भांति भविष्य में भी रेलवे को सम्मानित सदन और देश की जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिलता रहेगा।

कोशिश का मेरी आपने मुझको दिया सिला,
ये मर्तबा बुलन्द मुझे आपसे मिला,
वादा है मेरा तुम से ऐ मेरे हमसफर,
जारी रहेगा कल भी तरक्की का सिलसिला।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं वर्ष 2009-10 का अंतरिम रेल बजट सदन में पेश करता हूं।...*(व्यवधान)* अगर कुछ रह गया होगा तो उसका जबाव मैं दे दूंगा।

अपराह्न 12.45 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) - 2008-09

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 10460/09]

अपराह्न 12.45¾ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) - 2006-07

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं वर्ष 2006-07 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 10461/09]

अपराह्न 1.00 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुंबई आतंकी हमले पर अनुवर्ती कार्रवाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, अब माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले हैं।

...(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, मैं मुम्बई में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमलों पर इस सदन द्वारा आखिरी बार विचार किए जाने के बाद के घटनाक्रमों से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। 12 दिसंबर, 2008 को इस सदन ने एक पावन संकल्प लिया था कि "भारत तब तक अपने प्रयास बन्द नहीं करेगा जब तक कि आतंकवादियों तथा उन्हें प्रशिक्षित और वित्तपोषित करने वाले तथा उकसाने वाले तत्वों का भण्डाफोड न हो जाए और उन्हें सजा न दिला दी जाए"।

2. हमने दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीनों के दौरान अपने पास उपलब्ध सभी तौर-तरीकों का उपयोग करना जारी रखा और वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया। हमारे लक्ष्य इस प्रकार हैं: मुम्बई पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले लोगों को दण्डित करना और यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान से विश्वसनीय उपायों के लिए दबाव डालना कि ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति न हो।

3. मुम्बई हमला भारत के विरुद्ध किया गया एक अपराध था, जिसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई। अपने कूटनीतिक प्रयासों में, हमने पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष निम्नलिखित बातें स्पष्ट कर दी हैं:

- पहली बात यह है कि मुम्बई पर हुए आतंकी हमलों ने एक बार पुनः शांति और स्थिरता के समक्ष आतंकवाद के कारण उत्पन्न गंभीर खतरों को रेखांकित किया है और इसलिए इसे आतंकवाद की वैश्विक चुनौती के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद भारत के लिए प्रत्यक्ष खतरा है, परन्तु

यह समान रूप से एक वैश्विक और क्षेत्रीय खतरा भी है।

- दूसरी बात यह है कि हमारे द्वारा की गई जांच से निर्णायक साक्ष्य प्राप्त हुए कि हमले की योजना, निष्पादन और शुरुआत पाकिस्तान के भू-भाग से, पाकिस्तानियों द्वारा और पाकिस्तान आधारित तत्वों द्वारा की गई। अतः इस साजिश का पूर्ण खुलासा करने, दोषियों की पहचान करने और पारदर्शी तथा सत्यापनीय तरीके से कार्रवाई करने की मुख्य जिम्मेदारी पाकिस्तान की है।

- तीसरी बात यह है कि किसी भी मायने में मुम्बई में किया गया हमला पाकिस्तान के आतंकवादी अवसंरचना से संबंधित भारत पर किया गया कोई पहला अथवा एकमात्र आतंकवादी हमला नहीं था। तथापि, मुम्बई हमलों के मामले में पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दीं और यह बिल्कुल अनिवार्य हो गया कि भविष्य में होने वाले हमलों की रोकथाम करने के लिए पाकिस्तान आतंकवादी अवसंरचना को नष्ट करने हेतु विश्वसनीय कार्रवाई करे।

4. जनवरी के आरंभ तक हमारी जांच आगे बढ़ते हुए ऐसे चरण में पहुंच गई थी जब हम इसके ब्यौरे का आदान-प्रदान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कर सकते थे और विशिष्ट सूचनाएं, सामग्रियां तथा साक्ष्य पाकिस्तान सरकार को सौंपे जा सकते थे। 5 जनवरी को हमने 26-29 नवंबर, 2008 को मुम्बई में हुए हमलों में पाकिस्तानी तत्वों का हाथ होने से संबंधित सामग्रियों की सूचना पाकिस्तान को दी। इनमें थीं:

- पाकिस्तानी राष्ट्रिक मुहम्मद अजमल कसाब जो पुलिस की हिरासत में है, से पूछताछ के उपरान्त प्राप्त सामग्रियां।

- मुम्बई हमलों के दौरान पाकिस्तान स्थित तत्वों के साथ आतंकवादियों की बातचीत के ब्यौरे।

- बरामद किए गए हथियारों, उपकरणों और अन्य वस्तुओं के ब्यौरे।

- बरामद किए गए जी.पी.एस. एवं सेटलाइट फोन, जिनका उपयोग आतंकवादियों ने किया था, से प्राप्त ब्यौरे।

5. मुम्बई हमले का पूरा डोजियर भी तैयार किया गया तथा इसे मेरे सभी समकक्ष विदेश मंत्रियों को अग्रेषित किया गया। साथ ही, विदेश मंत्रालय में नई दिल्ली स्थित मिशनों के सभी रेजिडेंट प्रमुखों के लिए विस्तृत ब्रीफिंग भी आयोजित की गई।

6. अपने राजनयिक विचार-विमर्शों में, हमने अपनी आकांक्षा व्यक्त की कि पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में शीघ्रता से आगे जांच करे तथा परिणामों से हमें अवगत कराए ताकि अपराधियों को दण्डित किया जा सके और यह कि पाकिस्तान अपने नियंत्रणाधीन भू-भाग से किसी भी तरह के आतंकवाद को रोकने के लिए अपने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करे।

7. यह याद दिलाना उपयोगी हो सकता है कि यह चौथा औपचारिक एवं आधिकारिक संचार था जिसे हमने इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार को संबोधित किया। मैंने टेलीफोन पर 28 नवंबर, 2008 को उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी जब वे भारत में ही थे। वार्ता को 29 नवंबर (अगले दिन) सुबह वार्ता टिप्पणी के रूप में लिखित में औपचारिक रूप दिया गया। दूसरा, दिसंबर, 2008 को पाकिस्तान सरकार को औपचारिक तौर पर एक डेमार्श सौंपा गया। तीसरा, 22 दिसम्बर 2008 को, हमारी अभिरक्षा में कैद पाकिस्तानी आतंकवादी का एक पत्र औपचारिक रूप से पाकिस्तान सरकार को अग्रेषित किया गया और चौथा कि 5 जनवरी, 2009 को ब्यौरे के साथ डोजियर, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, पाकिस्तान सरकार को सौंपा गया।

8. **पाकिस्तान का प्रत्युत्तर:** माननीय सदस्य टाल-मटोल, इंकार, विषयांतर करने वाली चाल तथा स्वयं को पीड़ित साबित करने की अनुचित भावना से अवगत हैं जो मुम्बई हमले के बाद शुरू से ही पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की विशेषता थी। पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व ने आतंकी हमले की निंदा की तथा पाकिस्तान में षड्यंत्र की जांच करने में भरपूर सहयोग देने का हमसे वादा किया। मैंने उनकी मंशा या उनकी निष्ठा को किसी भी रूप में कमतर नहीं समझा, किंतु यह सच है कि मुम्बई हमले पर पाकिस्तान के अधिकारियों का समय प्रत्युत्तर ऐसे आतंकी हमले के लिए उपयुक्त नहीं था जिसमें निर्दोषों की निर्मम हत्याएं हुईं। पूरा प्रयास आतंकी हमलों और इसके संबंध में पाकिस्तान की जिम्मेदारी से ध्यान हटाकर अन्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराने पर केंद्रित था।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

9. 16 जनवरी को, पाकिस्तान सरकार ने हमें सूचित किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किए जाने के अनुसरण में जमात-उद-दावा के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है। इसके कुछ सदस्यों को एक्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है, हथियारों के कुछ लाइसेंस रद्द किए गए, जमात-उद-दावा के खातों को फ्रीज करने के लिए अनुदेश जारी किए गए, इसके कुछ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया तथा जमात-उद-दावा के कुछ प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया गया। हमें यह भी सूचित किया गया कि 15 जनवरी 2009 से, पाकिस्तान सरकार ने मुम्बई आतंकी हमले की औपचारिक जांच शुरू की है तथा संघीय अन्वेषण एजेंसी को पाकिस्तान के कानूनों के अनुसरण में जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। जांच दल के कुछ ब्यौरों से हमें अवगत कराया गया।

10. 12 फरवरी को दोपहर में पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त को पाकिस्तान के विदेश सचिव द्वारा पाकिस्तान को 5 जनवरी, को उपलब्ध कराई गई सूचना, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा मुम्बई में किए गए हमले से संबंधित थी, पर पाकिस्तान के उत्तर से अवगत कराया। यह एक सकारात्मक पहल है। अपने शासकीय उत्तर में पाकिस्तान के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में मौजूद तत्व ही मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले में शामिल थे। वे अभी भी इस हमले की जांच कर रहे हैं और इसमें संलिप्त कुछ लोगों की गिरफ्तारी समेत अन्य कार्रवाई भी की गई है तथा पाकिस्तान में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

11. उक्त जांच के संबंध में पाकिस्तान ने अन्य सूचनाएं एवं सामग्री मांगी है। अब भारत सरकार पाकिस्तान के जवाब में उठाए गए मुद्दों की जांच करेगी। जांच के बाद हम पाकिस्तान के साथ वे सभी जानकारियां बांटेंगे जो हमारे पास उपलब्ध होंगी।

12. माननीय सदस्य यह बात मानेंगे कि हमारी सरकार दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, पहला, उन लोगों को सजा दिलाना जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादियों को तैयार, संगठित और प्रशिक्षित किया और दूसरा, पाकिस्तान में मौजूदा आतंकवाद के पूरे ढांचे को समाप्त करना ताकि ऐसे हमलों को दुबारा होने से रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी हमें इसमें सहयोग दिया है और उन्होंने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वे आतंकवादी अवसंरचना और आतंकवादियों को सहायता करने वाले तत्वों को खत्म करें क्योंकि पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। हम पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अन्य स्थितियों की समीक्षा करते रहेंगे और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे।

13. पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद एक वैश्विक खतरा और कैंसर बनकर उभरा है। इस खतरे का उन्मूलन करने की मुख्य जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। अतः अनिवार्य है कि पाकिस्तान अपने भू-क्षेत्र में स्वच्छंद रूप से कार्य करने वाले आतंकवादी गुटों के विरुद्ध गंभीर और प्रभावी कार्रवाई करे। यह अनिवार्य है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी गुटों को प्राप्त स्वच्छंदता के विरुद्ध गंभीरता और निष्ठा से कार्रवाई करे। साथ ही यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान के शीर्ष-स्तरीय नेताओं द्वारा हमें बार-बार दिए गए आश्वासन को वे पूरी ईमानदारी से पूरा करें।

14. 1 दिसंबर, 2008 से पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता पर भी विराम लगा हुआ है। अब तक कोई बैठक नहीं हुई है और न ही कोई बैठक निकट भविष्य में निर्धारित है। साथ ही पिछले चार-पांच वर्षों में स्थिति को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में हमने जो सफलता हासिल की थी, वह सफलता अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि बातचीत और सामान्यीकरण प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा दी गई इस प्रतिबद्धता पर आधारित थी कि इसके नियंत्रण वाले क्षेत्र का किसी भी प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

15. पाकिस्तान के साथ संबंध के मामले में हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि अब पाकिस्तान के अधिकारी स्वयं यह तय करें कि वे भविष्य में भारत के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं। बहुत कुछ मुम्बई हमले पर उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को तार्किक परिणति तक पहुंचाने पर निर्भर करेगा। साथ ही मैं यहां पर यह उल्लेख करना जरूरी समझता हूं कि पाकिस्तान की अवाम के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम उनके हित-कल्याण की कामना करते हैं और हमें नहीं लगता कि इस हालात के लिए उन्हें जिम्मेवार ठहराया जाए अथवा उन्हें इसका परिणाम झेलना पड़े। इसी कारण हमने विधिवत विचार-विमर्श के पश्चात यह फैसला किया है कि लोगों से लोगों के बीच संपर्क, ट्रेन तथा सड़क संपर्कों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 10458A/09]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सभा की कार्यवाही अभी जारी रखना चाहेंगे अथवा मध्याह्न भोजन का अवकाश करेंगे और तत्पश्चात् दुबारा शुरू करेंगे?

अनेक माननीय सदस्य: हम मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

श्रीलंका में शांति बहाल करने और तमिलों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मेरी सूचना के बारे में क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो विषय उठाना चाहता हूं, उससे पूरे देश का संबंध है क्योंकि हमारे तमिलनाडु के जो भाई हैं, वे काफी दुविधा में हैं। उनके सामने बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। सब जानते हैं कि श्रीलंका में एक बहुत बड़ी तादाद में तमिल मूल के लोग रहते हैं जिनका सीधा वास्ता तमिलनाडु से है। 15वीं शताब्दी से उनका वहां आना-जाना आदि सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं यहां पर इंगित करना चाहूंगा कि हमारा किसी का भी लिट्टे के साथ कोई संबंध नहीं है। लिट्टे हमारे देश के अंदर आतंकवादी संगठन घोषित है और प्रतिबंधित है। परन्तु जैसा कि सब जानते हैं कि जिस ढंग का व्यवहार श्रीलंका में तमिल मूल के निवासियों के साथ हो रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अभी कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने तमिलवंशियों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर चिंता व्यक्त की और उसके लिए उपयुक्त समाधान की बात भी की। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि पिछले करीब दो वर्षों में 25 हजार तमिल परिवार श्रीलंका से भागकर शरणार्थी के रूप में तमिलनाडु के हिस्से में आ चुके हैं। यह बात सही है कि श्रीलंका एक दूसरा देश है, परन्तु तमिलनाडु में जो करोड़ों तमिलवासी रहते हैं, उनके लिए बहुत ही गंभीर चिंता और दुविधा का विषय है क्योंकि उनके परिवार के लोग वहां पर हैं और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। अब ऐसी स्थिति आ गयी है कि वहां पर स्कूल और अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दें और जो भी उपयुक्त कदम उठाये जा सकते हैं, वे उठायें जिससे उन सबको गरिमापूर्वक रहने की सुविधा मिल सके। हम चाहेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसा भाव उत्पन्न हो जिससे लगे कि तमिल के लोग श्रीलंका में प्रसन्न हैं, खुश हैं और सही ढंग से रह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो हमारे तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले तमिल भाई-बहनों को बहुत अधिक असुविधा होगी। आज इसलिए जंतर-मंतर पर और लोक सदन के सामने बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास मुख्य द्वार पर सैंकड़ों की तादाद में हमारे क्षेत्र के सांसदों और हजारों की तादाद में निवासियों ने धरना और प्रदर्शन किया। इस बात को आगाह कराते हुए कि सरकार इस ओर ध्यान दें और उनको सुरक्षा प्रदान कराये कि कैसे हम इन तमिल भाई-बहनों को सही ढंग से श्रीलंका में रहने और जीने का अवसर प्रदान कर सकें।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): पट्टाली मक्कलकाची और इसके संस्थापक अध्यक्ष, मरुथुवर अय्या की ओर से श्रीलंका में निर्दोष तमिलों के जारी नरसंहार के विरुद्ध मैं अपना आक्रोष, व्यथा और मोहभंग दर्ज कराना चाहता हूं। आज श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वह किसी मानव जाति को

[प्रो. एम. रामदास]

खत्म करने का एक चरमोत्कर्ष मामला है और मानव जाति के इतिहास में कुछ अप्रत्याशित सा है। यह कोई दो जन-समूहों के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र के खिलाफ एक युद्ध है, लोगों के अधिकारों के विरुद्ध युद्ध है। श्रीलंका में मानवाधिकारों का यह दमन लगभग दो दशक से चल रहा है और आज यह दमन लोगों पर बम गिराने और जनसंहार का रूप ले चुका है।

1956 से आज तक इस सभा को यह अवश्य मालूम होगा की तमिलों का 29 बार नरसंहार हो चुका है जिसमें एक लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और आज 2.5 से 3 लाख लोग युद्ध की स्थिति में जी रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से इस संबंध में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। भारत सरकार की इस मामले में काफी जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि श्रीलंका में तमिलों का यह मुद्दा और कुछ नहीं बल्कि भारत से संबंधित मुद्दा है क्योंकि जिन तमिल लोगों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है वे कभी इसी मिट्टी के संतान थे। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी इसमें रूचि दिखाई थी।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो सरकारों के कार्यकरण का मूलमंत्र हो गया है, में संप्रग सरकार ने उल्लेख किया था कि सरकार श्रीलंका में इस जातीय समस्या का कोई न कोई सौहार्द्रपूर्ण समाधान जरूर करेगी। हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि जिस विदेश नीति का हम आज अनुसरण कर रहे हैं, को उचित रूप में पेश किया जाना चाहिए और हमें यह कहकर चुप्पी नहीं साध लेनी चाहिए कि यह किसी अन्य देश का आंतरिक मामला है। यदि आप कहते हैं कि यह आंतरिक मामला है, तो हमें ज्ञात है कि भारत सरकार की ओर से श्रीलंका सरकार को बहुत बड़ी सहायता राशि दी जा रही है। इस संसद को यह जानने का पूरा हक है कि वहां के निर्दोष तमिलों को समाप्त करने के लिए हम श्रीलंका सरकार को किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं।

हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि श्रीलंका का झुकाव आजकल चीन और पाकिस्तान की ओर ज्यादा है। चीन आजकल श्रीलंका सरकार को सभी प्रकार के अस्त-शस्त्र उपलब्ध करा रहा है और त्रिंकोमाली में यह अपनी नौसेना की उपस्थिति भी दिखा रहा है और पाकिस्तान भी श्रीलंका को और अधिक सहायता दे रहा है। इसलिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति में श्रीलंका भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान को अपने साथ लेगा। जबकि वहां के तमिल सदैव भारत पर निर्भर होंगे। इसलिए, एक भयावह स्थिति बनती जा रही है। इस समय श्रीलंका में एक सर्वनाश जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बेबुनिया क्षेत्र में श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं द्वारा अस्पतालों और सुरक्षा शिविरों पर लगातार बमबारी हो रही है। हजारों तमिलों ने अपनी जान गंवा दी है। और वास्तव में इससे भी कहीं अधिक श्रीलंकाई सेना के हाथों मारे गए हैं।

इसलिए इस स्थिति में भारत सरकार को निम्न स्थितिवत काम करना चाहिए - श्रीलंका सरकार से एकतरफा सभी प्रकार की ज्यादतियों को रोकने तथा सुलह-समझौता शुरू करने के लिए कहा जाए। हमें बहुत खुशी है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने श्रीलंका में युद्ध विराम का उल्लेख किया है और वास्तव में युद्ध को रोकने तथा शांति प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि केवल भारत ही यह कर सकता है। मैं भारत सरकार से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं।

सामरिक उद्देश्यों की तुलना में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि श्रीलंका सरकार तत्काल युद्ध विराम के भारत के सुझाव पर ध्यान नहीं देती है तो भारत को तत्काल उन 250 से अधिक तकनीकी लोगों को वापस बुला लेना चाहिए जो इस समय श्रीलंका में है और आगे उपग्रह आधारित सारी रणनीति समर्थन तथा अन्य तकनीक सहायता को बंद कर देना चाहिए। फिर तत्काल भोजन, दवाएं और आवश्यक सामग्री उत्तरी श्रीलंका में भेजी जाएं और इस बात पर जोर दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्रसंघ और आई.सी.आर.ए. के अधीक्षण में इसे तत्काल वितरित किया जाए। हम मांग करते हैं कि श्रीलंका सरकार उत्तरी और पूर्वी लंका में वास्तविक स्थिति में आकलन के लिए तमिलों सहित यू.एन. तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों को वहां जाने की अनुमति दे। और तत्पश्चात कोलम्बो में तमिल लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जाए जो इस समय एक छोटे से क्षेत्र में बेब्बलिथिया और वलवट्टी के आस-पास बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तमिलों की समस्या के बारे में चिंतित है तो यह आश्चर्य की बात है कि हम इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

आपके सूचनार्थ, कनाडा की संसद ने इस समस्या पर पांच घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की है, राष्ट्रमंडल संसद में इस समस्या पर चार घंटे चर्चा हुई है। तमिलों के

साथ हमारा ज्यादा और निकट सहयोग है। यहां तक की जैन आयोग की जांच के दौरान पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव ने यह कहते हुए साक्ष्य दिया था कि श्रीलंका के तमिलों का भारत के साथ 3000 वर्ष से भी पुराना संबंध है। जब हम भाई हैं और हमारे भाई वहां मर रहे हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि हम उन लोगों को बचाने के लिए वहां जाएं और तमिल जाति के पूर्ण उन्मूलन की इस कार्यवाही से उन्हें बचाएं। वे आपके आभारी होंगे और पूरे भारत के 7 करोड़ से अधिक तमिल इस संबंध में भारत सरकार की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक एक मिनट में श्रीलंका में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है।

भारत जैसे गांधीवादी देश जिसने गरिमा, सम्मान और शांति के सिद्धांतों का समर्थन किया है, में इस स्थिति को और आगे खराब नहीं होने देना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है, उसे हम भूल जाएं और एक नये अध्याय की शुरुआत करें और महामहिम राष्ट्रपति के इस संबोधन से हमारा यह विश्वास और सुदृढ़ हुआ है जिन्होंने कहा था कि वहां पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

मेरा माननीय विदेश मंत्री से केवल यही अनुरोध है कि यह कार्य तो कर ही दें। संप्रग सरकार ने घरेलू क्षेत्र में बहुत काम किया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मामले में संप्रग सरकार द्वारा घोषित वायदों में से 88 प्रतिशत पूरे किए जा चुके हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में घोषित श्रीलंका में सामान्य स्थिति तथा वहां शांति बहाल करना, जैसा कार्य अभी बाकी रह गया है। अब मैं सरकार से अगले एक माह में कार्रवाई करने और श्रीलंका में पूर्ण शांति बहाल करने का अनुरोध करता हूं जिससे की तमिलों के सम्मान की रक्षा की जा सके, तमिलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तभी पूरे विश्व के तमिल समुदाय शांति से रह सकेंगे। मेरा भारत सरकार से यही अनुरोध है।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं इस मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, निश्चित रूप से। उनका नाम सम्बद्ध किया जाएगा।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): प्रो. रामदास ने जो कुछ कहा है मैं उससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। मेरा अनुरोध है कि तत्काल 250 तकनीशियनों को वापस बुला लेना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि माननीय विदेश मंत्री जो इस सभा में उपस्थित हैं इसका तत्काल उत्तर दें।

श्री रूपचंद पाल: सभा के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त चिंताओं से मैं स्वयं को पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं। अपनी पार्टी की ओर से मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि श्रीलंकाई समस्या तमिल समस्या का शांतिपूर्ण और प्रजातांत्रिक हल अत्यंत आवश्यक है और भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करने जा रही है, हमारे माननीय विदेश मंत्री ने पहले ही इस विषय को उठा चुके हैं। वे वहां गए थे तथा वे शीघ्र ही वहां जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि भारत सरकार श्रीलंका में तमिलों के समक्ष उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए तत्काल और कदम उठाएगी।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं स्वयं को इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): श्रीलंका में श्रीलंकाई सेना द्वारा किए जा रहे नरसंहार के कारण तीन लाख तमिल विस्थापित हुए हैं। हमारे जातीय तमिल लोग, हमारे भाई और बहन लगातार 40 वर्ष से मारे जा रहे हैं। इस समय, हमला और भी गंभीर हो गया है। श्रीलंकाई सेना वहां के तमिलों के विरुद्ध कलस्टर बम का प्रयोग कर रही है। हमारे विदेश मंत्री इस सभा में आए और उन्होंने वादा किया कि शांति बनाई रखी जाएगी और युद्ध विराम लागू होगा। वे वहां भी गए और इस मुद्दे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति से वार्ता की लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक युद्ध बंद नहीं हुआ है।

डी.एम.के. पार्टी और इसकी सहयोगी पार्टियों ने लोकतांत्रिक तरीके से, मानव शृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन और जुलूस आदि के माध्यम से तमिलनाडु में इस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। राज्य विधान सभा में हमारे मुख्यमंत्री ने दो संकल्प पारित किए जो श्रीलंका में युद्ध रोकने के लिए सर्वसम्मति से पारित किए गए संकल्प थे। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को भी पत्र लिखा है। महामहिम राष्ट्रपति को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने कल के अपने संबोधन में इस संबंध में यह कहते हुए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है कि श्रीलंका में स्थिति में सुधार होगा।

हमें भारत सरकार की बातों पर विश्वास है। हमें अपने माननीय विदेश मंत्री पर विश्वास है। इसलिए मैं भारत

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए कि श्रीलंकाई तमिलों को वहां रहने का अधिकार मिले, युद्ध रुके, वहां शांति बहाल हो और प्रजातांत्रिक तरीकों से श्रीलंकाई तमिलों की समस्या का कोई समाधान निकले।

पुनः भारत सरकार को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी राज्यों में रहने वाले तमिलों को प्रथम चरण में एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक स्थायी राजनीतिक समाधान के माध्यम से पूरा अधिकार तथा स्वायत्तता मिले। श्रीलंका में तमिलों को बचाने के लिए युद्ध विराम होना चाहिए। एक बार मैं पुनः सरकार से तत्काल कार्रवाई करने तथा इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि उनके साथ हमारा खून का हिस्ता है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान की मार्किट में चीनी खिलौनों की भरमार है और उन पर पाबंदी लगाई गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप श्रीलंका की समस्या पर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं वरना आपको बाद में टाइम देंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सर, दो मिनट बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी): महोदय, मैं तमिल में बोलना चाहूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप तमिल में बोलना चाहते हैं तो थोड़ी देर ठहर जाएं।

[अनुवाद]

आपको भाषांतरण सेवा के लिए कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, तमिलों के नेता श्री वाईको, की ओर से बोल रहा हूं। श्रीलंकाई सरकार वहां बसने वाले तमिलों को पिछले 30 वर्षों से मनमाने ढंग से खत्म कर रही है। केन्द्र सरकार भारतीय मूल के तमिलों की रक्षा करने की बजाए वहां सिंहली सरकार को शस्त्र और गोलाबारूद देकर उनकी मदद कर रही है तथा वहां रह रहे तमिलों की हत्या के लिए युद्ध क्षेत्र में अपने विशेषज्ञों को भी भेज रही है। हमारी सरकार ने सिंहली सरकार को 2000 करोड़ रुपये का उदार ऋण दिया है जिसका उपयोग वहां की सरकार बड़े पैमाने पर तमिलों की हत्या के लिए चीन, पाकिस्तान और भारत से भी शस्त्र खरीदने में कर रही है। तमिलों को दवाइयों, खाद्य और आश्रय से वंचित किया जा रहा है। रेड क्रॉस के लोगों को जो उनकी मदद कर रहे थे, वहां से चले जाने को कहा गया है। घायल लोगों को अस्पताल की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस जो वहां घट रही घटनाओं की सही तस्वीर पेश कर रहे थे, को भी वहां से चले जाने को कहा गया है। वहां रहने वाले तमिलों के लिए कोई खाद्य और आश्रय नहीं है। केवल स्कूलों और अस्पतालों पर ही बम नहीं गिराये जा रहे हैं बल्कि तमिलों के सिविल आवासों पर भी बम गिराए जा रहे हैं।

इसे रोका जाना चाहिए। तमिलों के विरुद्ध युद्ध के विरोध में तमिलनाडु में पांच लोगों ने आत्मदाह कर लिया है। पूरे विश्व में तमिल लोग इस तथ्य को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहते है क्योंकि तमिलनाडु की वर्तमान सरकार केन्द्र में सरकार की सहयोगी है और तमिलनाडु सरकार ने वहां रहने वाले तमिलों के पक्ष में आवाज नहीं उठाई है। वे किसी भी सहायता के रूप में भी उनके सहयोग में आगे नहीं आई है और न ही उनकी रक्षा के कोई प्रयास किया है। उन्होंने विधान सभा में केवल यह कहते हुए उल्लेख किया है कि युद्ध रोका जाना चाहिए लेकिन श्रीलंकाई सरकार द्वारा कुछ भी नहीं रोका गया है।

मैं एम.डी.एम.के. पार्टी की ओर से अनुरोध करता हूं कि उस देश में शांति बहाल होनी चाहिए। युद्ध रोका जाना चाहिए। रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को वहां भेजा जाना चाहिए जिससे वहां रहने वाले तमिलों की हत्या के बारे में अन्य लोगों को भी पता चले तथा उनको प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाए। यह जानकर बहुत दुःख होता है कि तमिलों के निवास वाले प्रत्येक क्षेत्र पर राडार से नजर रखी जा रही है जिसे भारत सरकार ने ही दिया है और उन क्षेत्रों पर बमबारी हो रही है। केन्द्र सरकार ने उनको

पलाई हवाई अड्डे को पुनर्जीवित करने में मदद की है और इस प्रकार भारत सरकार वहां रहने वाले तमिलों पर बम गिराने में मदद कर रही है।

महोदय, इसलिए, हम संपूर्ण विश्व के तमिल समुदाय के लोग अपनी भावनाओं को रखना चाहते हैं कि श्रीलंका में युद्ध का अंत होना चाहिए। तमिलों की आकक्षांओं को पूरा करते हुए वहां राजनीतिक समझौता होना चाहिए और सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में हस्तक्षेप करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके पहले कि मैं दूसरे माननीय सदस्य को चर्चा में भाग लेने का अनुरोध करूं, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने श्रीलंका से संबंधित विषय पर चर्चा शुरू की है और वे माननीय सदस्य जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं वही इसमें भाग लें।

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिन्डीगुल): महोदय, मैं संक्षेप में अपने विचार रखना चाहूंगा। प्रथम, श्रीलंका में युद्ध विराम बिना किसी विलम्ब के लागू किया जाना चाहिए, दूसरा, श्रीलंका में ईलम तमिलों को अन्य समुदायों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए।

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): महोदय, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। तत्कालीन श्रीलंकाई सरकार ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया। तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। उनके तमिल नेता सोल्वनायकम ने अपनी जायज मांगों के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। इसलिए, राजभाषा अधिनियम 33/1956 में लागू हुआ और तमिल भाषा भी 1956 में राजभाषा बन गई। इसके बाद से सिंहली और तमिलों के बीच यह निरंतर जारी रहने वाला संघर्ष बन गया। 23-7-1983 को श्रीलंकाई सेना के 13 सैनिक कोलम्बो में मारे गए। गलती से ऐसा मान लिया गया कि इसके पीछे तमिलों का हाथ था, और सिंहली लोगों ने हिंसा का तांडव किया और दंगे भड़क गए। इसमें 5000 तमिलों ने जान गंवायी और उनकी सम्पत्ति भी नष्ट हुई। लगभग 1.20 लाख से ज्यादा तमिल शरणार्थियों के रूप में तमिलनाडु में भाग कर आ गए। भारत सरकार और तमिलनाडु द्वारा उनको शरण दी गयी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका में सभी लोगों की एक बैठक बुलाने में दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने वरिष्ठ जी पार्थसारथी को अपने दूत के रूप में श्रीलंका भेजा। उनकी पांच दौरों के दौरान हुई समझौता वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। तमिलों पर लगातार हमले हुए। तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नरसिम्हराव ने श्री जयवर्धने से बातचीत की। तमिलों पर हमला रुक गया लेकिन हमला फिर शुरू हो गया। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सभी विरोधी विद्रोही पक्षों को एक साथ लाने के लिए कदम उठाया। उन्होंने श्रीलंकाई अधिकारियों की थिम्फू में एक वार्ता आयोजित कराई। वार्ता पुनः असफल हो गई। 1987 को जयवर्धने शासन ने तमिलों पर लगभग आर्थिक पाबंदी लगा दी तथा वाडामराची में तमिलों पर हमला बोला। श्री राजीव गांधी ने तमिलों को खाद्य आपूर्ति के लिए कदम उठाया। दिनांक 3-6-1987 को रामेश्वरम बंदरगाह से 19 नावों में भरकर खाद्य सामग्री भेजी गई। श्रीलंका की सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी। इसके बाद 24 टन खाद्य और राहत सामग्री बंगलौर से भेजे गए हमारी वायुसेना के विमानों द्वारा गिराए गए। दिनांक 29-7-1987 को राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच इसके पूर्व समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार तमिल लोगों को जो श्रीलंका में तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समूह है, तमिल प्रदेश मिलना था दिनांक 30-8-1987 को जेलों में कष्ट भोग रहे सभी तमिलों को आम क्षमादान मिल गया। दिनांक 28-9-1987 के समझौते के अनुसार 6 एल.टी.टी.ई. के लोगों के साथ एक अंतरिम प्रशासन की स्थापना की जानी थी। लेकिन प्रभाकरण अपने वादे से मुकर गए और इस समझौते को लागू करने की प्रक्रिया को एक झटका लगा। 1983 में श्रीमती गांधी और 1984 में श्री राजीव गांधी के प्रयासों से एल.टी.टी.ई. और अन्य उग्रवादियों को बहुत मदद मिली। प्रभाकरण को असम में प्रशिक्षण दिया गया और तमिलनाडु में कई प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। भारत सरकार तथा तमिलनाडु की सरकार, दोनों, ने श्रीलंका में तमिलों की रक्षा के लिए तमिल उग्रवादियों को सभी प्रकार की संभव सहायता दी। दिनांक 29-7-1987 के भारत-श्रीलंका समझौते को सिंहलियों के हितों के विरुद्ध माना गया। चूंकि एक श्रीलंकाई नौसैनिक द्वारा श्री राजीव गांधी पर हमले का प्रयास किया गया था यद्यपि भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार ने एक अलग तमिल प्रदेश के निर्माण के लिए प्रभाकरण की अध्यक्षता में हर संभव प्रयास किया। लेकिन एल.टी.टी.ई. के उग्रवादियों ने अपने ही भाइयों की हत्या शुरू कर दी और उन्होंने 56 तमिल नेताओं को मार दिया। 21-5-1991 को श्री राजीव गांधी जिन्होंने श्रीलंका

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

के तमिलों की बहुत मदद की थी, की भी नृशंस हत्या कर दी गई। एल.टी.टी.ई. ने श्री राजीव गांधी की हत्या में भाड़े के टट्टू के रूप में काम किया। इसलिए भारत सहित 33 देशों ने एल.टी.टी.ई. को एक आतंकी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया। पिछले 3 वर्षों में श्रीलंकाई सरकार की सेना ने श्रीलंका के तमिलों पर उत्तरी प्रदेश में हमला बोल दिया है। उनके द्वारा बमबारी में विद्यालयों, पूजा-स्थलों और अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। निर्दोष तमिल लोग बंकरों और जंगलों में रह रहे हैं। श्रीलंकाई सेना ने अंतर्राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन किया है और सिविल क्षेत्रों पर भी बम बर्षाए हैं। मुलाइतिवू में पुडुक्कुडियोरुपूपू नामक जगह में 150 विस्तरों वाला अस्पताल जिसमें बीमार लोग थे, पर सिंहोली सेना ने हमला किया। 20 डॉक्टरों में से अब वहां 11 डाक्टर जीवित नहीं हैं। बिना किसी चिकित्सा सहायता के तमिल लोग वहां घिरे हुए हैं। सवा लाख के लगभग तमिलों को एल.टी.टी.ई. द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब एक ईसाई नन ने सुरक्षित क्षेत्र में जाना चाहा तो उसे गोली मार दी गई।

भारत सरकार के इशारे पर श्रीलंका सरकार द्वारा 24 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। लेकिन नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्र में जाने से रोका गया। लगभग डेढ़ लाख तमिल भारत में शरणार्थी के रूप में कष्ट में जी रहे हैं। पूरे विश्व के तमिल चिंतित हैं कि वहां सामान्य स्थिति बहाल हो। अमेरिका, नार्वे और भारत ने श्रीलंका सरकार से अनुरोध किया है कि वह युद्ध विराम की घोषणा करे। लेकिन श्रीलंका सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है। डा. कलाइगनार करुणानिधि की अध्यक्षता में तमिलनाडु सरकार तथा सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली केन्द्र की संप्रग सरकार ने श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाया है।

इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह संयुक्त राष्ट्र को साथ लेकर वहां युद्ध विराम सुनिश्चित कराये। श्रीलंका के तमिल तथा भारत के तमिल भाई-भाई हैं। जब 1832 में अंग्रेजी सरकार ने एक रेल योजना बनाई थी तो उसमें सिलोन भी शामिल था। यदि भारत सरकार की इच्छा होती तो श्रीलंका सरकार को एक घंटे में मनाया जा सकता था। इसलिए, केन्द्र सरकार से मैं यथाशीघ्र हर संभव कदम उठाने का प्रयास करता हूं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मात्र संगठन है जिसने अधिक बलिदान दिया है। हमने महात्मा गांधी को साम्प्रदायिकता के कारण खो दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी को सिक्ख उग्रवाद के चलते खोया और एल.टी.टी.ई. उग्रवाद के कारण राजीव गांधी को भी खो दिया। कांग्रेस आतंकवाद के अंत के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। एल.टी.टी.ई. को अवश्य ही हथियार डालने होंगे और उसे समझौता करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी और श्रीमती सोनिया गांधी तमिलों की रक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। ममता की मूर्ति हमारी सोनिया गांधी जी ने अपने पति की हत्या में सम्मिलित सजायाफ्ता नलिनी को उसकी बेटी के कारण माफ कर दिया है। कांग्रेस की ओर से और अपनी नेत्री सोनिया जी की ओर से मैं ही सरकार से श्रीलंका में तमिलों की रक्षा के लिए अनुरोध करता हूं।

*श्री एम. अप्पादुरई: महोदय, सभा, श्रीलंका के तमिलों की दुर्दशा पर विस्मित है जिन पर अपनी ही सरकार की सेना द्वारा हमले किए जा रहे हैं। यह तमिलों पर अपनी ही सरकार द्वारा किया जाने वाला नरसंहार करने वाला हमला है जिसने अपने ही नागरिकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। श्रीलंकाई सरकार जो इन निर्दोष तमिलों पर हमला कर रही है - ने इस संबंध में सभी अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं तथा आचार का उल्लंघन किया है।

श्रीलंकाई सेना की बमबारी में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों पूजा स्थलों - जैसे चर्चों, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया है। श्रीलंकाई तमिल अपने ही घर में शरणार्थी बन गए हैं। तमिलों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और इस प्रकार संघर्ष लम्बे समय से चला आ रहा है। एक स्वतंत्र देश में, बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक, दोनों, को समान अधिकार होना चाहिए। वर्षों से तमिल आबादी केवल सिंहलियों को उस देश में सर्वोच्चता देने के लिए क्रमिक रूप से घट रही है जिसमें तमिलों ने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर तथा चाय बगान के बड़े क्षेत्र को खेती योग्य बनाकर कृषि और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

वहां तमिलों को भी सिंहली आबादी के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां की नरसंहार करने वाली सरकार तमिल प्रदेश में भी तमिलों की आबादी को क्रमिक रूप से कम करती जा रही है। यह सुनिश्चित

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

किया जाना चाहिए कि श्रीलंका के तमिलों को उनका अधिकार और उनकी सम्पत्ति का अधिकार मिले। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस समय श्रीलंका के सारे तमिल एकजुट हैं।

विश्व की कई सरकारों से बहुत-से अनुरोध प्राप्त होने के बाद भी श्रीलंका सरकार अभी भी नहीं झुकी है और उसने अपने ही नागरिकों के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा है। श्रीलंका सरकार ने मानवता के आधार पर की गयी मांग को भी खारिज कर दिया है। अब वहां पर सामान्य स्थिति बहाल करने की जिम्मेदारी पूरी तरह श्रीलंका सरकार की है।

इस समय मैं भारत सरकार पर जोर देना चाहूंगा कि वह श्रीलंका की जातीय सरकार को किसी भी प्रकार मदद न करे, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की मदद न दी जाए। यह अवश्य याद किया जाना चाहिए कि भारत सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नरसिम्हराव ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान तमिलों पर हो रहे हमले को स्वयं देखा था। उसी समय श्री नरसिंहराव ने जयवर्धने को चेतावनी दी थी कि वह तत्काल हमला बंद करें, नहीं तो इसे रोकने के लिए भारत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। श्रीलंका सरकार ने कुछ घंटों के अंदर ही तत्काल हमला रोक दिया था। मैं यह अवश्य बताना चाहूंगा कि श्रीलंका की राजपक्षे सरकार उस देश से तमिल जाति की सफाया करने पर तुली हुई है।

इसलिए, भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह वहां पर उस युद्ध को रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय करे जिसमें प्रत्येक दिन सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जा रहे है। भारत सरकार को श्रीलंका सरकार पर एक राजनीतिक समझौते के लिए दबाव बनाना चाहिए जिससे तमिलों को संरक्षण और शांति मिल सके।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। प्रारंभ में मैंने सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि श्रीलंका की तमिल समस्या कोई नई नहीं है। यह तीन दशक पुरानी समस्या है। बहुत-सी जानें गई हैं। बहुत खून बहा है। आज भी युद्ध जारी है। प्रत्येक भारतीय का कुछ आदर्श, कुछ विश्वास होता है। राष्ट्रमंडल देशों में भारत मानव अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता को महत्व देता रहा है और प्रत्येक से वह उम्मीद करता है कि वह एक दूसरे का सम्मान करें। श्रीलंका में पिछले तीन दशक से जो कुछ हो रहा है वह उन विश्वासों के उलट है। श्रीलंका में शांति बहाल करने तथा एक नागरिक के रूप में प्रत्येक तमिल के सम्मान को वापस दिलाने के संबंध में भारत और श्रीलंका के बीच में एक संधि हुई थी। श्रीलंका ने शांति स्थापित करने के लिए नार्वे सरकार के साथ एक समझौता भी किया था। ये दो मुख्य देश हैं जिन्होंने श्रीलंका में शांति बहाल करने के लिए प्रयास किए। लेकिन दोनों समझौते विफल हो चुके हैं। वे विफल इसलिए हुए हैं क्योंकि वे दोनों युद्धरत पक्षों को मान्य नहीं थे।

मैं इस सभा को यह भी स्मरण कराना चाहूंगा कि एल.टी.टी.ई. (लिट्टे) श्रीलंका के तमिलों के एकमात्र प्रतिनिधि अथवा उनकी एकमात्र आवाज नहीं हैं। श्रीलंका में अनेक अन्य तमिल संगठन भी थे, लेकिन इन्हें क्रमबद्ध रूप से और बलपूर्वक भी, समाप्त कर दिया गया हैं। इसलिए, आज जो भी तमिलों के हितों की सुरक्षा की बात करता है उसे लिट्टे का संरक्षक अथवा हिमायती नहीं माना जाना चाहिए। इस देश में लिट्टे एक प्रतिबंधित संगठन है और लिट्टे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की मौत के लिए भी जिम्मेदार है। लिट्टे श्रीलंका के एक शासनाध्यक्ष की मौत के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसे संगठनों की गतिविधियों की सभी को निन्दा करनी चाहिए और उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और संगठन को भंग करने और उन्हें शस्त्रविहीन करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं। लेकिन, आज यहां इस सभा में, जब इस विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है, मेरी चिन्ता यह है कि इस समस्या पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हमारा प्रयास श्रीलंका के तमिलों में विश्वास बहाल करने का होना चाहिए क्योंकि पिछले तीन दशकों के दौरान जिस प्रकार लोगों ने कष्ट उठाए हैं - उससे श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों ने न केवल तमिलनाडु बल्कि उड़ीसा में भी शरण ली है। दंडकारण्य क्षेत्र में शरणार्थी कैम्प बनाए गए थे जहां कभी पूर्वी पाकिस्तान अथवा बंगलादेशी बस्तियां बनाई गई थी। अतः, हम श्रीलंका से आए शरणार्थियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत हैं। वहां रोज रक्तपात हो रहा है।

इसलिए, मैं श्रीलंका में सामान्य स्थिति बहाल करने का अनुरोध करता हूं और भारत सरकार द्वारा सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही, उस क्षेत्र में, पूर्वी तट और श्रीलंका के उत्तरी प्रायद्वीप में श्रीलंकाई लोगों का विश्वास बहाल कैसे हो; स्थिति सामान्य कैसे हो और शैक्षणिक संस्थाएं कैसे खुलें, उन्हें लाभकारी रोजगार कैसे दें, उनका पुनर्वास कैसे हो, इन सभी के लिए बेहतर ढंग

[श्री भर्तृहरि महताब]

से कदम उठाए जाने चाहिएं क्योंकि भारत केवल शरणार्थियों के कारण ही प्रभावित नहीं होता; यह हम सार्क देशों की समस्या नहीं है, ऐसा आतंक समूचे हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों को प्रभावित कर रहा है। इस संदर्भ में सरकार से इस समस्या का समाधान करने और श्रीलंका में सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता करने का अनुरोध करता हूं।

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): महोदय, अत्यंत दुखपूर्वक मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान श्रीलंका में निर्दोष तमिलों की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर तमिल वहां के भूमिपुत्र हैं और भारत की मुख्य भूमि के तमिलों के साथ उनका रक्त संबंध है। वहां रोजाना सैकड़ों तमिल मारे जा रहे हैं। हजारों तमिलों की जान बचाने के लिए यह नरसंहार बंद होना चाहिए। विभिन्न राजनैतिक दल अपने-अपने नजरिए से इस मुद्दे को उठा चुके हैं। हम सभी चाहते हैं कि वहां शांति बहाल हो। हमने इस संबंध में प्रधानमंत्री, संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और विदेश मंत्री से भी बात की है। शांतिपूर्ण ढंग से वहां शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए समस्या का हल ढूंढने हेतु हमारे दल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलैगनार करुणानिधि ने केन्द्र सरकार के साथ भी यह मुद्दा उठाया है। यहां तक कि जब वे अस्पताल में दाखिल थे, तब भी उन्होंने सभी राजनैतिक नेताओं से विचार-विमर्श किया ताकि वे भारत सरकार पर इस बात के लिए जोर दे कि वह श्रीलंका सरकार से वहां बातचीत के जरिए तत्काल युद्ध समाप्त कर शांति स्थापित करने का आग्रह करे। तमिलों पर उग्र और हथियारबन्द आक्रमण बन्द होने चाहिए। हमारे दल ने सारे तमिलनाडु में शांतिपूर्ण रैलियां निकाली हैं। केन्द्र के साथ बातचीत की आवश्यकता के अभियान के तहत तमिलनाडु में विशाल मानव शृंखला बनाकर प्रदर्शन किया जो शांतिपूर्ण रहा और जिसमें लगभग सभी राजनैतिक दलों और आम जनता ने भाग लिया। तमिलनाडु सरकार ने सभी दलों के लोगों के योगदान से संग्रहित दवाइयों, खाद्य सामग्री और वस्त्रों सहित लगभग 49 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी है। यह सामग्री संकटग्रस्त क्षेत्र में सीधे तमिलों को नहीं भेजी जा सकती थी। अपनी ही मातृभूमि में बेघर हो चुके श्रीलंकाई तमिलों में वितरण के लिए यह सामग्री कोलंबो और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के जरिए भेजनी पड़ी थी।

श्रीलंका की सेना युद्ध के नाम पर प्रतिदिन न केवल अपने देशवासियों, निर्दोष तमिलों की ही हत्या नहीं करती बल्कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम में रहने वाले भारतीय मछुआरे भी श्रीलंकाई सेना के हाथों मारे जाते हैं। अब तक हमारे तटों के निकट पाल्क जलडमरु मध्य में श्रीलंकाई सेना द्वारा लगभग 700 मछुआरे मारे जा चुके हैं। यहां तक कि समुद्र के बीच जलडमरु मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मौजूद मछुआरों को भी श्रीलंकाई सेना निर्दयतापूर्वक मार डालती है।

जब हम पाकिस्तान और बंग्लादेश से संबंधित मुद्दे उठाते रहे हैं तो हम यह नहीं समझ पा रहे कि केन्द्र सरकार पड़ोस में केवल तमिलों के मुद्दे की ही अनदेखी क्यों कर रही है। श्रीलंका के सैकड़ों तमिल शरणार्थियों ने तमिलनाडु में शरण ली है और वे उड़ीसा में भी शरणार्थी कैम्पों में रह रहे हैं। अनाथ तमिल विश्व के अनेक भागों में शरणार्थी के रूप में निष्कासित जीवन जी रहे हैं। श्रीलंका में शांति बहाल करना आवश्यक है और केवल भारत ही उसमें निश्चित भूमिका निभा सकता है। 1987 में मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने राजीव-जयवर्धने समझौता किया था। लेकिन अब भी शांति स्थापित नहीं हुई है। मैं केन्द्र सरकार से राज्य द्वारा अपने ही नागरिकों के विरुद्ध युद्ध करके उसमें हजारों तमिलों की हत्या को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह करता हूं। डी.एम.के. की ओर से, मैं केन्द्र सरकार से निर्दोष तमिलों की, द्वीप राष्ट्र में, उनकी ही मातृभूमि में उनकी जान बचाने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, आरंभ में ही मैं कहना चाहता हूं कि हाल ही में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) सीमा, विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा समाप्त करने का अत्यंत गंभीर निर्णय लिया है और वह भी ऐसे समय पर किया गया है जब संसद का सत्र चल रहा है, संसद की अनदेखी करना और ऐसा निर्णय लेना जिसका प्रभाव हमारी समूची अर्थव्यवस्था पर, हमारे निर्यात पर, हमारे उद्योगों पर होगा और यह हमारी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए भी खतरा है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जैसा कि आप जानते हैं, उदाहरणार्थ, खुदरा क्षेत्र में, 'मल्टी ब्रांडेड' और 'सिंगल ब्रांडेड' उत्पादों में, हमारे देश में चार करोड़ से अधिक लोग लगे हुए हैं। राष्ट्र की व्यापक मांग के कारण, आज तक सरकार किसी भी खुदरा-संबंधित क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हुई है। इस संबंध में एक सीमा है। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए यह आवश्यक है। बीते दशकों के दौरान सरकार ने हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की सुरक्षा के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं का कम से कम आंशिक रूप से तो पालन किया है।

अब, भारतीय कंपनियों के जरिए पिछले दरवाजे से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय भारतीय घरेलू क्षेत्र की संभावनाओं को बर्बाद कर देगा और हमारी स्थिति कमजोर होगी।

उदाहरणार्थ, बीमा क्षेत्र में, हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रबल विरोध करते रहे हैं क्योंकि यह हमारे बीमा क्षेत्र के लिए घातक होगा। सरकार अब एक विधेयक लाई है और यह विधेयक अब स्थायी समिति के विचाराधीन है। संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एफ.डी.आई. की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के संबंध में बीमा विधेयक स्थायी समिति के विचाराधीन है। ऐसे समय पर, स्थायी समिति की सिफारिशों का इंतजार न करते हुए सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निर्णय लिया है जिसका अर्थ है कि इस सभा का और स्थायी समिति का कोई अस्तित्व नहीं है। यह इस सभा की अवमानना है। मैं सरकार पर गंभीर आरोप लगाता हूं कि यह सभा की अवमानना है। ऐसा करके सरकार ने संसद की उपेक्षा की है, सरकार ने सत्र के दौरान संसद के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और उसने स्थायी समिति की सिफारिश की प्रतीक्षा न करके गंभीर अवमानना की है।

इस संबंध में एक और गंभीर पहलू है। शुरू से हम अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे है क्योंकि हमारी आवश्यकता के समय हमें प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अतः इसका हमने स्वयं निर्माण किया। हम अपने वैज्ञानिकों, तकनीशियनों के आभारी हैं, हमने अपने रक्षा उत्पादन क्षेत्र का अति सुदृढ़ अवसंरचना का निर्माण किया है। भारतीय कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति देने के मंत्रिमंडल के इस निर्णय से वास्तव में विदेशी कंपनियां बड़े पैमाने पर हमारे रक्षा बाजार में प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं। इससे हमारी अवसंरचना और सुरक्षा ऐसे समय में कमजोर होगी जब हम आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे हैं और पड़ोसी देश हमे हर तरह से परेशान कर रहे हैं। ऐसे समय में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर रक्षा अवसंरचना को कमजोर करना सही नहीं है।

सरकार को संसद के समक्ष स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहुत कम दिन रह गए हैं। सरकार को इसके कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। मैं कुछ मिनट पहले ही मंत्री से बात करने का प्रयास कर रहा था। जैसा उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है, यह नियमों के ताल-मेल की बात नहीं है। यह कहा जा रहा है कि कुछ मिश्रित धारणाधिकारों और इन सब के माध्यम से निजी क्षेत्र में अधिग्रहण हुए हैं। यह अलग मुद्दा है। कई कानून और मौजूदा उपबंध है और यदि सरकार चाहेगी तो इस प्रकार के अधिग्रहण को रोक सकती है। कहा जा रहा है कि मंदी है, पूंजी की कमी है, हमें पूंजी की आवश्यकता है। हमारा 35 बिलियन डालर का निश्चित लक्ष्य है परंतु अब हमारे पास केवल 19 बिलियन डालर हैं और यदि हम इसकी अनुमति देंगे बहुत अधिक पूंजी आएगी। परंतु यदि हम इस तर्क के अनुसार चलते हैं और इसके अनुमति देते हैं तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसाकि पश्चिम में हुआ है। हम वाम दलों के दबाव के कारण अपने बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र और पेंशन कोष की कुछ सीमा तक रक्षा कर सके। कम से कम हम इससे इतने अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं जितना कि पश्चिम संयुक्त राज्य अमरीका, युनाइटेड किंगडम और अन्य देश प्रभावित हुए हैं। परंतु अब आप क्या कर रहे हैं। आप पूरी अवसंरचना को कमजोर कर रहे हैं जो कि गंभीर वैश्विक मंदी की इस अवधि में सुरक्षित रही है। मैं इस निर्णय का कड़ा विरोध करता हूं और मैं मांग करता हूं कि सरकार को संसद के समक्ष स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने ऐसा निर्णय ऐसे समय क्यों लिया है जब संसद का सत्र चल रहा है; उसने ऐसा निर्णय इस समय क्यों लिया जब स्थायी समिति बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के परिणामों पर विचार कर रही है, उसने यह निर्णय ऐसे समय क्यों लिया है जब हमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और अपनी रक्षा उत्पादन अवसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मार्ग पर चलकर, इस गलत मार्ग पर चलकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घरेलू भारतीय कंपनियों के पिछले दरवाजे से आएगा।

[श्री रूपचंद पाल]

महोदय, मैं एक बार पुनः आपका संरक्षण चाहता हूं। मंत्री जी सभा में उपस्थित हैं, वह इस सभा को आश्वस्त कर सकते हैं कि वे सभा में आकर स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने ऐसा विनाशकारी कदम क्यों उठाया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप इसी मामले पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री किन्जरपु येरननायडु: नहीं महोदय, मेरा मुद्दा कुछ और है।

महोदय, आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसिज लिमिटेड के कथित कुप्रबंधन से उत्पन्न स्थिति पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की स्वीकृति दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आपको उस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अनुमति नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, संसदीय कार्य मंत्री सभा में उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है।

(व्यवधान)...*

श्री रूपचंद पाल: महोदय, हमने अब तक यह नहीं सुना कि चर्चा का क्या होगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, जब चर्चा हो उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम अविलंबनीय लोक महत्व के शेष विषयों को लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: महोदय, यह आज की संशोधित कार्यसूची में सं. 22 पर सूचीबद्ध है। इस पर चर्चा शुरू क्यों नहीं की गई है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस विषय पर चर्चा के समय अपने विचार रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, पूरा राष्ट्र देख रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पाल, आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि विपक्ष के माननीय नेता द्वारा अनुरोध किया गया था कि सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के मामलों के कुप्रबंधन पर अल्पावधि चर्चा आज नहीं की जाए। सरकार ने अनुरोध को मान लिया है। अल्पावधि चर्चा माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख पर की जाएगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, हम विरोध व्यक्त करते हैं और सभा से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 2.59 बजे

इस समय श्री किन्जरपु येरननायडु और अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, हम भी विरोध करते हैं और सभा से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 2.59½ बजे

इस समय श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगांव): उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना केन्द्र का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत राजनंदगांव के कबीरधाम और कोवरधा जिलों की जांच विस्तार से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करवाई है।

अपराह्न 3.00 बजे

जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग के लोग भी गए और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गईं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो गड़बड़ियां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पाई गईं, वहां बहुत सारे अधिकारियों के साथ-साथ, ठेकेदारों तथा कार्य करने वाली एजेंसियों पर कार्यवाही की गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना में उन लोगों को फिर पुनः काम दे दिया गया। वहां जो लोग काम कर रहे हैं, जो सड़कें वहां बनाई गईं, वे सारी सड़कें एक वर्ष के अंदर उखड़ गईं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसके ऊपर बहुत अधिक गहनता से जांच की आवश्यकता है। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, छठा वेतन आयोग पूरे देश में लागू हो गया है लेकिन दुर्भाग्यवश अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में धनाभाव के कारण छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। अब कर्मचारियों ने 'काम रोको' हड़ताल शुरू कर दी है, और सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम लगा दिया है और जिसके कारण सैकड़ों-हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे समय में मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि कर्मचारियों की मांगें सही हैं। वे उसी की मांग कर रहे हैं जो उनका हक है। मैं सीधे तौर पर राज्य सरकार को दोष देना नहीं चाहता क्योंकि राज्य सरकार की अपनी मजबूरियां हैं लेकिन हम कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। आवश्यक सेवा अधिनियम लगाने का मतलब है कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित करना है जो उनका हक है। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधान मंत्री से भी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक शांति पैकेज की घोषणा करने के लिए बातें की जिससे कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए, छठे वेतन आयोग के अंतर्गत प्रावधानों को लागू कर सके।

वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के सारे कर्मचारी 'काम रोको' हड़ताल पर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ कर्मचारी छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे है जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इससे वंचित किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि केन्द्र सरकार इस समय हस्तक्षेप नहीं करती है तो राज्य सरकार की मशीनरी ठप हो जाएगी क्योंकि कोई भी

[श्री कीरेन रिजीजू]

कार्यालय नहीं जा रहा है। मेरे पास बहुत से फोन आ रहे हैं और कर्मचारी संघों से दबाव पड़ रहा है कि कृपया केन्द्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाए।

केन्द्र सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि वह कर्मचारियों से बात करे और राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांगों को शांति से सुनने के लिए कहे। मैं यह मांग नहीं कर रहा हूं कि बकाया राशि की घोषणा की जाए या एक बार में ही उसका भुगतान कर दिया जाए। इसे किस्तों में भी दिया जा सकता है। लेकिन इस समय उनको जेल में डालना और उनको गिरफ्तार करना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी कर्मचारियों की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं और एक बार पुनः भारत सरकार से हस्तक्षेप करने तथा अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भावनाओं का कद्र करने का अनुरोध करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): आज केरल राज्य की राजधानी में हड़ताल चल रही है क्योंकि केन्द्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक खंडपीठ की पुनःस्थापना, जो पहले से वहां काम कर रही थी, के लिए अधिसूचना जारी नहीं की है। केरल उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया है।

इस अधिनियम में सहमति जैसा कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल परामर्श के लिए है। राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया है। राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम में खंडपीठ की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि और भवन दिए हैं। सारी चीजें पूरी हो चुकी है। केवल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाना है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में केरल से दो जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री हैं। इस संबंध में अब मैं श्री वायालार रवि जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री है तथा रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से कदम उठाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पक्षों की यह मांग पूरी हो, अनुरोध करता हूं।

अब मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है जिस पर केरल विधान सभा में दो बार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। एक वार जब श्री ए.के. एंटनी मुख्यमंत्री थे तब केरल विधान सभा में तिरुवनंतपुरम में एक खंडपीठ की स्थापना के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। दूसरा, केरल राज्य के गठन के समय किया गया था। उस समय स्वर्गीय ई.एम.एस. नम्बूदरिपाद मुख्य मंत्री थे। उस समय भी केरल विधान सभा द्वारा तिरुवनंतपुरम में खंडपीठ की स्थापना हेतु सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया था।

इसका सीधा कारण यह है कि केरल उच्च न्यायालय इसकी स्थापना करने के पक्ष में नहीं है। पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में ऐसा प्रावधान है। राष्ट्रपति को अधिकार है। यह कोई सहमति की बात नहीं है। यह केवल परामर्श के लिए है, परामर्श इस अर्थ में है कि तिरुवनंतपुरम में एक खंडपीठ की स्थापना के लिए मुख्य न्यायाधीश को उपाय करने होंगे। राज्यपाल से परामर्श का मतलब है कि अन्य प्रशासनिक कार्यों की देखभाल उनके द्वारा की जाएगी। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था तब संसद की मंशा यही थी। इसलिए, यही न्यायपूर्ण और उचित है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करे। राष्ट्रपति को सहमति लेने की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार होगा तब राष्ट्रपति को अपने विवेक का उपयोग करने का भी अधिकार है। किसी भी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसा करने का समय आ गया है और चुनाव से पूर्व यह हो जाना चाहिए। श्री वायालार रवि और श्री ए.के. एंटनी को मतदाताओं का सामना करना पड़ेगा। यदि वे तिरुवनंतपुरम में तथा अन्य जगहों में मतदाताओं का सामना करना चाहते है तो तत्काल कार्रवाई करने के लिए यह उनके लिए उपयुक्त समय है और ऐसा नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

इसलिए, यह लम्बे समय से चली आ रही मांग है। पिछले 365 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। लगातार हड़ताल जारी है। लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह 365वां दिन है और आज के दिन सभी पार्टियों ने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हड़ताल की घोषणा की है।

इसलिए, आप मतदाताओं का सामना करेंगे और संप्रग सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिना समय गंवाए वह इस संबंध में अधिसूचना जारी करे क्योंकि यह सबका कर्तव्य है। मैं संप्रग सरकार से पुनः एक वार चुनाव की घोषणा से पहले ही अधिसूचना जारी करने का अनुरोध करता हूं और ऐसा नहीं होने की स्थिति में आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.08 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

देश में मध्याह्न भोजन के कर्मकारों के समक्ष समस्याओं के बारे में

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर मिड-डे-मील वर्कर्स, जो स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, मैं उनकी वर्किंग कंडीशन्स एवं पे-कंडीशन की ओर आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह स्कीम बहुत पुरानी है। यह स्कीम कई राज्यों में केन्द्र सरकार की सहायता के बिना शुरू हुई थी। हमारे यहां गुजरात में भी यह स्कीम बहुत पहले से चल रही है। इतने सालों से चलने के बावजूद अभी तक इस स्कीम के तहत काम करने वाले लोगों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है।

महोदय, इस साल तो केन्द्र सरकार ने इस स्कीम के तहत बहुत ज्यादा पैसा दिया है, लेकिन फिर भी इस स्कीम के अन्तर्गत मिड-डे-वर्कर को तनख्वाह 500 रुपए, खाना बनाने वाले को 250 रुपए और बर्तन साफ करने वाले को 175 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। इतने सालों के बाद अभी तक इन लोगों को केवल 500, 250 और 175 रुपए मिलते हैं।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं कि उसने आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाई है, हालांकि बहुत से राज्यों ने अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर्स को केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई तनख्वाह के एरियर्स नहीं दिए हैं। अभी तक भी उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी है, लेकिन जैसे आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनों की तनख्वाहें बढ़ायी गयीं, उसी तरह मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मिड-डे-मील वर्कर्स की तनख्वाह पांच सौ रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए करे, कुक की तनख्वाह ढाई सौ रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए करे और यूटेंशल क्लीनर जिसे 175 रुपए मिलते हैं, उसकी राशि बढ़ाकर साढ़े तीन सौ रुपए करे। मेरी यह मांग है। मैं महंगाई और दूसरे मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो परिस्थिति पूरे देश के अंदर मिड-डे-मील वर्कर्स की है, उसे देखते हुए -

[अनुवाद]

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मात्र यह अनुरोध करता हूं कि वे इन मिड-डे-मील-वर्कर्स का वेतन बढ़ाने की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करें तथा इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 1000, 250 रुपये से 500 और 175 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करें। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

मैं संसदीय कार्य मंत्री से इस संबंध में आश्वासन देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इस देश में हजारों वर्कर्स है जिन्हें इससे लाभ होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से मुझे बहुत खुशी होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदय, मैं भी इससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।...*(व्यवधान)*

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, हम सभी चिंतित है।...*(व्यवधान)* मैं संबंधित मंत्री तक यह संदेश पहुंचा दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, सरकार का ध्यान और सरकार के माध्यम से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो खिलाड़ियों और धावकों के मुख्य नियोक्ता हैं, विशेषकर उनके जो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते है, का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और यह देखना उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जिम्मेदारी है कि उन प्रतियोगिताओं का आयोजन ऐसे समय न करें जब विभिन्न स्पोर्ट्स प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

अगले दो या तीन सप्ताह में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट होने वाला है लेकिन इसके साथ ही बी.एस.एन.एल. भी पंजाब राज्य में राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है - माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अभी यहीं थे और वे अभी-अभी सभा से बाहर गए हैं। उड़ीसा में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब उड़ीसा के दो प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों को यह विकल्प दिया गया कि रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में वे अपने राज्य उड़ीसा का या बी.एस.एन.एल. टूर्नामेंट में अपने क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे तो उन्हें बी.एस.एन.एल.

[श्री भर्तृहरि महताब]

का विकल्प चुनना पड़ा क्योंकि वे बी.एस.एन.एल. के कर्मचारी थे। उन्हें अपने उस संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से अनुमति लेनी पड़ी जिसने उन्हें खिलाड़ी या एथलिटों को नियुक्त किया था। जब इन दो प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति मांगी तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के माध्यम से भी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा इस संबंध में मैं उनसे हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं जिससे कि ये दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल रणजी ट्रॉफी जैसे राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में भाग ले सके। एक बार यदि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है उन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं चुना जा सकता और राष्ट्रीय टीम में उनको कोई ग्रेड नहीं मिल सकता।

कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। रेलवे, 'सेल' और बी.एस.एन.एल. भी ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं लेकिन उनका खेलकूद कार्यक्रम और विभिन्न खेलकूद प्राधिकरणों के कार्यक्रम एक ही चाहिए। मेरा यही अनुरोध है। मैं इस संबंध में मंत्री पर दबाव बनाने के लिए पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर जैसे प्राचीन, ऐतिहासिक, शैक्षिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के नगर में अभी तक हवाई अड्डा नहीं बना है, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी संसद के प्रत्येक मित्र, मंत्रीगण, बड़े से बड़े अधिकारीगण, महामहिम से लेकर नीचे तक सब अजमेर शरीफ और पुष्कर जाना चाहते हैं और जाते भी हैं, लेकिन उन्हें आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य अरब देशों से लोग दरगाह शरीफ में आते हैं। उन्हें पहले दिल्ली, से वायुमार्ग से जयपुर और जयपुर से फिर राष्ट्रीय राजमार्ग से अजमेर जाना पड़ता है जिससे बड़ी परेशानी होती है। इसी प्रकार अजमेर में मेयो कॉलेज है जहां सारे देश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहां पब्लिक स्कूल हैं और उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है। विदेशों में व्यापार करने वाले लोग, प्रवासी भारतीयों के परिवार अजमेर में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उन्हें आने-जाने में काफी परेशानी होती है। अजमेर 1956 तक केन्द्र शासित प्रदेश रहा। ब्रिटिश गवर्नमैंट के समय में भी अंग्रेजों का सबसे बड़ा पोलीटिकल एजैंट अजमेर में रहता था। सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर आजादी की लड़ाई का बड़ा भारी केन्द्र था। राजस्थान में सब रजवाड़े थे, रियासतें थीं और वहां कोई आजादी का नाम, भारत माता की जय नहीं बोल सकता था। सारे स्वाधीनता सेनानियों का अजमेर में जाकर जेल में गिरफ्तारी देना, आजादी के लिए मांग करना, राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारी लोग अजमेर नगर में गए और वहां से उन्होंने सारे राजस्थान में क्रान्ति का मंत्र फूंका। ऐसी क्रान्तिकारियों की नगरी अजमेर जहां पर सी.आर.पी.एफ. के ग्रुप हैडक्वार्टर्स हैं, जहां से अन्य सैन्य बलों को देश में कहीं भी संकट आने पर तुरंत भेजना पड़ता है या सेना की सुप्रसिद्ध सैनिक छावनी नसीराबाद, जहां से बार्डर पर कभी भी संकट आने पर सेनाओं की आवाजाही रहती है, ऐसी स्थिति में अजमेर में हवाई अड्डे का स्थापित होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अजमेर को देश के वायु यातायात से जोड़ने के लिए वहां अविलंब हवाई अड्डे की स्थापना की जाए और उसे वायु मार्ग से जोड़ा जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह को अनुमति देना मेरे लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने समय पर कोई सूचना नहीं दी है लेकिन एक विशेष स्थिति के रूप में मैं दो माननीय सदस्यों को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति देना चाहता हूं क्योंकि उनका मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरी कौन्सटीट्एंसी में तीन डिस्ट्रिक्ट - डोडा, रामबन और किश्तवाड़ हैं। हमारे वहां बगलिहार प्रोजैक्ट बना और अब उस प्रोजैक्ट की पॉडिंग शुरू कर दी गई। उस पॉडिंग को शुरू किये हुए अभी चार-छः महीने हुए हैं। वहां पानी भरता गया। उससे हमारे पहाड़ी एरिया के किनारे जो सड़क थी, वह चूने का पहाड़ था, उस पहाड़ की दो किलोमीटर की पूरी सड़क जमीन में धंस गई। इस समय दस दिन हो गये हैं, आपको हैरानी होगी कि दस दिन से छः लाख की आबादी वाले तीन जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। वहां खाने

की चीजें नहीं पहुंच रही हैं, आना-जाना बंद हो गया है। इस समय वहां वैसे ही बर्फ गिरी हुई है जिसके कारण लोग पहले ही तंग थे। वे इतना सामान इकट्ठा नहीं कर सकते। अब गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं जिससे राशन की दिक्कत है। वहां अभी तक एयर सर्विस भी नहीं लगी। मेरी आपके माध्यम से सबमिशन है कि बसोली, बनी, भद्रवाह का एक रास्ता है उस रास्ते को ठीक किया जाये, तो वहां सामान पहुंच सकता है। दूसरा, पांगी बार्डर का रास्ता है जिससे किश्तवाड़ जाया जा सकता है और तीसरा, एयर सर्विस का रास्ता है। अदरवाइज उन्होंने कहा है कि वह सड़क 45 दिन तक नहीं बन सकती। मेरी सबमिशन है कि जब नई सड़क बनानी है तो उसका इमीडिएट इंतजाम कीजिए। साथ ही मान तराई के रास्ते से एक टनल निकाली जा सकती है जिससे हमारा रास्ता भी कम हो सकता है। वहां लोगों में त्राहिमाम-त्राहिमाम हो रही है। मेरा सबमिशन है कि इस मसले को आप अभी टेक-अप करें। मैंने आपको इसीलिए कष्ट दिया।

[अनुवाद]

यह आप से मेरा विनम्र निवेदन है। कृपया इसे गंभीरता से लें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र दानापुर कैन्टोनमैंट एरिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस कैन्टोनमैंट एरिया से आम लोगों के आने-जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। लोग उसी कैन्टोनमैंट एरिया से चांदमारी गांव में सैंकड़ों वर्षों से आ-जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि कैन्टोनमैंट एरिया स्थापित होने से पहले भी लोग वहां से आते-जाते रहे हैं जहां हजारों की आबादी रहती है। उसी रास्ते में बच्चों का एक बहुत बड़ा डी.पी.एस. स्कूल है। बच्चे भी उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। विगत् कुछ समय से उस सड़क की हालत बहुत खराब है। वहां स्थिति यह है कि कैन्टोनमैंट बोर्ड भी उस सड़क की मरम्मत नहीं कर रहा है। हमने एक बार जब अपने संसदीय कोष से उस सड़क को बनाया, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय, बिहार सरकार ने उस सड़क की मरम्मत के लिए दो बार राशि भी आवंटित की, लेकिन कैन्टोनमैंट बोर्ड के अधिकारियों ने सड़क की मरम्मत करने की इजाजत नहीं दी। इससे आम लोगों में बहुत आक्रोश है। एक बार इसी बात को लेकर बहुत प्रौटेस्ट भी हुआ था, मगर मेरे हस्तक्षेप से नागरिकों में आक्रोश कम हुआ। जो संबंधित वरीय अधिकारी हैं, उन्हें मैंने इस बारे में सूचना दी, तो उन्होंने कहा कि मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। संबंधित जिलाधिकारी को भी मैंने इस बारे में कहा था, लेकिन आज तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। सड़क की जर्जर हालत होने के कारण गांव के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हम माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे अविलम्ब हस्तक्षेप करके उस सड़क की मरम्मत करायें ताकि बच्चों के स्कूल जाने का जो रास्ता है, आम लोगों के जाने का रास्ता है, उस रास्ते से लोग आ-जा सकें। गांव में रहने वाले जो हजारों किसान हैं, जिनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनमें इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है। यदि यहां से हस्तक्षेप करके सड़क का निर्माण नहीं किया जायेगा, तो वहां कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी कैन्टोनमैंट बोर्ड के वरीय अधिकारियों पर जाती है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप अविलम्ब हस्तक्षेप करें। चांदमारी गांव में रहने वाले लोगों और वहां के व्यवस्थित स्कूल में बच्चों के जाने के लिए जो रास्ता खराब है, उसे कैन्टोनमैंट बोर्ड खुद बना दे क्योंकि भारत सरकार उन्हें पैसा भी देती है या फिर वहां जो राशि गयी है, उस राशि को वहां खर्च होने दे ताकि सड़क ठीक से बन सके और लोगों को सुविधा प्रदान हो सके। वहां स्थिति बहुत तनावपूर्ण है इसलिए अविलम्ब मैं इसे सरकार के नोटिस में ला रहा हूं। मेरा कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। वे इसमें जरूर कुछ हस्तक्षेप करें और अपने अधिकारियों की एक टीम वहां भेजे। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो वहां कुछ भी हो सकता है जिसके लिए कैन्टोनमैंट बोर्ड के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप करें और वहां सड़क निर्माण का काम करायें। उस सड़क को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अपने पैसे खर्च कराकर बनाये या गांव में सरकार का पैसा जो सड़क बनाने के लिए आया है, उसमें परमिशन दे दे, ताकि वह सड़क बन सके। वहां सामान भी रखा हुआ है, लेकिन उस सड़क को बनने नहीं दिया जा रहा है। इसकी क्या वजह है, यह हम नहीं जानते? आम लोग सैंकड़ों वर्ष से उस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया रास्ता क्रिएट किया जा रहा है। आम लोग उसी कैन्टोनमैंट एरिया से आते-जाते रहे हैं, मगर पता नहीं क्या बात है,

[श्री राम कृपाल यादव]

कोई वजह नहीं है। वहां डी.पी.एस. स्कूल चल रहा है। बच्चों को जाने में दिक्कत है, किसानों को जाने में दिक्कत है मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां के अधिकारी चुप बैठे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। मैंने इस बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित किया था, लोकल एस.डी.ओ. का भी ध्यान आकर्षित किया था, मगर अभी तक कोई निदान नहीं निकल सका है। मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। आप सरकार को इंस्ट्रक्शन दें ताकि वह उसे देखे और उस सड़क को बनवा दे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि वहां बहुत तनावपूर्ण स्थिति है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को निर्देश नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव: आप सरकार का ध्यान इस ओर दिलवाइये, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री तो नोटिस तक नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सुना भी नहीं है कि मैंने क्या कहा है? ...*(व्यवधान)* इतनी ज्वलंत समस्या है। वहां स्थिति तनावपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यहां मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सब बैठे हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: वहां मिलिट्री और पब्लिक में कुछ भी हो सकता है। एक बार लोग इकट्ठे हो गये थे, मिलिट्री इकट्ठी हो गयी थी। मैंने हस्तक्षेप किया, निवेदन किया।...*(व्यवधान)* लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपने सूचना नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति लोकमहत्व का प्रश्न इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

आज पूरे हिंदुस्तान में चीन के बने हुए खिलौने बेचे जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई है। इन खिलौनों में ज्यादातर पहिए वाले सामान हैं, गुड़िया, बंदूक, लकड़ी और धातु के मेल से बनी हुए इलेक्ट्रानिक ट्रेन्स आदि हैं, जिन पर रासायनिक लेड और कैडमियम का लेप है, जिनके कारण बच्चों में अनेक प्रकार की बीमारियां और स्किन डिजीजेज हो रही हैं। अब हिंदुस्तान में इन खिलौनों पर पाबंदी तो लगी है, लेकिन उन पर से मेड इन चाइना शब्द को हटाकर मेड इन यू.ए.ई. या मेड एज चाइना लगाकर बेचा जा रहा है। यह बहुत ही नुकसानदायक है और इसे अविलंब बंद करना चाहिए। आज भारतवर्ष के करीब 250 करोड़ रुपए के खिलौनों का व्यापार होता है। 1,500 करोड़ रुपए के खिलौने चीन से सीधे नेपाल के रास्ते भारत में आते हैं, जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए अन्यथा बच्चों में बहुत सी डिजीजेज होंगी।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली के खिलौना कारोबारी हैं, खासकर श्री गगन गुलशन और ट्वाएज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राज कुमार ने इस पर पाबंदी लगाने का स्वागत किया है। इसलिए जरूरी है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज हमारे बच्चों में वैसे भी खून की कमी है, उनको सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार मिड डे मील योजना लागू करके अच्छा भोजन देने की व्यवस्था कर रही है। बच्चे जो हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य है, कम से कम उनके स्वास्थ्य में सुधार आए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन खिलौनों को जो चीन से आते हैं, जिन पर तरह-तरह के रसायनों का लेप होता है जिनसे तमाम बीमारियां हो रही हैं, को तत्काल भारत सरकार गंभीरता से लेते हुए रोक लगाए अन्यथा आने वाले समय में उन बच्चों में अगर डिजीज हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी ज्यादातर बीमार ही रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको गंभीरता से लेते हुए आपके माध्यम से सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए और जो भी खिलौने हैं, उनको आई.एस.आई. मार्क या अन्य तरीकों से जांच कराकर देखा जाए कि इन खिलौनों को मेड इन चाइना का लेबल हटाकर मेड इन यू.ए.ई. का लेबल लगाकर नहीं बेचा जाए। केवल प्रतिबंध लगाने से हमारी समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सरकार को इंगित करें कि ऐसे हानिकारक खिलौने जो हमारे देश के बच्चों, नौनिहालों को दिए जा रहे हैं, जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उन पर सरकार पाबंदी लगाए तभी हमारे देश के भावी कर्णधार, बच्चों का

स्वास्थ्य और भविष्य बन सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सही बात सदन के सामने उठाई है कि सरकार ने तो प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सरेआम बाजार में ये खिलौने बिक रहे हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार केवल प्रतिबंध लगाकर अपने काम की इतिश्री न करें, बल्कि उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करे और सभी राज्य सरकारों को इस बात का निर्देश दे कि भारत सरकार ने जो पाबंदी लगाई है, उसके अनुसार ऐसे खिलौने बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनकी दुकानों पर छापे पड़े और उनको जेल भेजने का काम किया जाए अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर भारत में ये खिलौने आ गए हैं और बच्चे उनको खरीदकर दमे के मरीज बन रहे हैं, उनको सांस की बीमारी हो रही है, बहुतों के हार्ट में छेंद हो रहा है, यह आम बात हो रही है। इसीलिए भारत सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश भेजे कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इस पर राज्य स्तर पर कड़ी कार्रवाई हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद सं. 23 पर चर्चा करेगी। श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख विधेयक प्रस्तुत करें।

श्री सुभाष सुरेशचन्द देशमुख - उस्थित नहीं।

श्री मोहन सिंह

अपराह्न 3.30½ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008*

(भाग 4क का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

(दो) पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) (संशोधन) विधेयक, 2008*

(धारा 2, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31½ बजे

(तीन) महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों को मृत्यु शास्ति का उत्सादन विधेयक, 2008*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों को मृत्यु शास्ति का उत्सादन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड-2, दिनांक 13-2-2009 में प्रकाशित

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड-2, दिनांक 13-2-2009 में प्रकाशित

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों को मृत्यु शास्ति का उत्सादन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

(चार) सती निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008*

(धारा 2, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल. राजगोपाल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(पांच) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009*

(धारा 11, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (मरमुगावो): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

निर्वाचन सुधार आयोग, विधेयक, 2006 - *(जारी)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब श्री चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री अधीर चौधरी।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तावित चुनाव सुधार आयोग विधेयक, 2006 पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

कई माननीय सदस्य इस चर्चा में पहले ही भाग ले चुके हैं और उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार तथा सुझाव दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: घंटी बजाई जा रही है-

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: दुर्भाग्यवश, सभा में गणपूर्ति नहीं है। इसलिए सभा सोमवार, पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 16 फरवरी, 2009/27 माघ, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड-2, दिनांक 13-2-2009 में प्रकाशित

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री अधीर चौधरी श्री रामजी लाल सुमन	1
2.	श्री रामदास आठवले श्री सी.के. चन्द्रप्पन	2
3.	श्री पी.सी. थामस डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	3
4.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	4
5.	श्री गणेश सिंह श्री अजय चक्रवर्ती	5
6.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अघलराव पाटील शिवाजीराव	6
7.	प्रो. रासा सिंह रावत	7
8.	डा. चिन्ता मोहन	8
9.	श्री मोहन सिंह श्री नवीन जिन्दल	9
10.	डा. के. धनराजू श्री अनुराग सिंह ठाकुर	10
11.	श्री सनत कुमार मंडल	11
12.	श्री महावीर भगोरा श्री विजय कृष्ण	12
13.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री कीरेन रिजीजू	13
14.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	14
15.	श्री मधु गौड यास्खी श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	15
16.	श्री तथागत सत्पथी	16
17.	श्री एम. अप्पादुरई श्री ई. दयाकर राव	17
18.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड श्री संतोष गंगवार	18
19.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	19
20.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	7
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	12, 34
3.	आचार्य, श्री आनंदराव विठोबा	24, 40, 52
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	51
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	9, 12, 26, 28
6.	अंगडि, श्री सुरेश	12, 41
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	37
8.	आठवले, श्री रामदास	22, 39, 48
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	20
10.	बर्मन, श्री हितेन	17
11.	बर्मन, श्री रनेन	27
12.	भगोरा, श्री महावीर	21
13.	बैसीमुथियारी, श्री सानघुमा खुंगुर	18
14.	चक्रवर्ती, श्री अजय	32
15.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	40
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1, 48
17.	चिन्ता मोहन, डा.	25
18.	चौधरी, श्री पंकज	35
19.	चौधरी, श्री अधीर	21

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
20.	धनराजू, डा. के.	27, 41
21.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	33, 45
22.	गंगवार, श्री संतोष	23
23.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	21
24.	जिन्दल, श्री नवीन	3
25.	कस्वां, श्री राम सिंह	8, 37
26.	खैरे, श्री चंद्रकांत	12
27.	खां, श्री सुनील	16
28.	खारवेनथन, श्री एस.के.	6
29.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2, 29
30.	कृष्ण, श्री विजय	28
31.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	37
32.	महरिया, श्री सुभाष	12
33.	महतो, श्री नरहरि	45
34.	महतो, श्री टेक लाल	26
35.	मंडल, श्री सनत कुमार	28, 42, 50
36.	माने, श्रीमती निवेदिता	33, 45
37.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	16
38.	मंडल, श्री अबु अयीश	10, 29
39.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	35
40.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4
41.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1, 14
42.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	30, 36, 43, 46
43.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	13
44.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	14
45.	राजगोपाल, श्री एल.	5, 31, 44
46.	राव, श्री के.एस.	26
47.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	38, 47, 51
48.	रिजीजू, श्री कीरेन	35
49.	साय, श्री नन्द कुमार	11, 30, 43, 52
50.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	24, 30, 40, 49
51.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	12, 19, 26
52.	सिंह, श्री मोहन	26
53.	सिंह, श्री सुग्रीव	11, 30, 43, 52
54.	सिंह, श्री सूरज	24
55.	सिंह, श्री उदय	15
56.	सुमन, श्री रामजीलाल	24, 25
57.	थामस, श्री पी.सी.	23
58.	तुम्मर, श्री वी.के.	1, 14, 48
59.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	26
60.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	42
61.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	24, 30, 40, 49
62.	यास्खी, श्री मधु गौड	33, 45

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	3
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	1
विधि और न्याय	7, 15, 18
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	4, 10, 13
विद्युत	5, 8, 11, 16, 17
ग्रामीण विकास	12, 14, 19, 20
जनजातीय कार्य	
शहरी विकास	2, 9
महिला और बाल विकास	6

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	29, 30
विधि और न्याय	15, 35, 37, 44, 50
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	8, 11, 12, 31, 42, 47
विद्युत	5, 7, 21, 25, 26, 33, 34, 43, 52
ग्रामीण विकास	2, 9, 14, 19, 20, 48, 51
जनजातीय कार्य	4, 18, 23, 36, 46
शहरी विकास	1, 6, 10, 13, 17, 22, 24, 27, 32, 39, 40, 45, 49
महिला और बाल विकास	3, 16, 28, 38, 41

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और
अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 ।